

इलाहाबाद बैंक ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA 700 001

www.allahabadbank.in
विषय-सूची / contents

वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2010-11

	पृ. सं. / Page No.		पृ. सं. / Page No.
● निदेशकों, लेखापरीक्षकों आदि की सूची List of Directors', Auditors' etc	02	● समेकित वित्तीय विवरण Consolidated Financial Statement	125-151
● अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश Chairman & Managing Director's Message	03-07	● समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on Consolidated Financial Statement	152-153
● वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना Notice of Annual General Meeting	08-12	● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report of AllBank Finance Ltd.	154-156
● बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report of the Bank	13-26	● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के वित्तीय विवरण Financial Statements of AllBank Finance Ltd.	157-180
● बासेल - II प्रकटीकरण Basel - II Disclosure	27-54	● ऑल बैंक फाइनेन्स लि. के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report of AllBank Finance Ltd.	181-185
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट Report on Corporate Governance	55-78	● उपस्थिति पर्ची एवं प्रवेश पत्र Attendance Slip cum Entry Pass	186
● कारपोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र Auditors' Certificate on Corporate Governance	79	● सूचीबद्धता करार के खंड 49V के अनुसरण में प्रमाणपत्र Certificate Pursuant to clause 49V of the Listing Agreement	187-188
● बैंक के वित्तीय विवरण Financial Statements of the Bank	80-122	● परोक्षी फार्म Proxy Form	189-190
● बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report of the Bank	123-124	● ईसीएस मंडेट हेतु फार्म Form for ECS mandate	191-192

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तिथियाँ / IMPORTANT PROGRAMMES & DATES

● लाभांश प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता को निर्धारित करने की अभिलिखित तारीख Cut off Date for ascertaining the Shareholders eligibility to get dividend	14.05.2011	वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय व स्थान Date, time & Venue of Annual General Meeting	10.06.2011 प्रातः 10.30 A.M.
● प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी परोक्षी फार्म एवं संकल्प प्राप्ति की अंतिम तिथि Last date for receipt of proxy form and resolutions for appointing authorized representatives	06.06.2011	पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर - III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106 Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106	

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA 700 001

निदेशक मंडल BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31.03.2011)

- | | |
|--|--|
| 1. श्री जे. पी. दूआ
SHRI J. P. DUA | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
<i>Chairman & Managing Director</i> |
| 2. श्री डी. सरकार
SHRI D. SARKAR | कार्यपालक निदेशक
<i>Executive Director</i> |
| 3. श्री एम. आर. नायक
SHRI M. R. NAYAK | कार्यपालक निदेशक
<i>Executive Director</i> |
| 4. श्री एस. रामस्वामी
SHRI S. RAMASWAMY | निदेशक
<i>Director</i> |
| 5. श्रीमती सुकृति लिखि
SMT. SUKRITI LIKHI | निदेशक
<i>Director</i> |
| 6. श्री आर.एम. चतुर्वेदी
SHRI R.M.CHATURVEDI | निदेशक
<i>Director</i> |
| 7. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी
SHRI P.V.GUDIREDDY | निदेशक
<i>Director</i> |
| 8. डॉ. शकील-उज़-ज़मान अंसारी
Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari | निदेशक
<i>Director</i> |
| 9. श्री गौर दास
SHRI GOUR DAS | निदेशक
<i>Director</i> |
| 10. श्री देवेश्वर कुमार कपिला
SHRI DEVESHWER KUMAR KAPILA | निदेशक
<i>Director</i> |
| 11. डॉ. वसन्त बाबूराव कौजलगी
DR. VASANT BABURAO KAUJALGI | निदेशक
<i>Director</i> |
| 12. श्री सुदीप चौधुरी
SHRI SUDIP CHAUDHURI | निदेशक
<i>Director</i> |

लेखा-परीक्षक/AUDITORS

- | | |
|---|--|
| 1. मे० सुदित के. पारेख एंड कं.
M/S SUDIT K. PAREKH & CO. | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 2. मे० पी. ए. एंड एसोसिएट्स
M/S P. A. & ASSOCIATES | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 3. मे० एम. आर. नारायण एंड कं.
M/S M. R. NARAIN & CO. | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 5. मे० एस. घोष एंड कं.
M/S S. GHOSE & CO. | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 5. मे० के. एम. अग्रवाल एंड कं.
M/S K. M. AGARWAL & CO. | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |
| 6. मे० एम. सी. जैन एंड कं.
M/S M. C. JAIN & CO. | सनदी लेखाकार
<i>Chartered Accountants</i> |

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट /REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मे. एमसीएस लिमिटेड (यूनिट-इलाहाबाद बैंक)
77/2A, हाजरा रोड
कोलकाता-700 029
टेलीफोन - 033 2454-1892/1893
फैक्स - 033-24541961
ई-मेल : mcscal@cal2.vsnl.net.in
Website : www.mcsdel.com

M/S MCS LTD. (Unit Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road,
Kolkata-700029
Tel : 033-2454-1892/1893
Fax : 033-24541961
Email : mcscal@cal2.vsnl.net.in
Website : www.mcsdel.com

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारको,

मुझे वर्ष 2010-11 हेतु आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं, समृद्ध धरोहर वाली इस महान संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अपार समर्थन के बल पर ही आपका बैंक वैश्विक एवं घरेलू वित्तीय बाजार में हुई उथल-पुथल में भी बैंक सफलता पूर्वक अडिग रहा।



Chairman and Managing Director's Message

Dear Shareholders,

It is my great pleasure to place before you the Annual Report of your Bank for the financial year 2010-11. As the Chairman & Managing Director of this great institution with a rich legacy, I would like to put on record that because of your unstinted support your Bank has successfully withstood the upheavals in the global as well as domestic financial markets.

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कठोर ब्याज दर का परिदृश्य और कीमतों में तेजी की स्थिति बनी रही। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के प्रयास के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को कठोर करता रहा है और वह मार्च, 2010 से अब तक रेपो एवं रिजर्व रेपो दरों को आठ बार बढ़ा चुका है। बैंक के लिए भी यह चालू वित्तीय वर्ष में ब्याज दरों को कठोर करने का संकेत है।

वर्ष 2010-11 में बैंक का कार्यनिष्पादन काफी अच्छा रहा है और इसने 'सदैव सतत वृद्धि' के अपने स्लोगन को जीवन्त बनाए रखा है। इसने कई महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटरों में उद्योग से बेहतर कार्यनिष्पादन किया है। बैंक की दृश्यता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इससे जनता में विश्वास जगा है, जो बैंक के शेयरों की कीमतों में हुई सतत वृद्धि से प्रतिबिंबित होता है। बैंक को एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रदान करने हेतु भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्टता का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। देश में सबसे सुदृढ़, सबसे तेज विकास करने वाले एवं सर्वाधिक दक्ष बैंकों के संबंध में बिजनेस टुडे-केपीएमजी द्वारा किए गए अध्ययन में हमारे बैंक का स्थान देश के सर्वोत्तम बैंकों में 8वां रहा। पुनः शुल्क आधारित आय में वृद्धि की दृष्टि से बिजनेस टुडे ने देश के सर्वोत्तम बैंकों में हमारे बैंक को प्रथम स्थान प्रदान किया है।

मैं स्पष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में 2010-11 के दौरान आपके बैंक के कार्यनिष्पादन का विवरण संक्षेप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

2. आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य

- 2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी आंतरिक शक्ति दर्शाई है और वह सतत विकास के उच्च पथ पर अग्रसर है। 2010-11 में 8.6% की अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का मुख्य श्रेय कृषि क्षेत्र कार्यनिष्पादन में उछाल (5.4%) और सेवा क्षेत्र में हुए तीव्र विकास (9.7%) को जाता है।
- 2.2 उच्च विकास दर प्राप्त करने हेतु व्यापक समाप्ति-आर्थिक पैरामीटर अभी भी अनुकूल हैं। मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु निर्यात 37.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए 245.9 बिलियन यूएस डालर तक पहुंच गया। इस बार सामान्य मानसून का अनुमान है और इससे उद्योग और सेवा क्षेत्र दोनों ही 2011-12 में विकास के सूत्रधार हो सकते हैं।
- 2.3 इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि भारत उच्च मुद्रास्फीति और मंद आर्थिक वृद्धि की दोहरी मार झेल रहा है जिसका सामना करना नीति नियामकों का केन्द्रीय एजेंडा होगा। यह मुख्य नीति दरों में त्वरित अंतराल पर वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित हो रहा है और

There was hardening interest rate environment and high price spirals during last financial year. The Reserve Bank of India has been tightening the monetary policy and has already increased the Repo and Reverse Repo rates eight times since March, 2010 in an effort to contain inflation. For the Bank, this is also a signal for hardening of interest rates in the current financial year.

The performance of the Bank in 2010-11 has been very good and the Bank has lived up to its slogan of "Consistent Growth All the Way". It has done better than the industry in a number of key financial parameters. The Bank's visibility has increased considerably. This led to an upsurge in public confidence and was reflected in the elevated and steady share price of the Bank. The Bank was awarded 1st prize for excellence in MSE lending by Her Excellency the President of India. The Bank was ranked at 8th position among India's Best Banks by Business Today-KPMG study of the strongest, fastest growing and most efficient Banks in the country. Again Business Today ranked the Bank 1st among India's Best Banks in the growth of fee based income.

I am most candidly placing before you an analysis of the performance of your Bank during 2010-11 along with a brief account of the Indian economic and banking scenario.

2. Economic and Banking Scenario

- 2.1 Indian economy has shown great resilience and has been on sustainable growth path. The estimated GDP growth of 8.6% in 2010-11 was mainly contributed by rebounded agriculture sector performance (5.4%) and accelerated services sector growth (9.7%).
- 2.2 The broad macro-economic parameters are still conducive for achieving a high growth. Exports for the year ending March, 2011 touched US\$ 245.9 billion registering a growth of 37.5%. There is a prediction of normal monsoon and coupled with this, both industry and service sectors could be growth drivers in 2011-12.
- 2.3 It is no denying the fact that India is being confronted with the double edged problem of high inflation and moderating economic growth dealing with which has been the focal agenda of the policy makers. This is

हाल ही में 3 मई 2011 को घोषित वार्षिक मौद्रिक एवं ऋण नीति 2011-12 में रेपो एवं रिवर्स रेपो में 50 आधार बिंदु की वृद्धि कर इन्हें क्रमशः 7.25% एवं 6.25% कर दिया गया। भारत में मौद्रिक नीति वक्तव्यों की क्रंखला में किए गए उपाय वर्तमान विकास प्रक्रिया को जारी रखते हुए मुद्रास्फीति रोधी अभियान को जारी रखने के साझा कार्यक्रम के तहत तैयार किए गए हैं।

- 2.4 वर्ष के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि उत्साहजनक रही। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण में 25 मार्च 2011 को 21.4% की वृद्धि दर्ज हुई जो 2010-11 हेतु भारिबैं के 20% के सांकेतिक अनुमान से अधिक रही है। 25 मार्च 2011 को यथास्थिति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमाराशि में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई है। हम अपेक्षा करते हैं कि 2012 में बैंकिंग उद्योग में जमा वृद्धि लगभग 17% और ऋण वृद्धि लगभग 19% रहेगी।
- 2.5 वर्ष के दौरान आपके बैंक का कार्यनिष्पादन सराहनीय रहा जो जमाराशि के बाजार अंश में 7बीपीएस की वृद्धि तथा ऋण के बाजार अंश में 8बीपीएस की वृद्धि के रूप में प्रतिबिंबित हुआ है। 2011 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशि का बाजार अंश 2010 के 2.24% के सापेक्ष 2011 में 2.31% रहा और ऋण अंश 2010 के 2.15% के सापेक्ष 2011 में 2.23% रहा।
- 2.6 बैंक ने खुद को सबसे तेज विकास करने वाले बैंकों के समूह में शामिल कर लिया है। आपके बैंक के बाजार अंश में इस वर्ष और वृद्धि होने का अनुमान है यह विश्वास उस क्षमता का परिणाम है जो पिछले कुछ वर्षों में हमारे द्वारा दिखाई गई है जैसे 100% कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस), 2400 से अधिक शाखाओं के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति, संरचनागत उत्पादों की शुरुआत और केन्द्रीयकृत रिटेल बैंकिंग बुटीक (सीआरबीबी) की स्थापना आदि।

3. बैंक का कार्यनिष्पादन

- 3.1 उपर्युक्त आर्थिक एवं बैंकिंग परिदृश्य की पृष्ठभूमि में, आपके बैंक का कार्यनिष्पादन सराहनीय रहा जिससे अंततः आपके बैंक के प्रति बाजार की अवधारणा में कई गुना इजाफा हुआ है।
- 3.2 2010-11 के दौरान बैंक का निवल लाभ 17.97% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के रु.1206 करोड़ से बढ़ कर रु.1423 करोड़ हो गया। बैंक का परिचालन लाभ 19.86% की वृद्धि दर्शाते हुए पिछले वर्ष के रु. 2549 करोड़ से बढ़ कर 2010-11 के दौरान रु. 3055 करोड़ हो गया।
- 3.3 बैंक की गैर-निधि गैर-ब्याज आय इस वर्ष रु.697 करोड़ से बढ़कर रु.857 करोड़ हो गई। शुल्क आधारित आय में वृद्धि करने के अपने प्रयास के रूप में बैंक ने बीमा और तृतीय पक्ष उत्पादों की बिक्री हेतु समझौते और संयुक्त उद्यम के अलावा एसबीए, एनपीएस सब्सक्रिप्शन, ई-उत्पादों के विपणन, स्वर्ण सिक्कों की बिक्री, ऋण समूहन आदि के रूप में नई पहल की है। इस वर्ष बैंक तृतीय पक्ष उत्पादों (टीपीपी) की बिक्री से रु.18 करोड़ की आय अर्जित करने में सफल रहा है
- 3.4 31.03.2011 को यथास्थिति लागत-आय अनुपात 43.36% रहा। 2010-11 में रु.575 करोड़ का प्रावधान पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता हेतु किया गया है। इसे भी ध्यान में रखते हुए कुल व्यय में स्थापना

being reflected in the rise in key policy rates in quick succession, the latest being the 50 basis points hike in the repo and reverse repo rates raising the rates to 7.25% and 6.25% respectively in the Annual Monetary and Credit Policy 2011-12 announced on 3rd May, 2011. The measures, taken in the series of monetary policy statements in India, have been prepared with the common agenda of sustaining the anti-inflationary drive keeping the ongoing growth process sustainable.

- 2.4 The banking sector growth has been encouraging during the year. On year-on-year basis, SCB's credit grew by 21.4% on March 25, 2011, which exceeded RBI's indicative projection of 20% for 2010-11. The Aggregate deposits of Scheduled Commercial Bank's (SCB's) grew by 15.8% on y-o-y basis as on March 25, 2011. We expect for banking industry, a deposit growth of around 17% and credit growth of around 19% in 2012.
- 2.5 Your Bank has shown commendable performance during the year which was reflected in an increase of 7 bps in market share of deposit & 8 bps in credit. The market share of deposits in SCBs has increased to 2.31% in 2011 as against 2.24% in 2010 and credit share increased to 2.23% in 2011 from 2.15% in 2010.
- 2.6 The Bank has put itself into the orbit of fast growing Public Sector Banks. The market share of your bank is projected to grow further this year. The confidence is coming from the capacity that we have built up over the last few years like implementation of 100% Core Banking Solution (CBS), Pan India presence of more than 2400 branches, introduction of structured products and establishing Central Retail Banking Boutiques (CRBBs) etc.
- ### 3. Performance of the Bank
- 3.1 In the backdrop of above economic & banking scenario, your Bank has shown a commendable performance to add to stakeholders' value which ultimately helped in increasing market perception manifold.
- 3.2 The net profit of the Bank showed a growth of 17.97% to reach Rs.1423 crore during 2010-11 from Rs.1206 crore in the preceding year. Operating profit of the Bank went up to Rs.3055 crore during 2010-11 from Rs.2549 crore in the previous year, showing a growth of 19.86%.
- 3.3 The non-interest income of the Bank increased from Rs.697 crore last year to Rs.857 crore this year. The Bank, in its endeavor to improve the Fee Based income, apart from tie-up and joint ventures for insurance and sale of third party products, took several new initiatives in the form of ASBA, NPS Subscription, marketing of e-products, sale of gold coin business, loan syndication etc. The Bank was able to generate an income of Rs.18 crore from selling of Third Party Products (TPP) this year.
- 3.4 The cost to income ratio stood at 43.36% as on 31.03.2011. An amount of Rs.575 crore was provided towards the liability for pension and gratuity in 2010-11.

व्यय का अनुपात 2009-10 के 13.79% के सापेक्ष 2010-11 में बढ़कर 16.69% हो गया जबकि इस अवधि के दौरान कुल व्यय में परिचालन व्यय का अनुपात 8.26% से बढ़ कर 8.37% रहा।

4. लागत, आय एवं मार्जिन

निधियों की लागत के प्रबंधन हेतु यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि वर्ष भर ब्याज दरें कठोरे होती रहीं किंतु आपके बैंक की जमा लागत में 14बीपीएस की कमी आई है अर्थात् बैंक की जमा लागत 2009-10 के दौरान 5.97% के सापेक्ष 2010-11 के दौरान घटकर 5.83% रह गई जिससे इस अवधि के दौरान बैंक की समग्र निधि लागत 5.99% से घटकर 5.85% रह गई। पोर्टफोलियों के पुनर्संतुलन के साथ चौकस ऋण वृद्धि से अग्रिमों पर आय 2009-10 के दौरान 10.57% के सापेक्ष 2010-11 के दौरान मात्र 7बीपीएस घटकर 10.50% रही। बैंक का निवल ब्याज मार्जिन पिछले वर्ष के 2.94% के सापेक्ष 2010-11 में बढ़कर 3.38% हो गया।

5. लाभप्रदता अनुपात

आस्तियों पर प्रतिफल 31.03.2010 को यथास्थिति 1.16% के सापेक्ष 31.03.2011 को यथास्थिति 1.11% रहा। प्रति कर्मचारी लाभ 2009-10 के दौरान रु.5.76 लाख के सापेक्ष 2010-11 के दौरान बढ़कर रु.6.70 लाख हो गया। प्रति शेयर आय 2009-10 के रु.27.01 से बढ़ कर 2010-11 में रु. 31.85 हो गई जबकि इस अवधि के दौरान बही मूल्य रु.151.17 से बढ़कर रु.178.64 हो गया।

6. व्यवसाय

6.1 बेहतर ग्राहक सेवा, नेटवर्क विस्तार और नए उत्पादों के परिणामस्वरूप बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2010 को यथास्थिति रु.1,78,493 करोड़ से 26.87% बढ़कर 31.03.2011 को यथास्थिति रु. 2,26,458 करोड़ तक पहुँच गया। कुल जमा राशियां 31.03.2010 को यथास्थिति रु. 1,06,056 करोड़ के सापेक्ष 24.36% बढ़ कर 31.03.2011 को यथास्थिति रु. 1,31,887 करोड़ हो गई। बैंक का सकल ऋण 31.03.2010 के रु. 72,437 करोड़ के सापेक्ष 30.56% बढ़ कर 31.03.2011 को यथास्थिति रु. 94,571 करोड़ हो गया।

6.2 प्रति कर्मचारी व्यवसाय जो 31.03.2010 को यथास्थिति रु. 8.45 करोड़ था 31.03.2011 को यथास्थिति बढ़कर रु.10.63 करोड़ हो गया। जबकि इसी अवधि के दौरान प्रति शाखा व्यवसाय रु.77.62 करोड़ से बढ़कर रु.93.38 करोड़ हो गया।

7. नेटवर्क एवं डिलीवरी चैनल

आपके बैंक ने लेनदेन की लागत को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनी शक्ति बनाया है और भविष्य में आय सुनिश्चित करने हेतु क्षमता के निर्माण के लिए निवेश किया है। डिलीवरी चैनलों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया है और 2010-11 के दौरान 129 नई शाखाएं खोली गई हैं। बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में 150 नई शाखाएं और 500 एटीएम खोलने की योजना बनाई है।

8. अनर्जक आस्तियां

वर्ष के दौरान अपनी आस्तियों की गुणवत्ता बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां 31.03.2010 को यथास्थिति सकल ऋण के 1.69% के सापेक्ष 31.03.2011 को 1.74% रहा। निवल एनपीए 31.03.2010 के 0.66% के सापेक्ष 31.03.2011 को 0.79% रहा। भारतीय रिजर्व बैंक के 70% के नए मानदंड के सापेक्ष प्रावधान कवरेज अनुपात 75.67% रहा।

In view of this also, the ratio of establishment expenses to total expenses increased to 16.69% in 2010-11 from 13.79% in 2009-10 while the ratio of other operating expenses to total expenses increased to 8.37% from 8.26% during the period.

4. Cost, Yield & Margin

The year was challenging for managing cost of funds as interest rates were hardening throughout the year but the cost of deposits of your bank decreased by 14 bps i.e. 5.83% during 2010-11 from 5.97% during 2009-10, reducing the overall cost of fund of the Bank to 5.85% from 5.99% during the period. With cautious credit growth along with rebalancing of portfolio, Yield on advances decreased by only 7 bps i.e. 10.50% during 2010-11 from 10.57% during 2009-10. The NIM of the Bank increased to 3.38% in 2010-11 from 2.94% in the previous year.

5. Profitability Ratios

Return on Assets stood at 1.11% as on 31.03.2011 as against 1.16% as on 31.03.2010. Profit per Employee improved to Rs.6.70 lacs during 2010-11 from Rs.5.76 lacs during 2009-10. Earnings per share went up to Rs.31.85 during 2010-11 from Rs.27.01 during 2009-10 while book value per share improved to Rs.178.64 from Rs. 151.17 during the period.

6. Business

6.1 Focused approach towards enhanced customer service, network expansion and new products resulted in increase of Bank's total business mix by 26.87% to reach the level of Rs.2,26,458 crore as on 31.03.2011 from Rs.1,78,493 crore as on 31.03.2010. Total Deposits grew by 24.36% to Rs.1,31,887 crore as on 31.03.2011 from Rs.1,06,056 crore as on 31.03.2010. Gross credit of the Bank went up by 30.56% to Rs.94,571 crore as on 31.03.2011 from Rs.72,437 crore as on 31.03.2010.

6.2 Business per Employee increased to Rs.10.63 crore as on 31.03.11 from Rs.8.45 crore as on 31.03.10 while business per branch went up to Rs.93.38 crore from Rs.77.62 crore during the same period.

7. Network & Delivery Channels

Your Bank has leveraged technology to lower transaction costs and invested in capacity building for future earnings. There was focus on increasing the number of delivery channels and we opened 129 new branches during 2010-11. The Bank has planned to open around 150 Branches and 500 ATMs in the current financial year.

8. Non- Performing Assets

It was a big challenge to maintain our asset quality during the year. The gross non-performing assets of the Bank stood at 1.74% of gross bank credit as on 31.3.2011 as compared to 1.69% as on 31.03.2010. The net non-performing assets stood at 0.79% as on 31.03.2011 as compared to 0.66% as on 31.3.2010. The Bank had provision coverage ratio of 75.67% against the new RBI norm of 70%.

9. पूंजी पर्याप्तता मानदंड

बैंक ने रु.10 प्रति शेयर मूल्य के लगभग 2.9 करोड़ इक्विटी शेयर रु.217 प्रति शेयर के प्रीमियम पर अधिमानी आधार पर लगभग रु.670 करोड़ में भारत सरकार को आबंटित किए हैं। पूंजी के समावेश और लाभ को रोक रखने से 31.03.2011 को यथास्थिति बढ़े हुए व्यवसाय पर बासेल-II मानदंडों के अनुसार हमारा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 12.96% रहा जो 31.03.2010 को यथास्थिति 13.62 % था।

10. प्रौद्योगिकी

मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में मेरे द्वारा किए गए वादे के अनुसार बैंक की सभी शाखाएं और कार्यालय सीबीएस की परिधि में आ गए हैं। प्रौद्योगिकी अंगीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय घटनाक्रमों में शामिल हैं- इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग, ई-बैंकिंग, रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट(आरटीजीएस/एनईएफटी) का कार्यान्वयन, ऑन-लाइन टैक्स एकाउंटिंग सिस्टिम (ओलटास) आदि। बैंक की योजना 'आधार' परियोजना के अंतर्गत बैंक के अधिकांश ग्राहकों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नम्बर (यूआईडी) जारी करने की है। बैंक की वेबसाइट अब तीन भाषाओं अर्थात् हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में उपलब्ध है।

11. मानव संसाधन विकास

आपका बैंक संगठन की बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी मानव पूंजी के कौशल और क्षमता में वृद्धि कर अपनी मानव पूंजी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष के दौरान 11300 कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान बैंक ने 1851 कर्मचारियों (972 अधिकारी एवं 879 कर्मचारी) की भर्ती की है। आपके बैंक के स्टाफ की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि हो रही है और इस बात का प्रमाण यह है कि बैंक का प्रति कर्मचारी व्यवसाय 31.03.2010 के रु. 8.45 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2011 को बढ़कर रु.10.63 करोड़ हो गया।

12. वित्तीय समावेशन

व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड सोल्यूशन, एटीएमयुक्त मोबाइल बैंकिंग बैं और दरो-दीवार वाली परंपरागत शाखाएँ खोलने जैसे विभिन्न मॉडलों को अपनाते हुए आईसीटी समर्थित वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक को 2000 और अधिक जनसंख्या वाले 2618 गाँवों का दायित्व सौंपा गया है जहाँ मार्च 2012 तक बैंकिंग आउटलेट खोलकर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जानी हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने 5 शाखाएँ खोलकर और 2 मोबाइल बैंकिंग बैं शुरू करके तथा 1031 गाँवों में व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से 1046 गाँवों के लक्ष्य के सापेक्ष 1054 गाँवों को वित्तीय समावेशन के अंतर्गत लाया गया है और वित्तीय रूप से समावेशित इन गाँवों में 2.51 लाख खाते खोले गए थे।

13. कारपोरेट सामाजिक दायित्व

आपका बैंक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में विश्वास रखता है और इस क्षेत्र में इसने अनेक कल्याणकारी कार्य किए हैं। अपने प्रयास के रूप में बैंक ने सामाजिक परियोजनाओं की पहल की है जैसे ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना, वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्रों (एफएलसीसी) का खोला जाना और 'वन विहार', भोपाल में वन्य पशुओं को अपनाना जिससे समाज और उस परिवेश में, जहाँ बैंक कार्यरत है, एक स्पष्ट परिवर्तन लाने में मदद मिल सकती है।

14. अनुषंगी संस्था

बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी आल बैंक फाइनेंस लि., है जो सेबी में श्रेणी-I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत है, इसने 2010-11 में रु.2.80 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

15. नई पहल

15.1 आपके बैंक को विकास के उच्च पथ पर आगे ले जाने के लिए अनेक नई पहल की गई हैं। देश भर में बैंक के ग्राहकों को अनन्य पहचान

9. Capital Adequacy Ratio

Bank has allotted around 2.95 crore equity shares of Rs 10 each at a premium of Rs 217 per share amounting to Rs 670 crore approximately on preferential allotment basis to Government of India. With the capital infusion & retention of profit, the capital adequacy ratio is attained at 12.96% on our increased business as on 31.03.2011 as against 13.62% as on 31.03.2010 as per Basel-II norms.

10. Technology

I feel happy to inform you that the Bank has brought all its branches and offices under CBS ambit as promised by me in the last year's report. The notable developments in the area of technology adoption include launching of internet banking, SMS banking, e-banking, implementation of Real Time Gross Settlement / National Electronic Fund Transfer (RTGS/NEFT), On-line Tax Accounting System (OLTAS) etc. Bank plans to facilitate issuance of Unique Identification Number (UID) to most of the Customers of the Bank under the project "ADHAAR". Bank's Internet Website is now available in 3 languages i.e. Hindi, English and Bengali.

11. Human Resource Development

Your bank is committed to developing its human capital by enhancing its skill and capacity in tandem with the growing aspirations of the organization. We have imparted suitable training to 11300 employees during the year. The Bank has recruited 1,851 employees (972 Officers and 879 Clerks) during the year. The productivity of staff of your Bank has been consistently increasing as evident from the fact that Business per Employee increased to Rs.10.63 crore as on 31.03.11 from Rs.8.45 crore as on 31.03.10.

12. Financial Inclusion

Bank has been given with the responsibility of 2618 villages having population of 2000 and above where banking services are to be provided by opening of banking outlet by March, 2012 under ICT enabled Financial Inclusion by adopting various models viz. Biometric Smart Card solution through Business Correspondents, Mobile Banking Van fitted with ATM, and opening of Brick & mortar branches. During the year the Bank had covered 1054 villages against a target of 1046 villages by opening of 5 Branches, by launching of 2 Mobile Banking Vans and 1031 villages through BC model and 2.51 lacs accounts were opened in those FI villages.

13. Corporate Social Responsibility

Your Bank believes in Corporate Social Responsibility and has taken a number of welfare measures on this score. In this endeavor, Bank has taken initiatives for social projects like establishment and facilitation of RSETI (Rural Self Employment Training Institute), opening of Financial Literacy and Credit Counseling Centers (FLCCs) and adoption of wild animals at 'Van Vihar' Bhopal which can facilitate visible change in the society and environment in which the Bank operates.

14. Subsidiaries

All Bank Finance Ltd., a fully owned subsidiary of the Bank registered with SEBI as Category-I Merchant Banker, earned a profit after tax (PAT) of Rs.2.80 crore in 2010-11.

15. New Initiatives

15.1 Bank has taken several new initiatives to put your bank on a high trajectory of growth. The Bank entered into Tie-Up

संख्या आबंटित करने के उद्देश्य से बैंक ने 'यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.' के साथ समझौता किया है। बैंक ने कारपोरेट ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के अंतर्गत चालू खाता धारकों के लिए नेट-बैंकिंग सुविधा प्रारंभ की है। वेतनभोगी कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से बैंक ने अंतर्निहित ओवर ड्राफ्ट सुविधा एवं सेवा प्रभागों में अनेक रियायतों के साथ 'आल बैंक एडवांटेज सेलरी प्रीमियम' नामक मूल्यवर्धित बचत खाता उत्पाद प्रारंभ किया है। अवयस्क बालिकाओं के कल्याण हेतु 'आल बैंक बालिका मंगल योजना' नामक विशेष जमा योजना का विस्तार चालू वित्तीय वर्ष में भी किया गया है।

15.2 हमने देशभर में अपने इंटरनेट ग्राहकों हेतु 27 केन्द्रीयकृत खुदरा बैंकिंग बुटीक (सीआरबीबी) की 27 अग्रणी प्रवर्तक शाखाओं के माध्यम से ऑन लाइन खुदरा प्रोसेसिंग एवं संस्वीकृति की सुविधा प्रारंभ की है।

16. भावी दृष्टिकोण

16.1 विदेशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से हांगकांग में अपनी विदेशी शाखा और शेनझेन, चीन में प्रतिनिधि कार्यालय के अलावा बैंक ने विदेश में और अधिक शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। बैंक अपने संसाधन आधार को बढ़ाने के लिए लगभग 500 मिलियन यूएस डालर का एमटीएन इश्यू लाने की योजना बना रहा है।

16.2 बैंक के विकास की गति को कायम रखते हुए आपके बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में 24% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है और मार्च 2012 हेतु लगभग रु. 2,80,000 करोड़ के व्यवसाय स्तर का अनुमान लगाया है।

17. पुरस्कार एवं उपलब्धियां

आपके बैंक को भारत सरकार द्वारा 2009-10 में एमएसई को ऋण उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्टता का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 31.08.2010 को नई दिल्ली में भारत की माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से आपके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा प्राप्त किया गया। बैंक को 2008-09 हेतु राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु भारत के माननीय उप राष्ट्रपति महामहिम मो. हामिद अंसारी द्वारा दिनांक 14.09.2010 को 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' प्रदान किया गया। आपके बैंक को बैंक में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्य हेतु 26.05.2010 को भारतीय रिजर्व बैंक के माननीय गवर्नर डा. डी. सुब्बाराव से रिजर्व बैंक राजभाषा पुरस्कार प्राप्त हुआ।

18. आभार


अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं, भरपूर समर्थन और सतत मार्गदर्शन हेतु भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूंगा। निदेशक मंडल हमेशा सहायक रहा है और मैं बोर्ड के सदस्यों को उनके द्वारा दिए गए प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूँ। वर्ष के दौरान भी बैंक में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम रहा और व्यवसाय विकास में बैंक के समस्त कर्मचारियों की भागीदारी प्रशंसनीय रही। यह उन 26 मिलियन ग्राहकों का विश्वास है जिसने हमारे उत्साह को कायम रखा तथा हमें अपने कार्यनिष्पादन को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया।

19. उपसंहार

आपके बैंक ने अपने सार्थक अस्तित्व के 147वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है, मुझे विश्वास है कि शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों और शुभचिंतकों के साथ-साथ भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सतत समर्थन और संरक्षण से आपका बैंक उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाना जारी रखेगा और उद्योग में एक नई ताकत के रूप में पहचाना जाएगा।

सादर

5 मई, 2011

आभार

 (जे.पी. दूआ)
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

arrangement with "Unique Identification Authority of India Ltd" with a view to allot Unique Identification Number to Customers of the Bank nation-wide. The Bank has introduced net-banking facility to the Current Account holders under Internet Banking Facility to the Corporate Customers. To cater to the needs of the salaried employees a value added savings account product "Allbank Advantage Salary Premium" was introduced with inbuilt overdraft facility and several concessions in service charges. "All Bank Baalika Mangal Yojana", a special deposit scheme for the welfare of minor girl child has been extended for the current financial year also.

15.2 We have started Online Retail Processing and sanction facility to our internet customers through the lead generating branches of 27 Centralised Retail Banking Boutiques (CRBB) across the country.

16. Future Outlook

16.1 In order to increase overseas presence, apart from the existing overseas branch at Hong Kong as well as representative office at Schenzen China, the Bank has planned to open more overseas branches. To increase the resource base, the Bank is planning for MTN issue of around US \$500 million.

16.2 Sustaining the growth momentum of the Bank, your Bank has targeted a business growth of 24% during the current year and projected a business level of around Rs.2,80,000 crore as at March 2012 .

17. Awards & Achievement

Your Bank has been awarded the First Prize for excellence in MSE Lending for 2009-10 by the Govt. of India. The Prize was received by your Chairman & Managing Director from H.E. Smt. Pratibha Devi Singh Patil, Hon'ble President of India in New Delhi on 31.08.2010. The Bank has been awarded "Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar" by H.E Md. Hamid Ansari, Hon'ble Vice-President of India for excellence in implementation of Rajbhasha in the Bank for 2008-09 on 14.09.2010. Your Bank has also been awarded the Reserve Bank Rajbhasha Puraskar for excellence in implementation of Rajbhasha in the Bank from Dr. D. Subbarao, Hon'ble Governor, RBI on 26.05.2010.

18. Acknowledgement

Before I close, I would like to place on record our deep sense of gratitude to Government of India and RBI for their unstinted support and continued guidance. The Board of Directors has always been supportive and I thank the members of the Board for their encouragement and guidance. Cordial atmosphere in the Bank continued during the year and the participation of rank and file in the business development deserves a word of appreciation. It is the confidence of 26 million customers which keeps up our spirits and inspires us to better performance.

19. Conclusion

As your Bank enters the 147th year of purposeful existence, I am confident that with the continued support and patronage of the shareholders, customers, employees and well wishers as well as the Government of India & Reserve Bank of India, your bank will continue its march toward excellence and will be a force to reckon with within the Industry.

Yours sincerely,

(J. P. Dua)

Chairman & Managing Director

5th May, 2011

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

सूचना

‘एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बैंक के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 10 जून, 2011 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, पूर्वश्री ऑडिटोरियम, ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201, सेक्टर - III, सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106, में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी :

1. “यथास्थिति 31.03.2011 के बैंक के तुलन-पत्र तथा 31.03.2011 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ-हानि लेखा, इस अवधि हेतु बैंक के कारोबार और गतिविधियों के सम्बन्ध में निदेशक मंडल के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अंगीकरण।”
2. इक्विटी शेयर पर लाभांश की घोषणा।

निदेशक मंडल के आदेश से

(जे.पी. दूआ)

स्थान: कोलकाता

तारीख: 02.05.2011

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोट्स

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति :

बैंक में उपस्थित होने और मतदान करने के हकदार शेयरधारक को प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी हक है जो उसकी ओर से बैंक में उपस्थित हो और मतदान करे और ऐसे प्रॉक्सी का बैंक का शेयर-धारक होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने हेतु यह बैंक के शेयर विभाग प्रधान कार्यालय, 2, एन. एस. रोड, कोलकाता - 700 001 में बैठक की तिथि से चार दिन से अधिक विलम्ब से नहीं अर्थात् सोमवार, 06 जून, 2011 को कार्य समाप्ति या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति :

कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैंक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर विभाग, 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 में बैठक की तिथि से अधिकतम चार दिन पहले अर्थात् सोमवार, 06 जून, 2011 को कार्यसमाप्ति या उससे पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि इलाहाबाद बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1999 के अनुसार बैंक के किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

ALLAHABAD BANK

Head Office : 2, N.S.Road, Kolkata-700 001

NOTICE

Notice is hereby given that the Nineth Annual General Meeting of the shareholders of the Bank will be held on Friday, the 10th June, 2011 at 10.30 A.M. at Purbashree Auditorium, Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106 to transact the following business (es) :-

1. “To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor’s Report on the Balance Sheet and Accounts.”
2. To declare Dividend on Equity Shares.

By order of the Board of Directors

(J. P. Dua)

Place : Kolkata

Date : 02-05-2011

Chairman & Managing Director

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/ herself, and such a proxy need not be a Shareholder of the Bank. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Department, Head Office, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e on or before the closing business hours of Monday, 6th June, 2011. Please note that any employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as proxy as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVES

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank with Share Department, Allahabad Bank, 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001 not later than **FOUR DAYS** before the date of the Meeting i.e on or before the closing business hours of Monday, 6th June, 2011. Please note that an employee or officer of Allahabad Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of Allahabad Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999.

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेशपत्र :

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें और इसमें दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर इसे बैंक स्थल पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह अपनी उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर यथास्थिति 'प्रॉक्सी' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' का उल्लेख करे।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर का बन्द किया जाना :

नौवीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में और बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, प्राप्त करने के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने के प्रयोजन से बैंक के शेयर धारकों का रजिस्टर और शेयर अन्तरण बहियाँ सोमवार, 16 मई, 2011 से शुक्रवार, 10 जून 2011 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी।

5. लाभांश का भुगतान :

वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो, उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम:

- क) शनिवार 14 मई, 2011 को यथास्थिति कार्य समाप्ति पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे शेयरों के संबंध में एन.एस.डी.एल./सी.डी.एस.एल. द्वारा तैयार किए गए हिताधिकारी स्वामियों, की सूची में, तथा
- ख) भौतिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के सापेक्ष 14.05.2011 को कार्य समय की समाप्ति से पूर्व प्राप्त वैध अंतरण अनुरोध को प्रभावी करने के बाद शनिवार, 14 मई, 2011 को शेयरधारकों के रजिस्टर में होंगे।

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट, जिन्होंने एनईसीएस द्वारा अपने लाभांश को जमा करने हेतु विकल्प नहीं दिया है, लाभांश घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् मे० एमसीएस लि. के माध्यम से उनके पंजीकृत पत्तों पर भेजे जाएंगे।

शेयरधारक जिन्होंने एनईसीएस द्वारा अपने लाभांश को जमा करने हेतु विकल्प दिया है, उनके ईसीएस अधिदेश के अनुरूप उनके बैंक खाते में लाभांश राशि सीधे जमा करते हुए एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान किया जाएगा। एनईसीएस निष्फल/वापस हो जाने की दशा में लाभांश प्रत्याभूतियों को संबंधित शेयरधारकों को जारी किया जाएगा।

लाभांश का भुगतान, भारत सरकार की आवश्यक संस्तुति के अधीन है।

लाभांश के भुगतान की तिथि 28 जून 2011 होगी।

6. अदत्त/अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी धनराशि जब ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्षों की अवधि हेतु अदत्त/अदावाकृत रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205सी(1) के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" में अंतरित किया जाएगा।

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum entry pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/ Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should state on their Attendance Slip-cum Entry pass as 'Proxy' or 'Authorised Representatives' as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain close from Monday, 16th May, 2011 to Friday, 10th June, 2011(both days inclusive) in connection with the Ninth Annual General Meeting and for the purpose of determining the eligibility of the shareholders entitled to receive the dividend, declared by the Bank.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

- a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Saturday, 14th May, 2011 as per the lists to be furnished by NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form and
- b) in the Register of shareholders as on Saturday, 14th May, 2011 after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hour on 14-05-2011.

Dividend warrants to such shareholders who have not opted for credit of their dividend through NECS would be sent by the Bank or through Registrar and Share Transfer Agents viz. MCS Limited, within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

The shareholders who have opted for NECS credit of their dividend will be paid dividend through NECS by directly crediting the dividend amount to their Bank account as per their ECS mandate. In case of failure/ return of NECS the dividend warrants will be issued to the respective shareholders.

The payment of Dividend is subject to necessary approval from Govt of India.

The dividend payment date will be 28th June, 2011.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to "Investor Education and Protection Fund" established under section 205C (1) of the Companies Act,1956.

तदनुसार वर्ष 2002-03 और उसके बाद के लाभांश, इन्हें अदत्त लाभांश खाते में अंतरित किए जाने की तारीख से सात वर्षों के बाद “निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि” में अंतरित किए जाएंगे।

जिन शेयरधारकों ने वित्त वर्ष 2009-10 तक अपने लाभांश का दावा नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, मै. एमसीएस लिमिटेड के पास वैध दावा(दावे) दाखिल करें।

7. लाभांश अथवा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस : (एनईसीएस) हेतु बैंक का अधिदेश

7.1 वारंटों के कपट-पूर्ण नकदीकरण से निवेशकों की रक्षा करने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि जब कभी बैंक द्वारा लाभांश घोषित किया जाता है तो वे जहाँ पर नकदीकरण हेतु डिविडेन्ड वारंट जमा करना चाहते हैं वहाँ के बैंक खाता संख्या (चालू/बचत), बैंक का नाम और शाखा का उल्लेख करें।

इन विवरणों को लाभांश वारंट के चेक वाले हिस्से पर नाम के साथ-साथ मुद्रित किया जाएगा ताकि इन वारंटों को शेयर धारक से इतर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न भुनाया जा सके।

उपरोक्त विवरण प्रथम / एकल धारक द्वारा सीधे कोलकाता स्थित शेयर अंतरण एजेंट को प्रस्तुत किये जाएंगे जिसमें फोलियो संख्या, रखे गए शेयरों की संख्या, होल्डिंग का विवरण आदि दिया जाएगा।

7.2 बैंक इलेक्ट्रॉनिक विधि से लाभांश के भुगतान हेतु बैंक के शेयरधारकों को एनईसीएस सुविधा उपलब्ध करा रहा है। एनईसीएस के माध्यम से शेयरधारकों के बैंक खातों में सीधे लाभांश जमा करने हेतु शेयरधारक का खाता केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा और एनईसीएस सुविधा वाली बैंक शाखा में होना चाहिए।

अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे प्राप्त होने वाले लाभांश को अपने-अपने बैंक खाते में सीधे जमा करवाने हेतु अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) में अपने बैंक खाते को अद्यतन करा लें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने बैंक खाते में सीधे जमा को रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट मे. एमसीएस लि. कोलकाता द्वारा लाभांश प्राप्त करने के लिए प्रथम/एकल शेयरधारक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित ईसीएस मंडेट प्रस्तुत कर सकते हैं।

8. बैंक के शेयरों का लेनदेन अनिवार्यतः डिमैटीरियलाइज्ड (डिमैट) रूप में किया जाना :

सेबी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसरण में हमारे बैंक के शेयरों का लेनदेन डिमैट रूप में करना सभी निवेशकों के लिए अनिवार्य है।

बैंक के शेयरों के डिमैटीरियलाइजेशन हेतु बैंक ने नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लि. (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सी.डी.एस.एल.) के साथ जारीकर्ता कम्पनी के रूप में करार किया है।

Accordingly, the dividend for the year 2002-03 and onward will be transferred to “Investor Education and Protection Fund” after seven years from the date on which it has been transferred to unpaid dividend account.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2009-10 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent, M/s MCS Ltd.

7. BANK MANDATE FOR DIVIDEND OR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE (NECS)

7.1 In order to protect the investors from fraudulent encashment of warrants, the members are requested to furnish their Bank Account Number (Current/Savings), the name of the Bank and Branch where they would like to deposit the dividend warrants for encashment, whenever dividend is declared by the Bank.

These particulars will be printed on the cheque portion of the Dividend Warrant besides the name of the shareholders, so that these warrants cannot be encashed by anyone other than the shareholder.

The above mentioned details should be furnished by the first/sole holder, directly to the Share Transfer Agents at Kolkata, quoting the folio number, number of Shares held, details of the holdings etc.

7.2 The Bank is offering the facility of NECS to the shareholders of the Bank for payment of dividend through electronic mode. For credit of dividend directly to the Bank account of the shareholders through NECS the Bank Account of the shareholder should be with a Centralized Banking Solution (CBS) and NECS enabled Branch of Bank.

The shareholders holding shares in electronic form are therefore requested to get their Bank Account updated with their Depository Participants (DPs) for receiving the dividend by direct credit in their Bank Account.

The shareholders holding shares in Physical form may submit the ECS mandate duly signed by the First/Sole holder for receiving the dividend by direct credit in their Bank Account to Registrar and Transfer Agent M/s MCS Ltd, Kolkata.

8. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALIZED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's Shares.

डिमेंटीरलाइजेशन हेतु अनुरोध संबंधित डिपोजिटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों को भेजे जा सकते हैं।

9. अदावी शेयर

अदावी शेयरों का विवरण निम्नानुसार है:

i) 01.04.2010 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर	—	4461
ii) वर्ष 2010-11 के दौरान लाभार्थी के खाते में अंतरित शेयर	—	335
iii) 31.03.2011 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर	—	4126

बकाया/अदावी शेयरों के संबंध में मताधिकार पर जायज स्वामी द्वारा दावा किए जाने तक रोक लगी रहेगी।

10. तुलनपत्र की प्रतियाँ :

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ अपने साथ लेकर आएँ जो उन्हें बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं।

11. शेयरधारकों की शंकाएँ :

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयर धारक समय रहते अपनी शंकाएँ प्रस्तुत करें ताकि बैंक को उनका प्रभावी उत्तर देने में आसानी हो।

12. शेयर अंतरण एजेंट के साथ पत्राचार :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, अंतरण/ट्रांसमिशन हेतु अनुरोध करने और लाभांश भुगतान से संबंधित मामलों के लिए बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अधिकर्ता को निम्न पते पर संपर्क करें।

मे० एमसीएस लिमिटेड (यूनिट-इलाहाबाद बैंक)
77/2ए, हाज़रा रोड
कोलकाता - 700 029
दूरभाष : 033-2454-1892, 033-2454-1893
फैक्स : 033-2454-1961
ई-मेल : allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

13. ऑनलाइन जानकारी /शिकायतों के लिए बैंक के शेयर धारक मे० एमसीएस लिमिटेड की वेबसाइट www.mcsdel.com पर लॉग-इन कर सकते हैं तथा अपनी जानकारी /शिकायतों के पंजीकरण हेतु इन्वेस्टर सर्विसेस पर क्लिक कर सकते हैं।

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrar and Share Transfer Agent.

9. UNCLAIMED SHARES

The details of unclaimed shares are as under:

i) Shares outstanding/unclaimed as on 01-04-2010	-	4461
ii) Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2010-11		335
iii) Shares outstanding/unclaimed as on 31-03-2011	-	4126

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

10. COPIES OF BALANCE SHEET

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

11. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

12. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENT

Shareholders are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, lodge transfer/transmission request (s) and the matters related to payment of dividends at the following address:-

M/s MCS Limited (Unit: Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road
Kolkata-700029
Tel : 033-24541892, 033-24541893
Fax: 033-24541961
E-mail: allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

13. For on line queries/grievance, shareholders of the Bank may login on the website of M/s MCS Limited i.e www.mcsdel.com and click on investor services to register their queries/grievance, if any.

14. शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इलाहाबाद बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में एक निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं:

14. In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Allahabad Bank has set up Investors' Grievances Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

<p>महाप्रबंधक (वि एवं ले), सी एफ ओ एवं अनुपालन अधिकारी इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय, 2 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 दूरभाष संख्या - 033-2242 0899 फैक्स नं. 033-2210 7424 ई-मेल - gmfa@allahabadbank.in</p> <p>The General Manager (F&A), CFO & Compliance Officer Allahabad Bank, Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata - 700 001 Telephone No. 033-2242 0899 Fax No. 033-2210 7424 E-mail - gmfa@allahabadbank.in</p>	<p>कंपनी सचिव शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत निवारण कक्ष प्रधान कार्यालय 2 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता - 700001 दूरभाष संख्या - 033-2242 0878 फैक्स नं. 033-2210 7424 ई-मेल - investors.grievance@allahabadbank.in</p> <p>The Company Secretary Share Deptt. & Investors' Grievance Cell Head Office 2, Netaji Subhas Road, Kolkata- 700 001 Telephone No.033-22420878 Fax No. 033- 22107424 Email-investors.grievance@ allahabadbank.in</p>
---	--

15. अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

15. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/coupon will be distributed at the meeting.

निदेशक मंडल के आदेश से

By order of the Board of Directors

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 02-05-2011

(जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Place : Kolkata
Date : 02-05-2011

(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

इलाहाबाद बैंक
निदेशकों की रिपोर्ट
अप्रैल 2010 से मार्च 2011

ALLAHABAD BANK
DIRECTORS' REPORT
APRIL 2010 TO MARCH 2011

निदेशक मंडल को 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लेखापरीक्षित लेखाविवरणों सहित निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

The Board of Directors has pleasure in presenting the Directors' Report along with the audited Statement of Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2011.

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण
व्यापक आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक वित्त संकट के “उत्तर प्रभावों” के समावेशन और प्रबंधन के कारण वित्तीय वर्ष 2010-11 एक जटिल और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। इस संकट की शुरुआत विकसित विश्व के सब-प्राइम क्षेत्र तथा व्यापक वित्त बाजारों से हुई और इस संकट के बादल शेष विश्व की अर्थ-व्यवस्था में छा गए जिससे अंततः संपूर्ण वैश्विक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। भारतीय अर्थ-व्यवस्था भी उस हद तक प्रभावी रही जहाँ तक यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में व्यापार और निवेश दोनों के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था से संबद्ध थी।

वैश्विक घटनाक्रम

आईएमएफ के अनुसार 2011 में जीडीपी वृद्धि 4.5% होने की संभावना है जो 2010 के 5% से मामूली रूप से कम है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2011 में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि क्रमशः 2.5% और 6.5% होने की संभावना है। उभरते बाजार में मजबूत समष्टि आर्थिक आधार तत्वों और परिणामस्वरूप मांग में तेजी इस बात का संकेत है कि भरपाई पूरी हो गई है तथा विस्तार जारी है।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 2011 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 2% से कम रहने का अनुमान लगाया गया है। किन्तु उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है और 2011 में यह मुद्रास्फीति 7% के निकट रहने का अनुमान लगाया गया है।

पिछले वर्ष के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ किन्तु इसके साथ-साथ विकसित विश्व में बेरोजगारी भी बढ़ी। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के सामने अलग प्रकार की चुनौतियाँ थीं। पहला राजकोषीय समेकन और मुद्रास्फीति का सामना करने हेतु उच्च ब्याज दर के बावजूद संभाव्य क्षेत्र में उत्पाद को बनाए रखना और दूसरा अस्थिर पूंजीगत अंतर्वाह से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिम से बचने के लिए पूंजीगत नियंत्रण। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्फीति की संभावना और अर्थव्यवस्था में उग्रता के पूर्व संकेत पाए गए हैं।

घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर कार्यनिष्पादन दर्शाया है। जबर्दस्त वृद्धि और सतत वित्तीय समेकन 2011 में भारतीय अर्थव्यवस्था का हालमार्क

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

MACRO ECONOMIC ENVIRONMENT

FY 2010-11 has been a complex and challenging year due to absorption and management of 'after effects' of global financial crisis. The crisis had its beginnings in the developed world's subprime sector & broader financial markets and this contagion spread to the rest of the world economy, turning into a full-blown global economic crisis. Indian economy also became affected to the extent it was coupled with global economy both through trade and exposure to international financial markets.

GLOBAL DEVELOPMENT

As per IMF, the World real GDP growth is expected to be about 4.5% in 2011 down modestly from 5% in 2010. Real GDP growth in advanced economies and emerging & developing economies is expected to be at about 2.5% and 6.5% respectively in 2011. The strong macroeconomic fundamentals in emerging market and consequent boost in demand is an indication that recovery is complete and expansion is under way.

In advanced economies, headline inflation is projected to be below 2% in 2011 but in emerging and developing economies, inflation pressure is mounting and forecast sees headline inflation at close to 7% in 2011.

There was recovery in the global economy during last year but at the same time unemployment increased in developed world. Emerging market economies had different challenges- first fiscal consolidation and to maintain output at potential despite higher interest rates to counter inflation & second, capital controls to avoid systemic risk stemming from volatile capital inflows. High inflationary expectation and traces of an early sign of overheating of the economy were found in emerging economies.

DOMESTIC DEVELOPMENT

Indian economy has performed relatively better in FY 2010-11 compared to other emerging economies. Robust growth and steady fiscal consolidation have been the hallmark of the Indian

रहा। आर्थिक विकास कृषि क्षेत्र में उछाल के साथ व्यापक रहा। 2010-11 के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 8.6% हो गया इसके साथ-साथ कृषि में विकास 5.4%, उद्योग में 8.1% और सेवा क्षेत्र में विकास 9.6% रहा। हमारी अर्थव्यवस्था ने बाहरी और घरेलू दोनों झटकों को सहने में उल्लेखनीय आंतरिक शक्ति का प्रदर्शन किया और वैश्विक उथल-पुथल के प्रभाव को सफलतापूर्वक झेल लिया।

बचत और निवेश में उच्च वृद्धि हाल के वर्षों में विकास का कारक बनी। सकल घरेलू बचत (जीडीएस) चालू बाजार कीमतों में जीडीपी प्रतिशत के रूप में 2008-09 में 32.2% की तुलना में 2009-10 में 33.7% रही। 2009-10 में घरेलू बचत की विकास दर 23.5% रही। सकल पूंजी निर्माण (निवेश) दर 2008-09 में 34.5% के सापेक्ष 2009-10 में 36.5% रही।

स्फीतिकारी संभावना, वस्तुओं की उच्चतर कीमतें और वैश्विक वस्तु बाजार में अस्थिरता चिन्ता का विषय रही। वर्ष 2010-11 का आरंभ अप्रैल 2010 में 11.0% की दो अंकों वाली शीर्ष मुद्रास्फीति से हुई। अप्रैल से जुलाई 2010 तक दो अंकों में बने रहने के बाद यह नवंबर 2010 में घटकर 7.5% रह गई। लेकिन यह प्रवृत्ति फिर उलट गई और मुद्रास्फीति फिर से बढ़कर दिसम्बर, 2010 में 9.41%, जनवरी, 2011 में 8.23% और फरवरी, 2011 में 8.31% हो गई। इस वर्ष कृषि क्षेत्र में शानदार वृद्धि होने के बावजूद मुद्रास्फीति उच्च खाद्य कीमतों के कारण बढ़े हुए स्तर पर बनी रही। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च 2011 में 8.98% के उच्चतर स्तर पर बनी रही। स्फीतिकारी संभावना में वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से आपूर्ति की किल्लत को दिया जा सकता है।

जहाँ तक अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र का संबंध है, 2010-2011 के दौरान निर्यात की गति धीमी रही। किन्तु वैश्विक सुधार और एशियाई देशों के साथ व्यापार में वृद्धि के कारण निर्यात बढ़ा। जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा कम हुआ। मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के दौरान निर्यात 37.5% की वृद्धि दर्ज करते हुए 245.9 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुँच गया जो अपेक्षा से अधिक रहा। इसी अवधि के दौरान आयात 350.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 हेतु व्यापार घाटे का आँकड़ा घटकर 104.4 बिलियन यूएस डॉलर रह गया।

बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र घटनाक्रम

ब्याज दर संबंधी नीति में धीरे-धीरे बदलाव आया। 2010-11 में मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हेतु नीतिगत दरों में वृद्धि के उपाय के रूप में बनी रही। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार दरों में वृद्धि करने और प्रणाली में व्याप्त तरलता की कमी की स्थिति के कारण बैंकों ने भी अपनी जमाराशि और ऋण दरों को संशोधित किया।

भारतीय वित्त बाजार विशेषकर इक्विटी और विदेशी मुद्रा बाजार वैश्विक घटनाक्रमों से प्रभावित हुए। बैंकों ने अपने संसाधन संग्रहण हेतु जमा प्रमाणपत्रों का सहारा लिया है जिसमें परिमाण और दरों दोनों में वृद्धि देखी गई है। सीपी के निर्गम में भी तेजी आई है क्योंकि सख्त तरलता परिस्थितियों के चलते कंपनियों ने निधियों हेतु वैकल्पिक संभावनाओं को तलाश किया है।

economy in FY 2010-11. Economic growth has been broad based with a rebound in the agriculture sector. The Gross Domestic Product (GDP) of India has grown by 8.6% with agriculture growth at 5.4%, industry at 8.1% and services at 9.6% during the Year 2010-11. Our economy has shown remarkable resilience to both external and domestic shocks and successfully withstood the ripple effects of the global turmoil.

The high growth in the savings and investment has been the growth enabler in recent years. Gross Domestic Saving (GDS), as percentage of GDP at current market prices has been 33.7% in 2009-10 as compared to 32.2% in 2008-09. The growth in household saving rate has been 23.5% in 2009-10. The rate of Gross Capital Formation (Investment) was 36.5% in 2009-10 as against 34.5% in 2008-09.

Inflationary expectation, higher commodity prices and volatility in global commodity markets have been a cause of concern. The year 2010-11 started with a double digit headline inflation of 11.0% in April 2010. After remaining in double digits from April to July 2010, it came down to 7.5% in November 2010. But the trend reversed with inflation moving up again to 9.41% in December 2010, 8.23% in Jan 2011 & 8.31% in Feb 2011. In spite of spectacular growth in Agriculture this year, inflation remained at elevated level due to high food prices. The inflation based on WPI continued at higher level of 8.98% for March 2011. The spurt in inflationary expectation could be attributed primarily to supply constraints.

So far external sector of the economy is concerned, during 2010-11 the imports have been slow but exports have increased in view of global recovery and growth in trade with Asian countries as a result of which trade deficit is set to narrow. Exports for the year ending March 2011 touched US\$ 245.9 billion registering a growth of 37.5% exceeding expectations. Imports for the same period stood at US\$ 350.3 billion; and resultant the trade deficit figure has come down to US\$ 104.4 billion for March 2011.

BANKING & FINANCIAL SECTOR DEVELOPMENT

There has been a gradual shift in the stance of policy on interest rate. In 2010-11, the monetary policy stance has been one of hiking the policy rates to tame inflation.. Banks have also revised their deposit & lending rates on account of successive rate hike by RBI and prevailing tight liquidity conditions in the system.

Indian financial markets, particularly the equity and foreign exchange markets were impacted by the global developments. Banks resorted to Certificate of Deposits for their resource mobilization which saw both increase in volumes and rates. Issuances of CPs also increased as companies accessed alternative avenues for funds, given the tight liquidity conditions.

भारतीय बैंकों ने अर्थव्यवस्था को ऋण उपलब्ध कराने में मुख्य भूमिका निभाना जारी रखा। वाणिज्यिक क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों के कुल प्रवाह का लगभग 60% बैंकों के पास है। वर्ष दर वर्ष आधार पर बैंक ऋण 25 मार्च, 2011 को 21.4% की वृद्धि के साथ बढ़कर रु. 3938659 करोड़ हो गया जो वित्तीय वर्ष 2011 हेतु भारतीय रिज़र्व के बैंक गैर-खाद्य ऋण के 20% के अनुमानित लक्ष्य से अधिक है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा राशि में वर्ष दर वर्ष आधार पर 15.8% की वृद्धि हुई और इस प्रकार यह 25 मार्च, 2011 को यथास्थिति रु. 5204703 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया।

वर्ष 2012 की संभावनाएँ

अगले वित्त वर्ष 2011-12 में आर्थिक गतिविधियाँ अनेक कारणों से कमोबेश उसी स्तर पर बने रहने की संभावना है, जैसे अप्रैल 2010 से लगातार ब्याज दरों में वृद्धि और अर्थव्यवस्था में दिसम्बर 2010 से स्फीतिकारी दबावों में वृद्धि आदि। हम आशा करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.5% - 8.75% के बीच रहने की संभावना है। 2011-12 में ब्याज दरों में वृद्धि के कारण बैंको को अपने निवल ब्याज मार्जिन में दबाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसी संभावना है कि 2011-12 में जमा राशि की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2010-11 से अधिक रहेगी। 2011-12 में बैंकिंग उद्योग में जमा वृद्धि लगभग 17% और ऋण वृद्धि लगभग 20% रहने की संभावना है।

इलाहाबाद बैंक का कार्यनिष्पादन परिचालनगत परिणाम

मुख्य व्यवसाय मानदंडों में बैंक का कार्यनिष्पादन निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत है :

Indian Banks continued to play a dominant role in providing credit to economy. Banks accounted for nearly 60% of total flow of financial resources to the commercial sector. On a year-on-year basis, bank credit grew by 21.4% to Rs.3938659 crore as on March 25, 2011, which exceeded RBI's projected non-food credit growth target of 20% for FY 2011. Aggregate deposits of SCBs grew by 15.8% on year-on-year basis thereby reaching a level of Rs.5204703 crore as on March 25, 2011.

OUTLOOK FOR 2012

The economic activities in the next FY 2011-12 is expected to sustain on more or less same level on account of multiple reasons such as successive interest rate hikes since April 2010 and rising inflationary pressures since December 2010 in the economy. We expect that GDP growth rate would be in the range of 8.5-8.75% in FY 2011-12. Banks would continue to face pressure on their net interest margin on account of rise in interest rates in 2011-12. It is expected that deposits in the year 2011-12 will grow at a higher rate than in the financial year 2010-11. Deposit growth of around 17% and credit growth of around 20.0% are expected in 2011-12.

PERFORMANCE OF ALLAHABAD BANK OPERATING RESULTS

Bank's performance in key business parameters is presented below.

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

मानदंड/ Parameter	मार्च '09 Mar'09	मार्च '10 Mar'10	वृद्धि (%) Growth (%)	मार्च '11 Mar'11	वृद्धि (%) Growth (%)
निवल लाभ / Net Profit	768.60	1206.33	56.95	1423.11	17.97
परिचालनगत लाभ / Operating Profit	1901.15	2548.55	34.05	3054.58	19.86
ट्रेडिंग लाभ को छोड़कर परिचालन लाभ Operating Profit Ex. Trading Profit	1328.45	1972.00	48.44	2894.34	46.77
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं Provisions & Contingencies	1132.55	1342.22	18.51	1631.47	21.55
कुल आय / Total Income	8506.65	9885.10	16.20	12385.10	25.29
कुल व्यय (प्रावधान को छोड़कर) Total Expenditure (Excl. Prov.)	6605.50	7336.55	11.07	9330.52	27.18
ब्याज स्प्रेड / Interest Spread	2158.67	2650.48	22.78	4022.47	51.76
कुल जमा राशियाँ / Total Deposits	84971.79	106055.75	24.81	131887.16	24.36
कुल अग्रिम / Total Advances	59443.40	72437.31	21.86	94570.93	30.56
कुल व्यवसाय / Total Business	144415.19	178493.06	23.60	226458.09	26.87
सकल निवेश / Gross Investments	30081.35	38680.43	28.59	43544.84	12.58

कार्यनिष्पादन विशिष्टताएं

- बैंक का कुल व्यवसाय पिछले वर्ष के रु. 1,78,493 करोड़ के सापेक्ष वर्ष दर वर्ष आधार पर 26.87% की वृद्धि दर्शाते हुए रु. 2,26,458 करोड़ हो गया।
- परिचालन लाभ पिछले वर्ष के रु. 2,549 करोड़ के सापेक्ष वर्ष दर वर्ष आधार पर 19.86% की वृद्धि दर्शाते हुए बढ़कर रु. 3,055 करोड़ पर पहुँच गया।
- निवल लाभ पिछले वर्ष के रु. 1,206 करोड़ के सापेक्ष वर्ष दर वर्ष आधार पर 17.97% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बढ़कर रु.1,423 करोड़ हो गया।
- निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पिछले वर्ष के 2.94% के सापेक्ष बढ़कर मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 3.38% हो गया।
- बैंक की जमा राशियां 1,06,056 करोड़ से बढ़कर 1,31,887 करोड़ हो गईं। वर्ष दर वर्ष आधार पर, कुल जमाराशियों में 24.36% की वृद्धि हुई।
- सकल ऋण रु. 72,437 करोड़ के सापेक्ष बढ़कर रु. 94,571 करोड़ हो गया। वर्ष दर वर्ष आधार पर सकल ऋण में 30.56% की वृद्धि हुई।
- ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के 68.93% के सापेक्ष बढ़कर मार्च, 2011 को यथास्थिति 72.18% हो गया।
- वित्तीय वर्ष के दौरान रिटेल ऋण 29.23% की वृद्धि के साथ रु.10,082 करोड़ से बढ़कर रु.13,029 करोड़ हो गया।
- गैर-निधि गैर ब्याज आय पिछले वर्ष के रु. 697 करोड़ के सापेक्ष मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रु. 857 करोड़ रही।
- पूँजी पर्याप्तता अनुपात निर्धारित 9% के मानदंड के सापेक्ष 31.03.2011 को यथास्थिति 12.96% था।
- मार्च 2011 अंत में सकल अग्रिम में सकल एनपीए और निवल अग्रिमों में निवल एनपीए अनुपात क्रमशः 1.74% और 0.79% था।
- प्रावधान कवरेज अनुपात 75.67% रहा।

पूँजी एवं आरक्षित निधि

भारत सरकार को इक्विटी के अधिमानी आबंटन के कारण यथास्थिति 31.03.2011 को बैंक की प्रदत्त पूँजी रु. 446.70 करोड़ से बढ़कर रु. 476.22 करोड़ हो गई। वर्ष के अंत में आरक्षित निधि और अधिशेष यथास्थिति 31.03.2010 के रु. 6306.25 करोड़ से बढ़कर रु. 8031.17 करोड़ हो गए।

लाभांश

बैंक के निदेशक मंडल ने भारत सरकार के अनुमोदन के अधधीन 60% की दर से लाभांश की घोषणा की है अर्थात् रु.10/- के प्रति इक्विटी शेयर पर रु.6.00।

Performance Highlights

- Total Business of the Bank increased to Rs. 2,26,458 crore as against Rs. 1,78,493 crore in previous year showing a YOY growth of 26.87 %.
- Operating Profit surged to Rs. 3,055 crore as against Rs. 2,549 crore last year showing a YOY growth of 19.86%.
- Net Profit rose to Rs. 1,423 crore during the Financial Year ending 31.03.2011 as against Rs. 1,206 crore last year showing a YOY Growth of 17.97 %
- Net Interest Margin (NIM) increased to 3.38 % during the Financial Year ending March, 2011 as against 2.94% last year.
- Deposits of the Bank went up to Rs. 1,31,887 crore from Rs. 1,06,056 crore last year. Year-on-Year basis, Total Deposits grew by 24.36 %.
- Gross Credit surged to Rs. 94,571 crore from Rs. 72,437 crore last year. Year-on-Year basis, the Gross Credit increased by 30.56 %.
- Credit Deposit Ratio rose to 72.18% as at March, 2011 end as against 68.93 % last year.
- Retail Credit grew to Rs.13,029 crore from Rs. 10,082 crore last year, constituting an increase of 29.23 % during the financial year.
- Non-Fund Non Interest Income during the Financial Year ending March, 2011 stood at Rs. 857 crore as against Rs. 697 crore last year.
- Capital Adequacy Ratio stood at 12.96 % as on 31.03.2011 as against the stipulated norm of 9%.
- Gross NPA to Gross Advances and Net NPA to Net Advances Ratios stood at 1.74% and 0.79% as at March, 2011-end respectively.
- Provision Coverage Ratio stood at 75.67 %.

CAPITAL AND RESERVES

Due to preferential allotment of equity to Government of India the paid-up capital of the Bank increased from Rs 446.70 cr to Rs.476.22 crores as on 31.3.2011. The reserves & surplus went up to Rs.8031.17 crores as at end of this year from Rs..6306.25 crores as on 31.03.2010.

Dividend

The Board of Directors of the Bank has recommended a dividend @ 60 % i.e. Rs. 6 per equity share of Rs.10 each subject to approval by the Govt. of India.

वित्तीय परिणाम / FINANCIALS

बैंक के महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दर्शाए गए हैं / Important ratios of the Bank are depicted below;

मानदंड / Parameters	31.3.09	31.3.10	31.3.11
पूंजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio (%)	13.11	13.62	12.96
जिसमें से / Of which टीयर I Tier I (%)	8.01	8.12	8.57
टीयर II (%) / Tier II (%)	5.10	5.50	4.39
औसत कार्यशील निधियों में स्प्रेड (%) Spread to Average Working Fund (%)	2.54	2.54	3.31
जमाराशियों की औसत लागत (%) Average Cost of Funds (%)	6.67	5.99	5.85
निधियों पर औसत आय (%) Average Yield on Funds (%)	9.62	8.68	9.19
जमाराशियों की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	6.62	5.97	5.83
अग्रिमों पर औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	10.88	10.57	10.50
प्रति शेयर अर्जन (रु.) / Earnings per Share (Rs.)	17.21	27.01	31.85
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.) / Book Value per Share (Rs.)	131.00	151.17	178.64
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.90	1.16	1.11
औसत नेटवर्थ पर प्रतिफल (%) Return on Average Net Worth (%)	16.49	22.21	21.04
प्रावधान कवरेज अनुपात (%) Provision Coverage Ratio (%)	76.45	78.95	75.67
निवल एनपीए / Net NPAs (%)	0.72	0.66	0.79
प्रति कर्मचारी लाभ (रु.लाख) / Profit per Employee (Rs. in lacs)	3.76	5.76	6.70
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (रु.लाख में) Productivity per Employee (Rs. in lacs)	706	845	1063

कार्यालय एवं शाखाएँ

बैंक ने 2010-11 के दौरान 129 नई शाखाएँ खोलीं जिससे यथास्थिति 31.03.2011 को शाखाओं की कुल संख्या 2416 हो गई जिसमें 993 ग्रामीण, 454 अर्ध-शहरी, 508 शहरी एवं 460 महानगरीय और एक विदेशी शाखा शामिल है।

जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमाराशियाँ यथास्थिति 31.03.2011 को 24.36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाते हुए रु.131887 करोड़ हो गईं। कम लागतवाली जमाराशियाँ यथास्थिति 31.03.2011 को 20.69% बढ़कर रु.44156 करोड़ हो गईं जो कुल जमाराशियों का 33.70 % हैं।

बैंक ने कम लागत जमा संग्रहण पर विशेष जोर दिया और वर्ष के दौरान बचत बैंक जमा और चालू खाता जमा संग्रहण अभियान चलाए गए। बचत बैंक जमा संग्रहण अभियान (01.09.2010 से 31.03.2011) के दौरान 1.3 मिलियन से अधिक नए बचत खाते खोले गए और खातों में रु. 2663.37 करोड़ की जमाराशियाँ संग्रहीत हुईं।

OFFICES & BRANCHES

The Bank opened 129 new branches during 2010-11, taking total branches to 2416 as on 31.3.2011, with 993 rural, 454 semi-urban, 508 urban, 460 metropolitan branches and 1 foreign branch.

DEPOSIT MOBILISATION

Total deposits of the Bank showed a significant growth of 24.36 % to Rs. 131887 crores as on 31.3.2011. Low cost deposits grew by 20.69% to Rs.44156 crores as on 31.3.2011, constituting 33.70 % of aggregate deposits.

Bank emphasized on low cost deposits mobilization and observed saving deposits & CASA deposits mobilization campaign during the year. During the SB mobilization campaign (from 01.09.10-31.03.11), over 1.3 million new saving accounts were opened and saving deposit mobilized to the tune of Rs.2663.37 crores.

ऋण अभिनियोजन

बैंक का कुल अग्रिम यथास्थिति 31.03.2011 को 30.56% बढ़कर रु.94570 करोड़ हो गया। ऋण - जमा अनुपात (सकल) विगत वर्ष के 68.93% के सापेक्ष 72.18% रहा। इस अवधि के दौरान बैंक ने प्रणाली में अपना बाजार अंश 2.15% से बढ़ा कर 2.23% कर लिया। 31.03.2011 को बैंक की बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) 13.75% रही। सामान्य बाजार परिदृश्य के अनुरूप अग्रिमों पर प्रतिलाभ 2009-10 के 10.57% के सापेक्ष 2010-11 के दौरान 10.50% रहा।

अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) का प्रबंधन

बैंक ने अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली को अत्यंत महत्व दिया है। बैंक ने 2010-11 के दौरान अपलेखित ऋण सहित अनुपयोज्य आस्तियों से रु.929.16 करोड़ की वसूली की है जबकि 2009-10 में यह वसूली रु.681.35 करोड़ थी। 31.03.2011 को बैंक का सकल एनपीए और निवल एनपीए क्रमशः रु.1674.92 करोड़ और रु.736.37 करोड़ था। सकल अग्रिमों और निवल अग्रिमों में सकल एनपीए तथा निवल एनपीए का प्रतिशत क्रमशः 1.74% और 0.79% रहा। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 75.67% रहा।

सामाजिक बैंकिंग

- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण 31.03.2010 को यथास्थिति रु.24279 करोड़ से बढ़ कर 31.03.2011 को यथास्थिति रु.30764 करोड़ हो गया और इस प्रकार इसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु.6485 करोड़ (26.71%) की वृद्धि दर्ज की। बैंक ने मार्च 2011 को यथास्थिति एएनबीसी में प्राक्षेत्र में 42.96% की उपलब्धि कर राष्ट्रीय लक्ष्य (40%) को पार कर लिया है।
- कृषि ऋण बकाया मार्च 2010 को यथास्थिति रु.11567 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2011 को यथास्थिति रु.13387 करोड़ हो गया। मार्च 2011 को यथास्थिति एएनबीसी में कृषि ऋण का प्रतिशत 18.20% था, इस प्रकार राष्ट्रीय लक्ष्य 18% को पार कर लिया गया।
- प्रत्यक्ष कृषि ऋण बकाया मार्च 2010 को यथास्थिति रु.8340 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2011 को यथास्थिति रु.9808 करोड़ हो गया। बैंक ने मार्च 2011 को यथास्थिति 13.70% की प्राप्ति कर एएनबीसी में प्रत्यक्ष कृषि ऋण के राष्ट्रीय लक्ष्य (13.50%) को पार कर लिया है।

एमएसएमई क्षेत्र

- बैंक को एमएसएमई ऋण में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु भारत की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- माइक्रो एवं लघु उद्यम(एमएसई) क्षेत्र को ऋण मार्च 2010 को यथास्थिति रु.8188 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2011 को यथास्थिति रु.11990 करोड़ हो गया जिसने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु.3802 करोड़(46.44%) की निरपेक्ष वृद्धि दर्ज की है। मार्च 2011 को

CREDIT DEPLOYMENT

Total advances of the Bank went up by 30.56% to Rs.94570 crores as on 31.3.2011. Credit-deposit ratio (gross) stood at 72.18 % as against 68.93% last year. The Bank increased its market share in the system to 2.23 % from 2.15% during the period. The Benchmark Prime Lending Rate (BPLR) of the Bank was at 13.75 % on 31.03.2011. Yield on advances stood at 10.50 % during 2010-11 as against 10.57 % during 2009-10 in line with the general market scenario.

NON-PERFORMING ASSETS (NPAs) MANAGEMENT

The Bank attached great importance on recovery of non-performing assets. The Bank has recovered Rs 929.16 cr from non performing assets including written off debts during 2010-'11 as against Rs 681.35 cr in 2009-'10. The Gross & Net Non-performing assets of the Bank stood at Rs. 1647.92 crores & Rs. 736.37 crores as on 31.03.2011 The Gross & Net NPAs as percentage to gross advances & net advance was 1.74 % & 0.79 % respectively. The provision coverage ratio of the Bank stood at 75.67%

SOCIAL BANKING

- Priority Sector Credit grew from Rs.24279 Crore as on 31.03.2010 to Rs.30764 Crore as on 31.03.2011, registering an absolute YOY growth of Rs.6485 Crore (26.71 %). the Bank has exceeded the National Goal (40.00%) of PSC to ANBC by achieving 42.96 % as on Mar'11.
- Agriculture Credit outstanding increased from Rs.11567 Crore as on March 2010 to Rs.13387 Crore as on March 2011. The Agricultural advance to Adjusted Net Banking Credit was 18.20% as on March 2011, thereby achieving the National goal of 18%.
- Direct Agriculture Credit outstanding increased from Rs.8340 Crore as on March 2010 to Rs.9808 Crore as on March 2011. Bank has exceeded the National Goal (13.50%) of Direct Agriculture to ANBC by achieving 13.70% as on Mar'11.

MSME Sector:

- The Bank was awarded 1st prize for outstanding work in MSME lending from Her Excellency Hon'ble President of India Smt Pratibha Patil.
- Credit to Micro and Small Enterprises (MSE) grew from Rs. 8188 Crore as on March 2010 to Rs.11990 Crore as on March 2011, registering an absolute YOY growth of Rs.3802Crore (46.44%). Share of Micro Enterprises to

यथास्थिति कुल सूक्ष्म और लघु उद्यम में सूक्ष्म उद्यम का अंश 50.68% की उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय लक्ष्य (50%) को पार कर गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को ऋण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 47.21% की वृद्धि दर्शाते हुए 31.03.2011 को यथास्थिति रु.9771 करोड़ से बढ़कर रु. 14384 करोड़ हो गया।

- इसके अतिरिक्त बैंक ने सीजीटीएमएसई के अंतर्गत शामिल किए गए संपार्श्विक मुक्त ऋणों की सुपुर्दगी पर बहुत अधिक बल दिया है। 31.03.2011 को यथास्थिति सीजीटीएमएसई के अंतर्गत रु. 896.80 करोड़ के 26092 प्रस्तावों को शामिल किया गया है और बैंक 2010-11 के दौरान सीजीटीएमएसई के अंतर्गत प्रस्तावों की संख्या के हिसाब से सर्वोत्तम कार्यानिष्ठादन करने वाले बैंक के रूप में उभरा है।

Micro & Small Enterprises has exceeded the National Goal (50%) by achieving 50.68% as on Mar'11. Credit to Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) increased from Rs.9771crores to Rs.14384 crores as on 31.03.2011, showing a YOY growth of 47.21%.

- Further the Bank has given thrust on credit delivery to collateral free loans covered under CGTMSE. As on 31.03.2011, 26092 proposals have been covered under CGTMSE amounting to Rs.896.80 crores and the Bank has emerged amongst best performing Banks in terms of number of proposals covered under CGTMSE during 2010-11

तालिका 1: प्राथमिकता क्षेत्र ऋण / Table 1: Priority Sector Credit :

	मार्च / March 2010	मार्च / March 2011
क्षेत्र/योजनाएँ / Sector / Schemes	राशि (रु.करोड़ में) Amount (Rs. crores)	राशि (रु. करोड़ में) Amount (Rs. crores)
1. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector Credit	24279	30764
जिसमें से / Of Which		
a) कृषि / Agriculture	11567	13387
— प्रत्यक्ष / Direct	8340	9808
— अप्रत्यक्ष / Indirect	3227	3579
b) माइक्रो एवं लघु उद्यम (एमएसई) / Micro & Small Entp.(MSE)	8188	11990
जिसमें से / Of Which		
सूक्ष्म उद्यम / Micro Enterprises	5091	6077
अन्य प्रा. क्षे. ऋ. / Other PSC	4524	5387
2. कमजोर वर्ग / Weaker Section.	6150	7547

सारणी 2 : अनुपात (प्रतिशत में) / Table 2: Ratios (in percentage)

महत्वपूर्ण अनुपात / Important Ratios	राष्ट्रीय लक्ष्य / National Goal	मार्च / March 2010	मार्च / March 2011
समायोजित निवल बैंक ऋण में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण / PSC to Adjusted Net Bank Credit (ANBC)	40	41.29	42.96
समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण / Agriculture Credit to Adjusted Net Bank Credit	18	18.68	18.20
कुल सूक्ष्म एवं लघु उद्यम में सूक्ष्म उद्यम / Micro Enterprises to Total Micro & Small Entp.	50	62.25	50.68
समायोजित निवल बैंक ऋण में कमजोर वर्ग को ऋण / Weaker Section Credit to Net Bank Credit	10	10.46	10.54

● **शुरू किए गए नए उत्पाद/योजनाएँ**

बैंक ने कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन और कृषि उत्पादों के व्यापार में सहायता हेतु प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत अनेक संरचनागत उत्पाद शुरू किए हैं। राइस शेलिंग युनिटों की वित्तपोषण योजना, आढतियों (कमीशन एजेंटों) हेतु ऑलबैंक लिक्विड योजना, क्लिनिक एवं नर्सिंग होम आदि हेतु डॉक्टरों/मेडिकल प्रैक्टिशनरों के वित्तपोषण की योजना, एफसीआई/केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार निगम/एजेंसियों के साथ पट्टा करार के अंतर्गत गोदाम के निर्माण की योजना, बीज प्रसंस्करण इकाइयों के वित्तपोषण की योजना।

● **New Products / Schemes launched:**

The Bank has launched several structured products under Priority Sector Credit to promote agro-based industries and support trading of farm produce viz Scheme for Financing to Rice Shelling Units, Allbank Liquid Scheme for Artiyas (Commission Agents), Scheme for financing Doctors/Medical Practitioners for Clinics/Nursing Homes, Scheme for Construction of Godown under lease agreement with FCI/ Central Govt/ State Govt. Corporation /Agencies and Scheme for Seed Processing Units.

- **सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) में बैंक का निवेश**

बैंक द्वारा रु.218.54 करोड़ की राशि वाले 18 एमएफआई खाते संस्वीकृत किए गए। 31.03.2011 को यथास्थिति इनमें बकाया राशि रु.127.93 करोड़ थी।

- **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)**

बैंक ने एसएलबीसी संयोजक के रूप में झारखंड राज्य में कार्यरत बैंकों के सहयोग से राज्य के आर्थिक उत्थान के लिए बैंकिंग प्रयासों को समन्वित करने पर बल देना जारी रखा है, 2000 से अधिक जनसंख्या वाले 1541 ग्रामों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने हेतु खाका तैयार किया है। एटीएम सुविधावाली एक मोबाइल बैंकिंग वैन भी संचालित की गई है जो राज्य में 12 गाँवों को बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करती हैं। बैंक ने राँची में एक कॉइन वेंडिंग मशीन भी चालू की है। बैंक ने समय-समय पर एसएलबीसी की बैठकें आयोजित की हैं और एसएलबीसी को राज्य के विकास हेतु चर्चा एवं बैंकिंग पहल की समीक्षा के एक सुदृढ़ मंच के रूप में स्थापित किया है।

- **अग्रणी बैंक योजना**

17 जिलों 13 उत्तर प्रदेश, 2 झारखंड तथा मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एक-एक जिले में अग्रणी बैंक दायित्वों के अंतर्गत जिला ऋण योजना 2010-11के अंतर्गत रु.1605.53 करोड़ का ऋण संवितरित कर लक्ष्य का 93.31% हासिल किया है।

- **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)**

बैंक द्वारा प्रायोजित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। एक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के नाम से और दूसरा मध्य प्रदेश में शारदा ग्रामीण बैंक के नाम से। इन दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 2010-11 के दौरान रु.1681.50 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष रु.1637.07 करोड़ संवितरित कर 97.36% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इन दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने अपने कार्यनिष्पादन में सुधार को जारी रखते हुए 2010-11 के दौरान रु. 79.20 करोड़ का सकल लाभ अर्जित किया। संचित लाभ 2009-10 के दौरान रु.474.21 करोड़ के सापेक्ष 2010-11 में बढ़कर रु.553.42 करोड़ हो गया।

- **वित्तीय समावेशन**

बायोमेट्रिक स्मार्ट सोल्यूशन, व्यवसाय संवाददाताओं के माध्यम से, एटीएमयुक्त मोबाइल बैंकिंग वैन और वास्तविक शाखाएँ खोलने जैसे विभिन्न मॉडलों को अपनाते हुए आईसीटी समर्थित वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक को 2000 और अधिक जनसंख्या वाले 2618 ग्रामों का दायित्व सौंपा गया है जहाँ मार्च 2012 तक बैंकिंग आउटलेट खोलकर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान की जानी हैं। बैंक द्वारा वर्ष के दौरान 1046 गाँव के लक्ष्य के सापेक्ष 1054 गाँवों को कवर करते हुए एचएचडी के माध्यम से स्मार्ट कार्ड द्वारा लेनदेन शुरू किया गया है।

- **कार्पोरेट सामाजिक दायित्व**

बैंक ने एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक के रूप में सामाजिक कल्याण और विकास के प्रति अपना सरोकार जताते हुए समाज के सतत

- **Bank's Exposure to Micro Finance Institutions (MFIs)**

18 number of MFI accounts involving Rs.218.54 crores has been sanctioned by Bank. As on 31.03.2011, there is an outstanding of Rs.127.93 crores,

- **State Level Bankers' Committee (SLBC)**

The Bank as SLBC convener, continued thrust on co-ordinating banking efforts for Economic upliftment of state of Jharkhand in association with other banks operating in the state and drew roadmap for providing banking facilities to 1541 villages having population over 2000. A mobile banking van with ATM was also operationalised to cover 12 villages in the state to provide banking facilities. The bank also started one coin vending machine at Ranchi. The Bank conducted meetings of SLBC from time to time and converted the SLBC into a strong forum to discuss and review banking initiatives for the development of the state.

- **Lead Bank Scheme**

Under Lead Bank responsibilities in 17 districts(13 in Uttar Pradesh, 2 in Jharkhand and one each in Madhya Pradesh and West Bengal) the Bank disbursed Rs.1605.53 crores under District Credit Plan 2010-11 achieving 93.31% of the target.

- **Regional Rural Banks (RRBs)**

The Bank-sponsored two RRBs,one in UP namely Allahabad UP Gramina Bank and the other in M.P.namely Sharada Gramina Bank. The two RRBs cumulatively disbursed Rs.1637.07 crores during 2010-11 under the Annual Credit Plan against a target of 1681.50 crores achieving 97.36% of target. The two RRBs continued to improve their performance with an aggregate profit of Rs.79.20 Crores during 2010-11. The accumulated profit stood at Rs 553.42 Crores in 2010-11 as against Rs.474.21 Crores during 2009-10.

- **Financial Inclusion**

Bank has been given the responsibility of 2618 villages having population of 2000 and above where banking services are to be provided by opening of banking outlet by March'2012 under ICT enabled Financial Inclusion by adopting various models viz. Biometric Smart Card solution through Business Correspondents, Mobile Banking Van fitted with ATM, and opening of Brick & mortar branches. During the year the Bank had covered 1054 villages against a target of 1046 villages Transaction by Smart cards through HHD has commenced.

- **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

The Bank, as a responsible Corporate Citizen, has initiated several measures towards sustainable

विकास की दिशा में अनेक उपाय शुरू किए हैं जिनमें से कुछ निम्नवत् हैं :

- **वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र**

वित्तीय लेनदेन की जटिलताओं से अवगत कराने हेतु सीमित संसाधन और कम दक्षता वाले लोगों को वित्तीय शिक्षा और ऋण परामर्श देने के उद्देश्य से बैंक ने अब तक "समाधान" नामक दो वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र खोले हैं इनमें से एक कोलकाता (प.बं.) और दूसरा बांदा (उ.प्र.) में स्थित है। 11 और एफएलसीसी स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

- **ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान(आरएसईटीआई)**

ग्रामीण युवाओं और किसानों को लघु व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु सहायक एवं मार्गदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ने 31.03.2011 तक 11 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्थापित किए हैं। बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान शेष अग्रणी जिलों में 10 अन्य आरएसईटीआई खोलने की योजना बनाई है।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग :

बैंक अपना अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय 56 प्राधिकृत/नामोद्दिष्ट शाखाओं के माध्यम से संचालित करता है जिनमें 5 अंतरराष्ट्रीय शाखाएं शामिल हैं। 31.03.2011 को यथास्थिति बैंक का निर्यात ऋण रु. 2911.23 करोड़ था। बैंक निर्यातकों को ऋण प्रवाह बढ़ाने हेतु कदम उठा रहा है। विभिन्न केन्द्रों पर निर्यातकों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।

विदेश में उपस्थिति

- बैंक की हांगकांग में एक विदेशी शाखा है। हांगकांग शाखा का व्यवसाय 31.03.2010 के रु.1128 करोड़ के सापेक्ष 31.03.2011 को बढ़कर रु.3284 करोड़ हो गया। हांगकांग शाखा ने 2009-10 के रु.12.63 करोड़ के सापेक्ष 2010-11 के दौरान रु. 19.01 का लाभ अर्जित किया।
- बैंक का शेनझेन, चीन में एक प्रतिनिधि कार्यालय भी है तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पूर्णकृत शाखा खोलने हेतु पात्र है। बैंक विदेशों में और अधिक शाखाएं खोलने की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

रिटेल ऋण

विशेषीकृत रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से रिटेल ऋण हेतु बैंक का देशभर में 27 सीआरबीबी एवं 75 रिटेल बैंकिंग बुटीक के माध्यम से समर्पित ऋण सुपुदगी चैनल है। मार्च 2011 को यथास्थिति रिटेल ऋण के अंतर्गत कुल बकाया राशि रु.13028.96 करोड़ थीं जबकि मार्च, 2010 को यथास्थिति यह रु. 10082.14 करोड़ थीं। यह वर्ष के दौरान 29.23% की वृद्धि दर्शाता है। 2010-11 के दौरान रिटेल ऋण के अंतर्गत संवितरण विगत वित्तीय वर्ष के दौरान रु.3148.97 करोड़ के सापेक्ष रु.3868.63 करोड़ रहा जो 22.85% की वृद्धि दर्शाता है। 27 केन्द्रों में इंटरनेट के माध्यम से रिटेल ऋण के ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं। बैंक ने वाहनों के वित्तपोषण हेतु अनेक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल निर्माताओं के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया है। बैंक ने उच्च निवल

development of the society reflecting its concern for social welfare and developments, some of which are as under.

- **Financial Literacy And Credit Counselling Centres**

In order to provide financial education and credit counselling to the people having limited resources and skills to appreciate the complexities of financial dealings, the Bank has so far opened two Financial Literacy and Credit Counselling Centres christened "Samadhan"- one at Kolkata (WB) and another at Banda (UP). Setting up of another 11 more FLCCs is in progress.

- **Rural Self Employment Training Institute (RSETI)**

Bank has so far established 11 Rural Self Employment Training Institute (RSETI) up to 31.03.2011 to impart training to the rural youths and Farmers for setting up of small business enterprises with hand holding and escort services. Bank has planned to establish another 10 RSETIs in rest of the lead district during 2011-12.

INTERNATIONAL BANKING

The Bank carries out its International business through its 56 authorised/designated branches, which includes 5 international branches. Export credit of the Bank as on 31.03.2011 stood at Rs.2911.23 crore. The bank is taking steps to increase the credit flow to exporters. Exporters' meets are arranged at various centers

Overseas presence

- The Bank is having one overseas branch at Hong Kong, The business of the Hong Kong branch has increased from Rs 1128 cr as on 31.03.2010 to Rs3284 cr as on 31.03.2011. The Hong Kong branch has earned a profit of Rs 19.01 cr in 2010-'11 as against a profit of Rs 12.63 cr during 2009-'10
- The Bank is also having a Representative office at Shenzhen, China and in terms of regulatory guidelines; the Bank is eligible to open a full fledged branch. The Bank is exploring the possibilities of opening more overseas branches.

RETAIL CREDIT

In order to deliver outstanding service to our customer with focused attention in a specialized manner, the Bank has dedicated delivery channel for Retail Lending through its 27 CRBBs & 75 Retail Banking Boutiques (RBBs) across the country. Total outstanding under Retail Credit as on Mar' 2011 stood at Rs. 13028.96 Crore as against Rs. 10082.14 Crore as on Mar'2010. This shows an increase of 29.23 % during the year. Disbursement under Retail Credit during 2010-11 was Rs. 3868.63 Crore as against Rs.3148.97 Crore during 2009-'10 registering a growth of 22.85 %. Online application of Retail Loans through INTERNET at 27 centers was introduced. Bank has finalized tie-up with a number of reputed Automobile manufacturers for financing their vehicles. Bank

संपत्तियों वाले व्यक्तियों (एचएनआई) हेतु 'प्रीमियम आवास वित्त योजना' और उन संगठनों/संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 'सरल-2' योजना शुरू की है जिनका वेतन हमारी शाखाओं के माध्यम से संस्वीकृत होता है।

शुल्क आधारित आय

तृतीय पक्ष उत्पाद (टीपीपी) व्यवसाय (जीवन, गैर-जीवन, म्युचुअल फंड) से आय विगत वित्तीय वर्ष के रु.17.57 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान रु. 19.69 करोड़ हो गई जो 12.07% की वृद्धि दर्शाती है। बैंक की कार्पोरेट साधारण बीमा साझेदार संस्था युनिवर्सल सोम्पो ने बैंक के ग्राहकों और कर्मचारियों हेतु एक विशेष स्वास्थ्य बीमा नीति (युनिवर्सल सोम्पो का संपूर्ण स्वास्थ्य कवच) तैयार की है। यह नीति चिकित्सा लागत में तीव्र वृद्धि से संरक्षण प्रदान करने के लिए है जो व्यक्तियों और परिवारों के लिए उपलब्ध है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने 2010-11 हेतु ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत अवधारणा, बाजार जोखिम हेतु आशोधित अवधि अवधारणा और परिचालन जोखिम हेतु बुनियादी संकेतक अवधारणा के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना हेतु बासेल-1। मानदंडों को कार्यान्वित किया है।

ग्राहक सेवा

“बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति” उत्कृष्ट ग्राहक सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित लोक सेवाओं संबंधी प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति (सीपीपीएपीएस) के सुझावों के कार्यान्वयन को बैंक द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। बैंक शिकायत मुक्त परिवेश की आदर्श स्थिति लाने हेतु लगातार प्रयास कर रहा है।

अपने ग्राहक को जानिए और एंटी मनी लाउन्डरिंग

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने ग्राहक को जानिए/एंटी मनी लाउन्डरिंग मानदंडों से संबंधित विस्तृत नीतिगत दिशानिर्देश अपनाए हैं। पीएमएएलए 2002 उपबंधों के अनुसार अनिवार्य विवरणियां अर्थात् नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) और जाली मुद्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी दिशानिर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं सभी शाखाओं/कार्यालयों को ये विवरणियां निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने हेतु सुग्राह्य बनाया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

- बैंक ने यथास्थिति 31.03.2011 को अपनी सभी शाखाओं में सीबीएस को कार्यान्वित किया है।
- सीआरबीबी की लीड जनरेटिंग शाखाओं के माध्यम से हमारे ग्राहकों हेतु आनलाइन रिटेल ऋण प्रोसेसिंग एवं संस्वीकृति सुविधा इंटरनेट साइट पर उपलब्ध है।
- इंटरनेट वेबसाइट <http://www.allahabadbank.in> तीन भाषाओं अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी और बंगला में उपलब्ध है।
- कारपोरेट और व्यक्तिगत दोनों ग्राहकों हेतु आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण सुविधा के साथ इंटरनेट बैंकिंग शुरू की गई है जो 01.01.2011 से सक्रिय है।
- सीबीएस नेटवर्क के साथ सीडीएमए वीपीएन कनेक्टिविटी के माध्यम

has launched “Premium Housing Finance scheme for High Net worth Individuals (HNIs)” and “SARAL- 2” for the employees of the Organizations/Institutions, where the salaries are disbursed through Bank's branches.

FEE BASED INCOME

The income from the Third Party Product (TPP) Business (Life, Non Life, Mutual Fund) grew by 12.07 % to reach at Rs 19.69 Crores during FY 2010-11 from Rs 17.57 Crores in the last FY. Bank's corporate General Insurance partner Universal Sompo General Insurance Company has designed a special health insurance policy (Universal Sompo's Sampoorna Swasthya Kavach) for the customers and the employees of the Bank. The policy is for the protection against spiraling medical cost and available for individuals & families.

RISK MANAGEMENT

The Bank has implemented Basel II norms for calculation of Capital Adequacy Ratio under Standardized Approach for Credit Risk, Modified Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for operational Risk for the year 2010-11.

CUSTOMER SERVICE

The Bank's “Customer Service Committee of the Board” is committed towards excellence in customer service. The suggestions of the Committee on Procedures and Performance Audit on Public Services (CPPAPS), constituted by Reserve Bank of India, are accorded top priority for implementation in the Bank. The Bank is making constant endeavour to strive for and achieve an ideal situation of complaint free environment.

KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERINGS

The Bank has adopted the comprehensive policy guidelines on Know Your Customer/ Anti Money Laundering Norms in consonance with the Reserve Bank of India directives. The guidelines for submission of mandatory returns viz. Cash Transaction Reports (CTRs), Suspicious Transaction Reports (STRs) and Counterfeit Currency Reports as per the provisions of the PMLA, 2002 have been issued from time-to-time and all branches/offices have been sensitised on submission of these return within the prescribed time limit

INFORMATION TECHNOLOGY

- As on 31.03.2011, the Bank has implemented CBS in all its branches
- Online Retail Loan processing and sanction to the customers of the lead generating branches of CRBB has been made available in the intranet site.
- The Internet Website <http://www.allahabadbank.in> is available in 3 languages i.e. Hindi, English and vernacular language Bengali.
- The Internet banking for both the individuals and for corporate customers with RTGS/ NEFT fund transfer facilities has been started and is live since 01.01.2011.
- Mobile banking Van with ATM through CDMA VPN

से एटीएम युक्त मोबाइल बैंकिंग वैन दुमका, झारखंड, सीतापुर मंडल के अंतर्गत कसरैला शाखा और नई दिल्ली मंडल के अंतर्गत खैरा शाखा में शुरू की गई।

- मोबाइल बैंकिंग ऑपरेशन का बीटा वर्जन परीक्षण क्षेत्र में सफलतापूर्वक अभिनियोजित किया गया है।
- सीबीईसी/भारिबैं/भाबैंसं के दिशानिर्देशों के अनुसार इजिएस्ट को पूरे भारत में लागू किया गया है। हमारे बैंक की 183 प्राधिकृत शाखाएं इस परियोजना में सहभागिता कर रही हैं। कर दाताओं हेतु अप्रत्यक्ष करों के ई-भुगतान (सीबीईसी-इजिएस्ट) की सुविधा आरंभ की गई है और यह सुविधा सभी शाखाओं के ग्राहकों हेतु उपलब्ध है। यह सुविधा इंटरनेट बैंकिंग पर ई-भुगतान के माध्यम से भी उपलब्ध है।
- बैंक ने एनसीआर(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दिल्ली के अंतर्गत चेक ट्रंकेशन प्रणाली को कार्यान्वित किया है। चेन्नई ग्रिड में सीटीएस का कार्यान्वयन प्रगति पर है।
- एसएमएस एलर्ट परिचालित है और प्रतिदिन औसतन 31000 एसएमएस एलर्ट जनरेट किए जाते हैं।
- आरटीजीएस/एनईएफटी को 2372 शाखाओं में लाइव किया गया है।
- मेसर्स यूई एक्सचेंज एवं फाइनेंशियल सर्विसेज लि. के साथ गठबंधन करके बैंक ने झंझट रहित आवक विप्रेषण हेतु एक्सप्रेस मनी एवं मनी ग्राम नामक दो उत्पाद शुरू किए हैं।

निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा

01.04.2010 से बैंक ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) को अपना लिया है। इस प्रणाली के अंतर्गत लेखापरीक्षा की योजना शाखा के जोखिम प्रोफाइल के संदर्भ में तैयार की जाती है और लेखापरीक्षा संसाधनों को उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की ओर लगाया जाता है।

सतर्कता

- बैंक की प्रत्येक शाखा और कार्यालय में निवारक सतर्कता समिति का गठन किया गया है और समस्त शाखाओं/कार्यालयों में निवारक सतर्कता समिति की द्विमासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- सतर्कता मुद्दों पर 'ऑल एलर्ट' नामक बैंक का तिमाही न्यूज लेटर आरंभ किया गया है।
- उच्च मूल्य के संदिग्ध लेनदेन की जाँच हेतु ऑफ साइट मॉनिटरिंग प्रणाली के गठन की पहल की गई है।
- वर्ष के दौरान पूरे भारत में विभिन्न मंडलों में निवारक सतर्कता विषय पर कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

राजभाषा

- राजभाषा नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है, जैसे राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत दस्तावेजों का द्विभाषी रूप में जारी किया जाना, हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जाना, मैनुअल संहिताओं का द्विभाषिक रूप में प्रकाशन, लेखन सामग्री का द्विभाषीकरण आदि।
- राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सराहनीय कार्यनिष्पादन के लिए हमारे बैंक को वर्ष 2008-09 हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,

connectivity with CBS network has been introduced at Dumka, Jharkhand, at Kasraila branch under Sitapur Zone and at Khaira branch in New Delhi Zone.

- Beta version of Mobile banking application deployed successfully in test region.
- In line with the directives of CBEC/RBI/IBA, EASIEST has been rolled out in entire India. Bank has 183 authorized branches, which are participating in the project. E-Payment facility for Indirect Taxes (CBEC-EASIEST) for Tax payers and this facility is available to the customers of all branches. This facility is also available through e-payment on Internet banking.
- The Bank has implemented Cheque Truncation System under NCR (National Capital Region) of Delhi. The implementation of CTS in Chennai grid is in progress.
- SMS Alerts is operational and on an average 31000 SMS Alerts are generated.
- RTGS / NEFT have been made live in 2372 branches.
- In arrangement with M/s UAE Exchange and Financial Services Ltd., Bank has launched two products namely X-press Money and Money Gram for making hassle free inward Remittances.

INSPECTION AND AUDIT

Bank has switched to on line Risk Based Internal Audit (RBIA) from 1st April 2010. Under this system the audit plan is prepared with reference to the Risk Profile of the branch and audit resources are directed towards high risk areas.

VIGILANCE

- Preventive Vigilance Committee has been formed at every branch & office of the bank. Bi-monthly Preventive Vigilance Committee Meetings are organized at all branches/offices.
- Bank's Quarterly Newsletter on vigilance issues called 'ALL-ALERT' is Introduced
- Initiative has been taken for formation of Off-site Monitoring System to screen high value suspected transactions.
- Preventive vigilance workshops at various zones all over India were conducted during the year.

OFFICIAL LANGUAGE

- Compliance of various provisions under the Official Language Policy was ensured viz bilingual issuance of documents under Section 3 (3) of Official Language Act, reply of Hindi letters in Hindi, bilingual publication of manuals & codes, bilingualisation of stationery items was ensured.
- Bank was awarded prestigious "Indira Gandhi Rajbhasha Puraskar" for the year 2008-09 for excellent

भारत सरकार द्वारा 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' प्राप्त हुआ जिसे हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक ने दिनांक 14 सितंबर, 2010 को हिन्दी दिवस के अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री एवं केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री की उपस्थिति में नयी दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में महामहिम उप राष्ट्रपति माननीय मोहम्मद हामिद अंसारी से ग्रहण किया।

- हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री डी. सुब्बाराव से भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के केन्द्रीय कार्यालय में दिनांक 26.05.2010 को संपन्न पुरस्कार वितरण समारोह में बैंक की द्विभाषिक गृह पत्रिका त्रिवेणी धारा हेतु प्रथम पुरस्कार एवं वर्ष 2008-09 हेतु राजभाषा कार्यान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- बैंक को वर्ष 2009-10 हेतु "रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता" के तहत भाषा क्षेत्र "क" में "प्रथम स्थान" एवं भाषा क्षेत्र "ख" तथा "ग" में "तृतीय स्थान" प्राप्त हुआ।
- हमारे बैंक की गृह पत्रिका त्रिवेणी धारा को रिजर्व बैंक द्विभाषिक गृह पत्रिका प्रतियोगिता 2009-10 के अंतर्गत समस्त सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित 'अखिल भारतीय अंतर बैंक हिन्दी निबंध प्रतियोगिता 2009-10' के भाषा समूह 'क' में हमारे बैंक के प्रतिभागी को 'प्रथम स्थान' तथा इसी प्रतियोगिता के भाषा समूह 'ख' में हमारे बैंक के प्रतिभागी को 'द्वितीय स्थान' प्राप्त हुआ।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति पुरस्कारों के अंतर्गत राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय को राजभाषा शील्ड, मण्डलीय कार्यालय, देहरादून को प्रथम, मण्डलीय कार्यालय, लखनऊ को द्वितीय, राजमहल रोड शाखा, बड़ोदरा को द्वितीय, स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र हैदराबाद को द्वितीय, तथा मण्डलीय कार्यालय, हैदराबाद को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

मानव संसाधन विकास

- विश्वस्तरीय बैंक के रूप में उभरने की कोशिश में बैंक द्वारा मानव पूंजी के विकास को विशेष महत्व दिया गया। 2010-11 के दौरान बैंक ने 1117 अधिकारियों (विशेषज्ञ अधिकारियों सहित) और 990 लिपिकीय वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की।
- वर्ष के दौरान प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर अत्यधिक बल दिया गया। बदलते परिदृश्य के अनुरूप वर्ष के दौरान मानव पूंजी हेतु ई-लर्निंग एवं प्रशिक्षण/अध्ययन के अन्य वैकल्पिक उन्नत चैनलों पर काफी बल दिया गया।

प्रचार प्रयास

- बैंक ने वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक की छवि और ब्रांड पहचान बढ़ाने के लिए टेलीविजन, रेडियो और समाचारपत्रों/पत्रिकाओं, होर्डिंग आदि के माध्यम से राष्ट्रव्यापी प्रचार अभियान चलाया।

अनुषंगी संस्था एवं संयुक्त उद्यम

- आलबैंक फाइनेन्स लि. इलाहाबाद बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है जो कारपोरेट सलाहकार सेवा, परियोजना मूल्यांकन, इश्यू प्रबंधन, ऋण समूहन, डिबेंचर और ट्रस्टीशिप अंडरराइटिंग के काम

performance in the area of Official Language Implementation from Official Language Department, Ministry of Home Affairs, Government of India. The prize was received by our Chairman and Managing Director on 14th September, 2010 from His Excellency, Mohd. Hamid Ansari in presence of Hon'ble Union Home Minister and Hon'ble Union Home Ministers of State.

- Our Chairman and Managing Director received First Prize for Bank's Bilingual House Magazine Triveni Dhara and Third Prize for official language implementation 2008-09 from Shri D. Subbarao, Hon'ble Governor of Reserve Bank of India in the Prize Distribution Ceremony held on 26.05.2010 at the Central Office of R.B.I., Mumbai.
- Bank has secured "First Position" in linguistic region "A" and "Third Position" in linguistic regions "B" and "C" under "Reserve Bank Rajbhasha Shield Competition" for the year 2009-10.
- Bank has secured Third Position for our House Magazine Triveni Dhara under the Reserve Bank Bilingual House Magazine Competition 2009-10 among all the public sector banks and financial institutions.
- Two participants of our Bank secured 'First' and 'Second' position in linguistic groups 'A' and 'B' respectively in the All India Inter Bank Hindi Essay Competition 2009-10 organised by Reserve Bank of India.
- Under the Town Official Language Implementation Committee prizes, Bank's Head Office received the "Rajbhasha Shield", Zonal Office, Dehradun received the 'First Prize', Zonal Office, Lucknow, Rajmahal Road Branch, Baroda and Staff Training Centre, Hyderabad received the "Second Prize" and Zonal Office Hyderabad received the 'Third Prize' for excellent implementation of Official Language.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

- The Bank laid prime importance on developing human capital in tune with its quest to emerge as a bank of global stature. During 2010-11, the Bank undertook processes for recruitment of 1,117 Officers (including Specialist Officers) & 990 clerical cadre employees.
- Training and capacity building was given paramount importance. Much emphasis was laid on e-learning and other alternate advanced channels of training/learning of the human capital during the year, in tune with the changing scenario.

PUBLICITY ENDEAVOURS

- The bank has gone for nation-wide campaign on Television, Radio, and Newspapers/Magazines, hoardings etc. during the year 2010-11 for enhancing Bank's image and brand visibility.

SUBSIDIARY & JOINT VENTURE

- All Bank Finance Ltd., a wholly owned subsidiary of Allahabad Bank, engaged in Corporate Advisory Services, Project Appraisal, Issue Management, Loan

में लगी हुई है और जिसने 2010-11 के दौरान रु.2.80 करोड़ का लाभ दर्ज किया।

- आस्ति प्रबंधन कंपनी "एएसआरईसी (इंडिया)" लि. में अन्य बैंकों/संस्थाओं के साथ बैंक की 27% की इक्विटी धारिता है।
- साधारण बीमा व्यवसाय हेतु बैंक का संयुक्त उद्यम कम्पनी "यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" में इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक लि., डबलर इन्वेस्टमेंट लि. एवं जापानी बीमा कंपनी सोम्पो के साथ 30% की इक्विटी धारिता है।

भावी योजनाएँ

- बैंक अन्य कोर बैंकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त रिटेल व्यवसाय, ऋण समूहन, स्वर्ण सिक्कों की बिक्री, सीएमएस तथा बैंकशोरेंस आदि पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- बैंक विदेशों में भी विस्तार की योजना बना रहा है।

निदेशक मंडल

- 2010-11 के दौरान निदेशक मंडल, बोर्ड की प्रबंधन एवं लेखा परीक्षा समिति ने क्रमशः 15, 22 एवं 9 बैठकें कीं। 2010-11 के दौरान निदेशक पदोन्नति समिति, शेरधारकों / निवेशकों की शिकायत(निवारण) समिति, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, ग्राहक सेवा समिति, परिलब्धि समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, नामांकन समिति, शेर अंतरण समिति, शेर आबंटन समिति और फ्लैट क्रय समिति ने क्रमशः 5,1, 8, 7,4,1,4,1,18,1 एवं 2 बैठकें की।
- श्री रामस्वामी 30.07.2010 से निदेशक के रूप में इलाहाबाद बैंक से सम्बद्ध हैं। श्री रामस्वामी भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम), व्यय एवं बजट नियंत्रण के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- श्री सुदीप चौधरी 30.06.2010 से शेरधारक निदेशक के रूप में इलाहाबाद बैंक से संबद्ध हैं। श्री चौधरी 1990 से भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता में प्रोफेसर (आर्थिक समूह) के रूप में सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।
- श्री आर.एम.चतुर्वेदी ने 14.07.2010 को 3 वर्षों की अवधि के लिए सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री चतुर्वेदी आनर्स के साथ सनदी लेखाकार हैं, और उन्हें 26 वर्षों का अनुभव है।
- श्री गौर दास ने 16.08.2010 को 3 वर्ष की अवधि के लिए कामगार निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री गौर दास वाणिज्य स्नातक है और उन्हें 38 वर्षों का अनुभव है।
- वर्ष के दौरान श्री मोहम्मद ताहिर, श्री के. के. डोगरा एवं श्रीमती जोगिन्दर कौर अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त हुए।

Syndication Debenture and Trusteeship Underwriting, posted a profit of Rs. 2.80 crores during 2010-11.

- The Bank holds 27% equity stake in Asset Management Company "ASREC (India) Ltd" along with other Banks/ Institutions
- The Bank holds 30% equity stake in joint venture company "Universal Sompo General Insurance Company Limited" for general insurance business along with Indian Overseas Bank, Karnataka Bank Ltd., Dabur Investment Ltd. and Japanese insurance major Sompo.

FUTURE PLANS

- The Bank will focus on Retail Business, Loan Syndication, Sale of Gold Coins CMS and Bancassurance etc in addition to other core banking activities.
- The Bank is planning for overseas expansion.

BOARD OF DIRECTORS

- The Board of Directors, the Management Committee and the Audit Committee of the Board met 15, 22 and 9 times respectively during 2010-11. The Director's Promotion Committee, Shareholders'/Investors' Grievance Committee, IT Sub-Committee, Fraud Monitoring Committee, Customer Service Committee, Remuneration Committee, Risk Management Committee, Nomination Committee, Share transfer Committee, Share Allotment Committee and Flat Purchase Committee met 5, 1, 8, 7, 4, 1, 4, 1, 18, 1 and 2 times respectively during 2010-11.
- The RBI Nominee Director, Shri Ramaswamy joined the Board as Director from 30.07.2010. Shri Ramaswamy is working as Chief General Manager (CGM), Expenditure & Budgetary control, at Central Office RBI Mumbai.
- Shri Sudip Chaudhuri joined the Board as Shareholders' Director from 03.06.2010. Shri Chaudhuri has been serving Indian Institute of Management, Calcutta as Professor (Economics Group) since 1990.
- Shri R.M.Chaturvedi joined the Board as Government Nominee Director under Chartered Accountant category wef 14.07.2010 for a period of 3 years. Shri Chaturvedi is a Chartered Accountant and is having 26 years of experience.
- Shri Gour Das joined the Bank as workmen Employee Director wef 16.08.2010 for a period of 3 years. Shri Gour Das is a Commerce Graduate and is having 38 years of banking experience.
- During the year Shri Mohammad Tahir, Shri K. K. Dogra & Smt. Joginder Kaur retired from the Board of Directors after completion of their tenure.


आभार

निदेशक मंडल बैंक के शेयरधारकों/निवेशकों को उनके सतत समर्थन और संरक्षण हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार तथा अन्य नियामक एजेंसियों के प्रति उनकी बहुमूल्य एवं सामयिक सलाह, मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त करता है एवं उनके सतत समर्थन एवं सहयोग की कामना करता है। बैंक के प्रति ग्राहकों द्वारा व्यक्त किए गए सतत विश्वास और भरोसे के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशक मंडल विदा हो चुके सदस्यों के बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है और नए पदाधिकारियों का स्वागत करता है।

निदेशक मंडल बैंक कर्मियों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए सहर्ष सराहना ज्ञापित करता है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,


(जे.पी. दूआ)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 02 मई, 2011

स्थान : कोलकाता

ACKNOWLEDGEMENTS


The Board of Directors records its appreciation for continued support and patronage of the shareholders/investors of the Bank. The Board of Directors gratefully acknowledges the valuable and timely advice, guidance and support from the Reserve Bank of India, Government of India and other regulatory agencies and look forward to their continued support and co-operation. The Board of Directors is thankful to the customers for their continued trust and confidence on the Bank.

The Board records its appreciation for valuable contributions of the outgoing members and welcomes the new incumbents.

The Board of Directors is pleased to place on record their appreciation of the committed services of the Bank's employees.

For and on behalf of the Board of Directors,

Date : 02.05.2011
Place : Kolkata



(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

बासेल-II के अंतर्गत बाजार प्रकटीकरण यथास्थिति 31.03.2011 को नई पूँजी पर्याप्तता संरचना

जोखिम प्रबंधन

1. वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप, दुनियां भर के बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के सामने विभिन्न प्रकार के जोखिम मौजूद हैं। बासेल-II समझौते के अस्तित्व में आने और दुनिया भर में इसकी बढ़ती प्रयोज्यता के चलते जोखिम प्रबंधन के बारे में सशक्त तंत्र की आवश्यकता महसूस की गई। चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की जोखिम प्रबंधन प्रणालियां बनाई हैं।
2. बैंक के जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्रमुखतः समुचित पहचान, मापन, निगरानी/ नियंत्रण और जोखिम उपशमन द्वारा प्रत्याशित आगम और संभावित जोखिमों के बीच समुचित सामंजस्य बैठाते हुए शेरधारकों के मूल्य को बढ़ाना है।
3. बैंक ने अपने यहाँ जोखिम प्रबंधन का समुचित संगठनात्मक ढाँचा गठित किया है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी नोट के अनुसरण में “बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति” नामक एक बोर्ड स्तरीय उप-समिति का गठन किया गया है। समिति बैंक द्वारा सामना किए गए सभी जोखिमों का मूल्यांकन करती है और जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु प्रभावी प्रणाली विकसित करती है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड समिति शीर्ष स्तर पर विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों का समेकन करती है अर्थात् ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के माध्यम से समेकन।
4. महाप्रबंधक (एकीकृत जोखिम प्रबंधन) बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत रूप में जोखिम प्रबंधन के कार्य को देख रहे हैं, जो बैंक में उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और प्रथाओं के कार्यान्वयन हेतु व्यवसाय विभागों से स्वतंत्र है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने 31 मार्च, 2008 से नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (बासेल-II) कार्यान्वित की है। यथासंदर्भित बासेल-II संरचना, तीन परस्पर संबद्ध स्तम्भों पर आधारित है। संशोधित संरचना का **स्तम्भ - 1** ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम हेतु आवश्यक न्यूनतम पूँजी आवश्यकता की देखभाल करता है। **स्तम्भ - 2** (पर्यवेक्षण समीक्षा प्रक्रिया) यह सुनिश्चित करने के लिए है कि क्या बैंक के पास उसके व्यवसाय से जुड़े समस्त जोखिमों हेतु जोखिम प्रोफाइल एवं नियंत्रण प्रणाली के अनुरूप पर्याप्त पूँजी है। बैंक के पास यथापेक्षित, आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।
6. **स्तम्भ-3 बाजार अनुशासन** से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जैसा निर्देशित किया गया है, बैंक में जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण (दोनों मात्रात्मक एवं परिमाणात्मक)का एक सेट सारणी **डीएफ 1 से डीएफ 10 (संलग्न है)** तक प्रकाशित किया गया है जिससे बाजार के सहभागियों को क्रियान्वयन, पूँजी जोखिम एक्सपोजर, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, बैंक के जोखिम प्रोफाइल एवं पूँजीकरण के स्तर आदि से संबंधित प्रमुख सूचनाओं का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इससे बाजार के सहभागियों को विभिन्न मानदंडों पर बैंक के कार्यनिष्पादन के बारे में आवश्यक आंकड़े भी मिल सकेंगे।

**MARKET DISCLOSURE UNDER BASEL-II
NEW CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK AS ON 31.03.2011**

RISK MANAGEMENT

1. Consequent upon globalization, Banks and other financial institutions all over the world are exposed to different types of risks. The emergence of Basel-II accord and its increasing applicability throughout the world calls for sound practices in risk management. To cope with the challenges, the Bank has put in place various risk management practices and processes in line with the guidelines of the Reserve Bank of India issued from time to time.
2. The Bank's risk management objectives broadly covers proper identification, measurement, monitoring / control and mitigation of the risks towards enhancing and maximizing the shareholders' value by addressing appropriate trade off between an expected reward and potential risk.
3. The Bank has set up appropriate risk management organization structure. Board Level Sub-Committee known as "Risk Management Committee" has been constituted in terms of RBI guidance note on Risk Management System. The Committee evaluates overall risks faced by the Bank and put in place effective system to identify measure, monitor and control risk. The committee further integrates various risk management functions at committee level. i.e., integration through Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Committee (ALCO).
4. General Manager (Integrated Risk Management) is looking after functioning of risk management aspect in integrated manner at Bank's Head Office, who is independent of business departments, for implementing best risk management systems and practices in the Bank.
5. In line with the guidelines issued by the RBI, the Bank has implemented New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from March 31, 2008. The Basel-II framework, as referred, is based on three mutually reinforcing pillars. While **Pillar-1** of the revised framework addresses minimum capital requirement for Credit, Market and Operational risk, **Pillar-2** (Supervisory Review Process) intends to ensure that the banks have adequate capital to address all the risks in their business commensurate with Bank's risk profile and control environment. As required, the bank has put in place a Board approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP).
6. **Pillar-3** refers to **Market Discipline**. As directed by the RBI, a set of disclosures (both qualitative & quantitative) are published in **Tables DF 1 to DF 10 (annexed)** with regard to risk management in the bank, which will enable market participants to access key information on the scope of application, capital risk exposures, risk assessment processes, bank's risk profile and level of capitalization etc. This would also provide the market participants with the necessary data to evaluate the performance of the bank in various parameters.

सारणी डीएफ - 1

प्रयोज्यता

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण																									
क)	समूह में शीर्ष बैंक का नाम, जिस पर संरचना लागू है।																								
ख)	लेखा एवं विनियामक प्रयोजन हेतु समेकन आधार पर विसंगतियों की रूपरेखा, समूह के अंतर्गत कंपनियों का संक्षिप्त विवरण																								
	<p>i) जो पूर्णतः समेकित हैं ;</p> <p>ii) जो समानुपातिक आधार पर समेकित हैं ;</p> <p>iii) जो घटाई गई हैं ; तथा</p> <p>iv) जो न तो समेकित हैं न ही घटाई गई हैं (अर्थात जहाँ निवेश जोखिम आधारित है)</p>																								
	<p>a) प्रकटीकरण का ढांचा इलाहाबाद बैंक पर प्रयोज्य है जो समूह में शीर्ष बैंक है।</p> <p>b) बैंक की अनुषंगी/सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम निम्नानुसार हैं</p> <p>अनुषंगी कंपनी: बैंक की एक निम्नलिखित अनुषंगी कंपनी है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>अनुषंगी कंपनी का नाम</th> <th>देश में निगमन</th> <th>स्वामित्व (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आल बैंक फाइनेन्स</td> <td>भारत</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>सहायक संस्था: बैंक द्वारा निम्नलिखित दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया जाता है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>देश में निगमन</th> <th>स्वामित्व (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*</td> <td>भारत</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>शारदा ग्रामीण बैंक</td> <td>भारत</td> <td>35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे दो पूर्ववर्ती क्षेत्रीय बैंक अर्थात लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को बंद कर एक नया समामेलित क्षेत्रीय बैंक अर्थात इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक 02.03.2010 से अस्तित्व में आया।</p> <p>संयुक्त उद्यम : बैंक ने निम्नलिखित संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी एवं आरिस्त प्रतिभूतिकरण में निवेश किया है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th> <th>देश में निगमन</th> <th>स्वामित्व (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</td> <td>भारत</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>मेसर्स एएसआरईसी (इंडिया) लि.</td> <td>भारत</td> <td>27.04%</td> </tr> </tbody> </table> <p>अनुषंगी, सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानकों क्रमशः 21, 23 और 27 के अनुसार लेखा विवरण में समेकित किया गया है।</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की सीआरएआर की गणना हेतु अनुषंगी, सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेश को टियर-I और टियर-II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है।</p>	अनुषंगी कंपनी का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	आल बैंक फाइनेन्स	भारत	100%	बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*	भारत	35%	शारदा ग्रामीण बैंक	भारत	35%	बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)	मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%	मेसर्स एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	27.04%
अनुषंगी कंपनी का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																							
आल बैंक फाइनेन्स	भारत	100%																							
बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																							
इलाहाबाद उग्र ग्रामीण बैंक*	भारत	35%																							
शारदा ग्रामीण बैंक	भारत	35%																							
बैंक का नाम	देश में निगमन	स्वामित्व (%)																							
मेसर्स यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	30%																							
मेसर्स एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	27.04%																							

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

1	समेकन में शामिल न की गई सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमी की कुल मात्रा अर्थात जो घटाई गई हैं और ऐसी अनुषंगियों के नाम।	किसी अनुषंगी के संबद्ध में पूंजी का कोई अभाव नहीं है।
2	बीमा कंपनियां जो जोखिम भारित हैं, के नाम के साथ-साथ उनमें बैंक के कुल निवेश की सकल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य), उनके निवास या निगमन का देश, मालिकाना हक का अंश और यदि भिन्न हो, तो इन कंपनियों में मताधिकार शक्ति का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती प्रणाली के सापेक्ष इस प्रणाली का प्रयोग करने पर विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव।	बैंक ने बीमा संयुक्त उद्यम अर्थात यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भारत में निगमित है, में इक्विटी सब्सक्रिप्शन के माध्यम से रु. 45.00 करोड़ की राशि निवेश की है जो इसकी कुल निर्गमित पूंजी का 30% है जिसे भारिबैंक के दिशानिर्देशानुसार जोखिम भार प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त उद्यम बीमा कंपनी में निवेश बैंक की टियर-I एवं टियर-II पूंजी में से समान रूप से घटाया गया है, क्योंकि बैंक का निवेश महत्वपूर्ण निवेश के स्तर से अधिक है, जो कि निवेशी संस्थाओं की प्रदत्त पूंजी का 20% अथवा अधिक है।

Table DF – 1

SCOPE OF APPLICATION

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures																									
<p>a) The name of the top Bank in the group to which the framework applies.</p> <p>b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group</p> <p>i) that are fully consolidated;</p> <p>ii) that are pro-rata consolidate;</p> <p>iii) that are given a deduction treatment; and</p> <p>iv) That are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).</p>	<p>a) The framework of disclosures applies to Allahabad Bank, which is the top bank in the group.</p> <p>b) The Bank's subsidiary /Associates and Joint venture are as under: Subsidiary: The Bank has one subsidiary as under:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of Subsidiary</th> <th style="text-align: center;">Country of Incorporation</th> <th style="text-align: center;">Ownership (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All Bank Finance</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Associates: Two Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of Banks</th> <th style="text-align: center;">Country of Incorporation</th> <th style="text-align: center;">Ownership (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Allahabad UP Gramin Bank*</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> <tr> <td>Sharda Gramin Bank</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">35%</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Our two erstwhile RRBs in the state of UP, namely Lucknow Kshetriya Gramin Bank and Triveni Kshetriya Gramin Bank have ceased to exist and a new amalgamated RRB, i.e., Allahabad UP Gramin Bank has come into existence w.e.f. 02.03.2010.</p> <p>Joint Venture: The Bank has invested in Joint Venture Insurance company and Asset Securitisation company as under:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Name of Company</th> <th style="text-align: center;">Country of Incorporation</th> <th style="text-align: center;">Ownership (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M/S Universal Somp General insurance Company Limited</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>M/S ASREC (INDIA) LTD.</td> <td style="text-align: center;">India</td> <td style="text-align: center;">27.04%</td> </tr> </tbody> </table> <p>The Subsidiary, Associates and Joint Ventures are consolidated in the Statement of Accounts as per Accounting Standard 21, 23 and 27 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). For computation of CRAR of the Bank, investment in Subsidiary, Associates and Joint Ventures are deducted from Tier-I and Tier-II capital equally as per RBI guidelines.</p>	Name of Subsidiary	Country of Incorporation	Ownership (%)	All Bank Finance	India	100%	Name of Banks	Country of Incorporation	Ownership (%)	Allahabad UP Gramin Bank*	India	35%	Sharda Gramin Bank	India	35%	Name of Company	Country of Incorporation	Ownership (%)	M/S Universal Somp General insurance Company Limited	India	30%	M/S ASREC (INDIA) LTD.	India	27.04%
Name of Subsidiary	Country of Incorporation	Ownership (%)																							
All Bank Finance	India	100%																							
Name of Banks	Country of Incorporation	Ownership (%)																							
Allahabad UP Gramin Bank*	India	35%																							
Sharda Gramin Bank	India	35%																							
Name of Company	Country of Incorporation	Ownership (%)																							
M/S Universal Somp General insurance Company Limited	India	30%																							
M/S ASREC (INDIA) LTD.	India	27.04%																							

SL No

QUANTITATIVE DISCLOSURES

(Amount: ₹ In crores)

1	The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the names of such subsidiaries.	There is no deficiency in respect of any subsidiary.
2	The aggregate amounts (e.g., current book value) of the Bank's total interests in insurance entities, which are risk weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and if different the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	The Bank has made investment amounting to Rs 45.00 Crores by way of equity subscription in an insurance joint venture i.e., Universal Somp General Insurance Company Limited incorporated in India, representing 30% of the company's paid-up capital. Investment in the joint venture insurance company is deducted equally from Tier-I and Tier-II Capital of the Bank as per RBI Guidelines, since the Bank's investment is above the level of significant investment, which is 20% or more of the investee entity's paid-up capital.

सारणी डीएफ - 2

पूँजी संरचना

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण	
सभी पूँजी लिखतों विशेषकर, टियर-I या अपर टियर-II में शामिल होने के पात्र पूँजी लिखतों की मुख्य विशिष्टताओं के निबंधनों एवं शर्तों का सार	बैंक द्वारा समय-समय पर जारी टियर-I, टियर-II बांडों की शर्तें, इस संबंध में भारिबैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में हैं।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
1	निम्नलिखित के पृथक प्रकटीकरण के साथ टियर-I पूँजी की राशि :		
	1.1 प्रदत्त शेयर पूँजी;	476.22	
	1.2 आरक्षितियाँ;	7179.79	
	1.3 नवोन्मेषी शाश्वत ऋण लिखत	300.00	
	1.4 अन्य पूँजी लिखत;	—	
	1.5 साख एवं निवेश सहित टियर-I पूँजी से कटौती की गई राशियाँ	58.61	
	1.6 कुल टियर-I पूँजी		7897.40
2	टियर-II पूँजी की कुल राशि (टियर-II पूँजी से कटौती छोड़कर)	4044.77	
3.	अपर टियर-II पूँजी में शामिल करने हेतु पात्र ऋण पूँजी लिखत		
3.1	कुल बकाया राशि	1000.00	
3.2	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00	
3.3	पूँजीगत निधि के रूप में गणना हेतु पात्र राशि		1000.00
4.	लोअर टियर-II पूँजी में शामिल करने हेतु पात्र गौण ऋण		
4.1	कुल बकाया राशि	2611.90	
4.2	इसमें से चालू वर्ष के दौरान उगाही गई राशि	0.00	
4.3	पूँजीगत निधि के रूप में गणना हेतु पात्र राशि		2351.91
5.	पूँजी से अन्य कटौतियां यदि कोई हो		58.61
6.	कुल पात्र पूँजी (टियर-I + टियर-II)		11942.17

टियर-I के अंतर्गत पात्र नवोन्मेष शाश्वत ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि रु. करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	व्याज भुगतान तिथि	सूची बद्ध	रेटिंग
1	30.03.2009	150.00	9.20%	शाश्वत	प्रतिवर्ष 30 मार्च	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+
2	18.12.2009	150.00	9.08%	शाश्वत	प्रतिवर्ष 18 दिसंबर	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+

अपर टियर-II के अंतर्गत पात्र नवोन्मेष ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि रु. करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	ब्याज भुगतान तिथि	सूची बद्ध	रेटिंग
1	19.03.2009	500.00	9.28%	180 माह	प्रतिवर्ष 19 मार्च	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+
2	18.12.2009	500.00	8.58%	180 माह	प्रतिवर्ष 18 दिसम्बर	एनएसई	केयर-एए क्रिसिल-एए+

लोअर टियर-II के अंतर्गत पात्र गौण ऋण लिखतों से संबंधित सूचना:

क्र.सं.	आबंटन की तिथि	बांड (राशि रु. करोड़ में)	कूपन दर	अवधि	बांड राशि (बट्टाकृत) (करोड़ में)	ब्याज भुगतान तिथि	सूची बद्ध	रेटिंग
2	31.03.2004	200.00	5.90%	99 माह	40.00	31 मार्च वार्षिक	बीएसई व एनएसई	केयर- एए+ फिच-एए
3	13.03.2006	500.00	8.00%	120 माह	400.00	13 मार्च और सितम्बर अर्ध वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
4	29.09.2006	561.90	8.85%	120 माह	561.90	29 सितम्बर वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
5	25.09.2007	500.00	10.00%	120 माह	500.00	31 मार्च वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
6	26.03.2009	400.00	9.23%	120 माह	400.00	26 मार्च वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
7	04.08.2009	450.00	8.45%	120 माह	450.00	4 अगस्त वार्षिक	एनएसई	केयर-एए+ क्रिसिल-एए+
	कुल	2611.90			2351.90			

Table DF – 2

CAPITAL STRUCTURE

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures	
Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2.	The terms and conditions of Tier-I & Tier II Bonds issued by the Bank from time to time adhere to applicable RBI guidelines in this respect.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ In crores)	
1	The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of:		
	1.1 paid-up share capital;	476.22	
	1.2 reserves;	7179.79	
	1.3 innovative perpetual debt instruments;	300.00	
	1.4 other capital instruments;	—	
	1.5 amounts deducted from Tier-I capital, including goodwill and investments.	58.61	
	1.6 Total Tier-I Capital		7897.40
2	The total amount of Tier-II capital (net of deductions from Tier -II capital)	4044.77	
3	Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier-II capital		
	3.1 Total amount outstanding	1000.00	
	3.2 Of which amount raised during the current year	0.00	
	3.3 Amount eligible to be reckoned as capital funds		1000.00
4	Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital		
	4.1 Total amount outstanding	2611.90	
	4.2 Of which amount raised during the current year	0.00	
	4.3 Amount eligible to be reckoned as Capital funds		2351.91
5	Other deductions from capital, if any.		58.61
6	Total eligible capital (Tier-I + Tier-II)		11942.17

Information about Innovative Perpetual Debt Instruments eligible under Tier-I:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (in Rs. Crores)	COUPON RATE	TENOR	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1	30.03.2009	150.00	9.20%	Perpetual	30 th March every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA+
2	18.12.2009	150.00	9.08%	Perpetual	18 th December every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA+

Information about Innovative Instruments eligible under Upper Tier-II:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (In Crores)	COUPON RATE	TENOR	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1	19.03.2009	500.00	9.28%	180 months	19 th March every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA+
2	18.12.2009	500.00	8.58%	180 months	18 th December every year	NSE	CARE- AA CRISIL- AA+

Information about Subordinated Debt Instruments eligible under Lower Tier-II:

S.N.	DATE OF ALLOTMENT	BOND AMT. (In Crores)	COUPON RATE	TENOR	BOND AMT. (Discounted) (in crores)	INTEREST PAYMENT DATE	LISTED	RATING
1.	31.03.2004	200.00	5.90%	99 months	40.00	31 st March Annual	BSE & NSE	CARE- AA+ FITCH- AA
2.	13.03.2006	500.00	8.00%	120 months	400.00	13 th March and September (Semi annual)	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
3.	29.09.2006	561.90	8.85%	120 months	561.90	29 th September Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
4.	25.09.2007	500.00	10.00%	120 months	500.00	31 st March Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
5.	26.03.2009	400.00	9.23%	120 months	400.00	26 th March Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
6.	04.08.2009	450.00	8.45%	120 months	450.00	4 th August Annual	NSE	CARE- AA+ CRISIL-AA+
	TOTAL	2611.90			2351.90			

सारणी डीएफ - 3

पूँजी पर्याप्तता

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

अपनी वर्तमान और भावी गतिविधियों के समर्थन हेतु अपनी पूँजी की पर्याप्तता का निर्धारण करने के बैंक के दृष्टिकोण पर चर्चा का सार

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1992 में भारत के बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता उपाय के रूप में जोखिम आस्ति अनुपात प्रणाली लागू की जिसमें ऋण जोखिम के घटक शामिल थे। तुलन पत्र आस्तियों, गैर निधिक मदों और अन्य तुलनपत्र बाह्य निवेशों को निर्धारित जोखिम भारिता समनुदेशित की जाती है और बैंक को सतत आधार पर सकल जोखिम भारित आस्तियों पर निर्धारित अनुपात के समतुल्य न्यूनतम अक्षुण्ण पूँजीगत निधियां बनाए रखनी होंगी। बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे निधि आधारित और गैर निधि आधारित निवेश सहित सकल जोखिम भारित आस्तियों पर 31 मार्च 1993 तक पूँजी पर्याप्तता के 4% के न्यूनतम स्तर को और 31 मार्च 1996 तक 8% के न्यूनतम स्तर को बनाए रखें। तदनन्तर पूँजी पर्याप्तता अनुपात के न्यूनतम स्तर को 9% तक बढ़ाया गया। ये दिशानिर्देश बासेल-। दिशानिर्देश के रूप में जाने जाते हैं।
2. 27 अप्रैल, 2007 को भारिबैंक ने बासेल-II के अंतर्गत “नई पूँजी पर्याप्तता संरचना पर अंतिम दिशानिर्देश” जारी किए। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विषय से संबंधित कुछ बातों के बारे में 31 मार्च 2010 को स्पष्टीकरण जारी किए हैं। कुछ आवधिक परिवर्तनों को समाविष्ट करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 01 जुलाई, 2008 को पूँजी पर्याप्तता तथा बाजार अनुशासन संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश- नई पूँजी पर्याप्तता संरचना के संबंध में एक मास्टर परिपत्र जारी किया है। इन दिशानिर्देशों में ऋण मार्केट और परिचालन जोखिम में स्पष्ट भेद किया गया है।
3. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ने दिनांक 31.03.2008 से नई पूँजी पर्याप्तता संरचना को अपना लिया है। बैंक लगातार एक्सपोजर का अनुसरण करते हुए बासेल-II संरचना की समानांतर प्रक्रिया को जारी रख रहा है और विवेकपूर्ण धरातल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से त्रैमासिक आधार पर बैंक के सीआरएआर पर प्रभाव का अध्ययन कर रहा है।
4. बासेल-II संरचना ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी की आवश्यकता सुनिश्चित करने हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध कराती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार बैंक ने 31 मार्च 2008 और 2009 की भांति यथास्थिति 31 मार्च 2010 को पूँजी की संगणना हेतु ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) और परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है। बैंक बाजार जोखिम के लिए पूँजी अपेक्षा की संगणना हेतु 31 मार्च 2008 से मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) को अपना रहा है। वस्तुतः, अब तक ऋण जोखिम और बाजार जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखने के अतिरिक्त, बैंक दिनांक 31.03.2008 से परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी बनाए रखता है।
5. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा सतत आधार पर ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के संबंध में, बेसेल दस्तावेज में निर्धारित 8 प्रतिशत के सापेक्ष 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखना निर्धारित किया है। बासेल-II दिशानिर्देशों के अनुसार जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) की तुलना में कुल पूँजी यथास्थिति 31.03.2011 को 12.96% प्रतिशत निकलती है। टियर I सीआरएआर भारिबैंक के 6.00% के निर्धारण के सापेक्ष 8.57% है। मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम के लिए पूँजी की संगणना में, बैंक ने सीबीएस प्रणाली के द्वारा प्रत्येक शाखा से प्राप्त उधारकर्तावार आंकड़ों पर भरोसा किया है। जैसाकि मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत भारिबैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित है, बैंक ने ऋण जोखिम के लिए पूँजी की संगणना में ऋण जोखिम उपशमन का प्रयोग किया है। परिचालन जोखिम एवं बाजार जोखिम हेतु आंकड़ों का समेकन प्रधान कार्यालय स्तर पर किया गया है।
6. बैंक निरन्तर अपनी पूँजी जरूरतों का मूल्यांकन कर रहा है। भारत सरकार द्वारा शेयरों के अधिमान्य आबंटन के माध्यम से लगाए गए ₹ 670 करोड़ की पूँजी से सरकार का शेयर 58% तक हो गया है, जिससे कि चालू एवं भविष्य में व्यवसाय को बढ़ाने हेतु पूँजी संरचना का अतिरिक्त रूप से समर्थन करने एवं अपेक्षित सीआरएआर को पूरा करने के लिए बैंक के पास टियर I और टियर II पूँजी संग्रहण के लिए पर्याप्त हेडरूम उपलब्ध है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
1	जोखिम प्रबंधन हेतु पूँजी आवश्यकताएँ		
	1.1 मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभाग	7209.10	
	1.2 प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	0.00	
2	बाजार जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ (मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण)		460.18
	2.1 ब्याज दर जोखिम	348.90	
	2.2 विदेश विनिमय जोखिम(स्वर्ण सहित)	2.71	
	2.3 इक्विटी जोखिम	108.57	
3	परिचालनगत जोखिम हेतु पूँजी आवश्यकताएँ (मूल संकेतक दृष्टिकोण)		624.95
4	कुल एवं टियर-I पूँजी अनुपात :		
	4.1 कुल सीआरएआर		12.96%
	4.2 टियर I सीआरएआर		8.57%

Table DF – 3

CAPITAL ADEQUACY

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures	
A summary discussion of the Bank’s approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:	
1.	The Reserve Bank of India (RBI) introduced a Risk Asset Ratio System for banks in India as a capital adequacy measure covering the elements of Credit Risk in April 1992. The Balance sheet assets, non-funded items and other off-balance sheet exposures are assigned prescribed risk weights and banks have to maintain unimpaired minimum capital funds equivalent to the prescribed ratio on the aggregate of the risk weighted assets on an on going basis. Banks were advised to ensure capital adequacy at a minimum level of 4% on the aggregated risk weighted assets including both fund based and non-fund based exposures by 31 st March-1993 and 8% by 31 st March-1996. The Minimum level of Capital Adequacy was increased to 9% subsequently. These guidelines together are known as Basel-I guidelines.
2.	On 27 th April, 2007, the RBI released the “Final Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework” under Basel-II. In addition, the RBI issued clarifications on 31 st March, 2008 on certain issues related to the subject. Incorporating some intermittent changes, the RBI released the master circular on Prudential Guidelines on Capital Adequacy and Market Discipline- New Capital Adequacy Framework on July 01, 2010. These guidelines make clear distinction between Credit, Market and Operational risks.
3.	In line with the RBI guidelines, the Bank migrated to the New Capital Adequacy Framework (Basel-II) with effect from 31.03.2008. The Bank is continuing with the parallel run of Basel I norms and studying the impact on Bank’s CRAR on quarterly basis with a view to ensuring compliance with the guidelines under “prudential floor”.
4.	Basel-II Framework provides a range of options for determining the capital requirements for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk. In accordance with the RBI’s guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach (SA) for Credit Risk, and Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk to compute capital as on 31 st March, 2010 also like as on 31 st March 2008 and 2009.. The Bank continues to apply the Standardized Duration Approach (SDA) for computing capital requirement for market risks with effect from 31 st March, 2008. As such, in addition to maintaining capital for credit risk and market risk as hitherto, the Bank maintains capital for operational risk from 31.03.2008.
5.	Reserve Bank of India prescribes Banks to maintain a minimum Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CRAR) of 9 percent with regard to credit risk, market risk and operational risk on an ongoing basis, as against 8 percent prescribed in Basel Documents. The total Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) as per Basel – II guidelines works to 12.96% as on 31.03.2011. The Tier-I CRAR stands at 8.57% as against RBI’s prescription of 6.00%. In computation of capital for credit risk under Standardized Approach, the Bank has relied upon the data captured from each individual branch through the CBS system. The Bank has used the credit risk mitigants in computation of capital for credit risk, as prescribed in the RBI guidelines under Standardized Approach. The data for Operational Risk and Market Risk have been consolidated at Head Office.
6.	The Bank is continuously evaluating its capital requirement. The capital infusion of ₹ 670 crores by the Govt.’s share up to 58%, thus leaving sufficient headroom for the Bank to mobilize Tier I and Tier II capital to additionally support capital structure and meet the CRAR requirements against current and future business expansion.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)	
1	Capital requirements for Credit Risk:		
	1.1 portfolios subject to standardized approach	7209.10	
	1.2 securitization exposures	0.00	
2	Capital requirements for Market Risk(Standardize Duration Approach		460.18
	2.1 interest rate risk	348.90	
	2.2 foreign exchange risk(including gold)	2.71	
	2.3 equity risk	108.57	
3	Capital requirements for Operational Risk (Basic Indicator Approach)		624.95
4	Total and Tier-1 Capital Ratio:		
	4.1 Total CRAR		12.96%
	4.2 Tier-I CRAR		8.57%

सारणी डीएफ - 4

ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. ऋण जोखिम

- 1.1 उधार देने में कई तरह के जोखिम हैं। ऋण जोखिम उधारकर्ताओं अथवा प्रतिपक्षियों की ऋण गुणवत्ता में हास से संबंधित हानि की संभावना है।
- 1.2 ऋण जोखिम या चूक जोखिम ग्राहक अथवा प्रतिपक्षी द्वारा उधार, ट्रेडिंग, हेजिंग, निपटान एवं अन्य वित्तीय लेनदेनों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अनिच्छा या अक्षमता के कारण होता है। ऋण जोखिम आमतौर पर लेनदेन जोखिम या चूक जोखिम एवं संविभाग जोखिम से उत्पन्न होता है।
- 1.3 ऋण अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी, विवेकपूर्ण निवेश सीमा, उद्योग निवेश सीमा, ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली, जोखिम आधारित प्राइसिंग, ऋण समीक्षा तंत्र और ऋण जोखिम शमन जैसे उपकरणों का प्रयोग बैंक द्वारा ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है। ऋण जोखिम को संपार्श्विक प्रतिभूति और गारंटियां प्राप्त करते हुए विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में खंडीय निवेश सीमा, विवेकपूर्ण निवेश और पर्याप्त निवेश उच्चतम सीमा और जोखिम शमन के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।

2. ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियाँ :

- 2.1 बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित एक सुव्यवस्थित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति दस्तावेज संगठनात्मक संरचना, भूमिका एवं दायित्व तथा प्रक्रियाओं को परिभाषित करती है जिसके माध्यम से बैंक को होने वाले ऋण जोखिमों की पहचान, आकलन करने में मदद मिलती है और उनका प्रबंधन उस संरचना के अंतर्गत किया जाता है जिसे बैंक अपने अधिदेश एवं जोखिम वहनशीलता के अनुरूप उपयुक्त समझता है।
- 2.2 बैंक द्वारा खातावार ऋण जोखिम की निगरानी की जाती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम सीमाओं/एक्सपोजर कैप के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की गुणवत्ता की भी निगरानी की जाती है और ऋण जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने हेतु आंतरिक दक्षता विकसित की जाती है।
- 2.3 उत्तम ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करने हेतु बैंक ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के अतिरिक्त, बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीति, निवेश, देश जोखिम प्रबंधन वसूली नीति आदि भी है जो ऋण जोखिम की निगरानी का अभिन्न अंग है।

और विभिन्न नियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं विशेष रूप से भारिबैं/अन्य सांविधिक प्राधिकारियों के निवेश मानदंडों, प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों, आय अभिज्ञान और आस्ति वर्गीकरण दिशानिर्देशों, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन आदि संबंधी दिशानिर्देशों के संदर्भ में

- 2.4 इसके अतिरिक्त बैंक की ऋण जोखिम शमन और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंधन के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी है जिसमें बैंक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूतियों और ऐसी प्रतिभूतियों के प्रशासन के विवरण निर्धारित किए गए हैं।

3. बैंक की संरचना एवं प्रणाली :

- 3.1 बैंक में जोखिम प्रबंधन प्रकार्यों की विशेष निगरानी और समन्वय हेतु निदेशक मंडल द्वारा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) नामक निदेशकों की उपसमिति का गठन किया गया है।
- 3.2 ऋण नीति सहित विभिन्न ऋण जोखिम कार्यनीतियां बनाने और इनके कार्यान्वयन हेतु तथा नियमित आधार पर बैंक के जोखिम प्रबंधन कार्य की निगरानी हेतु ऋण जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

4. ऋण मूल्यांकन /आंतरिक रेटिंग :

- 4.1 बैंक अपने ऋण जोखिम का प्रबंधन हरेक उधारकर्ता एवं संविभाग स्तर पर जोखिमों के सतत मापन एवं निगरानी के माध्यम से करता है। बैंक के पास एक सशक्त आंतरिक क्रेडिट रेटिंग संरचना और सुव्यवस्थित मानकीकृत ऋण मूल्यांकन/अनुमोदन प्रणाली है।
- 4.2 आंतरिक जोखिम रेटिंग/ग्रेडिंग मॉड्यूल में प्रबंधन जोखिम से संबंधित परिमाणात्मक एवं गुणात्मक मुद्दे, व्यवसाय जोखिम, उद्योग जोखिम, वित्तीय जोखिम एवं परियोजना जोखिम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इस तरह की रेटिंग में उधारकर्ता की समग्र रेटिंग का मूल्यांकन करते समय विशिष्ट लेनदेन हेतु ऋण परिवर्धन विशिष्टताओं पर भी विचार किया जाता है। बाजार स्थितियों के आधार पर उद्योग जोखिम के आँकड़े निरंतर अद्यतन किये जाते हैं।
- 4.3 प्रत्येक उधारकर्ता की रेटिंग की समीक्षा की जाती है। सशक्त ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के उपाय के रूप में बैंक ने प्रधान कार्यालय और मंडलीय कार्यालय/शाखा स्तर पर संस्वीकृत प्रस्तावों हेतु क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया की त्रिस्तरीय प्रणाली कार्यान्वित की है जिसमें ऋण विभाग से इतर रेटिंग की वैधता (तीसरा चरण) शामिल है। बैंक के प्रधान कार्यालय की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों के मामले में रेटिंग की वैधता जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा की जाती है।
- 4.4 बैंक ऋणों की संस्वीकृति हेतु सुव्यवस्थित बहु-स्तरीय विवेकाधीन शक्ति संरचना का अनुसरण करता है। नए/परिवर्धनशील प्रस्तावों पर विचार करने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्र महाप्रबंधक स्तरों पर क्रेडिट ग्रिड का गठन किया गया है। विनिर्दिष्ट कट-ऑफ से अधिक के नए ऋण प्रस्तावों पर सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय स्तर पर नया व्यवसाय समूह (एनबीजी) नामक संरचना का गठन किया गया है। बैंक के पास नए उत्पादों हेतु जोखिम प्रबंधन संरचना है जो नए उत्पादों के संबंध में उनके शुभारंभ से पूर्व न्यूनतम प्रक्रिया/मूल्यांकन मानदंडों को निर्धारित करती है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)	
1	कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर , निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित अलग-अलग		
	1.1 निधि आधारित	94570.93	
	1.2 गैर-निधि आधारित	13788.87	
	2.एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण		
	2.1 विदेशी :		
	2.1.1 निधि आधारित	2902.98	
	2.1.2 गैर निधि-आधारित	122.78	
	2.2 घरेलू :		
	2.2.1 निधि आधारित	91667.95	
	2.2.2 गैर निधि-आधारित	13666.09	
3	उद्योग स्वरूप के एक्सपोजर का वितरण		
	निधि आधारित	41742.00	
	गैर-निधि आधारित	12079.73	
4.	आस्तियों की अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता (31.03.2011 को यथास्थिति आस्तियों की बकेट वार स्थिति)	(₹ करोड़ में)	
		आगला दिन	कुल
		2-7 दिन	5 वर्ष एवं अधिक
		8-14 दिन	
		15-28 दिन	
		29दिन-3माह	
		3-6माह	
		6-12 माह	
		1-3y वर्ष	
		3-5 वर्ष	
आस्ति		2042.93	5998.39
		4174.14	3677.17
		16628.69	9481.81
		7493.66	40289.05
		18069.74	43430.78
			151286.36
5	एनपीए की राशि (सकल)		1647.92
	5.1 अवमानक		767.79
	5.2 संदिग्ध 1		295.65
	5.3 संदिग्ध 2		186.81
	5.4 संदिग्ध 3		314.76
	5.5 हानिगत		82.91
6	निवल एनपीए		736.37
7	एनपीए अनुपात		
	7.1 सकल अग्रिम में सकल एनपीए		1.74%
	7.2 निवल अग्रिम में निवल एनपीए		0.79%
8	एनपीए का संचलन (सकल)		
	8.1 अथ शेष		1221.80
	8.2 वृद्धि		1747.07
	8.3 कमी		1320.95
	8.4 इतिशेष		1647.92
9	एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन		
	9.1 अथ शेष		1751.65
	9.2 इस अवधि के दौरान किए गए प्रावधान		800.00
	9.3 राइट ऑफ		719.90
	9.4 अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक		31.80
	9.5 इतिशेष		863.55
10	अनर्जक निवेश की राशि		2.40
11	अनर्जक निवेश हेतु किए गए प्रावधानों की राशि		2.40
12	निवेश के मूल्यहास हेतु प्रावधानों का संचलन		
	12.1 अथ शेष		251.80
	12.2 इस अवधि के दौरान किया गया प्रावधान		130.85
	12.3 राइट ऑफ		0.00
	12.4 अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक		84.87
	12.5 इति शेष		297.78

Table DF – 4

CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures

1. Credit Risk:

- 1.1. Lending involves a number of risks. Credit Risk is broadly the probability of losses associated with diminution in the credit quality of borrowers or counterparties.
- 1.2. Credit Risk or default risk involves inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, hedging, settlement and other financial transactions. The Credit Risk is generally made up of transaction risk or default risk and portfolio risk.
- 1.3. Credit approving authority, prudential exposure limits, industry exposure limits, credit risk rating system, risk based pricing, loan review mechanism and Credit Risk Mitigants are the instruments used by the bank for credit risk management. Credit risk is controlled through segmental exposure limits to various industries and sectors, prudential exposure and substantial exposure ceilings and risk mitigation by obtaining collateral and guarantees.

2. Credit Risk Management Policies:

- 2.1 The Bank has put in place a well-structured Credit Risk Management Policy duly approved by the Board. The Policy document defines organizational structure, role and responsibilities and the processes whereby the Credit Risks carried by the Bank can be identified, quantified, managed and controlled within the framework which the Bank considers consistent with its mandate and risk tolerance limits.
- 2.2 Credit Risk is monitored by the Bank account wise and compliance with the risk limits / exposure cap approved by the Board is ensured. The quality of internal control system is also monitored and in-house expertise has been built up to tackle all the facets of Credit Risk.
- 2.3 The Bank has taken earnest steps to put in place best Credit Risk Management practices. In addition to Credit Risk Management Policy, the Bank has also framed Board approved Lending Policy, Investment Policy, Country Risk Management Policy, Recovery Policy etc. which form integral part in monitoring of credit risk and ensures compliance with various regulatory requirements, more particularly in respect of Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Statutory Authorities.
- 2.4 Besides, the Bank has also put in place a Board approved policy on Credit Risk Mitigation & Collateral Management which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interests of the Bank. These securities act as mitigants against the credit risk to which the Bank is exposed.

3. Architecture and Systems of the Bank:

- 3.1 A Sub-Committee of Board of Directors termed as Risk Management Committee (RMC) has been constituted to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- 3.2 A Credit Risk Management Committee of executives has been set up to formulate and implement various credit risk strategies including lending policy and to monitor Bank's Risk Management functions on a regular basis.

4. Credit Appraisal / Internal Rating:

- 4.1 The Bank manages its credit risk through continuous measuring and monitoring of risks at each obligor (borrower) and portfolio level. The Bank has robust internally developed credit risk grading / rating modules and well-established credit appraisal / approval processes.
- 4.2 The internal risk rating / grading modules capture quantitative and qualitative issues relating to management risk, business risk, industry risk, financial risk and project risk. Besides, such ratings consider transaction specific credit enhancement features while assessing the overall rating of a borrower. The data on industry risk is constantly updated based on market conditions.
- 4.3 The rating for every borrower is reviewed. As a measure of robust credit risk management practices, the bank has implemented a three tier system of credit rating process for the loan proposals sanctioned at Head Office Level and two tier system at Zonal Office/ Branch level which includes validation of rating independent of credit department. For the proposals falling under the powers of Bank's Head Office, the validation of ratings is done at Risk Management Department.
- 4.4 The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of loans. Credit Grid has been constituted at Head Office and Field General Manager's levels for considering fresh / enhancement proposals. A structure named New Business Group (NBG) headed by CMD has been constituted at Head Office level for considering in-principle approval for taking up fresh credit proposals above a specified cut-off point. The Bank has put in place a risk management framework for new products which lay down minimum processing / assessment norms to assess risk in a New Product prior to its introduction.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)	
1	Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.		
	1.1 Fund Based	94570.93	
	1.2 Non Fund Based	13788.87	
2	Geographic distribution of exposures		
	2.1 Overseas		
	2.1.1 Fund Based	2902.98	
	2.1.2 Non Fund Based	122.78	
	2.2 Domestic		
	2.2.1 Fund Based	91667.95	
	2.2.2 Non Fund Based	13666.09	
3	Industry type distribution of exposures		
	Fund based	41742.00	
	Non Fund based	12079.73	

4. Residual contractual maturity breakdown of assets (bucket wise position of assets as on 31.03.2011) (₹ in crores)

	Next day	2-7 ds	Over 8-14 ds	15-28 ds	29ds-3mth	3-6mths	6-12 mths	1-3yrs	3-5yrs	5 years & Over	Total
ASSETS	2042.93	5998.39	4174.14	3677.17	16628.69	9481.81	7493.66	40289.05	18069.74	43430.78	151286.36

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)	
5	Amount of NPAs (Gross)		1647.92
	5.1 Substandard	767.79	
	5.2 Doubtful 1	295.65	
	5.3 Doubtful 2	186.81	
	5.4 Doubtful 3	314.76	
	5.5 Loss	82.91	
6	Net NPAs		736.37
7	NPA Ratios		
	7.1 Gross NPAs to gross advances		1.74%
	7.2 Net NPAs to net advances		0.79%
8	Movement of NPAs (Gross)		
	8.1 Opening balance		1221.80
	8.2 Additions		1747.07
	8.3 Reductions		1320.95
	8.4 Closing balance		1647.92
9	Movement of provisions for NPAs		
	9.1 Opening balance	751.65	
	9.2 Provisions made during the period	800.00	
	9.3 Write-off	719.90	
	9.4 Write-back of excess provisions	31.80	
	9.5 Closing Balance		863.55
10	Amount of Non-Performing Investments		2.40
11	Amount of provisions held for non-performing investments		2.40
12	Movement of provisions for depreciation on investments		
	12.1 Opening balance	251.80	
	12.2 Provisions made during the period	130.85	
	12.3 Write-off	0.00	
	12.4 Write-back of excess provisions	84.87	
	12.5 Closing balance		297.78

सारणी डीएफ - 5

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन संविभागों हेतु प्रकटीकरण

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

1. सामान्य सिद्धांत :

भारिबैंक के दिशानिर्देशानुरूप, बैंक ने 31.03.2008 से ऋण जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए नई पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएफ) के मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया है। पूँजी के परिकलन हेतु बैंक ने विभिन्न आस्ति वर्गों के लिए भारिबैंक द्वारा यथाप्रस्तावित जोखिम भार समनुदेशित किए हैं।

2. बाह्य क्रेडिट रेटिंग :

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुमति प्रदान की है कि वे घरेलू निदेश की जोष में भारिता मारने हेतु निम्नलिखित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, नामतः (क) क्रेडिट एनालिस्ट एंड रिसर्च लि. (केयर) (ख) क्रिसिल लि. (ग) फिच इंडिया लि. एवं (घ) इकरा लि. और अंतराष्ट्रीय निवेश हेतु (क) स्टैंडर्ड एंड पूअर (ख) मूडीज (ग) फिच रेटिंग का उपयोग करें। उपर्युक्त दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित ईसीआरए द्वारा “दावों की रेटिंग पर नीति” के अंतर्गत इन सभी ईसीआरए द्वारा समनुदेशित रेटिंग को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

2.2 बाह्य रेटिंग प्रक्रिया को सरलीकृत बनाने और ग्राहकों को उनके एक्सपोजर हेतु बाह्य रेटिंग कराने के लिए बैंक ने इन चार ईसीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। बैंक इन बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उधारकर्ताओं के किसी भी प्रकार के एक्सपोजर के लिए समनुदेशित रेटिंग को प्रयोग करेगा। पिछले 15 माह के दौरान नई समनुदेशित या समीक्षाकृत रेटिंग को ही बैंक द्वारा पूँजी परिकलन हेतु संज्ञान में लिया जाएगा। जिन मामलों में उधारकर्ता के पास बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की एक से अधिक रेटिंग है, पूँजी प्रथम के परिकलन हेतु जोखिम भार समनुदेशित करने के लिए भारिबैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाय। तदनुसार, बैंक ने 31.03.2011 को यथास्थिति कारपोरेट एवं पीएसई खंड के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु पूँजी के परिकलन के लिए बैंक की अनुमोदित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उधारकर्ता के ऋण एक्सपोजर हेतु समनुदेशित रेटिंग पर विचार किया है।

2.3 कारपोरेट / पीएसई के विशेष इश्यु में बैंक के निवेश के मामले में अनुमोदित बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की उस खास इश्यु हेतु समनुदेशित रेटिंग को संज्ञान में लिया गया है और तदनुसार, भारिबैंक के दिशानिर्देशों में दिये गए रेटिंग स्केल से समरूप मैपिंग के उपरांत जोखिम भार आबंटित किया गया है।

2.4 बैंक बड़े कारपोरेट/ पीएसई उधारकर्ताओं को ईसीआरए से रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देता है और जहां रेटिंग उपलब्ध है वहां बैंक ने जोखिम भारित आस्तियों की गणना हेतु इन रेटिंग का प्रयोग किया है।

क्रम सं.	परिमाणुात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम उपशमन के बाद राशियों के एक्सपोजर हेतु निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में बैंक का बकाया (निर्धारित एवं अनिर्धारित) साथ ही जो घटाए गए हैं।	
	1.1.(क) 100% जोखिम भारत से कम - (निधिक)	47492.07
	1.1.(ख) 100% जोखिम भारत से कम -(गैर- निधिक)	47629.34
	1.2.(क) 100% जोखिम भारत -(निधिक)	38157.55
	1.2 (ख) 100% जोखिम भारत- (गैर- निधिक)	12118.94
	1.3 (क) 100% जोखिम भारत से अधिक -(निधिक)	8481.54
	1.3 (ख) 100% जोखिम भारत से अधिक- (गैर-निधिक)	2689.86
	1.4 घटाया गया	—

Table DF – 5

CREDIT RISK : DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDIZED APPROACH

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures	
1. General Principle:	In accordance with the RBI guidelines, the Bank has adopted Standardized Approach of the New Capital Adequacy Framework (NCAF) for computation of capital for credit risk with effect from 31.03.2008. In computation of capital, the Bank has assigned risk weights to different asset classes as prescribed by the RBI.
2. External Credit Ratings:	<p>2.1 The Reserve Bank of India has permitted Banks to use the external ratings of the following External Credit Rating Agencies (ECRAs) namely (a) Credit Analysis and Research Ltd. (CARE), (b) CRISIL Ltd., (c) FITCH India Ltd. and (d) ICRA Ltd for mapping of risk weights for domestic exposures and (a) Standard & Poor (b) Moody's (c) Fitch for international exposure. In consideration of the above guidelines, the Bank has decided to accept the ratings assigned by all these ECRAs, under the Policy on Rating of Claims by ECRAs duly approved by the Board.</p> <p>2.2 In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposures smoothly, the Bank has taken initiatives by entering into separate MOU with all these four ECRAs. The Bank shall use the ratings assigned for any type of exposures by any of these ECRAs as accepted and provided by the borrowers. External ratings assigned, fresh or reviewed, at least during the previous 15 months shall only be reckoned for capital charge computation by the bank. Wherever, a borrower possesses more than one rating from ECRAs, the guidelines prescribed by the RBI is followed as regards to assignment of risk weight for computation of capital. Accordingly, the Bank has taken into consideration the borrower's loan exposure ratings assigned by approved ECRAs, while computing capital for credit risk as on 31.03.2011 under segments namely Corporates and PSEs.</p> <p>2.3 In case of Bank's investment in particular issues of Corporate / PSEs, the issue specific rating of the approved ECRAs are reckoned and accordingly the risk weights have been applied after a corresponding mapping to rating scale provided in RBI guidelines.</p> <p>2.4 The Bank encourages large corporate/ PSE borrowers to solicit ratings from ECRAs and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available.</p>

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)
1	For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of the Bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
1.1	(a) Below 100 % risk weight (Funded)	47492.07
1.1	(b) Below 100 % risk weight (Non- Funded)	47629.34
1.2	(a) 100 % risk weight (Funded)	38157.55
1.2	(b) 100 % risk weight (Non- Funded)	12118.94
1.3	(a) More than 100 % risk weight (Funded)	8481.54
1.3	(b) More than 100 % risk weight (Non- Funded)	2689.86
1.4	Deducted—	

सारणी डीएफ - 6

ऋण जोखिम समापन : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

- संपत्ति, संयंत्र और मशीनरी के मूल्यन संबंधी एक व्यापक नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई हैं।
- जोखिम शमन हेतु बैंक द्वारा सामान्यतया उपयोग किए जाने वाले संपार्श्विकों में वित्तीय संपार्श्विक (अर्थात बैंक जमा राशि, सरकारी/डाक प्रतिभूति, जीवन बीमा पॉलिसियां, स्वर्ण आभूषण, म्यूचुअल फंड यूनिट आदि), विभिन्न श्रेणी की चल और अचल आस्तियां/भू संपत्ति आदि शामिल होती हैं।
- जहाँ व्यक्तिगत/कारपोरेट गारंटी अपेक्षित होती है, वहाँ उधारकर्ता कंपनी/कारपोरेट की फ्लैगशिप ग्रुप कंपनी में शेयर रखने वाले समूह के प्रमुख सदस्यों की गारंटी को वरीयता दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी अनुमानित निवल संपत्ति उनके गारंटीकर्ता बनने के लिए पर्याप्त हो।
- विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित संपार्श्विक प्रबंधन एवं ऋण जोखिम समापन के संबंध में एक सुस्पष्ट नीति अपनाई है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ने मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत ऋण जोखिम समापन के संबंध में एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत प्रतिभूतियों में निहित राशि तक निविष्ट राशि को प्रभावी रूप से कम करते हुए निविष्टियों के बदले प्रतिभूतियों (प्राथमिक एवं संपार्श्विक) को पूर्ण समंजन की अनुमति भी दी गई है। इस प्रकार ऋण जोखिम पूंजी के परिकलन में ऋण निविष्टियों को कम करने हेतु पात्र वित्तीय निविष्टियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बैंक ने इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप इन विशिष्ट प्रतिभूतियों को अभिज्ञात किया है : (क) बैंक जमाराशियाँ (ख) जीवन बीमा पॉलिसियाँ (ग) एनएससी/केवीपी (घ) सरकारी प्रतिभूतियाँ।
- इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम समापन के अन्य अनुमोदित स्वरूप हैं : “ऑन बैलेंस शीट नेटिंग ” और “पात्र गारंटियों ” की उपलब्धता। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उधारकर्ता को दिये गये ऋण/ अग्रिम के सापेक्ष उपलब्ध जमाराशियों की सीमा (निविष्टि की सीमा तक) तक ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को अभिज्ञात किया गया। इसके अतिरिक्त, ऋण जोखिम पूंजी के परिकलन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समापन एवं लागू जोखिम भार हेतु इन गारंटियों के स्वरूप को लिया जाता है : (क) केन्द्र सरकार की गारंटी (0%), (ख) राज्य सरकार (20%) (ग) सीजीटीएमएसई (0%) (घ) ईसीजीसी (20%) (ङ.) साख पत्र के तहत क्रय किए गए/भुनाए गए बिल के रूप में गारंटी (20% या विदेशी बैंकों की रेटिंग के अनुसार)।
- समापन हेतु पात्र सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ वित्तीय प्रतिभूतियों के रूप में आसानी से बदली जाती हैं। इस प्रकार बैंक द्वारा अभिज्ञात ऋण जोखिम समापक प्रक्रिया में संकेन्द्रण जोखिम के निराकरण हेतु कोई सीमा/उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
क.	पृथक रूप से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग हेतु, कुल एक्सपोजर (जहां प्रयोज्य हो वहां ऑन अथवा ऑफ बैलेंस शीट की नेटिंग के पश्चात) जो कटौती के पश्चात, पात्र वित्तीय संपार्श्विक रूप से सुरक्षित है	5257.18
ख.	पृथक रूप से प्रकटीकृत ऋण जोखिम संविभाग हेतु, कुल एक्सपोजर (जहां प्रयोज्य हो वहां ऑन अथवा ऑफ बैलेंस शीट की नेटिंग के पश्चात) जो गारंटी/क्रेडिट डिराइवेटिव द्वारा सुरक्षित है (जब कभी भारिबैं द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है)	शून्य

Table DF – 6

CREDIT RISK MITIGATION : DISCLOSURES FOR STANDARISED APPROACHES

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures	
1.	A comprehensive policy on valuation of property, plant & machinery, has been approved by the Board.
2.	The collaterals commonly used by the Bank as the risk mitigants comprise of the financial collaterals (i.e., bank deposits, govt./postal securities, life insurance policies, gold jewellery, units of mutual funds etc.), various categories of movable and immovable assets/landed properties etc.
3.	Where personal/corporate guarantee is considered necessary, the guarantee is preferably that of the principal members of the group holding shares in the borrowing company/ flagship Group Company of corporate. It is ensured that their estimated net worth is substantial enough for them to stand as guarantors.
4.	In line with the regulatory requirements, the Bank has put in place a well-articulated Policy on Credit Risk Mitigation and Collateral Management duly approved by the Bank's Board.
5.	As advised by RBI, the Bank has adopted the comprehensive approach relating to credit risk mitigation under Standardised Approach, which allows fuller offset of eligible securities against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the securities. Thus the eligible financial collaterals have been used to reduce the credit exposure in computation of credit risk capital. In doing so, the Bank has recognised specific securities namely (a) Bank Deposits (b) Life Insurance Policies (c) NSCs / KVPs (d) Government Securities, in line with the RBI guidelines on the matter.
6.	Besides, other approved forms of credit risk mitigation are "On Balance Sheet Netting" and availability of "Eligible Guarantees". On balance sheet netting has been reckoned to the extent of the deposits available against the loans/ advances of the borrower (to the extent of exposure) as per the RBI guidelines. Further, in computation of credit risk capital, the types of guarantees recognized for mitigation and applicable Risk Weights, in line with RBI Guidelines are (a) Central Government Guarantee (0%) (b) State Government (20%) (c) CGTMSE (0%) (d) ECGC (20%) (e) Bank guarantee in form of bills purchased/discounted under Letter of Credit (20% or as per rating of foreign banks).
7.	All types of securities eligible for mitigation are easily realizable financial securities. As such, presently no limit/ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)
(a)	For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	5257.18
(b)	For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	Nil

सारणी डीएफ - 7

प्रतिभूतिकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटीकरण

31.03.2011 को यथास्थिति

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
क.	<p>प्रतिभूति और उनके संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नलिखित पर चर्चा शामिल हैं :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक के उद्देश्य, उस सीमा तक जिसके तहत ये गतिविधियाँ प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के ऋण जोखिमों को बैंक से इतर हस्तियों में अंतरित करती हैं। ● अन्य जोखिम (अर्थात तरलता जोखिम) प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित हैं। ● बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण कार्रवाई में निभाई गई विभिन्न भूमिकाएं (अर्थात ओरिजनेटर, निवेशक, सर्विसर, ऋण वृद्धि प्रदाता, तरलता प्रदाता) और प्रत्येक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत ● प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के ऋण और बाजार जोखिम में परिवर्तन की मानिट्रिंग करने वाली प्रक्रिया का विवरण (अर्थात पूर्वाधिकार आस्तियां किस प्रकार प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर पर प्रभाव डालती है जैसा कि दिनांक 01.07.2009 के एनसीएएफ संबंधी मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित है।) ● प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के माध्यम से जोखिम के शमन हेतु ऋण जोखिम शमन के प्रयोग को शासित करने वाली बैंक की नीति का विवरण 	31.3.2011 को समाप्त वर्ष हेतु कोई प्रतिभूतिकरण नहीं।
ख.	<p>प्रतिभूतिकरण गतिविधियों हेतु बैंक की लेखा नीतियों का सार, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● क्या लेनदेनों को बिक्री या वित्तपोषण माना जाता है। ● धारित अथवा क्रय की गई स्थितियों के मूल्यन हेतु प्रयोग में लाई गई पद्धतियां और प्रमुख पूर्वानुमान। ● पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख पूर्वानुमानों में परिवर्तन और इन परिवर्तनों का प्रभाव। ● प्रतिभूतिकृत आस्तियों हेतु वित्तीय सहायता के लिए अपेक्षित व्यवस्था करने हेतु तुलनपत्र संबंधी देयताओं को अभिज्ञात करने की नीतियां 	शून्य
(ग)	<p>बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण हेतु प्रयुक्त ईसीएआई का नाम और प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के प्रकार जिसके लिए अलग-अलग एंजिसवों को लगाया जाता है।</p>	अप्रयोज्य
क्रम सं.	गुणात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही	(राशि रु. करोड़ में)
घ.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत कुल बकाया एक्सपोजर	
ङ.	चालू अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर और एक्सपोजर के स्वरूप (अर्थात क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, ऑटो ऋण आदि)के अनुसार बैंक द्वारा अभिज्ञात हानियाँ।	
च.	वर्ष के अंदर प्रतिभूतिकृत हेतु अभिप्रेत आस्तियों की राशि	
छ.	वर्ष के अंदर उत्पन्न आस्तियों की राशि	
ज.	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार) और एक्सपोजर स्वरूप की बिक्री पर अनभिज्ञात लाभ अथवा हानि	
झ.	<p>निम्नानुसार सकल राशि</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए ऑन बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर। ● एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार ऑफ बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर 	
ञ.	<p>एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत धारित या क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की सकल राशि और निवेश के बीच तथा प्रत्येक नियामक पूंजीगत दृष्टिकोण हेतु विभिन्न जोखिम भारित बैंड में अतिरिक्त ब्रेक डाउन किए गए संबंधित पूंजी प्रभार</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पूर्णतया टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोजर, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धि वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार) 	शून्य

क्रम सं.	गुणात्मक प्रकटीकरण: ट्रेडिंग बही	(राशि ₹ करोड़ में)
<p>ट.</p> <p>ठ.</p> <p>ड.</p> <p>ढ.</p>	<p>बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोजर धारित किया है और जो एक्सपोजर स्वरूप के अनुरूप प्रतिभूतिकरण बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अध्यक्षीन है।</p> <p>निम्नानुसार सकल राशि</p> <ul style="list-style-type: none"> ● एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए ऑन बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर। ● एक्सपोजर स्वरूप के विश्लेषण के अनुसार ऑफ बैलेंसशीट प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर <p>प्रतिधारित अथवा क्रय किए गए प्रतिभूतिकरण की सकल राशि निम्नानुसार पृथक रूप से:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● विनिर्दिष्ट जोखिम हेतु व्यापक जोखिम उपाय के अध्यक्षीन प्रतिधारित अथवा क्रय किया गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर ● विभिन्न जोखिम भारिता बैंड में विनिर्दिष्ट जोखिम विश्लेषण हेतु प्रतिभूतिकरण संरचना के अध्यक्षीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर <p>निम्नलिखित की सकल राशि</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पूंजी अपेक्षा हेतु प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर, विभिन्न जोखिम भारिता बैंड में विश्लेषित प्रतिभूतिकरण संरचना के अध्यक्षीन <p>पूर्णतया टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोजर, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धि वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य एक्सपोजर (एक्सपोजर स्वरूप के अनुसार)</p>	<p>शून्य</p>

Table DF-7

SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH QUALITATIVE DISCLOSURES

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures		
(a)	<p>The general qualitative disclosure requirement with respect to securitisation, including a discussion of:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities; ● the nature of other risks (e.g., liquidity risk) inherent in securitized assets ● the various roles played by the Bank in the securitization process (e.g., originator, investor, servicer, provider of credit enhancement, liquidity provider) and an indication of the extent of the Bank's involvement in each of them ● a description of the process in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures (e.g., how the behavior of the underlying assets impacts securitization exposures as defined in para 5.16.1 of the Master Circular on NCAF dated 01.07.2009) ● a description of the Bank's Policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures 	No securitization during the year ended 31.03.2011
(b)	<p>Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Whether the transactions are treated as sales or financings ● Methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased ● Changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes ● Policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the Bank to provide financial support for securitised assets. 	Nil.
(c)	<p>In the banking book, the names of ECAs used for securitisations and the types of securitisation exposure for which each agency is used.</p>	Not Applicable

SL No	Quantitative Disclosures : Banking Book	(Amount ₹ in Crores)
(d)	The total amount of exposures securitised by the bank	Nil.
(e)	For exposures securitized, losses recognised by the bank during the current period broken down by exposure type (e.g., credit cards, housing loans, auto loans, etc. detailed by underlying security)	
(f)	Amount of assets intended to be securitized within a year	
(g)	Of (f), amount of assets originated within a year	
(h)	Total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	
(i)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> ● on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and ● off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type 	
(j)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach <ul style="list-style-type: none"> ● Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital (by exposure type). 	

SL No	Quantitative Disclosures : Trading Book	(Amount ₹ in Crores)
(k)	Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	Nil.
(l)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> ● on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; ● off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type. 	
(m)	Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:	
	<ul style="list-style-type: none"> ● securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands. 	
(n)	Aggregate amount of: <ul style="list-style-type: none"> ● the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● securitisation exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital(by exposure type). 	

सारणी डीएफ - 8

बाजार जोखिम : व्यापार बही में बाजार जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बाजार जोखिम :

- बाजार जोखिम को ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, इक्विटी मूल्य और पण्य वस्तुओं के मूल्य जैसे बाजार के उतार-चढ़ाव वाले परिवर्तनों/संचलनों से उत्पन्न स्थिति के कारण बैंक को होने वाले हानि की संभावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। बाजार जोखिम में बैंक का एक्सपोजर व्यवसाय बहियों (एएफएस और एचएफटी श्रेणी) में घरेलू निवेशों (ब्याज संबंधी लिखतों एवं इक्विटियों), विदेशी मुद्रा विनिमय स्थितियों से उत्पन्न होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य आगम एवं इक्विटी पर हानि के प्रभाव को कम करना।
- बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु नीतियाँ :**
बैंक में बाजार जोखिम प्रभावी प्रबंधन हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन नीति और आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति कार्यरत है। अन्य नीतियाँ जो बाजार जोखिम प्रबंधन से भी संबंध रखती हैं वे हैं, निवेश नीति, विदेशी मुद्रा परिचालनों पर जोखिम प्रबंधन नीति, फारेक्स मार्केट में ट्रेडिंग हेतु नीतिगत दिशानिर्देश और व्युत्पन्न नीति। यह नीति बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु विविध जोखिम सीमाओं को तय करती है और सुनिश्चित करती है कि ये परिचालन उपयुक्त आस्ति देयता प्रबंधन के माध्यम से बाजार जोखिम के प्रतिफल की बैंक की प्रत्याशा के अनुरूप हैं। यह नीति बाजार जोखिम के प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु रिपोर्टिंग संरचना के रूप में भी कार्य करती है।
- आस्ति देयता प्रबंधन नीति विशिष्ट रूप से तरलता जोखिम प्रबंधन और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क के संबंध में भी कार्य करती है। तरलता जोखिम का प्रबंधन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम डाटा कवरेज के आधार पर दैनिक आधार पर आस्ति एवं देयताओं के अवशिष्ट परिपक्वता/व्यवहारगत पैटर्न के आधार पर जीएपी विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है। बैंक ने अल्पकालिक सशक्त तरलता प्रबंधन और समाश्रित निवेश योजना की प्रक्रिया अपनाई है। प्रभावी आस्ति देयता प्रबंधन हेतु विभिन्न अवशिष्ट परिपक्वता समय वर्गों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएँ निर्धारित की हैं। बैंक की लिक्विडिटी प्रोफाइल को विभिन्न लिक्विडिटी अनुपातों के माध्यम से मूल्यांकित किया जाता है।
- दर संवेदी आस्ति एवं देयताओं के जीएपी विश्लेषण के माध्यम से ब्याज दर जोखिम को प्रबंधित किया जाता है और निर्धारित मानकीकृत सीमाओं के माध्यम से उनकी निगरानी की जाती है। शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के उद्देश्य से ब्याज दर में प्रतिकूल संचलन (नीति में यथानिर्धारित) के सापेक्ष निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) पर प्रभाव के आकलन हेतु बैंक जोखिम पर लाभार्जन और संशोधित अवधि अंतर को आवधिक आधार पर आकलित करता है।
- बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों की निगरानी आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड द्वारा की जाती है और आस्ति देयता प्रबंधन नीति में निर्धारित उपायों के अनुरूप बाजार की स्थिति (चालू एवं प्रत्याशित) के सापेक्ष रणनीति निर्धारित करता है। ट्रेजरी में मिडिल ऑफिस ग्रुप भी निरंतर आधार पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन की निगरानी करता है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण	(राशि ₹ करोड़ में)
1.	बाजार जोखिम हेतु कुल पूँजी आवश्यकताएँ	460.18
	1.1 ब्याज दर जोखिम	348.90
	1.2 इक्विटी स्थिति जोखिम	2.71
	1.3 विदेशी विनिमय जोखिम	108.57

Table DF – 8

MARKET RISK IN TRADING BOOK

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures	
a)	<p>Market Risk:</p>
1.	<p>Market Risk is defined as the possibility of loss caused by changes/movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to Market risk arises from investments (interest related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the market risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.</p>
2.	<p>Policies for Management of Market Risk:</p> <p>The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy for effective management of Market Risk in the bank. Other policies, which also deal with market risk management, are Investment policy, Policy on Risk Management of Foreign Exchange Operations, Policy Guidelines for Undertaking Trading in Forex Market and Policy on Derivatives. The policies set various risk limits for effective management of Market Risk and ensuring that the operations are in line with Bank's expectation of return to market risk through proper Asset Liability Management. The policies also deal with the reporting framework for effective monitoring of Market Risk.</p>
3.	<p>The ALM Policy specifically deals with liquidity risk management and interest rate risk management framework. As envisaged in the policy, Liquidity Risk is managed through GAP analysis, based on residual maturity/behavioral pattern of assets and liabilities, on a daily basis based on best available data coverage, as prescribed by the RBI. The bank has put in place mechanism of Short Term Dynamic Liquidity Management and Contingent Funding Plan. Prudential (Tolerance) limits are prescribed for different residual maturity time buckets for efficient Asset Liability Management. Liquidity profile of the Bank is evaluated through various liquidity ratios.</p>
4.	<p>Interest Rate Risk is managed through use of Gap analysis of rate sensitive assets and liabilities and monitored through prudential (tolerance) limits. The Bank estimates Earnings at Risk (EaR) periodically against adverse movements in interest rate (as prescribed in the policy) for assessing the impact on Net Interest Income and Economic Value of Equity (EVE) with a view to optimize shareholder value.</p> <p>The Asset Liability Management Committee (ALCO)/Board monitors adherence of prudential limits fixed by the Bank and determines the strategy in light of market conditions (current and expected) as articulated in the ALM policy. The Mid Office at the Treasury also monitors adherence of prudential limits on a continuous basis.</p>

SL No	Quantitative Disclosures	(Amount ₹ in Crores)	
1.	The total capital requirements for Market Risk		460.18
1.1	Interest rate risk	348.90	
1.2	Equity position risk	2.71	
1.3	Foreign exchange risk	108.57	

सारणी डीएफ - 9

परिचालनगत जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण	
1.	परिचालन जोखिम से तात्पर्य, अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, व्यक्तियों या प्रविधियों या बाहरी घटनाओं के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। परिचालनगत जोखिम में कानूनी जोखिम शामिल है परन्तु रणनीतिक या प्रतिष्ठागत जोखिम शामिल नहीं है।
2.	बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति निरूपित की है। परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन से जुड़ी हुई बोर्ड द्वारा अंगीकृत अन्य नीतियाँ हैं : (क) अनुपालन जोखिम प्रबंधन नीति (ख) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति (ग) अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और एन्टी मनी लॉन्डरिंग (एएमएल) से संबंधित नीतिगत दस्तावेज (घ) सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा निवारण योजना (ङ) धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति आदि।
3.	बैंक द्वारा अंगीकृत परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति में संगठनात्मक संरचना एवं परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु ब्योरेवार प्रक्रियाओं को सुस्पष्ट किया गया है। इस नीति का मूल उद्देश्य परिचालनगत जोखिमों को प्रभावी रूप से नियंत्रित, समाप्त, अभिज्ञात, मूल्यांकित एवं चिह्नित करने और भौतिक परिचालनगत हानियों सहित परिचालनगत जोखिम की समय पर रिपोर्टिंग हेतु दायित्वों के सुस्पष्ट समनुदेशन के द्वारा बैंक के दिन-प्रतिदिन की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रणाली को एकीकृत करना है। बैंक ने परिचालनगत जोखिमों को व्यापक एवं सुसम्बद्ध, आंतरिक नियंत्रक फ्रेमवर्क के माध्यम से प्रबंधित किया है।
4.	भारि बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अंतिम दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक ने परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी के आकलन के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है।
2.	दिशानिर्देशों के अनुसार परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथापरिभाषित विगत 3 वर्षों के धनात्मक वार्षिक सकल आय के 15 प्रतिशत के बराबर है। तदनुसार यथास्थिति 31.03.2011 को परिचालनगत जोखिम हेतु पूंजी अपेक्षा ₹ 624.95 करोड़ है।

Table DF – 9

OPERATIONAL RISK

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures	
1.	Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.
2.	The Bank has framed Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Compliance Risk Management Policy (b) Forex Risk Management Policy (c) Policy Document on Know Your Customers (KYC) and Anti Money Laundering (AML) Procedures (d) Business Continuity and Disaster Recovery Policy (e) Fraud Risk Management Policy etc.
3.	The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.
4.	In line with the final guidelines issued by RBI, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk.

Quantitative Disclosures	
1.	In line with the final guidelines issued by RBI, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital for Operational Risk.
2.	As per the guidelines, the capital for operational risk is equal to 15% of average positive annual Gross Income of previous three years as defined by RBI. Accordingly, the capital requirement for operational risk as on 31.03.2011 is ₹ 624.95 Crores.

सरणी डीएफ - 10

बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

31.03.2011 को यथास्थिति

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बैंकिंग बुक में ब्याज दर जोखिम :

1. ब्याज दर जोखिम, जोखिम की ऐसी स्थिति है जिसमें बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन से बैंक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। ब्याज दरों में परिवर्तनों से चालू लाभार्जनों (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) के साथ ही बैंक की निवल मालियत (आर्थिक मूल्य पर्सपेक्टिव) पर भी प्रभाव पड़ता है। लाभार्जन के दृष्टिकोण से जोखिम को निवल ब्याज आय (एनआईआई) या निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) के प्रभाव के रूप में मापा जा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण से जोखिम को इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) में कमी के रूप में मापा जा सकता है।
2. बैंक ब्याजदरों में अल्पकालिक (लाभार्जन दृष्टिकोण) एवं दीर्घकालिक (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) परिवर्तनों से संबद्ध जोखिम की पहचान करता है। आय पर प्रभाव (लाभार्जन दृष्टिकोण) को बैंक की एएलएम पॉलिसी में निर्धारित रूप में 100 बीपीएस तक अनुमानिक दर लगाते हुए जीएपी विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से मापा जाता है। लाभार्जन पर इसके प्रभाव के परिकलन हेतु परम्परागत अंतर को दर संवेदी विवरण से लिया जाता है और किसी खास मूल्यवर्ग के मध्य बिन्दु से शेष अवधि के आधार पर परिवर्तन के प्रभाव पर ब्याज दर में परिवर्तन को 100 बीपीएस तक आँका जाता है। इसकी रिपोर्टिंग आवधिक अंतराल पर दर संवेदी विवरण के साथ एएलसीओ एवं बोर्ड को की जाती है। विगत वर्ष के एनआईआई के आधार पर इन सीमाओं को निर्धारित किया जाता है।
3. बैंक द्वारा 200 बीपीएस के आनुमानिक ब्याज दर शॉक को लगाते हुए इक्विटी के आर्थिक मूल्य (आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण) पर प्रभाव को (प्रतिशत रूप में) आँकने के लिए परम्परागत जीएपी विश्लेषण के साथ ही साथ अवधिवार जीएपी विश्लेषण को अपनाया जाता है। बैंक द्वारा आवधिक जीएपी का विश्लेषण माह में एक बार किया जाता है (अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के आंकड़ों के आधार पर) और इसकी सूचना एएलसीओ/बोर्ड को दी जाती है।
4. बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अनुपालन की मॉनिटरिंग/समीक्षा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ)/बोर्ड द्वारा की जाती है और बाजार की स्थितियों (चालू एवं प्रत्याशित) के आधार पर रणनीतियाँ तय की जाती हैं।

क्रम सं.	परिमाणात्मक प्रकटीकरण (राशि रु. करोड़ में)	
1.	ब्याज दर में परिवर्तन	जोखिम पर आगम
	1.00%	33.83
2.	ब्याज दर में परिवर्तन	आर्थिक मूल्य में परिवर्तन
	2.00%	11.02%

Table DF – 10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Position as on 31.03.2011

Qualitative Disclosures	
(a) Interest Rate Risk in the Banking Book:	
1.	Interest Rate Risk is the risk which affects the bank's financial condition due to changes in the market interest rates. Changes in interest rates affect both the current earnings (earnings perspective) as also the net worth of the Bank (economic value perspective). The risk from earnings perspective can be measured as impact in the Net Interest Income (NII) or Net Interest Margin (NIM). Similarly, the risk from economic value perspective can be measured in the Economic Value of Equity (EVE).
2.	The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates in short term (Earnings perspective) and long term (Economic value perspective). The impact on income (Earnings perspective) is measured through use of Gap analysis by applying notional rate shock up to 100 bps as prescribed in Bank's ALM Policy. For the calculation of impact on earnings, the Traditional Gap is taken from the Interest Rate Sensitivity Statement and based on the remaining period from the midpoint of a particular bucket and the impact for change in interest rate up to 100 bps is arrived at. The same is reported to ALCO & Board along with the Interest Rate Sensitivity Statement periodically. The limits are fixed on the net worth.
3.	The bank has adopted Traditional Gap Analysis combined with Duration Gap Analysis for assessing the impact on the Economic Value of Equity (Economic Value perspective) by applying a notional interest rate shock of 200 bps. The Duration Gap Analysis is calculated by the bank once in a month (based on the Last Reporting Friday data) and is reported to ALCO and Board.
4.	The Asset Liability Management Committee (ALCO) / Board monitors/reviews adherence of prudential limits fixed by the bank and determine the strategy in light of the market condition (current and future).

(Amount ₹ in Crores)

SL No.	Quantitative Disclosures	
1.	Change in Interest Rate 1.00%	Earning at Risk 33.83
2.	Change in Interest Rate 2.00%	Change in Economic Value 11.02%

1. कारपोरेट गवरनेन्स का दर्शन :

इलाहाबाद बैंक की कारपोरेट नीति, कारपोरेट गवरनेन्स के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर आधारित है। यह अर्थ-व्यवस्था की जरूरतों, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा कारपोरेट विकास के साथ ही साथ शेयरधारकों के महत्व को अत्यधिक मान देती है। बैंक अपनी समस्त गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए उच्च नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। बैंक खुलेपन तथा पूरी स्पष्टता के साथ सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रचलित मानदंडों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बैंक को ग्राहकों तथा शेयरधारकों के विश्वास की परम्परा हासिल होगी। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कारपोरेट उत्कृष्टता हासिल करना चाहता है।

- देश के कानूनी ढाँचे तथा नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों के अधीन शेयरधारकों का मान बनाए रखना।
- अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करना।
- अपने ग्राहकों तथा कर्मचारियों, निवेशकों और समाज के अन्य तबकों के लिए एक खुली एवं साफसुथरी स्थिति तैयार करना।
- समाज के सभी वर्गों के लिए निरपेक्ष एवं समान न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करना।

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 द्वारा शासित होता है। निदेशकगण बोर्ड को निपुणता की वैविध्यता तथा विस्तृत अनुभव प्रदान करते हैं जिससे बैंक को दक्ष एवं निष्पक्ष निदेश प्राप्त होता है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन पूर्णकालिक निदेशक हैं। अन्य निदेशकों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (क) निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :
- i) भारत सरकार
 - ii) कामगार
 - iii) अधिकारी कर्मचारी (फिलहाल पद रिक्त है)
- (ख) वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन अथवा पर्यवेक्षण के मामलों के संबंध में आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले एक निदेशक को भारतीय रिजर्व बैंक की संस्तुति पर केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- (ग) तीन स्वतंत्र शेयरधारक निदेशक
- (घ) भारत सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार निदेशक
- (ङ) तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (फिलहाल एक पद रिक्त है)

2.2. बोर्ड की समितियाँ

बोर्ड ने निम्नोक्तानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया है जो महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेष एवं संकेन्द्रित गवरनेन्स प्रदान करती हैं एवं बैंक के मामलों का नियंत्रण करती हैं :

1. Corporate Governance Philosophy

Allahabad Bank's corporate policy is based on sound principles of Corporate Governance. It holds high the shareholder's value while catering also to the need of the economy, national priorities and corporate growth. The Bank believes in high standard of ethical values, transparencies and disciplined approach to achieve excellence in all fields of activities. It is also committed to comply with the best international practices coupled with openness and fairness, which will lead the Bank to enjoy from customers and shareholders a Tradition of Trust. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by

- Upholding the shareholders' value within the principles of ethics and legal framework of the country.
- Extending best of services to its customers.
- Proclaiming a free and fair environment for its customers and employees, investors and other sections of the society at large.
- Ensuring a proactive management free from bias, ensuring fair justice to all sections of the society.

2. Board of Directors

2.1 The constitution of Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. The Directors bring in wide range of expertise and experience to the Board, facilitating proficient and unbiased direction to the Bank.

The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are three whole time Directors appointed by the Government of India. The other Directors include the following:-

- (a) A representative each of
 - i) Government of India (GOI)
 - ii) Workmen
 - iii) Officers Employees (Presently lying vacant)
- (b) One director possessing necessary expertise and experience in the matter relating to regulation or supervision of commercial bank, to be nominated by the Central Govt. on the recommendation of RBI
- (c) Three Independent Shareholders' Directors
- (d) One Chartered Accountants Director appointed by Government of India
- (e) Three part-time Non-Official Directors (One post presently lying vacant)

2.2 Committees of Board

The Board has constituted various committees as mentioned hereunder which provide specific and focused governance in the important functional areas and controls the affairs of the Bank: -

- बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबीओडी)
- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)
- जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
- निदेशकों की पदोन्नति समिति (डीपीसी)
- शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति (एसआईजीसी)
- सूचना प्रौद्योगिकी उपसमिति (आईटीएससी)
- धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)
- ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)
- परिलब्धि समिति (परि.समि)
- नामांकन समिति (नामां. समि)
- शेयर अंतरण समिति (एसटीसी)
- फ्लैट क्रय समिति (एफपीसी)
- शेयर आबंटन समिति (एसएससी)

- Management Committee of the Board (MCBOD)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Risk Management Committee (RMC)
- Directors' Promotion Committee (DPC)
- Shareholders'/ Investors' Grievances Committee (SIGC)
- Information Technology sub Committee (ITSC)
- Fraud Monitoring Committee (FMC)
- Customer Service Committee (CSC)
- Remuneration Committee (Remu. Comm)
- Nomination Committee (Nom. Com)
- Share Transfer Committee (STC)
- Flat Purchase Committee (FPC)
- Share Allotment Committee (SAC)

2.3 बोर्ड के दायित्वों में नीतियों का निर्धारण, नई पहल, कार्यनिष्पादन समीक्षा तथा नियंत्रण एवं बैंक के विभिन्न कार्याधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों के बाहर पड़ने वाले मामलों की संस्वीकृति शामिल है। बोर्ड ने विभिन्न समितियों का गठन किया है तथा विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। बोर्ड तथा उसकी समितियाँ आवधिक अंतरालों पर बैठकें करती हैं।

2.4 यथास्थिति 31.03.2011 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नवत है :

2.3 The responsibilities of the Board include formulation of policies, new initiatives, performance review and control and sanction of cases falling beyond the powers delegated to various functionaries of the Bank. Board has constituted various committees and delegated powers for different functional areas. The Board as well as its committees meets at periodic intervals.

2.4 The composition of the Board of Directors as on 31-03-2011 was as under:

नाम Name	पदनाम Designation	नियुक्ति की तिथि Date of appointment	अन्य बोर्ड समितियों की सदस्यता Membership of other Board & Committees	अन्य डाइरेक्टरिशप की सं. No of other Directorship(s)
1. श्री जे.पी. दूआ Shri J.P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	04-12-2009*	10	2
2. श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	07-12-2009	9	1
3. श्री एम. आर. नायक Shri M.R. Nayak	कार्यपालक निदेशक Executive Director	22-01-2010	9	1
4. श्री एस. रामस्वामी Shri S. Ramaswamy	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक RBI Nominee Director	30-07-2010	4	—
5. श्रीमती सुकृति लिखि Smt. Sukriti Likhi	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	10-06-2008	7	1
6. श्री आर. एम. चतुर्वेदी Shri R.M.Chaturvedi	सनदी लेखाकार निदेशक Chartered Accountant Director	14-07-2010	4	—
7. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी Shri P.V.Gudireddy	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	28-04-2008	4	—
8. डा. शकील-उज़्-ज़मान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Part Time Non Official Director	08-05-2008	3	—
9. श्री गौर दास Shri Gour Das	कामगार निदेशक Workmen Employee Director	16-08-2010	3	—
10. श्री देवेश्वर कुमार कपिला Shri Deveshwar Kumar Kapila	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	30-06-2008	9	2
11. डा. वसन्त बाबुराव कौजलगी Dr. Vasant Baburao Kaujalgi	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	12-06-2009	3	—
12. श्री सुदीप चौधरी Shri Sudip Chaudhuri	शेयरधारक निदेशक Shareholders' Director	03-06-2010	4	—

* श्री जे. पी. दूआ 07-11-2007 से 03-12-2009 तक बैंक के कार्यपालक निदेशक थे

* Shri J.P. Dua was the Executive Director of the Bank from 07-11-2007 to 03-12-2009

नोट :

- (i) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन समस्त कंपनियों में, जिनके वे निदेशक हैं, में पाँच लेखा समिति/शेयरधारक शिकायत समितियों से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं।
- (ii) कोई भी निदेशक एक दूसरे के रिश्तेदार नहीं है।

2.5 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के बोर्ड में नियुक्त/निर्वाचित होकर कार्यभार ग्रहण करने वाले निदेशकों का परिचय निम्नानुसार है:

2.5.1 श्री एस. रामस्वामी, भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक

श्री एस. रामस्वामी ने 1982 में मुम्बई में रिज़र्व बैंक में ज्वाइन किया। उन्होंने मुम्बई के क्षेत्रीय कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्होंने भारिबैंक के चेन्नई, भोपाल, नागपुर एवं त्रिवेन्द्रम के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य किया है। वर्तमान में, वे केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में मुख्य महाप्रबंधक(सीजीएम), व्यय एवं बजट नियंत्रण के पद पर कार्यरत हैं। इसके पहले वे केरल एवं लक्षद्वीप के क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) के रूप में त्रिवेन्द्रम में कार्यरत थे।

श्री रामस्वामी दिनांक 30.07.2010 से इलाहाबाद बैंक में बतौर निदेशक कार्यरत हैं। वे एमबीए के साथ वाणिज्य स्नातक हैं तथा उन्होंने यू.एस.ए. के ड्यूक विश्वविद्यालय से अंतरराष्ट्रीय विकास नीति में एमए भी किया है। वे टेनिस एवं दर्शनशास्त्र में रुचि रखते हैं। उन्होंने मानव संसाधन विकास एवं विकास बैंकिंग में महारत हासिल की है।

2.5.2 श्री आर.एम.चतुर्वेदी, सरकार द्वारा नामित सनदी लेखाकार निदेशक

श्री चतुर्वेदी ऑनर्स के साथ वाणिज्य स्नातक हैं तथा सनदी लेखाकार का कार्य कर रहे हैं। उन्हें निवेश बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, प्रोजेक्ट डेट, सिंडिकेशन, सीडीआर, प्राइवेट ईक्विटी फंडिंग, प्रोजेक्ट टीईवी रिपोर्ट तैयार करने में और कारपोरेट उधार उपलब्ध कराने के संबंध में कारपोरेट परामर्श प्रदान करने में 26 वर्षों का व्यापक अनुभव है।

श्री चतुर्वेदी वर्तमान में मेसर्स आर.एम. चतुर्वेदी एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार से निवेश बैंकिंग एवं कारपोरेट टैक्स लॉ की परिधि में सभी परामर्श उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री चतुर्वेदी ने बैंक में सनदी लेखाकार श्रेणी के अन्तर्गत अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 14.07.2010 को कार्यभार ग्रहण किया।

2.5.3 श्री गौर दास, कामगार निदेशक

श्री गौर दास वाणिज्य के स्नातक हैं। उन्होंने इलाहाबाद बैंक में 1973 में ज्वाइन किया और वर्तमान में वे प्रधान कार्यालय, लेखन सामग्री विभाग में विशेष सहायक के पद पर कार्यरत हैं।

श्री गौर दास एक अच्छे वक्ता के साथ-साथ अखिल भारतीय बैंक कामगार संघ के तहत बैंक कर्मचारी समुदाय के ईमानदार यूनियन नेता भी हैं। वर्तमान में, वे अखिल भारतीय इलाहाबाद बैंक कर्मचारी समन्वय समिति (एआईबीईसीसी) के महासचिव, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) के संयुक्त सचिव, बंगाल प्रान्तीय बैंक कर्मचारी संघ (बीपीबीईए) के सचिव और इलाहाबाद बैंक कामगार यूनियन (एबीडब्ल्यूयू)(प.बं.) के महासचिव के पद संभाले हुए हैं।

श्री दास एआईबीईए की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में और भारतीय बैंकिंग पर संगोष्ठी में भाग लेने हेतु श्रीलंका और बंगलादेश का दौरा कर चुके हैं।

Note:

- (i) None of the directors on the Board is a member in more than 10 committees or acts as Chairman of more than five Audit Committee/ Shareholders' Grievance Committees across all companies in which he is a director.
- (ii) None of the Directors are relative of each other

2.5 The profile of the directors who were appointed/ elected on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2010-11 is furnished hereunder:

2.5.1 Shri S. Ramaswami , R.B. I. Nominee Director

Shri S. Ramaswami joined Reserve Bank of India in 1982 at Mumbai. He worked in various capacities at Regional Office and Central Office at Mumbai. He also worked at Regional Offices of RBI at Chennai, Bhopal, Nagpur and Trivendrum. At present he is working as Chief General Manager (CGM), Expenditure & Budgetary Control, at Central Office, Mumbai. Prior to this he was working as Regional Director (RD) of Kerala & Lakshadweep at Trivendrum.

Shri Ramaswami is associated with Allahabad Bank as Director since 30.07.2010. He is a commerce graduate with MBA and completed his M.A. in International Development Policy from Duke University, USA. His hobbies include Tennis & Philosophy. He has specialized in Human Resource Development and Development Banking.

2.5.2 Shri R.M. Chaturvedi, Government Nominee Chartered Accountant Director

Shri Chaturvedi is a commerce graduate with Honors and practicing Chartered Accountant. He has 26 years of vast experience in the ambit of Investment Banking, Merchant Banking, Project Debt, Syndication, CDR, Private Equity Funding, preparing Project TEV report and Corporate Advisory to lending Corporate.

Shri Chaturvedi is presently providing all advices within the ambit of Investment Banking & Corporate Tax Law from M/s R. M. Chaturvedi & Co., Chartered Accountants.

Shri Chaturvedi has joined the Bank as Part Time Non-Official Director under Chartered Accountant category w.e.f. 14.07.2010 for a period of three years.

2.5.3 Shri Gour Das, Workmen Employee Director

Shri Gour Das is a Commerce graduate. He joined Allahabad Bank in the year 1973 and presently working as Special Assistant at Head Office, Stationery Department.

Shri Gour Das is a good orator and staunch Trade Union Leader of Bank Employees Community under the banner of AIBEA. Presently, he is holding the posts of General Secretary of All India Allahabad Bank Employees' Coordination Committee (AIABECC), Joint Secretary of All India Bank Employees' Association (AIBEA), Secretary of Bengal Provincial Bank Employees Association (BPBEA) and General Secretary of Allahabad Bank Workers' Union (ABWU) (W.B.).

Shri Das had visited Srilanka and Bangladesh as a member of Indian delegation on behalf of AIBEA and for attending Seminar on Indian Banking.

श्री दास ने दिनांक 16.08.2010 से तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के निदेशक मंडल में कामगार कर्मचारी निदेश के रूप में कार्यभार संभाला।

2.5.4 श्री सुदीप चौधरी, शेयरधारक निदेशक

श्री सुदीप चौधरी ने वर्ष 1976 में उच्चतम रैंक (प्रथम श्रेणी) के साथ कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एम.ए. और वर्ष 1985 में नई दिल्ली के जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएच.डी. किया है। श्री चौधरी वर्ष 1990 से कोलकाता के भारतीय प्रबंध संस्थान में प्रोफेसर (अर्थशास्त्र समूह) के रूप में कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं जिनमें से 'उपेक्षित बीमारियों हेतु नई दवाइयां तैयार करने हेतु आर एवं डी' पर लिखा गया लेख नवीनतम है, जिसका प्रकाशन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड ग्लोबलाइजेशन में होने वाला है।

श्री चौधरी ने भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), न्युयार्क, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डबल्यूएचओ), जिनेवा हेतु परामर्शदाता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। उन्होंने निमंत्रित वक्ता के रूप में अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है जिनमें से प्रमुख हैं (i) ब्राजील में 'इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका एकेडमिक फोरम; ए पालिसी डायलॉग', (ii) जिनेवा में 'आईसीटीएसडी/यूएनसीटीएडी राउंड टेबल'; (iii) डेनमार्क में 'शिक्षण, नवोन्मेषण एवं दक्षता निर्माण प्रणाली के अर्थशास्त्र हेतु वैश्विक नेटवर्क पर 'ब्रिक्स कार्यशाला'; कोलम्बिया विश्वविद्यालय में न्यू यार्क इंटरलेक्च्युअल प्रॉपर्टी हेतु नए दृष्टिकोण पर सम्मेलन।

श्री चौधरी ने दिनांक 03-06-2010 से बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला एवं 29-06-2011 तक कार्य करेंगे।

3. 2010-11 के दौरान आयोजित बोर्ड / समिति की बैठक का विवरण

3.1 बैठकों में वर्तमान एवं पिछले निदेशकों की उपस्थिति का विवरण।

क्र० सं०	निदेशक का नाम	बोर्ड	एम एम	ए एम	आर एम	डी पी	एस आई	आई जी टी एस	एफ एम	सी एस	परिलब्ध नामा. समिति	एस टी	एफ पी	एस ए	
S.N.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	DPC	SIGC	ITSC	FMC	CSC	Remu. Com.	Nom Com	STC	FPC	SAC
1	श्री जे.पी. दूआ Shri J.P. Dua	15	22	-	4	5	-	8	7	4	-	-	18	-	1
2	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	15	22	9	4	2	1	8	-	4	-	-	18	-	1
3	श्री एम.आर. नायक Shri M.R. Nayak	13	20	8	4	-	1	7	-	4	-	-	17	-	1
4	श्री मोहम्मद ताहिर Shri Mohammad Tahir*	6	8	4	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-
5	श्रीमती सुकृति लिखि Smt Sukriti Likhi	9	-	2	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-
6	डॉ. शकील उज़ ज़मान अंसारी Dr. Shakeel-Uz- Zaman Ansari	15	6	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
7	श्री पी. वी. गुडिरेड्डी Shri P.V.Gudireddy	15	3	-	1	-	-	-	5	-	1	1	-	-	-
8	श्रीमती जोगिन्दर कौर Smt. Joginder Kaur *	9	8	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
9	श्री एस. रामस्वामी Shri S. Ramaswamy	7	11	4	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Shri Das has joined the Board as Workmen Employee Director w.e.f. 16.08.2010 for a period of three years.

2.5.4 Shri Sudip Chaudhuri, Shareholders' Director

Shri Sudip Chaudhuri completed his M.A. in Economics from Calcutta University in 1976 with highest rank (first class first) and Ph.D. in Economics from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in 1985. Shri Chaudhuri has been serving Indian Institute of Management, Calcutta as Professor (Economics Group) since 1990.

He has many publications in National & International journals. The latest one is on "R & D for development of new drugs for neglected diseases" which is forthcoming in 'International Journal of Technology and Globalization'.

Shri Chaudhuri served as a consultant for Reserve Bank of India, Industrial Development Bank of India, Government of India, Ministry of Commerce & Industry, United Nations Development Programme (UNDP), New York, World Health Organization (WHO), Geneva. He attended many international conferences as an invited speaker, prominent of which are (i) "India Brazil South Africa Academic Forum: A Policy Dialogue" at Brazil; (ii) "ICTSD/UNCTAD Roundtable" at Geneva; (iii) "BRICS Workshop", the global network for the Economics of learning, Innovation & competence building system, at Denmark; and "Conference on new approaches to intellectual property", at Columbia University, New York.

Shri Chaudhuri joined the Board as shareholders' Director with effect from 03-06-2010 and will hold office upto 29-06-2011.

3. Details of the Board/Committee meeting held during financial year 2010-11

3.1 Details of the meetings attended by Present and Past Directors.

क्रं०	निदेशक	बोर्ड	एम	ए	आर	डी	एस	आई	एफ	सी	परिलब्ध	नामा.	एस	एफ	एस		
सं०	का नाम		एम	एम	एम	पी	आई	जी	टी	एस	एम	एस	समिति	समिति	टी	पी	ए
S.N.	Name of Director	BOARD	MCB	ACB	RMC	DPC	SIGC	ITSC	FMC	CSC	Remu. Com.	Nom Com	STC	FPC	SAC		
10	श्री आर. एम. चतुर्वेदी Shri R.M.Chaturvedi	9	15	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	श्री देवेश्वर कुमार कपिला Shri Deveshwer Kumar Kapila	15	11	9	3	-	-	7	7	-	1	-	-	2	-	-	-
12	डॉ. वसन्त बाबुराव कौजलगी Dr. Vasant Baburao Kaujalgi	10	6	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13	श्री सुदीप चौधरी Shri Sudip Chaudhuri	9	8	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3	-	-	-	-
14	श्री के. के. डोगरा* Shri K. K. Dogra*	11	10	-	-	-	-	1	5	3	-	-	7	2	-	-	-
15	श्री गौर दास Shri Gour Das	9	7	-	-	-	-	5	-	1	-	-	11	-	-	-	-

*पिछले निदेशक / * Past directors

3.2 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकों के सापेक्ष समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नोक्त तिथियों को 15 बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थीं।

3.2 During the period under review 15 Board Meetings were held as detailed below as against requirement of minimum 6 meetings under clause 12 of Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

	बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड में निदेशकों की संख्या No. of Directors on Board	उपस्थित निदेशकों की संख्या No. of Directors attended
1	16-04-2010	11	10
2	30-04-2010	11	09
3	18-05-2010	11	10
4	10-06-2010	12	09
5	26-06-2010	12	10
6	22&23-07-2010	13	13
7	28-08-2010	14	13
8	24-09-2010	14	13
9	21-10-2010	14	13
10	15-11-2010	14	13
11	11-12-2010	14	11
12	14-01-2011	13	13
13	28-01-2011	13	10
14	18-02-2011	12	10
15	28-03-2011	12	10

4. बोर्ड की समितियां

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं प्रकीर्ण प्रावधान) योजना 1970 के खंड-13 के अनुसार बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन किया गया।

4.1.2 प्रबंधन समिति का संघटन

यथास्थिति 31.03.2011 को बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

4. Committees of the Board

4.1.1 Management Committee of the Board

In pursuance of clause 13 of Nationalized Bank (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the directives of the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted.

4.1.2 Composition of the Management Committee

The members of the Management Committee of the Board as on 31-03-2011 were:

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक	2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक	3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. श्री एस. रामस्वामी	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक	4. Shri S. Ramaswamy	RBI Nominee Director
5. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक	5. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director
6. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	6. Shri P.V. Gudireddy	Part Time Non Official Director
7. श्री गौर दास	कामगार निदेशक	7. Shri Gour Das	Workmen Employee Director
8. डॉ. वसन्त बाबुराव कौजलगी	शेयरधारक निदेशक	8. Dr. Vasant Baburao Kaujalgi	Shareholders' Director

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई।

4.1.3 प्रबंधन समिति के कार्य

प्रबंधन समिति का कार्य उच्च मूल्य के प्रस्तावों की संस्वीकृति, समझौता/ बट्टे खाते डालना, पूंजीगत तथा राजस्व की संस्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक मामलों पर विचार करना तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित अधिकार के उपयोग की समीक्षा करना है। समिति निवेश संविभाग, अनुपयोज्य आस्तियों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन तथा बोर्ड द्वारा समिति को संदर्भित अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णयों की समीक्षा भी करती है।

4.1.4 समिति की बैठक का विवरण

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को प्रबंधन समिति ने 22 बैठकें आयोजित कीं:

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.1.3 Function of the Management Committee

The function of the Management Committee is to consider various business matters of material significance like sanction of high value proposals, compromise/write off, sanction of capital & revenue expenditure and review the exercise of delegated authority by the Chairman & Managing Director and the Executive Director(s). The Committee also reviews the performance of key areas like investment portfolio, non-performing assets and other important management decisions referred to the Committee by the Board.

4.1.4 Details of the meeting of the Committee

The Committee met 22 times during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 as detailed below

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की प्रबंधन समिति के निदेशकों की सं. No. of Directors on the Management Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
09-04-2010	7	7
16-04-2010	7	7
30-04-2010	7	7
18-05-2010	7	7
09-06-2010	7	6
26-06-2010	7	7
17-07-2010	7	7
22-07-2010	8	8
10-08-2010	7	7
28-08-2010	8	8
13-09-2010	8	7
24-09-2011	8	8
11-10-2010	8	7
20-10-2010	8	7
15-11-2010	8	7
01-12-2010	8	7
20-12-2010	8	7
14-01-2011	8	8
27-01-2011	8	7
17-02-2011	8	7
14-03-2011	8	7
28-03-2011	8	7

4.2. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) :

4.2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा कारपोरेट गवर्नेन्स के सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने 31.05.1994 को एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया तथा उसे समय-समय पर पुनर्गठित किया।

4.2.2 लेखापरीक्षा समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2011 को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
2. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
3. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
4. श्री एस. रामस्वामी	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
5. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक
6. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री देवेश्वर कुमार कपिला, शेयरधारक निदेशक, द्वारा की गई।

4.2.3 लेखापरीक्षा समिति के कार्य :

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य कार्य बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का मूल्यांकन एवं उसकी समीक्षा करना है ताकि विवरणों की सत्यता, पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले समिति प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय परिणामों की समीक्षा करती है।

लेखापरीक्षा समिति निदेश भी देती है तथा बैंक के अंतर्गत संगठन, परिचालन तथा आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण की गुणवत्ता नियंत्रण सहित बैंक के समस्त लेखापरीक्षा कार्य के परिचालन का पर्यवेक्षण करती है तथा बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा एवं भारिबैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, इसके स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा भी करती है तथा किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आंतरिक लेखापरीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसके अतिरिक्त यह बैंक की वित्तीय एवं जोखिम प्रबंधन नीतियों की भी समीक्षा करती है।

सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में, लेखापरीक्षा समिति वार्षिक/तिमाही वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह लॉग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) रिपोर्ट में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.2.4 बैठक का विवरण -

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान निम्नलिखित तिथियों को बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की 9 बैठकें आयोजित की गईं:

बैठक की तिथि Date of Meeting	बोर्ड की लेखापरीक्षा के निदेशकों की सं. No. of Directors on the Audit Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
09-04-2010	5	4
30-04-2010	5	4
16-07-2010	5	4
22&23-07-2010	6	6
13-09-2010	6	5
21-10-2010	6	6
16-11-2010	6	4
28-01-2011	6	4
04-03-2011	6	5

4.2 Audit Committee of the Board (ACB)

4.2.1 In pursuance to the directives of Reserve Bank of India and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank originally constituted an Audit Committee on 31.05.1994 and reconstituted the same from time to time.

4.2.2 Composition of the Audit Committee:

The member of the Audit Committee of the Board, as on 31-03-2011 were;

1. Shri D. Sarkar	Executive Director
2. Shri M.R. Nayak	Executive Director
3. Smt. Sukriti Likhi	Government Nominee Director
4. Shri S.Ramaswamy	RBI Nominee Director
5. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director
6. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director

The committee is chaired by Deveshwar Kumar Kapila Shareholders' Director.

4.2.3 Function of Audit Committee:

The main function of Audit Committee is to assess and review the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews with the management the annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides direction and oversees the operations of total audit function of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follow up on the Statutory/ External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control system, structure of internal audit department, its staffing pattern and discussion with the internal auditors/Inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

Regarding Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Central Statutory Auditors before finalization of Annual/ Quarterly Financial Accounts and Reports. It also follows up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.2.4 Details of Meeting

During the period 01.04.2010 to 31.03.2011, 9 meetings of the Audit committee of the Board were held as detailed below.

4.3 जोखिम प्रबंधन समिति :

4.3.1 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति :

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 04 मार्च, 2003 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया एवं समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है।

4.3.2 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2011 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी	सनदी लेखाकार निदेशक
5. डॉ. शकील उज़्ज़ ज़मान अंसारी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
6. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
7. श्री सुदीप चौधरी	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई।

4.3.3 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्य :

जोखिम प्रबंधन समिति ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम सहित बैंक के विभिन्न जोखिम निवेशों के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन हेतु नीति तथा रणनीति निरूपित करती है।

4.3.4 बैठक का विवरण -

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 4 बैठकें आयोजित हुईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
18-05-2010	7	6
24-09-2010	7	7
01-12-2010	6	5
04-03-2011	7	7

4.4 निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) :

4.4.1 बोर्ड की निदेशक पदोन्नति समिति:

बैंक ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग)के निदेशों के अनुसरण में निदेशक पदोन्नति समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.3 Risk Management Committee

4.3.1 Risk Management Committee of the Board:

In pursuance of the directives of the Reserve Bank of India, a Risk Management Committee of the Board was constituted on March 4, 2003 and it was reconstituted time to time.

4.3.2 Composition of the Risk Management Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31.03.2011 were

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M. R. Nayak	Executive Director
4. Shri Rajesh M. Chaturvedi	Chartered Accountant Director
5. Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	Part Time Non Official Director
6. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director
7. Shri Sudip Chaudhuri	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P Dua, Chairman & Managing Director.

4.3.3 Function of Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee devise the policy and strategy for integrated risk management containing various risk exposures of the Bank including Credit, Market & Operational risk.

4.3.4 Details of the Meeting

The Committee met 4 times during the period 01-04-2010 to 31-03-2011 as detailed below.

Date of Meeting	No. of Directors on the Risk Management Committee of Board.	No. of Directors attended
18-05-2010	7	6
24-09-2010	7	7
01-12-2010	6	5
04-03-2011	7	7

4.4. Directors' Promotion Committee (DPC)

4.4.1 Directors promotion committee of the Board:

The Bank in pursuance to the directives of Govt. of India, Ministry of Finance (Banking Division) constituted Directors Promotion Committee and the same was reconstituted from time to time.

4.4.2 निदेशकों की पदोन्नति समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2011 को निदेशकों की पदोन्नति समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ : अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 2. श्रीमती सुकृति लिखि : सरकार द्वारा नामित निदेशक
 3. श्री एस. रामस्वामी : आरबीआई द्वारा नामित निदेशक
- समिति की अध्यक्षता, श्री जे.पी दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई।

4.4.3 निदेशकों की पदोन्नति समिति के कार्य :

निदेशकों की पदोन्नति समिति का गठन सतर्कता एवं गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों के निपटान की समीक्षा करने एवं कारपोरेट गवर्नेन्स एवं जोखिम प्रबंधन प्रणाली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार अतिमहत्वपूर्ण अन्य मामलों की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

4.4.4 बैठक का विवरण-

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान निम्नोक्त तिथियों को समिति ने 5 बैठकें आयोजित कीं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	निदेशक पदोन्नति समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
16-04-2010	3	3
26-06-2010	3	2
24-09-2010	3	2
01-12-2010	3	2
28&29-03-2011	3	3

4.5 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

4.5.1 बैंक ने शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के प्रयोजनार्थ मूलतः 04 मार्च, 2003 को शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत (निवारण) समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया।

4.5.2 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का संघटन :

31.03.2011 को यथास्थिति समिति के निम्नोक्त सदस्य थे :

1. श्री डी. सरकार : कार्यपालक निदेशक
2. श्री एम.आर. नायक : कार्यपालक निदेशक
3. डॉ. शकील-उज़-ज़मान-अंसारी : अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
4. डॉ. वसन्त बाबूराव कौजलगी : शेयरधारक निदेशक

4.4.2 Composition of the Directors Promotion Committee:

The members of the Committee of Directors as on 31-03-2011 were

1. Shri J.P. Dua : Chairman & Managing Director
2. Smt Sukriti Likhi : Govt. Nominee Director
3. Shri S.Ramaswamy : RBI Nominee Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director

4.4.3 Function of the Directors' Promotion Committee:

The Directors' Promotion Committee has been constituted to review disposal of vigilance and non-vigilance disciplinary cases and other cases of strategic importance in terms of Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GOI) guidelines on Corporate Governance and Risk Management System.

4.4.4 Details of the Meeting

The Committee held 5 meetings during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 as detailed below:

Date of Meeting	No. of Directors on the Directors Promotion Committee	No. of Directors attended
16-04-2010	3	3
26-06-2010	3	2
24-09-2010	3	2
01-12-2010	3	2
28&29-03-2011	3	3

4.5 Shareholders'/ Investors' Grievances Committee

4.5.1 The Bank originally constituted the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee on March 4, 2003 with a purpose of redressal of shareholders and investors grievances / complaints. The committee was reconstituted time to time.

4.5.2 Composition of the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee

The members of the Committee as on 31-03-2011 were as under:

1. Shri D. Sarkar : Executive Director
2. Shri M.R. Nayak : Executive Director
3. Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari : Part Time Non Official Director
4. Dr. Vasant Baburao Kaujalgi : Shareholders' Director

समिति की अध्यक्षता श्री वी बी कौजलगी, शेयरधारक निदेशक द्वारा की जाती है श्री ए. बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, (वित्त एवं लेखा) सी एफ ओ को बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

4.5.3 शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के कार्य

समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी शेयर प्रमाणपत्र स्थानान्तरण, सब डिवीजन समेकन, नवीकरण आदि हेतु आवेदन की तिथि से एक महीने की अवधि के अंदर जारी हो जाए। इसके अतिरिक्त, समिति निवेशकों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण की मॉनिटरिंग भी करती है। बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 1636 शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से सभी का निवारण निवेशकों की संतुष्टि के अनुरूप किया जा चुका है।

4.5.4 बैठक का विवरण

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान समिति ने 1 बैठक आयोजित की।

बैठक की तिथि	शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
24-09-2010	5	5

4.6 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी उप-समिति) उप-समिति

4.6.1 बैंक की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु बैंक ने 24 अप्रैल 2003 को आईटी उप-समिति गठित की जिसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया।

4.6.2 बोर्ड की आईटी उप-समिति का संघटन :

यथास्थिति 31.03.2011 को उप-समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
6. डॉ. वसन्त बाबूराव कौजलगी	शेयरधारक निदेशक
7. श्री सुदीप चौधरी	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.6.3 बोर्ड की आईटी उप-समिति के कार्य

समिति का गठन बैंक की विभिन्न आईटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु किया गया है।

The Committee is chaired by Dr. V.B. Kaulgi, Shareholders' Director. Shri A.B.Bhattacharjee, General Manager(Finance & Accounts) & CFO has been designated as Compliance Officer of the Bank.

4.5.3 Function of Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Committee ensures that all Share Certificates are issued within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal etc. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The Bank received 1636 number of complaints during the year under review and all the complaints have been resolved to the satisfaction of investors.

4.5.4 Details of the Meeting

The Committee held one meeting during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 as detailed below:

Date of Meeting	No. of Directors on the Shareholders' / Investors' Grievance Committee	No. of Directors attended
24-09-2010	5	5

4.6 Information Technology Sub-Committee (IT Sub-Committee)

4.6.1 The Bank constituted the IT Sub-Committee on April 24, 2003 and it was further reconstituted time to time to monitor the implementation of various Information Technology projects of the Bank.

4.6.2 Composition of the IT Sub-Committee of the Board:

The members of the sub Committee as on 31-03-2011 were as under:

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M. R. Nayak	Executive Director
4. Smt. Sukriti Likhi	Government Nominee Director
5. Shri Deveshwar Kr Kapila	Shareholders' Director
6. Dr. Vasant Baburao Kaulgi	Shareholders' Director
7. Shri Sudip Chaudhuri	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.6.3 Function of the IT Sub-Committee:

This Committee was constituted to monitor the implementation of various IT projects of the Bank.

4.6.4 बैठक का विवरण -

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान समिति की 8 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	बोर्ड की आईटी उप समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
18-05-2010	6	5
21-06-2010	7	5
10-08-2010	7	6
13-09-2010	7	7
11-10-2010	7	5
15-11-2010	7	6
01-12-2010	7	5
18-02-2011	7	6

4.7 धोखाधड़ी निगरानी समिति

4.7.1 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति

बैंक ने एक करोड़ रुपए और अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई हेतु 28.02.2004 को धोखाधड़ी निगरानी समिति का गठन किया है और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

4.7.2 बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति का संघटन

यथास्थिति 31.03.2011 को समिति में निम्नोक्त सदस्य थे :-

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्रीमती सुकृति लिखि	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
4. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की जाती है।

4.7.3 धोखाधड़ी निगरानी समिति के कार्य

धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं अर्थात् धोखाधड़ी का पता लगाना, नियामक और प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करना, तथा धोखाधड़ी को अंजाम देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में होने वाले विलम्ब को देखते हुए अनन्य रूप से एक करोड़ रुपए और अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामलों की मानिट्रिंग और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु समिति का गठन किया गया।

4.7.4 बैठक का विवरण

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान धोखाधड़ी निगरानी समिति की 7 बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नांकित है।

बैठक की तिथि	बोर्ड की धोखाधड़ी निगरानी समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
16-04-2010	3	3
18-05-2010	3	3
22-07-2010	5	4
24-09-2010	5	4
16-11-2010	5	4
18-02-2011	4	3
28-03-2011	4	4

4.6.4 Details of the Meeting

This Committee held 8 meetings during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 as detailed below:

Date of Meeting	No. of Directors on the IT Sub -Committee of Board	No. of Directors attended
18-05-2010	6	5
21-06-2010	7	5
10-08-2010	7	6
13-09-2010	7	7
11-10-2010	7	5
15-11-2010	7	6
01-12-2010	7	5
18-02-2011	7	6

4.7. Fraud Monitoring Committee

4.7.1 Fraud Monitoring Committee of the Board:

The Bank has constituted Fraud Monitoring Committee on 28.02.2004 and reconstituted the same from time to time with a purpose to monitor and follow up cases of frauds involving amount of Rupees One crore and above.

4.7.2 Composition of the Fraud Monitoring Committee of the Board:

The members of the Committee as on 31-03-2011 were as under :

1. Shri J.P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Smt. Sukriti Likhi	Government Nominee Director
3. Shri P.V. Gudireddy	Part Time Non Official Director
4. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director.

The Committee is chaired by Shri J. P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.7.3 Function of the Fraud Monitoring Committee

The Fraud Monitoring Committee has been constituted exclusively for monitoring, reviewing and following up cases of frauds involving amount of Rs. One Crore and above, keeping in view the delay caused in various aspects of fraud like detecting, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against perpetrators of the fraud.

4.7.4 Details of the Meeting

The Fraud Monitoring Committee held 7 meetings during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 as detailed below

Date of meeting	No. of Directors on the Fraud Monitoring Committee of Board	No. of Directors attended
16-04-2010	3	3
18-05-2010	3	3
22-07-2010	5	4
24-09-2010	5	4
16-11-2010	5	4
18-02-2011	4	3
28-03-2011	4	4

4.8 ग्राहक सेवा समिति

4.8.1 निदेशक मंडल ने 9 सितम्बर 2004 को आयोजित बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के दिनांक 14 अगस्त, 2004 के पत्र के अनुपालन में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया, और इसे समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है। समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया ताकि सतत आधार पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

4.8.2 ग्राहक सेवा समिति का संघटन

31.03.2011 को ग्राहक सेवा समिति में निम्नलिखित निदेशक थे।

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री गौर दास	कामगार निदेशक
5. श्री सुदीप चौधरी	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई।

4.8.3 ग्राहक सेवा समिति के कार्य:

हर समय सभी प्रकार के ग्राहकों के संतुष्टि स्तर में सुधार करने और ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु नवीन उपाय करना।

4.8.4 बैठक का विवरण

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान समिति की 4 बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नांकित है-

बैठक की तिथि	ग्राहक सेवा समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
10-06-2010	6	6
10-08-2010	7	7
01-12-2010	6	4
17-02-2011	5	5

4.9 परिलब्धि समिति

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग की दिनांक 9 मार्च 2007 की अधिसूचना एफ. सं. 20/1/2005-बीओआई के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन के पात्र होंगे बशर्ते कि लक्ष्य और गुणात्मक पैरामीटर संबंधी आशय विवरण और पिछले वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों से संबंधित बेंचमार्क पर आधारित कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मैट्रिक्स हेतु तय मात्रात्मक पैरामीटरों को बोर्ड द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन बोर्ड की उप समिति- "परिलब्धि समिति" द्वारा किया जाएगा जिसमें सरकार द्वारा नामित निदेशक, भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य निदेशक शामिल होंगे।

4.9.1 निदेशक मंडल ने 23.03.2007 की अपनी बैठक में कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के प्रयोजन हेतु पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से परिलब्धि समिति का गठन किया। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.8 Customer Service Committee

4.8.1 In compliance with RBI letter dated August 14, 2004, the Board of Directors at its meeting held on September 9, 2004 constituted Customer Service Committee and reconstituted the same from time to time. The committee has been constituted with a view to bring out improvements in the quality of customer service in the Bank on a continuous basis.

4.8.2 Composition of Customer Service Committee:

The Customer Service Committee comprises the following Directors as on 31-03-2011.

1. Shri J. P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Gour Das	Workmen Employee Director
5. Shri Sudip Chaudhuri	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J.P. Dua, Chairman & Managing Director.

4.8.3 Function of the Customer Service Committee

To innovate measures for enhancing the quality of customer service and improve the level of customer satisfaction to all categories of clientele at all times.

4.8.4 Details of the Meeting

This Committee held 4 meetings during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 as detailed below

Date of meeting	No. of Directors on Customer Service Committee	No. of Directors attended
10-06-2010	6	6
10-08-2010	7	7
01-12-2010	6	4
17-02-2011	5	5

4.9 Remuneration Committee

In terms of Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) notification F.No. 20/1/2005-BOI dated 9th March, 2007, whole time directors of the Public Sector Banks will be entitled for Performance linked incentives, subject to achievement of Broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the Statement Of Intent on goals and qualitative parameters and bench marks based on various compliance reports during the last year. Sub Committee of the Board called "Remuneration Committee" consisting of Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Directors would do the evaluation of performance.

4.9.1 The Board of Directors in its meeting dated 23-03-2007 constituted the Remuneration Committee to evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.9.2. परिलब्धि समिति का गठन यथास्थिति

31.03.2011 को यथास्थिति समिति का संघटन निम्नानुसार था :

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. श्रीमती सुकृति लिखि | सरकार द्वारा नामित निदेशक |
| 2. श्री एस. रामस्वामी | भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक |
| 3. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक |
| 4. श्री देवेश्वर कुमार कपिला | शेयरधारक निदेशक |

समिति की अध्यक्षता श्रीमती सुकृति लिखि, सरकार द्वारा नामित निदेशक द्वारा की गई।

4.9.3. परिलब्धि समिति के कार्य

कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना।

4.9.4. बैठक का विवरण

01.04.2010 से 31.03.2011 तक समिति की 1 बैठक हुई-

बैठक की तिथि	बोर्ड की परिलब्धि समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
16-07-2010	4	3

4.10 नामांकन समिति

4.10.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवम्बर 2007 के पत्रांक डीबीओडी सं. बीसी.सं. 47/29.32.001/2007-08 के अनुसार 21.04.2008 को बोर्ड की नामांकन समिति का गठन किया गया।

4.10.2 नामांकन समिति का गठन

31.03.2011 को यथास्थिति समिति का गठन निम्नानुसार था :

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. श्रीमती सुकृति लिखि | सरकार द्वारा नामित निदेशक |
| 2. श्री राजेश एम. चतुर्वेदी | सनदी लेखाकार निदेशक |
| 3. डॉ. शकील-उज़-ज़मान अंसारी | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक |
| 4. श्री पी. वी. गुडिरेड्डी | अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक |

समिति की अध्यक्षता श्रीमती सुकृति लिखि, सरकार द्वारा नामित निदेशक द्वारा की गई।

4.10.3 नामांकन समिति के कार्य

नामांकन समिति को अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत मौजूदा निर्वाचित निदेशकों/निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के "योग्य एवं उचित" स्तर का समुचित सतर्कता के साथ निर्धारण करने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

4.10.4 बैठक का विवरण

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक की तिथि	बोर्ड की नामांकन समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
28-05-2010	4	3

4.9.2 Composition of Remuneration Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2011 was as under:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Smt. Sukriti Likhi | Govt. Nominee Director |
| 2. Shri S.Ramaswamy | RBI Nominee Director |
| 3. Shri P.V. Gudireddy | Part Time Non Official Director |
| 4. Shri Deveshwar Kumar Kapila | Shareholders' Director. |

The Committee is chaired by Smt. Sukriti Likhi, Government Nominee Director.

4.9.3 Function of Remuneration Committee

To evaluate the performance of the whole time directors for the purpose of performance linked incentives.

4.9.4 Details of the Meeting

The Committee held one meeting during the period 01.04.2010 to 31.03.2011

Date of meeting	No. of Directors on the Remuneration Committee of Board	No. of Directors attended
16-07-2010	4	3

4.10 Nomination Committee

4.10.1 In terms of Reserve Bank of India letter DBOD No. BC. No. 47/29.39.001/2007-08 dated Nov. 1, 2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 21-04-2008 and reconstituted from time to time.

4.10.2 Composition of Nomination Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2011 were as under :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Smt. Sukriti Likhi | Govt. Nominee Director |
| 2. Shri Rajesh M. Chaturvedi | Chartered Accountant Director |
| 3. Dr. Shakeel Uz-Zaman Ansari | Part Time Non Official Director |
| 4. Shri P.V. Gudireddy | Part Time Non Official Director |

The Committee is chaired by Smt. Sukriti Likhi, Government Nominee Director

4.10.3 Function of Nomination Committee

The Nomination Committee have to undertake a process of due diligence to determine the "Fit & Proper" status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec. 9 (3) (i) of the Act.

4.10.4 Details of the Meeting

The Committee held one meeting during the period 01.04.2010 to 31.03.2011

Date of meeting	No. of Directors on the Nomination Committee of Board	No. of Directors attended
28-05-2010	4	3

4.11 शेयर अंतरण समिति

4.11.1 बैंक ने शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके प्रयोजन में इक्विटी शेयरों का अंतरण/ट्रांसमिशन, डुप्लिकेट शेयर जारी करना शामिल है किंतु यह इसी कार्य तक सीमित नहीं है। समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया गया है।

4.11.2 शेयर अंतरण समिति का संघटन

31.03.2011 को यथास्थिति समिति का गठन निम्नानुसार था :

1. श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम.आर. नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री गौर दास	कामगार निदेशक
5. श्री सुदीप चौधरी	शेयरधारक निदेशक

समिति की अध्यक्षता श्री जे.पी. दूआ, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई।

4.11.3 शेयर अंतरण समिति के कार्य

समिति को बैंक के शेयरों के अंतरण, प्रेषण, अस्वीकृति, सबडिवीजन, समेकन के अनुमोदन और गुम हुए अथवा नष्ट हुए शेयर प्रमाण पत्रों के बदले अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार है और वह इसके लिए प्राधिकृत है। समिति को वह सब कार्य करने का भी अधिकार है जो शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने आदि हेतु आवश्यक और प्रासंगिक होते हैं।

4.11.4 बैठक का विवरण:-

01.04.2010 से 31.03.2011 के दौरान समिति द्वारा आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

4.11 Share Transfer Committee

4.11.1 The Bank has constituted Share Transfer Committee for the purpose including but not limited to transfer/transmission of equity shares, issue of duplicate shares. The Committee has since been reconstituted from time to time.

4.11.2 Composition of Share Transfer Committee

The Composition of the Committee as on 31-03-2011 were as under :

1. Shri J. P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Gour Das	Workmen Employee Director
5. Shri Sudip Chaudhuri	Shareholders' Director

The Committee is chaired by Shri J. P. Dua, Chairman & Managing Director

4.11.3 Function of Share Transfer Committee

The Committee is empowered and authorized to approve transfer, transmission, rejection, subdivision, consolidation of shares of the Bank and issue of duplicate share certificates against lost, misplaced, stolen or destroyed share certificates after observing requisite formalities. The Committee is also empowered to do all such acts, things or deeds as may be necessary or incidental to the exercise of transfer, transmission, issue of duplicate share certificates etc.

4.11.4 Details of the Meeting

The details of the meetings held by the committee during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 were as under:-

बैठक की तिथि Date of meeting	बोर्ड की शेयर अंतरण समिति के निदेशकों की संख्या No. of Directors on the Share Transfer Committee of Board	उपस्थित निदेशकों की सं. No. of Directors attended
07-04-2010	4	3
18-05-2010	4	4
26-06-2010	4	4
10-07-2010	4	3
29-07-2010	4	3
10-08-2010	4	4
28-08-2010	5	5
15-09-2010	5	4
30-09-2010	5	4
21-10-2010	5	5
15-11-2010	5	4
01-12-2010	5	5
28-12-2010	4	4
14-01-2011	5	5
27-01-2011	5	5
14-02-2011	5	3
04-03-2011	5	5
23-03-2011	5	4

4.12 फ्लैट क्रय समिति

4.12.1 बैंक के बोर्ड ने दिनांक 22.01.2010 को संपन्न अपनी बैठक में, बैंक हेतु दिल्ली(एनसीआर), मुम्बई, बंगलूरु, चेन्नई एवं गुवाहाटी में आवासीय फ्लैट के क्रय से संबंधित मामलों की देखरेख के लिए फ्लैट क्रय समिति का गठन किया जिसमें निम्नांकित निदेशक हैं-

1. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
2. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
3. डॉ. वसंत बाबुराव कौजलगी	शेयरधारक निदेशक
4. श्री के.के. डोगरा	अधिकारी नामित निदेशक

4.12.2 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान समिति की बैठकों का विवरण निम्नवत है -

बैठक की तारीख	फ्लैट क्रय समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
09-04-2010	2	2
16-04-2010	3	3

बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 26.06.2010 को संपन्न अपनी बैठक में उपर्युक्त समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया और उसके स्थान पर आई.बी.ए. द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार बैंक की आवासीय / वाणिज्यिक सम्पत्तियों के क्रय करने हेतु सेन्ट्रल रियल इस्टेट समिति (सीआरईसी) एवं जोनल रियल इस्टेट समिति (जेडईआरसी) नामक दो समितियों का गठन किया गया।

4.13 शेयर आबंटन समिति

4.13.1 बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 18.02.2011 को सम्पन्न अपनी बैठक में भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमाम्य आबंटन के आधार पर ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटन करने हेतु शेयर आबंटन समिति का गठन किया।

4.13.2 शेयर आबंटन समिति का संघटन :

समिति का संघटन दिनांक 31.03.2011 को यथास्थिति निम्नवत है :

1. श्री जे.पी.दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
3. श्री एम. आर नायक	कार्यपालक निदेशक
4. श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक

4.13.3 शेयर आबंटन समिति के कार्य

समिति को ऐसे कार्यों एवं विषयों के लिए प्राधिकृत किया गया जो अधिमाम्य आबंटन के आधार पर भारत सरकार को ईक्विटी शेयरों के निर्गम एवं आबंटन तथा राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एवं मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में उसे सूचिबद्ध कराने हेतु आवश्यक हों

4.13.4 बैठक का विवरण

दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011 की अवधि के दौरान समिति की बैठकों का विवरण निम्नवत है-

4.12 Flat Purchase Committee

4.12.1 The Board of the Bank in its meeting dated 22-01-2010 constituted Flat Purchase Committee for looking after the matters related to purchase of residential flats for the Bank at Delhi(NCR), Mumbai, Bangalore , Chennai & Guwahati, comprising the following Directors

1. Shri D. Sarkar	Executive Director
2. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director
3. Dr. Vasant Baburao Kaujalg	Shareholders' Director
4. Shri K.K. Dogra	Officers' Nominee Director

4.12.2 Details of the Meeting

The details of the meeting of the Committee held during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 are as under:

Date of Meeting	No. of Directors on the Flat Purchase Committee of Board	No. of Directors attended
09-04-2010	2	2
16-04-2010	3	3

The Board of Directors of the Bank in its meeting dated 26-06-2010 decided to discontinue the above committee and in its place, as suggested by I.B.A. two committees namely Central Real Estate Committee (CREC) and Zonal Real Estate Committee (ZERC) were constituted to look after the purchase of residential/commercial properties of the Bank.

4.13 Share Allotment Committee:

4.13.1 The Board of Directors of the bank in its meeting dated 18-02-2011 constituted Share Allotment Committee for issue and allotment of Equity Shares to Govt. of India (President of India) on preferential allotment basis.

4.13.2 Composition of Share Allotment Committee:

The Composition of the Committee as on 31-03-2011 is as under:

1. Shri J. P. Dua	Chairman & Managing Director
2. Shri D. Sarkar	Executive Director
3. Shri M.R. Nayak	Executive Director
4. Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director

4.13.3 Function of Share Allotment Committee:

The committee was authorized to do all such acts, deeds and things as may be required in connection with the issue and allotment of Equity Shares to Govt. of India on preferential allotment basis and get the same listed with the National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange.

4.13.4 Details of the Meeting

The details of the meeting of the Committee held during the period 01.04.2010 to 31.03.2011 were:

बैठक की तारीख	बोर्ड की शेयर आबंटन समिति के निदेशकों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
31-03-2011	4	3

Date of Meeting	No. of Directors on the Share Allotment Committee of Board	No. of Directors attended
31-03-2011	4	3

5. निदेशकों की परिलब्धियाँ

गैर-कार्यपालक निदेशकों को यात्रा एवं विराम भत्तों सहित दी जाने वाली परिलब्धियाँ भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के अनुसार प्रदान की जा रही हैं।

5.1 वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों अर्थात् अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं कार्यपालक निदेशक को भुगतान किए गए वेतन का विवरण निम्नानुसार है:

5. Remuneration to the Directors:

The remuneration including traveling and halting expenses to the Non- Executive Directors is paid as decided by the Government of India /RBI guidelines.

5.1 The details of salary including incentives paid to the whole-time Directors of the Bank past and present, i.e Chairman & Managing Director and Executive Director during the year 2010-11 are as under:

क्रम सं	नाम	मूल	मंहगाई भत्ता	बकाया	प्रोत्साहन	कुल
Sl No.	Name	Basic	Dearness Allowance	Arrear	Incentives	Total
मौजूदा निदेशक / Existing Directors						
1.	श्री जे.पी. दूआ (अ.प्र.नि.) Shri J.P. Dua (CMD)	926385.00	364853.75	47489.50	698493.00	2037221.25
2.	श्री डी. सरकार (का.नि.) Shri D. Sarkar (ED)	797550.00	314112.50	40885.00	204795.00	1357342.50
3.	श्री एम.आर. नायक (का.नि.) Shri M. R. Nayak (ED)	797550.00	314112.50	37362.42	122877.00	1271901.92
भूतपूर्व निदेशक / Ex-Directors						
4.	श्री के. आर. कामत (भू.पूर्व अ.प्र.नि.) Shri K. R. Kamath (EX- CMD)	0.00	0.00	0.00	460274.00	460274.00
5.	श्री के. के. अग्रवाल, (भू.पू. कार्यपालक निदेशक) Shri K. K. Agarwal (EX-ED)	0.00	0.00	0.00	217260.00	217260.00
कुल / TOTAL		2521485.00	993078.75	125736.92	1703699.00	5343999.67

वर्तमान में अपने निदेशकों हेतु बैंक का स्टॉक ऑप्शन प्लान नहीं है।

At present the Bank does not have stock option plan for its directors.

5.2 गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक में उपस्थित होने हेतु रु.5000/- और बोर्ड की समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु रु. 2500/- का भुगतान किया जा रहा है। तथापि, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक और आरबीआई तथा सरकार नामित निदेशकों, जो कि सरकारी अधिकारी हैं, को सिटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता।

5.2 The Non-Executive Directors are being paid sitting fee of Rs. 5000/- for attending each Board Meetings and Rs.2500/- for Committee Meetings. Sitting fees are, however, not paid to the Chairman and Managing Director, Executive Directors of the Bank and Government Nominee Directors.

6. जनरल बॉडी बैठकें:

6. General Body Meetings:

6.1 बैंक की विगत तीन वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

6.1 Particulars of past three Annual General Meetings of the Bank.

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	बैठक की तारीख Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
छठी वार्षिक साधारण बैठक	सोमवार 16 जून 2008 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर- III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106	31.03.2008 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखों एवं तुलन पत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना।
Sixth Annual General Meeting	Monday, 16 th June, 2008, 10.30 A.M.	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2008, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2008, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report and to Declare Dividend on Equity shares.
सातवीं वार्षिक साधारण बैठक	सोमवार 15 जून 2009 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर- III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106	31.03.2009 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रियाकलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखों एवं तुलन पत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण तथा इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लि. से बैंक के इक्विटी शेयरों को स्वैच्छिक रूप से असूचीबद्ध करने और आकस्मिक रिक्ति पर एक शेयरधारक निदेशक को निवारित करने का अनुमोदन।
Seventh Annual General Meeting	Monday, 15 th June, 2009, 10.30 A.M.	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2009, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2009, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts, the Auditor's Report, to Declare Dividend on Equity shares, to approve voluntarily delisting of equity shares of the Bank from the Calcutta Stock Exchange Ltd. and to elect one shareholders' director in casual vacancy.
आठवीं वार्षिक साधारण बैठक	गुरुवार 10 जून 2010 पूर्वाह्न 10.30 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर, 1बी-201, सेक्टर- III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता -700 106	31.03.2010 को यथास्थिति बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि लेखा, लेखाओं द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के क्रिया कलाप के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा लेखाओं एवं तुलनपत्र पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन और अंगीकरण, इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना और आकस्मिक रिक्ति पर एक शेयरधारक निदेशक को निवारित करने का अनुमोदन।
Eighth Annual General Meeting	Thursday, the 10 th June, 2010, 10.30 A.M.	Eastern Zonal Cultural Centre, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700 106	To discuss, approve & adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31-03-2010, Profit & Loss Account of the Bank for the year ended 31st March, 2010, the Re- port of the Board of Directors on the work- ing and activities of the Bank for the pe- riod covered by the Accounts, the Auditor's Report, to Declare Dividend on Equity shares, and to elect one share- holders' director in casual vacancy.

6.2 कोई विशेष संकल्प आठवीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित नहीं किया गया था।

6.3 वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पोस्टल बेलैट द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया। तथापि, दिनांक 23.03.2011 को सम्पन्न बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया बैंक के प्रमोटर अर्थात् भारत का राष्ट्रपति (भारत सरकार) को अधिमन्य आबंटन के आधार पर रु. 669,99,99,886 की राशि हेतु रु. 217 की प्रीमियम पर प्रति शेयर रु 10/- की दर पर 29515418 शेयर के निर्गम एवं आबंटन का अनुमोदन करते हुए एक संकल्प पारित किया गया।

6.4 10.06.2010 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे।

श्री जे.पी. दूआ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री डी. सरकार	कार्यपालक निदेशक
श्री एम.आर नायक	कार्यपालक निदेशक
श्री मोहम्मद ताहिर	भारिबैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री पी. वी. गुडिरेड्डी	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक
श्री देवेश्वर कुमार कपिला	शेयरधारक निदेशक
श्री सुदीप चौधरी	शेयरधारक निदेशक
श्री के. के. डोगरा	अधिकारी नामिती निदेशक

7. प्रकटीकरण

बैंक ने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय में किए जाने वाले कार्यों से इतर अपने प्रमोटर/निदेशकों, प्रबंधन और उनके संबंधियों आदि के साथ कोई ऐसे महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किए हैं जिनसे समग्रतः बैंक के हितों के साथ टकराव की संभावना हो।

बैंक ने पूँजी बाजार से संबंधित समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है तथा अन्य स्टॉक एक्सचेंजों अथवा सेबी या सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों में बैंक पर कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया है और न ही इसकी आलोचना की गई है।

बैंक में विजिल ब्लोयर मैकानिज़्म उपलब्ध है तथा बैंक के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति से मिलने से मना नहीं किया गया है।

बैंक हेतु यथाप्रयोज्य स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूची करार के खंड 49 की अनिवार्य अपेक्षा का बैंक ने पालन किया है।

वर्ष 2010-11 हेतु कारपोरेट गवर्नेन्स पर सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो कि बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, तथा महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के खंड 49V में यथा निर्धारित बैंक के वित्तीय कार्यों के प्रमुख व्यक्ति से प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो इस वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट का अंश है।

7.1 गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएँ

गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का कार्यान्वयन निम्नानुसार है

6.2 No Special Resolution was passed in the Eighth Annual General Meetings.

6.3 No Special Resolution was passed by postal ballot during the financial year 2010-11. However the shareholders of the Bank in the Extraordinary General Meeting held on 23-03-2011 passed one special resolution approving issue and allotment of 29515418 equity shares of Rs. 10 each at a premium of Rs 217 amounting to Rs.669,99,99,886 on preferential allotment basis to the Promoter of the Bank i.e. President of India(Govt. of India).

6.4 The following Directors were present in the last Annual General Meeting held on 10-06-2010

Shri J.P.Dua	Chairman & Managing Director
Shri D. Sarkar	Executive Director
Shri. M.R. Nayak	Executive Director
Shri Mohammad Tahir	RBI Nominee Director
Shri P. V. Gudireddy	Part Time Non Official Director
Shri Deveshwar Kumar Kapila	Shareholders' Director.
Shri Sudip Chaudhuri	Shareholders' Director.
Shri K.K. Dogra	Officers' Nominee Director

7. Disclosures:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transactions with its Promoter/Directors, Management, their relatives etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

The Bank complied with all the requirements regarding capital market and has not been imposed with any penalty or stricture by the Stock Exchanges or SEBI or by any Statutory / Regulatory Authority during the last three years.

A Whistle Blower mechanism exists in the Bank and no personnel of the Bank has been denied access to the Audit Committee.

The Bank has complied with mandatory requirement of Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges as applicable to the Bank.

A certificate of the Statutory Central Auditors on Corporate Governance for the year 2010-11 is annexed to this report.

A Certificate from the Chairman and Managing Director i.e Chief Executive Officer of the Bank and General Manager (F& A)& CFO i.e. the person heading the finance function of the Bank, as stipulated in Clause 49 V of the Listing Agreement with Stock Exchanges, has been placed before the Board and is annexed to this Annual Report.

Management discussion and analysis report forms part of the Director's Report.

7.1 Non-Mandatory Requirements

The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder

**अपेक्षा
REQUIREMENT**

**अनुपालन
COMPLIANCE**

कंपनी बोर्ड के सदस्यों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल के साथ-साथ कंपनी के व्यवसाय पैरामीटरों के जोखिम प्रोफाइल, निदेशक के रूप में उत्तरदायित्वों और उन्हें बेहतर ढंग से निभाने के बारे में प्रशिक्षित करें

Company may train Board members in the Business model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them

आईबीए/बीटीसी/एनआईबीएम तथा अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निदेशकों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।

The Directors are nominated for training programs as and when organized by IBA/BTC/NIBM and other accredited institutions.

8. संप्रेषण के माध्यम

बैंक प्रौद्योगिकी और संचार माध्यमों के उन्नयन और विकास से समाज को मिलने वाले लाभों को मानता है और इसके साथ ही बैंक ने अपने हितधारकों को उनके संबंध में अन्य सूचनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया है। बैंक उन समस्त स्टॉक एक्सचेंजों को तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं। इन्हें सांविधिक अपेक्षा के अनुसार एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में तथा एक कोलकाता स्थित क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है। वर्ष 2010-2011 के दौरान तिमाही वित्तीय परिणाम "फाइनेन्शियल एक्सप्रेस" (अंग्रेजी) "बिजनेस स्टैण्डर्ड" (अंग्रेजी) डीएनए मनी (अंग्रेजी) तथा आनन्द बाजार पत्रिका (बंगला) सहित अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशित किए गए थे। परिणामों को बैंक के वेबसाइट www.allahabadbank.in पर भी प्रदर्शित किया गया।

विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों को किए गए प्रेजेन्टेशन बैंक की वेबसाइट www.allahabadbank.in पर दिए गए हैं।

9. शेयरधारकों हेतु साधारण सूचना

9.1 नौवीं वार्षिक साधारण बैठक का विवरण

8. Means of Communication:

The Bank appreciates the benefit accruing to the society with the advent and advancement of technology and means of communications and further recognized the need of keeping its stakeholders informed of the events of their interest. The quarterly/half yearly/ annual financial results of the Bank are informed to all the Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed. These are published in one national newspaper and one regional language newspaper based at Kolkata as per statutory requirement. During the year 2010-11, the quarterly financial results were published 'in leading newspapers namely "Financial Express"(English), Business Standard (English), DNA Money (English) and "Aanand Bazaar Patrika "(Bengali). The results are also displayed on the web site of the Bank www.allahabadbank.in.

The presentation made to the analysts/institutional investors are hosted on the Bank's Website www.allahabadbank.in

9. General Shareholders Information:

9.1 Particulars of 9th Annual General Meeting

दिन और दिनांक

Day & Date

समय

Time

स्थान

Venue

शुक्रवार, 10 जून, 2011

Friday, 10th June, 2011

पूर्वाह्न 10.30

10.30 A.M.

ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर,

आई बी-201, सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700106

Eastern Zonal Cultural Centre,

IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106

9.2 वित्तीय कलेंडर और परिणामों का प्रकाशन (अंतिम)

बैंक का वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च है। निम्नलिखित तारीख को समाप्त अवधि हेतु तिमाही परिणामों का अनुमोदन

30 जून, 2011	- जुलाई, 2011 का अंत
30 सितम्बर 2011	- अक्टूबर, 2011 का अंत
31 दिसम्बर 2011	- जनवरी 2012 का अंत
31 मार्च 2012	- लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा अप्रैल- मई 2012

9.3 बुक क्लोजर की तारीख (लाभांश एवं एजीएम)

बुक क्लोजर - सोमवार 16 मई, 2011 से शुक्रवार 10 जून, 2011 (दोनों दिन शामिल हैं)

9.4 लाभांश भुगतान की तिथि: मंगलवार, 28 जून, 2011

9.2 Financial Year and Calendar for Publication of Financial Results (Tentative)

The Financial Year of the Bank is April to March Approval of quarterly results for the period ending

June 30, 2011	-	End of July, 2011
September 30, 2011	-	End of October, 2011
December 31, 2011	-	End of January, 2012
March 31, 2012	-	Audited Annual Accounts- April- May, 2012

9.3 Date of Book Closure (Dividend & AGM)

Book closure- Monday 16th May, 2011 to Friday, 10th June, 2011 (Both days inclusive)

9.4 Dividend Payment Date: Tuesday, 28th June, 2011.

9.5 लिस्टिंग

9.5 Listing

9.5.1 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग

9.5.1 Listing on Stock Exchanges

स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange	स्टॉक कोड Stock Code	लिस्टिंग की तिथि Date of Listing
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) National Stock Exchange (NSE)	एएलबीके ALBK	27.11.2002
मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) Bombay Stock Exchange (BSE)	532480	27.11.2002

वित्त वर्ष 2011-12 हेतु वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क उपर्युक्त स्टॉक एक्सचेंजों को पहले ही विप्रेषित किया जा चुका है।

The annual listing fee for the financial year 2011-12 has already been remitted to the above Stock Exchanges.

9.5.2 अनुपालन अधिकारी

9.5.2 Compliance Officer

श्री ए.बी. भट्टाचार्य, महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ को सेबी के विभिन्न प्रावधानों, अन्य सांविधिक प्राधिकारियों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार का अनुपालन करने हेतु अनुपालन अधिकारी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

Shri A.B. Bhattacharjee General Manager (F&A)& CFO has been designated as the Compliance Officer for complying with various provisions of SEBI, other statutory authorities and Listing Agreements with Stock Exchanges.

9.6 बाजार मूल्य डाटा/बैंक शेयरों का मूल्य निष्पादन

9.6 Market Price Data:

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में ट्रेडिंग किए गए शेयरों की मात्रा और मासिक उच्च एवं निम्न कोटेशनों का विवरण निम्नवत रहा:

The monthly high and low quotations and the volume of shares traded on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) during the Financial year 2010-11 were as follows:

माह /Month	एनएसई /NSE			बीएसई /BSE		
	उच्च High (Rs)	निम्न Low (Rs)	मात्रा Qty. (Nos)	उच्च High (Rs)	निम्न Low (Rs)	मात्रा Qty. (Nos)
अप्रैल April 10	177.10	142.45	41255597	177.00	142.00	7984310
मई May 10	166.80	148.15	25546029	166.40	148.00	3670860
जून June 10	168.80	156.00	18589429	168.70	156.10	4174825
जुलाई July 10	196.20	158.25	29713124	195.90	158.40	5310263
अगस्त Aug 10	220.80	193.00	27579684	220.95	185.95	3049970
सितम्बर Sep 10	238.05	208.25	19627893	236.90	200.00	2796580
अक्तूबर Oct 10	261.80	226.25	21341463	261.50	225.00	2912381
नवम्बर Nov 10	271.95	228.28	18890314	270.90	228.05	1697847
दिसम्बर Dec 10	253.00	192.50	25068110	255.10	199.00	3470262
जनवरी Jan 11	232.30	195.65	19068624	232.40	196.50	3980564
फरवरी Feb 11	217.15	182.85	13903810	225.00	183.00	2610366
मार्च Mar 11	183.50	236.30	11746449	240.00	195.00	1600130

9.7 एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी की तुलना में बैंक के शेयरों का कार्यनिष्पादन निम्नवत है:

9.7 Performance of Bank's share in comparison with the movement of S & P CNX Nifty is shown hereunder:

दिनांक Date	एनएसई में बैंक के शेयरों का क्लोजिंग मूल्य Closing Share Price of Bank at NSE (Rs)	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S & P CNX Nifty
01-04-2010	143.25	5290.50
03-05-2010	159.55	5222.75
01-06-2010	161.05	4970.20
01-07-2010	160.10	5251.40
02-08-2010	197.85	5431.65
01-09-2010	212.70	5471.85
01-10-2010	233.70	6143.40
01-11-2010	255.15	6117.55
01-12-2010	245.10	5960.90
03-01-2011	230.10	6157.60
01-02-2011	199.15	5417.20
31-03-2011	229.75	5833.75

9.8 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

मेसर्स एमसीएस लिमि. 77/2A हाज़रा रोड, कोलकाता 700 029 हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट हैं।

9.8 Registrar and Share Transfer Agent:

M/s MCS Ltd. 77/2A, Hazra Road Kolkata-700029 is our Registrar and Share Transfer Agent

9.9 शेयर अंतरण प्रणाली

सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशकगण एक साथ शेयरों के अंतरण-सह-डिमेटरियलाइजेशन की सुविधा अपना सकते हैं। शेयरों के हस्तांतरण के बाद रजिस्ट्रार एवं हस्तांतरण एजेंट हस्तांतरिती को हस्तांतरण की सूचना भेजेगा। हस्तांतरितियों को यह अवगत कराया जाता है कि वे इसे डिमेटरियलाइजेशन हेतु अपने अनुरोध डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत करें। डिमेट हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर शेयरों को डिमेटरियलाइज कर दिया जाता है। यदि 30 दिनों के अंदर डिमेट हेतु अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो हस्तांतरित शेयर प्रमाणपत्र हस्तांतरिती को भौतिक रूप में भेज दिया जाता है।

9.9 Share Transfer System.

As per SEBI guidelines, investors can avail the facility of simultaneous transfer-cum-dematerialization of shares. Registrar and Transfer Agent, on transfer of shares, would be sending the intimation of transfer to the transferee. Transferees are apprised to submit their request for de-materialization to their Depository Participant. On receipt of Demat request, the shares are dematerialized. If the demat request is not received within a period of 30 days, the transferred share certificate is dispatched to the transferee in physical form.

9.10 शेयर धारण का स्वरूप (31.03.2011 को यथास्थिति)

9.10 Distribution of shareholding as on 31-03-2011

श्रेणी Category	शेयर की संख्या No of shares	धारक संख्या No of holders	शेयर का प्रतिशत Percentage of Shares	धारक का प्रतिशत Percent of holders
1 to 500	26958496	149568	5.66	88.58
501 to 1000	10080134	14549	2.12	8.62
1001 to 2000	4307141	3025	0.90	1.79
2001 to 3000	1687965	690	0.35	0.41
3001 to 4000	982342	279	0.21	0.17
4001 to 5000	644777	139	0.14	0.08
5001-10000	1587298	221	0.33	0.13
10001-50000	4133415	182	0.87	0.11
50001-100000	3192539	40	0.67	0.02
100001 and above	422641311	157	88.75	0.09
कुल / TOTAL	476215418	168850	100.00	100.00

9.11 शेयरों का डिमेटरियलाइजेशन

व्यापार हेतु बैंक के शेयर अनिवार्य रूप से डिमेट फॉर्म में उपलब्ध हैं। बैंक के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कोड है **INE428A01015**.

9.11 Dematerialization of shares

The Bank's shares are compulsorily traded in demat form. The ISIN code of Bank's Equity Shares is **INE428A01015**.

31.03.2011 को यथास्थिति बैंक के 429196007 शेयर, डिमेटरियलाइज हैं जो इक्विटी शेयरों का 90.12% है।

As on 31-03-2011, 429196007 shares constituting 90.12% of the equity shares are in dematerialized form.

31.03.2011 को यथास्थिति शेयरधारकों द्वारा डिमेट और फिजिकल फॉर्म में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है।

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as on 31-03-2011 are as under:

	शेयरधारकों की संख्या No of shareholders	शेयरों की संख्या No. of shares	शेयरधारिता का % % of shareholding
फिजिकल / PHYSICAL	55618	47019411	9.88
डिमाट / DEMAT			
एनएसडीएल /NSDL	83656	175223149	36.79
सीडीएसएल /CDSL	29576	253972858	53.33
कुल /TOTAL	168850	476215418	100.00

31.03.2011की यथास्थिति भारत सरकार की कुल इक्विटी धारिता 276215418 हैं जो बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 58.00% है।

The total Equity holding of Govt. of India as on 31-03-2011 is 276215418 which constitute 58.00% of the total paid up capital of the Bank.

9.12 आज की तिथि में कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या अन्य कन्वर्टिबिल इंस्ट्रुमेंट बकाया नहीं है।

9.12 There is no outstanding GDRs /ADRs /Warrants or any Convertible instruments as on date.

10. शेयर अंतरण एवं निवेशक शिकायत निवारण

बैंक ने मे. एमसीएस लि. को रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जो निवेशकों की शिकायतों के समाधान, तथा पते में परिवर्तन, शेयरों का अंतरण/ प्रेषण, अधिदेश में परिवर्तन आदि के संबंध में शेयरधारकों के अनुरोध को दर्ज करता है। निवेशकों की सुविधा हेतु उनकी शिकायतें प्रधान कार्यालय, कोलकाता में भी स्वीकार की जाती हैं।

10 Share Transfer and Redressal of Investors' Grievance

The Bank has appointed M/s MCS Ltd. as the Registrar and Share Transfer Agent for recording the shareholders' requests, resolution of investors' grievances, amongst other activities connected with the change of address, transfer/transmission of shares, change of mandate etc. For the convenience of the investors, grievance/ complaints from them are also accepted at the Bank' Head Office in Kolkata.

निवेशक अपने अनुरोध/शिकायतें या तो रजिस्ट्रार के पास अथवा बैंक में निम्नलिखित पते पर दर्ज कर सकते हैं:

The investors may lodge their requests/complaints either with the Registrar or with the Bank at the following address:-

मे एमसीएस लि.
77/2ए, हाजरा रोड,
कोलकाता-700029
टेली: 033-24541893 / 033-24541892
फैक्स: 033-24541961, 24747674
ईमेल: mcscal@cal2.vsnl.net.in OR
allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

कंपनी सचिव
शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय
2, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001
टेली: 033-22420878
फैक्स: 033-22107424
ईमेल: investors.grievance@allahabadbank.in

M/s MCS Ltd. (Unit : Allahabad Bank)
77/2A, Hazra Road,
Kolkata-700029
Tel; 033-24541893 / 033-24541892
Fax : 033-24541961,24747674
Email: mcscal@cal2.vsnl.net.in OR
allahabadbank.grievance@yahoo.co.in

The Company Secretary
Share Deptt.& Investors' Grievance Cell
Allahabad Bank, Head Office
2, Netaji Subhas Road
Kolkata-700 001
Tele: 033-22420878
Fax: 033-22107424
Email: investors.grievance@allahabadbank.in

10.1 प्राप्त, निस्तारित एवं लंबित शिकायतों की संख्या

शेयरधारकों की सभी शिकायतें सीधे मेसर्स एमसीएस लि., कोलकाता द्वारा प्राप्त की जाती हैं तथा बैंक द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों को उक्त कंपनी को अग्रेषित किया जाता है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित तथा दिनांक 31.03.2011 को लंबित अनुरोधों /शिकायतों का विवरण निम्नवत है -

10.1 Number of complaints received, resolved and pending

All the complaints from the shareholders are received directly by M/s MCS Ltd. Kolkata and those received by the Bank are forwarded to them. The details of requests/complaints received and resolved during the Financial year 2010-11 and pending as on 31-03-2011 are as follows:

	दिनांक 31.03.2010 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31-03-2010	2010-11 के दौरान प्राप्त Received during 2010-11	निस्तारित Resolved	दिनांक 31.03.2011 को यथास्थिति लंबित Pending as on 31-03-2011
शिकायतों /अनुरोधों की सं.	शून्य/Nil	1636	1636	शून्य/Nil

डीमेट उचंत खाते में अदावी पड़े शेयरों का विवरण निम्नवत है :

i) दिनांक 01.04.2010 को यथास्थिति बकाया/अदावी शेयर	-	4461
ii) वर्ष 2010-11 के दौरान दावाकृत एवं लाभार्थी खाते में अतिरिक्त शेयर	-	335
iii) दिनांक 31.03.2011 को यथास्थिति बकाया / अदावी शेयर	-	4126

अदावी / बकाया शेयरों के संबंध में मतदान करने के अधिकार को उनके सही स्वामी द्वारा दावा करने तक रोक रखा जाएगा । सही स्वामी से वैध दावे की प्राप्ति पर डीमेट उचंत खाते में पड़े शेयरों को दावेदार के खाते में जमा किया जाता है ।

The details of unclaimed shares lying in the Demat Suspense Account are as under:

i) Shares outstanding/unclaimed as on 01-04-2010	-	4461
ii) Shares claimed and transferred to Beneficiary account during the year 2010-11	-	335
iii) Shares outstanding/unclaimed as on 31-03-2011	-	4126

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares will remain frozen till the claim by the rightful owner. On the receipt of valid claim from the rightful owner, the shares lying in the Demat Suspense account are credited to the claimant.

11. शेयरधारिता पद्धति (दिनांक 31.03.2011 को यथास्थिति)**11. Shareholding Pattern (as on 31.03.2011)**

विवरण Description	धारकों की संख्या No. of Holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	इक्विटी का % % to equity
भारत सरकार Government of India	1	276215418	58.00
बीमा कंपनियाँ Insurance Companies	19	60462606	12.70
म्युचुअल फंड/युटीआई Mutual Funds/UTI	65	13373604	2.81
वित्तीय संस्थाएँ / बैंक Financial Institutions/Banks	11	153140	0.03
विदेशी संस्थागत निवेशक (विदेशी वित्तीय संस्थाएँ) Foreign Institutional Investors (Foreign Financial Institutions)	157	71706794	15.06
निगमित निकाय Bodies Corporate	1372	5829446	1.23
अनिवासी भारतीय Non Resident Indians	794	317465	0.06
कर्मचारियों सहित निवासी व्यक्ति Resident Individuals including Employee	166431	48156945	10.11
कुल /TOTAL	168850	476215418	100.00

12. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) लाभांश के भुगतान की एक नई विधि है जिसमें निवेशक की रकम सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जा सकती है। बैंक अपने शेयरधारकों को उनके बैंक खाते में लाभांश सीधे जमा करने की सुविधा का विकल्प उपलब्ध करा रहा है। तथापि शेयरधारक का बैंक खाता बैंक की केन्द्रीयकृत बैंकिंग साल्यूशन (सीबीएस) शाखा में होना चाहिए।

ईसीएस मेन्डेट फॉर्म वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है जिसे फिजिकल शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों द्वारा रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाए। डिमटिरियलाइज रूप में शेयर रखने वाले शेयर धारक ईसीएस मेन्डेट हेतु अपने डिपोजीटरी पार्टिसिपेंट से संपर्क करें। शेयरधारक के कहने पर एनईसीएस के माध्यम से लाभांश प्राप्त करने का विकल्प समाप्त किया जा सकता है।

13. आचार संहिता

बैंक ने निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु प्रयोज्य "आचार संहिता" तैयार की है और इसे 17.10.2005 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड द्वारा अंगीकृत किया गया है तथा यह बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.allahabadbank.in पर भी उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की ओर से की गई इस आशय की घोषणा इस प्रतिवेदन का अंश है।

घोषणा

बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता निर्धारित की है और इसे बैंक की वेबसाइट पर भी डाला है।

बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचार संहिता के अनुपालन की स्वीकारोक्ति दी है।

निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

दिनांक : 02-05-2011
स्थान: कोलकाता

(श्री जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

12. National Electronic Clearing Services (NECS)

National Electronic Clearing Services (NECS) is a novel method of payment of Dividend, where the amount to the investors can directly be credited to his/ her Bank Account. The Bank is offering the services to the shareholders with an option to avail the facility for direct credit of the dividend in their Bank account. However the Bank account of the shareholders should be in Centralized Banking Solution(CBS) Branch of the Bank.

The ECS mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Share Transfer Agent by the shareholders, who are holding shares in physical form. Shareholders holding shares in dematerialized form may contact their respective Depository Participant for their ECS mandate. The option to receive dividend through NECS may be discontinued at any time at the instance of the shareholders.

13. Code of Conduct

The Bank has framed the "Code of Conduct" applicable to the Board of Directors and Senior Management Personnel and the same has been adopted by the Board at its meeting held on 17-10-2005 and the same is available on the Bank's website viz. www.allahabadbank.in

The Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the code on annual basis and a declaration to this effect from the Chairman and Managing director, forms part of this report.

Declaration

The Bank has laid down "Code of Conduct" for all the Board members and Senior Management Personnel of the Bank and the same is posted on the Bank's website.

The Board members and Senior Management Personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct.

For and on behalf of the Board of Directors

Date: 02-05-2011
Place: Kolkata

(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

Auditors' Certificate

इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों के लिए

हमने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ बैंक की सूचीबद्धता करार के खंड 49 में यथानिर्धारित के अनुसार 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु इलाहाबाद बैंक, कोलकाता के कारपोरेट गवर्नेंस की स्थितियों के अनुपालन की जांच की है।

कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

हमारी राय में तथा हमारी उत्तम जानकारी में हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्धता करार में निर्धारित कारपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

हमें यह भी कहना है कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता हेतु आश्वासन है और न ही बैंक के कार्यनिष्पादन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावशीलता है।

To The Shareholders of Allahabad Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Allahabad Bank, Kolkata for the year ended on 31st March 2011, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements with the Stock Exchange(s).

The compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements; to the extent these do not violate RBI guidelines.

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of Bank.

कृते मे. सुदित कुमार पारेख एंड कं.

सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 110512W
For M/S SUDIT K PAREKH & CO.
Chartered Accountants
Firm ICAI Regn. No 110512W

(श्रीकान्त जिल्ला)

पार्टनर
सदस्यता सं. 39461
(Srikant Jilla)
Partner
Membership No. 39461

कृते मे. एस.घोष एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 302184 E
For M/S S. GHOSE & CO
Chartered Accountants
Firm ICAI Regn. No 302184 E

(चंदन चट्टोपाध्याय)

पार्टनर
सदस्यता सं. 51254
(Chandan Chattopodhay)
Partner
Membership No. 51254

कृते मे. पी.ए. एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 313085E
For M/S P.A. & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm ICAI Regn. No. 313085E

(दिलीप कुमार अग्रवाल)

पार्टनर
सदस्यता सं. 55420
(Dilip Kumar Agarwalla)
Partner
Membership No. 55420

कृते मे. के. एम. अग्रवाल

सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 302184 E
For M/S K. M. AGARWAL & Co
Chartered Accountants
Firm ICAI Regn. No 853 N

(सी. पी. मिश्र)

पार्टनर
सदस्यता सं. 073009
(C.P. Mishra)
Partner
Membership No.073009

कृते मे. एम.आर. नारायण एंड कं.

सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 002330S
For M/S M.R. NARAIN & CO.
Chartered Accountants
Firm ICAI Regn. No. 002330S

(एम.एन. वेंकटेशन)

पार्टनर
सदस्यता सं. 22993
(M. N. Venkatesan)
Partner
Membership No 22993

कृते मे. एम.सी. जैन एंड कं.

सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 304012E
For M/S M.C. Jain & Co
Chartered Accountants
Firm ICAI Regn. No 304012E

(मुकेश कु. पटवारी)

पार्टनर
सदस्यता सं. 056623
(Mukesh Kr. Patwari)
Partner
Membership No.056623

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK
31 मार्च, 2011 को यथास्थिति तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2011

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	यथास्थिति 31.03.2011 (₹ हजार में) As on 31.03.2011 (₹ in thousand)	यथास्थिति 31.03.2010 (₹ हजार में) As on 31.03.2010 (₹ in thousand)
पूंजी और देयताएं CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	4,762,154	4,467,000
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	80,311,712	63,062,524
जमा राशियां / Deposits	3	1,318,871,603	1,060,557,540
उधार / Borrowings	4	69,181,774	54,354,751
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	39,736,366	34,550,315
कुल / Total		1,512,863,609	1,216,992,130
आस्तियां / ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	79,009,281	71,837,784
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	31,264,477	19,844,466
विनिधान / Investments	8	432,470,643	384,286,239
अग्रिम / Advances	9	936,248,884	716,048,718
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	10	11,482,285	11,182,746
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	22,388,039	13,792,177
कुल / Total		1,512,863,609	1,216,992,130
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	563,944,857	490,807,906
संग्रहण के लिए बिल / Bills for Collection		39,845,979	29,443,736
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies 17			
लेखा पर टिप्पणी / Notes on Accounts 18			
ऊपर संदर्भित अनुसूचियां लेखे का अभिन्न अंग हैं/ The Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.			

निदेशक / Directors:

श्री एस रामस्वामी / Sh. S Ramaswamy
श्रीमती सुकृति लिखि / Smt Sukriti Likhli
श्री आर एम चतुर्वेदी / Sh. R M Chaturvedi
डॉ. शकील उज़-जमान अंसारी
Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari
श्री गौर दास / Sh. Gour Das
श्री देवेश्वर कुमार कपिला / Sh. Deveswar Kumar Kapila
डॉ. वसंत बाबुराव कौजलगी / Dr. Vasant Baburao Kaujalgi
श्री सुदीप चौधरी / Sh. Sudip Chaudhuri

जे. पी. दूआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
J. P. DUA
Chairman & Managing Director

डी. सरकार
कार्यपालक निदेशक
(D. SARKAR)
Executive Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
(M. R. NAYAK)
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ)
A. B. Bhattacharjee
General Manager
(Finance & Accounts and CFO)

एस. एल. जैन
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(S. L. JAIN)
Assistant General Manager
(Finance & Accounts)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते सुदित कुमार पारेख एंड कं /
For Sudit K Parekh & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 110512 W
(श्रीकान्त जिल्ला) (Srikant Jilla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-39461

कृते एस घोष एंड कं.
For S. Ghose & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 302184 E
(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-51254

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
For P A & Associates
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 313085 E
(दिलीप कुमार अग्रवाल)
(Dillip Kumar Agarwalla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-55420

कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं.
For K. M. Agarwal & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 0853 N
(सी. पी. मिश्रा)
(C. P. Mishra)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-073009

कृते एम. आर. नारायण एंड कं.
For M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 002330 S
(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-22993

कृते एम. सी. जैन एंड कं.
For M. C. Jain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 304012 E
(मुकेश कुमार पटवारी)
(Mukesh Ku Patawari)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-056623

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 2nd May, 2011

इ ला हा बा द बैंक ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2011

विवरण Particulars	अनुसूची Schedule	समाप्त वर्ष 31.03.2011 (₹ हजार में) Year Ended 31.03.2011 (₹ in thousand)	समाप्त वर्ष 31.03.2010 (₹ हजार में) Year Ended 31.03.2010 (₹ in thousand)
आय / INCOME			
अर्जित ब्याज /Interest earned	13	110,146,917	83,692,002
अन्य आय /Other income	14	13,704,127	15,159,023
कुल /Total		123,851,044	98,851,025
II व्यय /EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज /Interest expended	15	69,922,242	57,187,209
परिचालन व्यय /Operating expenses	16	23,383,021	16,178,316
प्रावधान और आकस्मिक व्यय /Provisions & contingencies		16,314,730	13,422,229
कुल /Total		109,619,993	86,787,754
III निवल लाभ / Net Profit			
अग्रानीत शेष /Balance brought forward		14,231,051	12,063,271
कुल /Total		1,251,984	960,926
IV विनियोजन / APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		3,600,000	3,050,000
राजस्व प्रारक्षिति को अन्तरण /Transfer to Revenue Reserve		4,000,000	5,500,000
प्रारक्षिति पूंजी-अन्य को अंतरण / Transfer to Capital Reserve - Others		NIL	97,821
विशेष प्रारक्षिति को अंतरण (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (I)(viii) के अनुसार) आईआरएस प्रारक्षिति को/से अंतरण / Transfer to Special Reserve (in terms of Sec 36(I)(viii) of I.T. Act 1961)		3,560,000	250,000
आईआरएस प्रारक्षिति को/से अंतरण / Transfer to / from IRS Reserve		-61,803	NIL
प्रस्तावित लाभांश / Proposed Dividend		2,857,293	2,456,850
लाभांश पर कर / Tax on Dividends		463,524	417,542
तुलन पत्र में अग्रानीत शेष /Balance carried over to Balance Sheet		1,064,021	1,251,984
कुल / Total		15,483,035	13,024,197
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ/Significant Accounting Policies	17		
लेखा पर टिप्पणी/Notes on Accounts	18		
प्रति शेयर अर्जन (₹.)/Earnings per share (Rs.) (शेयर का अंकित मूल्य ₹. 10/- है) /(Face value of share Rs.10/-)		Basic 31.85	27.01
		Diluted 31.85	27.01

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं
The schedules referred to above form an integral part of the accounts

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date					
निदेशक / Directors:	जे. पी. दुआ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक J. P. DUA Chairman & Managing Director	डी. सरकार कार्यपालक निदेशक (D. SARKAR) Executive Director	एम. आर. नायक कार्यपालक निदेशक (M. R. NAYAK) Executive Director	ए. बी. भट्टाचार्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) A. B. Bhattacharjee General Manager (Finance & Accounts and CFO)	एस. एल. जैन सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (S. L. JAIN) Assistant General Manager (Finance & Accounts)
श्री एस रामस्वामी / Sh. S Ramaswamy श्रीमती सुकृति लिखि / Smt Sukriti Likhri श्री आर एम चतुर्वेदी / Sh. R M Chaturvedi डॉ. शकील उज़-जमान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari श्री गौर दास / Sh. Gour Das श्री देवेश्वर कुमार कपिला / Sh. Deveswar Kumar Kapila डॉ. वसंत बाबूराव कौजलगी / Dr. Vasant Baburao Kaujalgi श्री सुदीप चौधरी / Sh. Sudip Chaudhuri	कृते सुदित कुमार पारेख एंड कं / For Sudit K Parekh & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 110512 W (श्रीकान्त जिल्ला) (Srikant Jilla) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./ Membership No.-39461	कृते पी ए एंड एसोसिएट्स For P A & Associates सनदी लेखाकार / Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No:313085 E (दिलीप कुमार अग्रवाल) (Dillip Kumar Agarwalla) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./ Membership No.-55420	कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं. For K. M. Agarwal & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 0853 N (सी. पी. मिश्रा) (C. P. Mishra) पार्टनर /Partner सदस्यता सं./ Membership No.-073009	कृते एम. आर. नारायण एंड कं. For M. R. Narain & Co. सनदी लेखाकार / Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 002330 S (एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan) पार्टनर / Partner सदस्यता सं./ Membership No.-22993	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Ku Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं./ Membership No.-056623
स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata दिनांक / Date: 2nd May,2011	सदस्यता सं./ Membership No.-51254				

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK

नकदी प्रवाह विवरण-पत्र
Cash Flow Statement

(₹ हजार में)(₹ in thousand)

विवरण / Particulars	2010-11		2009-10	
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Operating Activities				
वर्ष के दौरान अग्रिमों, विनिधानों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from advances, Investments etc.	110,146,917		83,692,002	
अन्य आय / Other Income	13,659,647	123,806,564	15,112,202	98,804,204
घटाएं /Less:				
वर्ष के दौरान जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज Interest paid during the year on Deposit	64,983,235		53,424,137	
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय Operating Expenses including Provisions & Contingencies	39,697,750	104,680,985	29,600,545	83,024,682
जोड़ें: / Add:				
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास/Depreciation on Fixed Assets		663,897		626,962
क. परिचालनों से सृजित नकद लाभ (परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व) a. Cash Profit generated from operations (prior to changes in operating assets and liabilities)		19,789,476		16,406,484
ख. देयताओं में वृद्धि (कमी) : b. Increase (Decrease) in Liabilities जमाराशियां / Deposit	258,314,063		210,839,654	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	4,718,039		3,097,106	
		263,032,102		213,936,760
ग. आस्तियों में कमी (वृद्धि) : c. Decrease (Increase) in Assets:				
अग्रिम / Advances	-220,200,166		-128,031,084	
विनिधान / Investments	-48,184,404		-87,775,742	
अन्य आस्तियां / Other Assets	-8,595,688	-276,980,258	694,617	-215,112,209
क. परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) A. Net Cash Flow from Operating activities (a+b+c)		5,841,320		15,231,035
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Investing Activities				
स्थिर आस्तियों का विक्रय/निपटान Sale/disposal of fixed assets	12,748		7,870	
स्थिर आस्तियों का क्रय/ Purchase of fixed assets	-976,183		-720,060	

नकदी प्रवाह विवरण-पत्र (जारी...) / Cash Flow Statement (Contd....)

(₹ हजार में)(₹ in thousand)

विवरण / Particulars	2010-11	2009-10
ख निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह B. Net Cash Flow from Investing Activities		
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow form Financing activities		
उधार / Borrowings	14,827,023	4,865,384
उधार पर प्रदत्त ब्याज / Interest Paid on Borrowings	-4,939,008	-3,763,072
लाभांश (कर सहित) / Dividends (including tax)	-2,874,392	-1,306,542
भारत सरकार को जारी शेयर/ Issue of Shares to Govt of India	6,700,000	NIL
टियर II बांड का निर्गम एवं बेमियादी ऋण Issue of Tier II Bonds & Perpetual Debt	0	11,000,000
गौण ऋण का शोधन / Redemption of Sub Debt	0	NIL
ग वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी C. Net cash generated from Financing Activities	13,713,623	10,795,770
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग) Total Cash Flow during the year (A+B+C)	18,591,508	25,314,615
घ वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य D. Cash & Cash equivalent at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा अतिशेष Cash & Balances with RBI	71,837,784	51,153,786
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	19,844,466	15,213,849
कुल / Total	91,682,250	66,367,635
ड वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य E. Cash and cash equivalent at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और अतिशेष Cash and Balances with RBI	79,009,281	71,837,784
बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	31,264,477	19,844,466
कुल / Total	110,273,758	91,682,250
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ड-घ) / Total Cash Flow during the year (E-D)	18,591,508	25,314,615

निदेशक / Directors:

श्री एस रामस्वामी / Sh. S Ramaswamy
श्रीमती सुकृति लिखि / Smt Sukriti Likhi
श्री आर एम चतुर्वेदी / Sh. R M Chaturvedi
डॉ. शकील उज़-जमान अंसारी
Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari
श्री गौर दास / Sh. Gour Das
श्री देवेश्वर कुमार कपिला / Sh. Deveswar Kumar Kapila
डॉ. वसंत बाबुराव कौजलगी / Dr. Vasant Baburao Kaujalgi
श्री सुदीप चौधरी / Sh. Sudip Chaudhuri

जे. पी. दूआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
J. P. DUA
Chairman & Managing
Director

डी. सरकार
कार्यपालक निदेशक
(D. SARKAR)
Executive Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
(M. R. NAYAK)
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ)
A. B. Bhattacharjee
General Manager
(Finance & Accounts
and CFO)

एस. एल. जैन
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(S. L. JAIN)
Assistant General Manager
(Finance & Accounts)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते सुदित कुमार पारेख एंड कं /
For Sudit K Parekh & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 110512 W
(श्रीकान्त जिल्ला) (Srikant Jilla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-39461

कृते एस घोष एंड कं.
For S. Ghose & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 302184 E

(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-51254

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
For P A & Associates
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No:313085 E
दिलीप कुमार अग्रवाल
(Dillip Kumar Agarwalla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-55420

कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं.
For K. M. Agarwal & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 0853 N
सी. पी. मिश्रा
(C. P. Mishra)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-073009

कृते एम. आर. नारायण एंड कं.
For M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 002330 S
(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-22993

कृते एम. सी. जैन एंड कं.
For M. C. Jain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 304012 E
मुकेश कुमार पटवारी
(Mukesh Ku Patawari)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-056623

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 2nd May, 2011

अनुसूची

SCHEDULE

	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE - 1 CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी /AUTHORISED CAPITAL	30,000,000	30,000,000
प्रत्येक रु 10/- के 3,00,00,00,000 इक्विटी शेयर 3,00,00,00,000 equity shares of Rs. 10/- each		
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी ISSUED, SUBSCRIBED & PAID UP CAPITAL		
केन्द्र सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 27,62,1,5,418 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 24,67,00,000) 27,62,1,5,418 Equity Shares of Rs.10/- each held by Central Government	2,762,154	2,467,000
जनता एवं अन्य द्वारा धारित प्रत्येक रु. 10/- के 20,00,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each held by Public & Others	2,000,000	2,000,000
कुल /Total :	4,762,154	4,467,000
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS		
I. सांविधिक प्रारक्षितियां / Statutory Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	16,273,871	13,223,871
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	3,600,000	3,050,000
कुल / Total :	19,873,871	16,273,871
II. पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves		
A) पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षितियां / Revaluation Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	8,686,888	8,733,709
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	NIL	NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती /Deduction during the year	NIL	NIL
iv) लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण / Transfer to Profit & Loss Account	(44,480)	(46,821)
कुल /Total :	8,642,408	8,686,888
B) स्थिर आस्तियाँ / Reserve out of sale of Fixed Assets		
i) अथशेष / Opening Balance	103,251	103,251
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	NIL	NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	NIL	NIL
कुल /Total :	103,251	103,251
C) अन्य / Others		
i) अथशेष / Opening Balance	3,409,453	3,311,632
ii) लाभ एवं हानि खाते से अंतरण / Transfer from Profit & Loss Account	NIL	97,821
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year		
कुल / Total :	3,409,453	3,409,453
कुल / Total (A+B+C)	12,155,112	12,199,592

	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
III. राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue & Other Reserves		
i) अथशेष / Opening Balance	25,032,478	19,532,478
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	4,000,000	5,500,000
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year	NIL	NIL
कुल / Total :	29,032,478	25,032,478
IV. विशेष प्रारक्षितियां / Special Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	1,150,000	900,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	3,560,000	250,000
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year		
कुल / Total	4,710,000	1,150,000
V. विदेशी मुद्रा परिवर्तन प्रारक्षिति / Foreign Currency Translation Reserve		
i) अथशेष / Opening Balance	(126,265)	5,765
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additon during the year	NIL	NIL
iii) Deduction/Adj. during the year	(21,413)	(132,031)
कुल / Total:	(147,678)	(126,266)
VI. आई आर एस प्रारक्षिति / I R S RESERVE		
i) अथशेष / Opening Balance	80,865	80,865
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	NIL	NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन/Deduction during the year	(61,802)	NIL
कुल / Total :	19,063	80,865
VII. शेयर प्रीमियम / Share Premium		
i) अथशेष / Opening Balance	7,200,000	7,200,000
ii) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	6,404,846	NIL
iii) वर्ष के दौरान कटौती / Deduction during the year		
कुल / Total :	13,604,846	7,200,000
VIII. लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	1,064,021	1,251,984
कुल / Total :(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	80,311,712	63,062,524

	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 3 - निक्षेप		
SCHEDULE - 3 DEPOSITS		
I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	479,031	571,433
ii) अन्य से / From Others	91,081,202	82,584,031
कुल / Total :	91,560,233	83,155,464
II. बचत बैंक निक्षेप / Savings Bank Deposits	350,004,265	282,711,836
III. मियादी निक्षेप / Term Deposits		
i) बैंकों से / From Banks	8,128,535	9,129,294
ii) अन्य से / From Others	869,178,570	685,560,946
कुल / Total :	877,307,105	694,690,240
कुल / Total : (I+II+III)	1,318,871,603	1,060,557,540
i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India	1,315,059,908	1,057,736,587
ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India	3,811,695	2,820,953
कुल / Total :	1,318,871,603	1,060,557,540

अनुसूची 4 - उधार

SCHEDULE - 4 BORROWINGS

I. भारत में उधार / Borrowings in India

i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	2,500,000	NIL
ii) अन्य बैंक / Other Banks	3,121,641	NIL
iii) अन्य संस्थाएँ एवं अभिकरण / Other Institutions and Agencies	1,315,113	128,437
IV) गौण नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत / Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument.	3,000,000	3,000,000
V) गौण ऋण-अपर टियर II पूँजी / Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	10,000,000	10,000,000
VI) गौण ऋण-टियर II पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	26,119,000	27,119,000
कुल / Total :	46,055,754	40,247,437
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	23,126,020	14,107,314
कुल / Total : (I+II)	69,181,774	54,354,751

उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार

Secured borrowings included in I & II above

NIL

NIL

	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. संदेय बिल / Bills Payable	3,871,215	3,942,742
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / inter Office Adjustment (Net)	2,426,895	1,853,914
III. उपचित ब्याज / Interest Accrued	5,459,648	4,107,615
IV. आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	758,635	239,214
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	27,219,973	24,406,829
कुल / Total :	39,736,366	34,550,314

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष

SCHEDULE - 6 CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

I. रोकड़ शेष / Cash in hand (विदेशी करेंसी नोट सहित)(including foreign currency notes)	3,567,098	3,798,799
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष / Balances with Reserve Bank of India		
- चालू खाते में / - in Current Account	75,442,183	68,038,984
- अन्य खातों में / - in Other Accounts	NIL	NIL
कुल / Total :	79,009,281	71,837,783

अनुसूची 7 - बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन

SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

I. भारत में / In India

i. बैंकों में अतिशेष / Balances with Banks		
a) चालू खातों में / in Current Accounts	2,491,628	3,392,147
b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	1,849,666	2,949,650
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में / with Banks	9,422,961	NIL
b) अन्य संस्थाओं में / with Other Institutions	2,400,000	NIL
कुल / Total : (i + ii)	16,164,255	6,341,797

II. भारत के बाहर / Outside India

i. बैंकों में अतिशेष / Balances with Banks		
a) चालू खातों में / in Current Accounts	8,232,612	4,298,178
b) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	NIL	NIL
ii. मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at Call and Short Notice		
a) बैंकों में / With Banks	6,867,610	9,204,491
b) अन्य संस्थाओं में / With Other Institutions	NIL	NIL
कुल / Total : (i + ii)	15,100,222	13,502,669
कुल / Total : (I+II)	31,264,477	19,844,466

	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 8 - विनिधान		
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS		
I. भारत में विनिधान / Investments in India in		
i. सरकारी प्रतिभूतियाँ / Government Securities	351,035,281	309,829,425
ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	1,188,444	1,382,736
iii. शेयर / Shares	4,400,236	4,690,410
iv. डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures & Bonds	23,633,139	16,242,940
v. अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उपक्रमों में विनिधान Investments in Subsidiaries and / or Joint Ventures	1,172,204	1,172,204
vi. अन्य (म्युचुअल फंड, यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc.)	51,041,339	50,968,524
कुल / Total :	432,470,643	384,286,239
II. सकल विनिधान / Gross Investments		
घटाएं अवक्षय हेतु प्रावधान / Less: Provision for Depreciation	2,977,777	2,518,037
निवल विनिधान / Net Investments	432,470,643	384,286,239
III. भारत के बाहर विनिधान / Investments Outside India		
कुल / Total (I+III) :	432,470,643	384,286,239
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE - 9 ADVANCES		
क/A i. क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	40,543,460	21,841,484
ii. नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण / Cash credits, Overdrafts and loans repayable on demand	405,139,660	298,053,178
iii. मियादी ऋण / Term Loans	490,565,764	396,154,056
कुल / Total :	936,248,884	716,048,718
ख/B i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against book debts)	776,889,624	575,987,521
ii. बैंक/सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	34,514,447	17,057,949
iii. अप्रतिभूत / Unsecured	124,844,813	123,003,248
कुल / Total :	936,248,884	716,048,718
ग/C I. भारत में अग्रिम / Advances in India		
i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	307,637,300	242,793,500
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	147,866,409	91,478,586
iii. बैंक / Banks	NIL	NIL
iv. अन्य / Others	451,715,340	373,320,079
कुल / Total :	907,219,049	707,592,165
II. भारत से बाहर अग्रिम / Advances outside India		
a) बैंक से देय / Due from Bank	19,791,067	3,736,156
b) अन्य से देय / Due from others		
i) क्रय किए गए एवं भुनाए गए बिल / Bills Purchased & Discounted	699,816	680,390
ii) सामूहिक ऋण / Syndicated Loan	7,498,680	3,342,096
iii) अन्य / Others	1,040,272	697,911
कुल / Total :	29,029,835	8,456,553
कुल / Total : (CI+CII)	936,248,884	716,048,718

	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियाँ		
SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS		
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसर सहित) /		
Premises (including Revalued Premises)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकित राशि पर At cost / Revalued amount as on 31st March of the preceding year	9,983,214	9,968,693
ii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	NIL	NIL
iii. वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	8,147	14,521
	9,991,361	9,983,214
iv. वर्ष के दौरान कटौतियाँ / समायोजन / Deductions/ Adjustment during the year	NIL	NIL
	9,991,361	9,983,214
v. बही मूल्य की तिथि को मूल्यहास Depreciation to date on book value	279,866	255,242
	9,711,495	9,727,972
vi. पुनर्मूल्यन तिथि को मूल्यहास Depreciation to date on revaluation	439,280	394,800
कुल / Total	9,272,215	9,333,172
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)		
Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
i. पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	6,505,701	5,808,033
ii. वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	968,036	705,538
	7,473,737	6,513,571
iii. वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	11,717	7,870
	7,462,020	6,505,701
iv. गत वर्ष से संबंधित समायोजन / Adjustment Related to previous year	(1,030)	NIL
	7,460,990	6,505,701
v. तिथि को मूल्यहास / Depreciation to date	5,250,920	4,656,127
कुल /Total:	2,210,070	1,849,574
कुल / Total :(I+II)	11,482,285	11,182,746

	यथास्थिति As on 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	यथास्थिति As on 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE - 11 OTHER ASSETS		
i. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter Office Adjustment (Net)	NIL	NIL
ii. उपचित ब्याज / Interest Accrued	7,064,690	4,923,149
iii. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (निवल) Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	3,792,894	2,361,894
iv. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and Stamps	97,089	82,787
v. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	NIL	323
vi. अन्य (विविध देनदार एवं उचंचत) / Others (Sundries and Suspense)	11,433,366	6,424,024
कुल / Total :	22,388,039	13,792,177

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं

SCHEDULE - 12 CONTINGENT LIABILITIES

I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अपीलाधीन विवादित आयकर मांगों सहित) Claims against the bank, not acknowledged as debts (including disputed Income Tax demands under appeals)	26,550,516	9,372,748
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments	1,600	1,600
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	399,085,554	370,658,925
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(i) भारत में / - In India	40,947,122	44,293,428
(ii) भारत के बाहर /-Outside India	4,205,493	4,466,326
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	92,736,153	61,628,228
VI अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	418,419	386,651
कुल / Total :	563,944,857	490,807,906

	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
--	--	--

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

I) अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances / bills	82,741,766	63,984,654
II) निवेशों पर आय / Income on investments	26,702,663	19,447,617
III) भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	546,852	251,737
IV) अन्य / Others	155,636	7,993
कुल / Total	110,146,917	83,692,001

अनुसूची 14 - अन्य आय

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

I) कमीशन, विनिमय और दलाली /Commission, exchange & brokerage	7,837,422	6,489,377
II) निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ (निवल)/ Profit on sale of investments(net)	1,614,772	7,633,362
iii) निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ (निवल) / Profit on Revaluation of Investment (net)	-12,382	-1,867,904
IV) भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Building and Other Assets (net)	-50	-5,607
V) विनिमय लेनदेनों पर लाभ (निवल) / Profit on exchange transactions (net)	730,215	484,825
V) भारत में अनुषंगियों /कंपनियों तथा / अथवा संयुक्त उपक्रमों इत्यादि से लाभांश इत्यादि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from Subsidiaries/ companies and / or joint ventures etc. in India.	101,897	135,073
VI) विविध आय / Miscellaneous Income	3,432,253	2,289,897
कुल / Total	13,704,127	15,159,023

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

I) जमा राशियों पर ब्याज / Interest on deposits	64,983,234	53,424,137
II) भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on RBI/Inter bank borrowings	482,128	397,333
III) अन्य / Others	4,456,880	3,365,739
कुल / Total	69,922,242	57,187,209

	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2011 (₹ हजार में) (₹ in thousand)	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2010 (₹ हजार में) (₹ in thousand)
अनुसूची 16 - परिचालन व्यय		
SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES		
I) कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	15,576,240	10,113,792
II) भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, Taxes and Lighting	2,018,006	1,765,438
III) मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	220,040	207,640
IV) विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	358,247	216,379
V) बैंक की सम्पत्ति पर अवक्षय / Depreciation on Bank's property	663,897	626,962
VI) निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	11,975	9,838
VII) लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	179,098	161,429
VIII) विधि प्रभार / Law charges	135,818	69,022
IX) डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postages, Telegrams, Telephones etc	244,822	236,265
X) मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	412,818	243,667
XI) बीमा / Insurance	999,084	789,081
XII) अन्य व्यय / Other expenditure	2,562,976	1,738,803
कुल / Total	23,383,021	16,178,316

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा का आधार :

- (i) वित्तीय विवरणों को, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया है।
- (ii) वित्तीय विवरणियाँ भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित विषयों पर समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शी निर्देशों के अनुरूप भी हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एवं उद्घोषणा तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धति।

2. विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन :

2.1 भारत के बाहर शाखाओं/कार्यालयों हेतु :

- i) विदेशी शाखाओं को 'नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है :
 - (क) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकस्मिक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।
 - (ख) राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपरिवर्तित की जाती हैं।
 - (ग) सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व' में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को 'इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
 - (क) सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।
 - (ख) गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती हैं।
 - (ग) राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
 - (घ) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि खाते में लिया गया है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैंक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाता है।

2.2 भारत में शाखाओं हेतु

- (i) विदेशी मुद्रा शेष भले ही आस्ति अथवा देयताएँ हों (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना इत्यादि के अंतर्गत संग्रह की गई जमारारिशियों सहित) और बकाया वायदा विनिमय सविदाओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) द्वारा यथासूचित दरों पर संपरिवर्तित किया जाएगा।

फेडाई के दिशानिर्देशानुसार वायदा विनिमय करार के पूनर्मूल्यन से जनित लाभ/हानि तथा नोस्ट्रो खातों को राजस्व के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

Schedule 17 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Basis of Accounting:

- (i) The financial statements have been prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.
- (ii) The financial statements also conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time in respect of income recognition, asset classification, provisioning and other related matters. Accounting Standard and pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the banking industry in India.

2. Transactions involving Foreign Exchange:

2.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as "Non-integral Foreign Operations" and their financial statements are translated as follows:
 - a) Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the end of each quarter.
 - b) Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - c) All resulting exchange difference is accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as "Integral Foreign Operations" and their financial statements are accounted for as follows:

- a) All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
- b) Non-monetary items are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
- c) Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
- d) All resulting exchange differences are accounted for in Profit & Loss Account.
- (iii) Advances are classified under categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances are made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

2.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय तथा व्यय मदों को लेनदेन के दिन लागू विनियम रूलिंग दरों पर परिवर्तित किया जाता है।
- (iii) गारंटियों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य दायित्वों का मूल्य वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा सूचित प्रचलित बाजार दर पर आंका जाता है।

3. निवेश :

- (i) बैंक के निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन प्रवर्गों यथा 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित', 'विक्रय हेतु उपलब्ध' तथा में वर्गीकृत किया जाता है।
- (ii) निवेशों के प्रकटीकरण को निम्नलिखित छह समूहों में और वर्गीकृत किया जाता है :
- (क) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- (ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- (ग) शेयर,
- (घ) डिबेंचर एवं बॉण्ड,
- (ङ) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यम तथा
- (च) अन्य
- (iii) (क) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (ख) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों भीतर विशेष रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (ग) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (घ) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप कि जाती है।
- (ङ) आनुषंगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (iv) 'परिपक्वता तक धारित' (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से इतर) के रूप में वर्गीकृत निवेश प्राप्ति लागत पर लिए जाते हैं। यदि प्राप्ति लागत अंकित मूल्य से अधिक हो तो अतिरिक्त राशि को परिपक्वता की शेष अवधि हेतु परिशोधित किया जाता है और इसके लिए निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:
- (क) अग्रिमों के लिए प्रयोज्य भारतीय रिजर्व बैंक के आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान के विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करते हुए अग्रिम स्वरूप के डिबेंचरों/ बॉण्डों के मूल्य में अवक्षय।
- (ख) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में हास, अस्थायी के अलावा।
- (v) 'विक्रय हेतु उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत निवेशों को तिमाही अंतराल पर बाजार स्क्रिप-वार चिह्नित किया जाता है तथा परिणामी निवल अवक्षय को अभिज्ञात किया जाता है और यदि वृद्धि हो, तो उसे प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत अनदेखा किया जाता है। एकल स्क्रिप के बही मूल्य में ऊपर बताए हुए पुनर्मूल्यन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है।
- (vi) 'व्यापार हेतु धारित' रूप में वर्गीकृत निवेशों को स्क्रिप-वार मासिक अंतराल पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है तथा परिणामी निवल हास को अभिज्ञात किया जाता है, यदि वृद्धि हो, तो उसे प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत अनदेखा किया जाता है। एकल स्क्रिप के बही मूल्य में ऊपर बताए अनुसार पुनर्मूल्यन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता है।

(ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.

(iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

3. Investments:

- (i) Investments are classified in accordance with RBI guidelines under three categories viz. "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale".
- (ii) The disclosures of Investments are further classified into the following six groups :
- a) Government Securities,
- b) Other Approved Securities,
- c) Shares,
- d) Debentures & Bonds,
- e) Subsidiaries/ Joint Ventures and
- f) Others
- (iii) a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for sale.
- d) An investment is classified as Held to Maturity, Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- e) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.
- (iv) Investments classified as 'Held to Maturity' (other than in Regional Rural Banks) are carried at acquisition cost. In case the acquisition cost is higher than the face value, the excess is amortized over the period remaining to maturity and provision is made for:
- a) Depreciation in the value of debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advances by applying the RBI prudential norms of asset classification and provisioning applicable to advances.
- b) Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries / joint ventures.
- (v) Investments classified as "Held for Trading" are revalued scrip-wise at monthly interval and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vi) Investments classified as "Available for Sale" are marked to market scrip-wise at quarterly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को रखाव लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

(viii) अनुपयोज्य प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज/मूलधन 90 दिनों से अधिक की अवधि से बकाया हो) के मामले में आय अभिज्ञात नहीं की जाती है तथा आस्ति वर्गीकरण का विवेकपूर्ण मानदण्ड अपनाते हुए प्रतिभूतियों के मूल्य में अवक्षय हेतु समुचित प्रावधान किया जाता है और ऐसे अवक्षय को अन्य निष्पादक प्रतिभूतियों में वृद्धि के बदले सेट-आफ नहीं किया जाता है।

(ix) निवेशों की प्राप्ति की लागत :

- ◆ सब्सक्राइब की गई प्रतिभूतियों के मामले में प्रोत्साहन तथा कमीशन और फ्रंट-एंड शुल्क का निवल है।
- ◆ कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेन-देन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी शामिल नहीं है।

(x) निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ/हानि को लाभ एवं हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है। 'परिपक्वता तक धारित' वर्गीकरण में निवेशों के विक्रय से प्राप्त लाभ के समतुल्य राशि को पहले लाभ एवं हानि लेखा में लाया जाता है तत्पश्चात इसे 'पूँजी आरक्षित खाता' में विनियोग किया जाता है।

(xi) निवेशों के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन या एफआईएमएडीए/पीडीएआई द्वारा प्रस्तुत दरों को अपनाया जाता है। ऐसे कोटेशनों/दरों के अभाव में बाजार मूल्य का निर्धारण एफआईएमएडीए/पीडीएआई अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार समुचित परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर किया जाता है।

(xii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के स्वैप का मूल्यन निम्नानुसार किया जाता है।

(छ) हेज स्वैप

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्विष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है।

स्वैप के निरसन पर होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों/देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

(ज) ट्रेडिंग स्वैप

ट्रेडिंग स्वैप लेनदेनों को वित्तीय विवरणों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।

4. अग्रिम

- (i) अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोज्य एवं अनुपयोज्य अग्रिमों में वर्गीकृत किए जाते हैं तथा अनुपयोज्य अग्रिमों हेतु प्रावधान के निवल के रूप में दर्शाए जाते हैं।
- (ii) तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उपयोज्य) हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएँ एवं प्रावधान" के तहत शामिल किया जाता है।

5. स्थिर आस्तियाँ और मूल्यहास

- (i) कतिपय परिसरों के अलावा, जिन्हें उनकी पुनर्मूल्यांकित राशि में दर्शाया गया है, अन्य परिसरों और अन्य स्थिर आस्तियों को उनकी पूर्ववर्ती लागत पर दर्शाया जाता है।
- (ii) निर्माण अवधि के दौरान किए गए पूंजीगत व्यय को 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- (iii) अवक्षय का प्रावधान, एएलपीएम एवं कम्प्यूटरों को छोड़कर, जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीधी पद्धति 33.33% की दर से

(vii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

(viii) In respect of non-performing securities (where interest/principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.

(ix) Cost of acquisition of investments:

- ◆ is net of incentives/commission and front-end fees received in case of securities subscribed, and
- ◆ excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.

(x) Profit/loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. An amount equivalent to the profit on sale of investments under "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter, appropriated to the "Capital Reserve Account".

(xi) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per norms laid down by the Reserve Bank of India.

(xii) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

g) Hedge Swaps

Interest rate swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an assets or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements.

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

h) Trading Swaps

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

4. Advances:

- (i) Advances are classified as performing and non-performing as per guidelines prescribed by RBI and are shown net of provisions for non-performing advances.
- (ii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in "Other Liabilities and Provisions".

5. Fixed Assets and Depreciation:

- (i) Premises including Freehold and other Fixed Assets are stated at historical cost except certain premises, which are stated at their revalued amount.
- (ii) Capital expenditure incurred during construction period is included under 'Other Assets'.
- (iii) Depreciation is provided on diminishing balance method at the rates and the manner prescribed in Schedule XIV

अवक्षय का प्रावधान है, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर हासमान शेष पद्धति के आधार पर किया जाता है।

- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त अवक्षय की राशि को आरक्षित पूंजी से लाभ व हानि लेखे में अंतरित किया जाता है।
- (v) लीजहोल्ड भूमि पर प्रीमियम को लीज की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।
- (vi) विदेशी शाखाओं की स्थिर आस्तियों पर अवक्षय की गणना उस देश में प्रचलित कानून के अनुसार की जाती है।

6. अमूर्त आस्तियाँ (कंप्यूटर सॉफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु सॉफ्टवेयर, जिस विशिष्ट सॉफ्टवेयर के बिना कम्प्यूटर परिचालित नहीं हो सकता, संबद्ध हार्डवेयर का अभिन्न भाग है, तथा अचल आस्ति माना जाता है। जहाँ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है वहाँ कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को अमूर्त आस्ति माना जाएगा।
- (ii) वेंडरों से प्राप्त कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को तब अमूर्त आस्ति माना जायेगा जब सॉफ्टवेयर का मूल्य/लागत रु. 10.00 लाख से अधिक हो। इस प्रकार की अमूर्त आस्तियाँ उनकी क्रियाशील अवधि के दौरान अधिकतम 10 वर्ष की अवधि तक परिशोधित की जाती है।

7. कर्मचारी लाभ :

- (i) बैंक ने कर्मचारी लाभ के संबंध में अपनी देयताओं की मान्यता हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित)- कर्मचारी लाभ लागू किया है।
- (ii) दीर्घावधि कर्मचारी लाभों के प्रति देयता का निर्धारण नीचे उल्लिखित नीतियों के अनुसार वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमांककों द्वारा परियोजित इकाई प्रणाली का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है।

क. ग्रेच्युटी

बैंक यथास्थिति ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972/सेवा पंचादों/सेवा विनियमनों के प्रावधानों के संबंध में अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति अथवा मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति आदि के मामलों में ग्रेच्युटी का भुगतान करता है। ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान ग्रेच्युटी के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है।

ख. पेंशन (एबीआरपीआर):

इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 (एबीआरपीआर) के अंतर्गत बैंक उन कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करता है जिन्होंने इस विनियमन के अंतर्गत पेंशन का विकल्प दिया है और उन कर्मचारियों को भी जो बैंक सेवा में 29.09.1995 से 31.3.2010 की अवधि के दौरान आए हैं। इस योजना में वेतन और अर्हक सेवा के आधार पर, सेवा निवृत्ति/मृत्यु, जैसा भी मामला हो, की स्थिति में इन कर्मचारियों को मासिक आधार पर पेंशन देने का प्रावधान है। एबीआईपीआर-1995 के अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के पात्र नहीं हैं। पेंशन के भुगतान हेतु बैंक के अंशदान से सृजित निधि का रखरखाव आंतरिक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। बैंक इस निधि में अपना अंशदान पेंशन के संबंध में अपनी देयता के बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

of the Companies Act, 1956 except that in respect of ALPMs and Computers, where depreciation is provided on straight line method @ 33.33% as per guidelines of Reserve Bank of India.

- (iv) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit & Loss Account.
- (v) Premium on leasehold land is amortized over the period of the lease.
- (vi) Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

6. Intangible Assets (Computer Software)

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an integral part of related hardware and is treated as fixed assets. Where the software is not an integral part of the related hardware, computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than Rs.10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

7. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.
- (ii) Liability towards long term defined employee benefits is determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the year-end by using Projected Unit Credit method as per policies mentioned herein below:

a. Gratuity:

The Bank pays gratuity in case of retirement or death or resignation or termination etc. of its employees, having regard to the provisions of Payment of gratuity Act, 1972 / Service Awards / Service Regulations, as the case may be. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of gratuity. The Bank makes contribution to this fund on the basis of actuarial valuation of its liability.

b. Pension (ABRPR):

The Bank pays pension under Allahabad Bank (Employees) Pension Regulations, 1995(ABEPR) to employees, who exercised option under the Regulations and also to Employees joining the Bank' Service during the period from 29/09/1995 to 31.03.2010. The plan provides for a pension / family pension on monthly basis in respect of these employees on their retirement / death, as the case may be, based on the salary and qualifying service of the respective employees. Employees covered under ABEPR – 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident Fund. A fund created out of Bank's contribution is maintained by an in-house Trust for payment of Pension. The bank makes contributions to this Fund on the basis of actuarial valuation of its liability in respect of Pension, which is conducted by approved Actuary .

ग. अवकाश किराया रियायत (एलएफसी)

यह सुविधा कर्मचारियों को प्रदान की जाती है और इसमें उद्योगवार समझौता/अवार्ड के अनुसार समय-समय पर यथासंशोधित सेवा नियमों के अनुसार योजना के अंतर्गत यथापरिभाषित संबंधित कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के संबंध में किए गए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल हैं। यह गैर निधिक योजना है और बैंक अपनी योजना के अंतर्गत अवकाश किराया रियायत देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है। यह मूल्यन प्रत्येक तिमाही में किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। एलएफसी से संबंधित भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

घ. अवकाश नकदीकरण

बैंक एलएफसी सुविधा का उपयोग करने वाले कर्मचारियों को सेवा के चार वर्षों के ब्लाक में अधिकतम 30 दिनों के साधिकार अवकाश शेष के नकदीकरण की अनुमति प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने पर कर्मचारी के खाते में जमा साधिकार अवकाश, अधिकतम 240 दिनों के नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है। कर्मचारी द्वारा सेवा से त्यागपत्र देने के मामले में नकदीकरण की राशि शेष साधिकार अवकाश के 50% और अधिकतम 120 दिनों तक सीमित है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इस योजना के अंतर्गत अवकाश नकदीकरण देयता के संबंध में प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है यह मूल्यन किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है। ऐसे अवकाश नकदीकरण का भुगतान बैंक के लाभ-हानि खाते से किया जाता है।

ङ. बीमारी छुट्टी

बैंक किसी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा आधार पर बीमारी छुट्टी पर चले जाने से उत्पन्न किसी आकस्मिकता हेतु अपनी देयताओं के लिए प्रावधान करता है जो प्रचलित सेवा शर्तों/नियमों के अनुसार अनुज्ञेय है। यह गैर निधिक योजना है और बैंक इसका प्रावधान बीमांकिक मूल्यन के आधार पर करता है जो किसी अनुमोदित बीमांकिक द्वारा किया जाता है।

- (iii) भविष्य निधि के संबंध में किसी अवधि हेतु निधि में किया गया अंशदान व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ और हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।
- (iv) दिनांक 27.04.2010 के उद्योग-वार समझौता/संयुक्त नोट के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को अथवा बाद में बैंक की सेवा में आए कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना द्वारा रक्षित हैं।
- (v) अल्पावधि कर्मचारी लाभ को उस वर्ष के लाभ हानि लेखा में अबट्टाकृत राशि में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती है।

8. आय और व्यय का अभिज्ञान

निम्नलिखित के अलावा आय-व्यय का हिसाब उपचय आधार पर किया जाता है

- i) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली की मात्रा तक अभिनिर्धारित किया जाता है।
- ii) आय कर की वापसी पर ब्याज से प्राप्त आय और ब्याज कर की गणना संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश जारी किए जाने वाले वर्ष में की जाती है।

9. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

c. Leave Fare Concession (LFC):

This facility is granted to the employees and extends to reimbursement of travelling expenses incurred for the family members of the employee concerned, as defined under the Scheme, in terms of service rules as amended from time to time as per Industry wide Settlements / Awards. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its liability in respect of Leave Fare Concession under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment in respect of LFC facility is made through the Profit and Loss Account.

d. Leave Encashment:

The Bank permits encashment of Privilege Leave balance to its employees availing LFC facility, up to the maximum limit of 30 days' leave in a block of four years of service. Encashment of privilege leave standing to the credit of an employee is also permitted in case of retirement or death subject to a maximum of 240 days. In case of resignation from the service by an employee, such encashment is restricted to 50% of the balance of privilege leave subject to a maximum of 120 days. It is a non-funded scheme and the Bank maintains a provision on account of its leave encashment liability under the Scheme on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary. Payment of such leave encashment is made through the Profit and Loss Account.

e. Sick Leave:

The Bank maintains a provision for its liability on account of any contingency arising out of employees going on sick leave on medical ground, which is permissible in terms of prevailing service conditions / rules. It is a non-funded scheme and the Bank maintains the provision on the basis of actuarial valuation, which is conducted by approved Actuary.

- (iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to Profit & Loss account.
- (iv) In terms of Industry wide Settlement/Joint Note dated 27.04.2010, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are covered by defined contribution retirement benefit scheme.
- (v) Short-term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.

8. Recognition of Income and Expenditure:

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis other than those stated below:

- (i) Interest and Other Income on advances classified as non-performing assets are recognized to the extent realized.
- (ii) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year the order is passed by the concerned assessing officer.

9. Lease

Rentals received by the Bank are recognized in the profit and loss account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account.

10. प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 “प्रति शेयर अर्जन” के अनुसार की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर बेसिक अर्जन की गणना अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निवल आय को भाग करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

11. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू (न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) सहित) और आस्थगित दोनों करों हेतु किया जाता है। कर योग्य आय पर चालू कर का प्रावधान, प्रयोज्य कर दर और कर नियमों का प्रयोग करके किया जाता है। लेखा मानक 22 के अनुपालन में : भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “आय पर करों हेतु लेखा”, समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बन जाने वाले कर नियमों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियाँ तब तक अभिज्ञात नहीं की जाती जब तक कि यह ‘वास्तव में निश्चित’ न हो जाए कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिससे आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी।
- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्ति के रूप में तभी माना जाएगा जब ऐसा पुष्ट प्रमाण हो कि कंपनी आय-कर अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट अवधि के अंदर सामान्य कर का भुगतान कर देगी।

12. नकदी एवं समतुल्य नकदी

नकदी एवं समतुल्य नकदी में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष शामिल है।

13. अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ‘इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस’ को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 ‘इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस’ के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

14. आकस्मिक देयताएँ तथा प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 प्रावधान, ‘आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ’ के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।
- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया गया :
 - क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं है।
 - ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :

10. Earnings Per Share

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are reported in accordance with the Accounting Standard 20 “Earnings per share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share are computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

11. Taxation

- (i) Provision is made for both current tax (including Minimum Alternative Tax - MAT) and deferred tax. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. In compliance with Accounting Standard 22 :Accounting for Taxes on Income” issued by the Institute of Chartered Accountants of India, deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.
- (ii) Minimum Alternative Tax (MAT) credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the period specified under the Income Tax Act 1961.

12. Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalent include cash on hand and in ATM's and balances with RBI.

13. Impairment of Losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impaired of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

14. Contingent Liabilities and Provisions & Contingent Assets

- (i) In conformity with AS 29. “Provisions, Contingent Liabilities and contingent Assets”. Issued by the Institute of Chartered Accounts of India, the Bank recognizes provisions only when It has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.
- (ii) No provision is recognized for
 - a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
 - b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because

- | | |
|--|---|
| <p>i) यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा अथवा</p> | <p>i) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or</p> |
| <p>ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो। ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।</p> | <p>ii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. Such obligations are recorded as contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.</p> |
| <p>iii) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया गया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूली नहीं जा सकती।</p> | <p>(iii) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that never be realized.</p> |

अनुसूची-18 लेखा टिप्पणियाँ

SCHEDULE - 18 NOTES ON ACCOUNTS

1. (i) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोज्य तथा अनुपयोज्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- (ii) बैंक के वित्तीय स्थायित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से 31.03.2011 को सकल अनुपयोज्य अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान के सापेक्ष रु. 48.00 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 48.00 करोड़) का अतिरिक्त विवेक सम्मत चल प्रावधान किया गया।
2. (i) अंतर शाखा समाधान के अंतर्गत प्रविष्टियों का आरंभिक मिलान 31.03.2011 तक किया गया है। शाखा समायोजन खाते में शेष के साथ तथा प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं सहित शाखाओं की आपस में बेमेल प्रविष्टियों का समाधान कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 30.09.2010 तक की अवधि की अंतर शाखा लेखा की नामे तथा जमा प्रविष्टियों के पृथक्करण तथा 31.03.2011 तक के शेष बकाया का परिणाम निवल जमा के रूप में रहा, अतः कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।
- (ii) कुछ शाखाओं में जमा, अग्रिम एवं नोस्ट्रो खाते के संबंध में विवरणों की तैयारी/खातों के मिलान/समाधान का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति के मद्देनजर प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्त्विक नहीं होगा।
- (ii) भा. रि. बैं. के निदेशों के अनुसार, जैसा कि दिनांक 17 मार्च, 1998 के उनके डीबीएस.सीओ.एसएमसी.423.22.04.001/97-98 में शामिल है, 330 शाखाओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत लेखा शीर्षों में पुराना अंतर, जो कि रु.141.39 करोड़ निवल ऋण है, को वर्ष 2000 एवं 2004 के दौरान प्रधान कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था एवं "आकस्मिक लेखा-सामान्य" में रखा गया था। भा.रि.बैं ने दिनांक 09 दिसंबर, 2010 के अपने डीबीएस.सीओ.एसएमसी. सं. 8002/22.04.001/2010-11 के अनुसार इन 330 शाखाओं को, एरियर वाली शाखाओं के रूप में, बही तुलन पर बैंक के तिमाही विवरण में रिपोर्ट नहीं करने की अनुमति दी है।
3. विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु (आस्थगित कर सहित) बैंक द्वारा रु. 1822.95 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1315.35 करोड़) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
4. (i) (क) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांककों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः रु.125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), रु.370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा रु.298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित मूल्य पर किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के कारण रु.4.45 करोड़ (विगत वर्ष में रु.4.68 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 (मद vii) में 'अन्य आय' शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।
- 1.(i) Adequate provision has been made in respect of Performing and Non-performing Advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- (ii) Prudential Floating Provision of Rs.48.00 Crore (Previous Year Rs.48.00 Crores) is held as at 31.03.2011 in respect of gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthen the financial stability of the Bank.
2. (i) Under Inter-Branch reconciliation, initial matching of entries has been done upto 31.03.2011. Reconciliation of unmatched entries with the balance in Branch Adjustment account and transactions between Head Office and branches including branches inter-se is in progress. Further, in terms of RBI's circular, segregation of debit and credit entries in Inter Branch Account pertaining to the period upto 30.09.2010 and remaining outstanding as on 31.03.2011 have resulted in net credit, hence no provision is required.
- (ii) At some branches, preparation of details / balancing / reconciliation of accounts relating to Balances with Banks and NOSTRO Accounts are in progress. Since substantial progress has been made in the above areas, the management is of the view that the impact of reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.
- (iii) In terms of RBI directives as contained in their DBS.CO.SMC.423.22.04.001/97-98 dated March 17, 1998, old difference in various Personal & Impersonal Account Heads in respect of 330 branches aggregating net credit of Rs. 141.39 crores was transferred to Head Office during the year 2000 & 2004 and kept in "Coningency Account- General". The RBI in terms of their letter no. DBS.CO.SMC.No. 8002/22.04.001/2010-11 of December 09, 2010 have permitted not to report these 330 branches as arrear carrying branches to Reserve Bank of India in Bank's quarterly statement on Balancing of Books.
3. The provision for income tax (including deferred tax) aggregating to Rs.1822.95 Crores (previous year Rs. 1315.35 Crores) held is considered adequate by the Bank after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
4. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to Rs. 125.99 Crores (commercial and residential), Rs.370.08 Crores (commercial and residential) and Rs. 298.32 Crores (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of Rs.4.45 Crores (previous year Rs.4.68 Crores) on account of revaluation has been transferred from Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head "Other Income" included in Schedule No. 14 item (vii).

- (ii) जहाँ भूखंड की अलग लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय को भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर प्रभारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नांकित सम्पत्तियों हेतु पंजीकरण की औपचारिकताएँ पूरी की जानी हैं :-
- क. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियाँ खरीदी गईं जिनकी मूल लागत रु. 0.86 करोड़ (पिछला वर्ष रु. 0.86 करोड़) है।
- ख. आनंद लोक, नई दिल्ली में एक पट्टाधारित संपत्ति जिसकी मूल लागत रु.0.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 0.23 करोड़) है।
- (v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नानुसार है।
- (ii) Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land has been amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) For the following properties registration formalities are yet to be completed:
- a. 2 residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of Rs.0.86 Crores (Previous year Rs.0.86 Crores).
- b. 1 leasehold property at Anandlok, New Delhi with original cost amounting to Rs. 0.09 Crores (previous year Rs.0.23 Crores).
- (v) Other Assets include intangible Assets, details of which are as under. (₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
अथ शेष / Opening Balance	20.05	12.38
वर्ष के दौरान जोड़ / Additions during the year	19.19	10.04
वर्ष के दौरान परिशोधित / Amortized during the year	3.65	2.37
इति शेष / Closing Balance	35.59	20.05

5. (i) रु.0.44 करोड़ (विगत वर्ष रु.0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/ वेंचर कैपिटल फंड की यूनितों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश रु. 770.89 करोड़ (विगत वर्ष रु. 849.82 करोड़) रहा।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार शून्य करोड़ (विगत वर्ष रु. 9.78 करोड़) की राशि, जो कि “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, को पूंजी प्रारक्षित खाते में अंतरित किया गया है।
- (iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3(iii) में उल्लिखित है, “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर रु. 83.33 करोड़ (विगत वर्ष रु.112.32 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि लेखा के “निवेश से आय” शीर्ष में विनिधान के पुनर्मूल्यन में हानि के रूप में दर्शाया गया है।
6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।
7. वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमान्य आबंटन आधार पर रु. 217/- प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक रु. 10/- के 2,95,15,418, इक्विटी शेयर, जो कि रु. 670.00 करोड़ (लगभग) है, जारी किया। रु. 670.00 करोड़ (लगभग) में से, 29.52 करोड़ (लगभग) शेयर पूंजी खाते में एवं रु. 640.48 करोड़ (लगभग) शेयर प्रीमियम खाते में जमा किया गया।
5. (i) In respect of Investments of face value of Rs.0.44 Crore (Previous year Rs.0.44 Crore), the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual fund / venture capital funds and also advances against shares aggregate to Rs. 770.89 Crores (Previous year Rs. 849.82 Crores).
- (iii) As per RBI guidelines, an amount of Rs NIL Crores (Previous Year Rs.9.78 Crores) being an amount equivalent to post Tax profit on sale of ‘Held to Maturity’ category securities is transferred to ‘Capital Reserve Account’.
- (iv) In respect of ‘Held to Maturity’ category as stated in significant Accounting Policy No. 3 (iii), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortized during the year amounts to Rs.83.33 Crores (Previous year Rs.112.32 Crores) has been netted off from Income on Investment shown under the head “Interest Earned” of Profit and Loss Account in terms of RBI guidelines.
6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.
7. During the year, Bank has issued 2,95,15,418 equity shares of Rs. 10/- each at a premium of Rs. 217/- per share amounting to Rs. 670.00 Crore (approx.) on preferential allotment basis to Govt. of India (President of India). Out of Rs. 670.00 Crore, Rs. 29.52 Crore (approx.) credited to Share Capital Account and Rs. 640.48 Crore (approx.) to Share Premium A/c.

8.1. भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटीकरण/ Disclosure in terms of RBI guidelines:

8.1 पूंजी/ Capital

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
i) सीआरएआर (%) / CRAR (%)	12.96	13.62
ii) सीआरएआर - टीयर- I पूंजी (%) / CRAR – Tier I Capital (%)	8.57	8.12
iii) सीआरएआर - टीयर- II पूंजी (%) / CRAR – Tier II Capital (%)	4.39	5.50
iv) भारत सरकार के शेयरधारण की प्रतिशतता Percentage of the shareholding of the Government of India	58.00	55.23
v) आईपीडीआई जारी करके उगाही गई राशि Amount raised by issue of IPDI	शून्य / NIL	150.00
vi) अपर टीयर- II जारी कर उगाही गई राशि Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	शून्य / NIL	500.00

8.2. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(1) निवेशों के मूल्य / Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य / Gross Value of Investments		
(a) भारत में / In India	43544.84	38680.43
(b) भारत से बाहर / Outside India	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(ii) अवक्षय हेतु प्रावधान / Provisions for Depreciation		
(a) भारत में / In India	297.78	251.80
(b) भारत से बाहर / Outside India,	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iii) निवेशों का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
(a) भारत में / In India	43247.06	38428.63
(b) भारत से बाहर / Outside India,	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(2) निवेशों पर अवक्षय के रूप में धारित प्रावधान का संचलन Movement of provisions held towards depreciation on investments.		
(i) अथ शेष / Opening balance	251.80	430.30
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान / Add: Provisions made during the year	130.85	0.00
(iii) घटाएं: निवेश के अपलेखन के लिए उपयोग किया गया प्रावधान Less: Write off/ write back of excess provision during the year	84.87	178.50
(iv) इति शेष / Closing balance	297.78	251.80

8.2.1 रेपो लेनदेन/ Repo Transactions

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	यथास्थिति As on 31.03.2011
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां / Securities sold under repos				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Govt Securities	450.00	4500.00	725.25	0.00
(ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities purchased under reverse repos				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां /Govt. Securities	75.00	2000.00	51.71	0.00
(ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियां / Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

8.2.2 गैर-एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

i) दिनांक 31.3.2011 को यथास्थिति गैर-एसएलआर निवेश के जारीकर्तावार संघटन/ Issuer composition of Non SLR investments as on 31.03.2011
(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

सं. No.	जारीकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	“बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Below Investment Grade’ Securities	“अन रेटेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unrated’ Securities	“अन लिस्टेड” प्रतिभूतियों की सीमा Extent of ‘Unlisted’ Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	पीएसयू / PSUs	917.01	917.01	0.00	0.00	52.82
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	450.64	450.64	0.00	0.00	31.83
(iii)	बैंक / Banks	193.59	193.59	0.00	0.00	0.00
(iv)	प्राइवेट कारपोरेट Private Corporate	1473.65	1305.83	0.00	167.82	129.27
(v)	अनुषंगी संस्थाएँ संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint Ventures	117.22	0.00	0.00	0.00	117.22
(vi)	अन्य/Others	5123.76	5123.76	102.69	0.00	0.00
	उपकुल/ Sub-total	8275.87	7990.83	102.69	167.82	331.14
	मूल्यहास हेतु किया गया प्रावधान Provision held towards Depreciation	297.78		49.93		
	कुल / Total	7978.09				

i)	शेयर / Shares	581.64
ii)	डिबेंचर एवं बॉन्ड / Debentures and Bonds	2453.25
iii)	अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम / Subsidiaries and Joint Ventures	117.22
iv)	अन्य / Others	5123.76
	कुल /Total	8275.87

ii) गैर-निष्पादक गैर-एसएलआर निवेश/Non performing Non-SLR investments (₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अथ-शेष / Opening balance	4.04	6.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year since 1 st April	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कमी / Reductions during the above period	2.00	2.00
इति-शेष / Closing balance	2.04	4.04
धारित कुल प्रावधान / Total provisions held	2.04	4.04

8.3 डिराइवेटिव / Derivatives

8.3.1 फॉरवर्ड दर करार/ब्याज दर स्वैप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap: (₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i) स्वैप करारों का नोशनल मूलधन / Notional principal of swap agreements	500	500
(ii) अगर करारों के अंतर्गत प्रतिपक्ष अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहे तो उससे होने वाला घाटा Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iii) स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा वांछित संपाश्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	Banking	Banking
(iv) स्वैप से होने वाले ऋण जोखिम पर संकेन्द्रीकरण Concentration of credit risk arising from the swaps	-	-
(v) स्वैप बुक का उचित मूल्य / Fair value of the swap book	(56.02)	(43.69)

8.3.2 एक्सचेंज पर ट्रेडेड ब्याज दर डिराइवेटिव : शून्य

8.3.3 डिराइवेटिव में जोखिम एक्सपोजर से संबंधित प्रकटीकरण गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक की ट्रेजरी शाखा में परिचालन को तीन कार्यात्मक क्षेत्रों यथा, फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस के रूप में विभक्त किया गया है जिनमें परिभाषित उत्तरदायित्वों एवं बैकअप भूमिका के साथ प्रशिक्षित अधिकारी प्रदान किये गये हैं।

बैंक की ट्रेजरी नीति में वित्तीय डिराइवेटिव लिखत, उपयोग का विषय क्षेत्र, अनुमोदन प्रक्रिया सहित ऋण सीमाएँ यथा ओपन पोजीशन सीमा, बिल आकार सीमा एवं स्टॉप लॉस सीमा के साथ ही अनुमोदित लिखतों में ट्रेडिंग हेतु प्रत्यायोजित अधिकार वर्णित है। नीति में क्रॉस करेंसी प्रोप्राइटी ट्रेडिंग पोजीशन की वायदा खरीद/बिक्री हेतु कॉल अथवा पुट ऑप्शन की खरीद/बिक्री एवं अपने ग्राहकों को बैंक द्वारा बैंक टु बैंक कवरिंग के अध्यक्षीन डिराइवेटिव उत्पाद प्रदान करने की भी अनुमति है।

फ्रंट ऑफिस पोजीशन लेकर डील निष्पादित करता है जबकि मिड ऑफिस ट्रेडिंग बुक में लेनदेन की निगरानी करता है तथा अगर अतिरिक्त विपथन होता है तो उसे उच्चतर प्राधिकारियों की जानकारी में लाया जाता है। मिड ऑफिस मापक उपकरणों यथा, एमटीएम, वीएआर, कन्वेक्सिटी एवं परिशोधित समय के माध्यम से दैनिक आधार पर लेनदेन हेतु वित्तीय जोखिम का भी माप करता है। ऑकड़ों की रिपोर्टिंग जोखिम प्रबंधन विभाग को की जाती है जो आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित निदेशक की समिति को जोखिम प्रोफाइल से अवगत कराता है। बैंक ऑफिस प्रतिपक्षी पार्टियों से समस्त डील का निपटारा करता है।

किसी आस्ति अथवा देयता के रूप में नामोद्दिष्ट स्वैप, जिसे बाजार मूल्य अथवा लागत से कम अथवा वित्तीय विवरण में बाजार मूल्य पर किया जाता है, को छोड़कर ब्याज वाली आस्तियों अथवा देयताओं की प्रतिरक्षा करने वाली ब्याज दर स्वैप को प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। स्वैप समाप्त होने पर लाभ अथवा घाटे को स्वैप के शेष संविदागत कार्यकाल अथवा आस्ति/देयताओं के शेष कार्यकाल से कम पर स्वीकृत किया जाता है। लेनदेनों की प्रतिपक्षी पार्टियाँ बैंक एवं कारपोरेट संस्थाएँ हैं तथा की जाने वाली डील अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंदर ही हैं। आय अभिज्ञान, प्रीमियम एवं डिस्काउंट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, फेडरल एवं एफआईएमएडीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाता है।

8.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives: NIL

8.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives Qualitative Disclosure:

Operation in the Treasury Branch of the Bank are segregated in three functional areas i.e. Front Office, Mid Office and Back Office, which are provided with trained officer with defined responsibilities and back up roles.

The Treasury Policy & Derivative policy of the Bank lays down the type of financial derivatives instruments, scope of usages, approval process as also the limits like the open position limits, deal size limits and stop loss limits besides delegated power for trading in the approved instruments. The policy also allows purchase / sale of call or put options to hedge cross currency proprietary trading positions and to offer derivative products to its customer subject to back to back covering by the Bank.

The Front Office takes positions and executes the deals while the Mid Office monitors the transactions in the trading book and deviations of excesses, if any, are brought to the notice of higher authorities. The Mid office also measures the financial risk for transactions on a daily basis through measurement tools such as MTM, VAR, Convexity and modified durations. The figures are reported to Risk Management division, which appraises the risk profile to the Assets and Liability Management committee. The Back office settles all the deals with counter parties.

Interest Rate Swaps which hedge interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. Gain or Losses on the termination of Swaps are recognised over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets/liabilities. Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements. The counterparties to the transactions are Banks and corporate entities and deals undertaken are within the approved exposure limits only. The guidelines issued by RBI, FEDAI & FIMMDA from time to time for recognition of Income, Premium and Discount are followed.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र.सं.	विवरण	करेन्सी डिराइवेटिव	ब्याज दर डिराइवेटिव
SI No	Particulars	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	डिराइवेटिव (नोशनल मूल राशि) / Derivatives (Notional Principal Amount)	शून्य /NIL	500.00
	क) हेजिंग के लिए / a) For hedging	शून्य /NIL	500.00
	ख) ट्रेडिंग के लिए / b) For trading	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(ii)	मार्केड टू मार्केट पोजीशन (1) / Marked to Market Positions (1)		
	क) आस्ति (+) / a) Asset (+)	शून्य /NIL	शून्य /NIL
	ख) ट्रेडिंग के लिए / b) Liability (-)	शून्य /NIL	(56.02)
(iii)	ऋण एक्सपोजर (2) / Credit Exposure (2)	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत के संभाव्य परिवर्तन का प्रभाव (100*PV01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)		
	क) हेजिंग डिराइवेटिव पर / a) on hedging derivatives	शून्य /NIL	0.27
	ख) ट्रेडिंग डिराइवेटिव पर / b) on trading derivatives	शून्य /NIL	0.00
(v)	वर्ष के दौरान पाया गया 100*PV01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year		
	क) हेजिंग पर / a) on hedging	शून्य /NIL	0.27
	ख) ट्रेडिंग पर / b) on trading	शून्य /NIL	0.00

8.4 आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

8.4.1 अनुपयोज्य आस्ति / Non-Performing Asset

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मद / Items	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i) निवल अग्रिमों में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	0.79	0.66
(ii) एनपीए का संचलन (सकल) / Movement of NPAs (Gross)		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	1221.80	1078.25
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	1747.07	1238.15
(ग) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	(1320.95)	(1094.60)
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	1647.92	1221.80
(iii) निवल एनपीए का संचलन / Movement of Net NPAs		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	470.15	422.11
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन / (b) Additions during the year	940.97	407.94
(ग) वर्ष के दौरान कमी / (c) Reductions during the year	674.75	(359.90)
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	736.37	470.15
(iv) एनपीए के प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क) अथ शेष / (a) Opening balance	751.65	641.64
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान / (b) Provisions made during the year	800.00	830.21
(ग) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ / राइट बैक / (c) Write-off / write-back of excess provisions	688.10	(720.20)
(घ) इति शेष / (d) Closing balance	863.55	751.65

8.4.2 प्रावधान कवरेज अनुपात/ Provision Coverage Ratio

भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार 31.03.2011 को बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 75.67% है। (गत वर्ष 78.95%)

The provision coverage ratio of the bank in terms of RBI guidelines as on 31.03.2011 is 75.67% (Previous Year 78.95%)

8.4.3 ऋण पुनर्गठन/ Loan Restructuring:

पुनर्गठित आस्तियों का ब्योरा/Particulars of Accounts Restructured:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

		सीडीआर CDR तंत्र Mechanism	एसएमई ऋण SME Debt पुनर्गठित Restructuring	अन्य Others	कुल Total पुनर्गठित Restructuring
पुनर्गठित मानक अग्रिम Standard Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	14 590.35 47.00	1508 263.11 3.40	14389 1637.31 27.97	15911 2490.76 78.37
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम Sub-standard Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	2 36.74 4.55	166 34.78 0.56	672 216.77 2.56	840 288.28 7.67
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम Doubtful Advances Restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	- - -	151 19.40 0.61	511 16.57 0.41	662 35.97 1.02
कुल / Total	उधारकर्ताओं की संख्या / No of Borrowers बकाया राशि / Amount Outstanding अधित्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	16 627.08 51.55	1825 317.28 4.57	15572 1870.65 30.94	17413 2815.01 87.06

8.4.4 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण :

Details of financial assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मद / Items	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i) खातों की संख्या / No. of Accounts	1	101
ii) एससी / आरसी को बेचे गये खातों का सकल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / RC	21.05	0.00
iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	21.05	84.79
iv) विगत वर्ष में अंतरित किये गये खातों के मामले में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	4.95	0.00
v) निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि / Aggregate gain/(loss) over net book value	4.95	84.79

8.4.5 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक वित्तीय संपत्तियों का विवरण :

Details of non-performing financial assets purchased/ sold:

क. खरीदी गई अनुपयोज्य वित्तीय आस्तियां: शून्य
ख. बेची गई अनुपयोज्य आस्तियों का विवरण :

A. Non-performing financial assets purchased: NIL
B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खाते / No. of accounts sold	1	101
2. सकल बकाया / Aggregate Outstanding	21.05	0.00
3. प्राप्त सकल प्रतिफल / Aggregate consideration received	26.00	84.79

**8.4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान /
Provisions on Standard Asset**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provisions towards Standard Assets	362.57	280.98

9. व्यवसाय अनुपात / Business Ratios:

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(i) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज आय Interest Income as a percentage to Working Funds	8.56%	8.02%
(ii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.07%	1.45%
(iii) कार्यशील निधियों की प्रतिशतता के रूप में परिचालनगत लाभ Operating Profit as a percentage to Working Funds	2.37%	2.44%
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल / Return on Assets	1.11%	1.16%
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमाराशि तथा अग्रिम) (₹. करोड़ में) Business (Deposits plus Advances) per employee (Rs. In Crore)	10.63	8.45
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹. करोड़ में) / Profit per employee (Rs. In Crore)	0.0670	0.0576

10. आस्ति देयता प्रबंधन / Asset Liability Management:

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता पैटर्न 31.03.2011

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2011

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

परिपक्वता पैटर्न Maturity Pattern (टाइम बकेट) (Time buckets)	जमा राशियाँ Deposits	अग्रिम Advances	निवेश Investments	उधार Borrowings	विदेशी मुद्रा Foreign Currency	
					आस्तियाँ Assets	देयताएँ Liabilities
1 दिन / Day 1	974.46	404.33	0	34.38	0	0
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	4418.58	827.82	283.28	379.06	0	0
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	3650.98	1688.89	39.15	8.91	690.78	1238.09
15 से 28 दिन / 15 to 28 days	3136.24	2588.54	547.65	133.78	696.31	297.22
29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	30498.44	7967.20	581.84	949.89	1634.98	1557.34
3 माह से अधिक और 6 माह तक Over 3 months and up to 6 months	8479.81	8237.92	371.51	1455.89	550.43	1264.57
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year	15612.44	8229.57	557.96	44.37	723.85	210.49
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक Over 1 year and up to 3 years	57094.61	32880.19	3836.86	200	82.41	56.73
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक Over 3 years and up to 5 years	5330.60	12567.77	6785.08	300.00	387.18	385.93
5 वर्ष से अधिक Over 5 years	2691.00	18232.65	30243.73	3411.90	496.28	133.23
कुल / Total	131887.16	93624.88	43247.06	6918.18	5262.22	5143.60

11. एक्सपोजर / Exposures:

11.1 भूसंपदा क्षेत्र को एक्सपोजर / Exposure to Real Estate Sector:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	चालू वर्ष	गत वर्ष
	Current Year	Previous Year
(क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / A) Direct exposure		
(i) रिहायशी बंधक - / Residential Mortgages - उधार उन रिहायशी संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्णतया प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता के कब्जे में आने वाली है या किराये पर है। Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented - जिसमें से प्राथमिकता क्षेत्र ऋण अग्रिम में समावेशन हेतु पात्र व्यक्तिगत आवास ऋण - of which individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advance	3676.00 3330.00	3197.75 2981.31
(ii) वाणिज्यिक भू-संपदा / Commercial Real Estate - - उधार वाणिज्यिक भू-संपदा (कार्यालय भवन, खुदरा व्यापारिक स्थान, बहुदेशीय वाणिज्यिक परिसर, बहुपरिवारिक रिहायशी भवन, बहुकिरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक अथवा गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत है। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएँ शामिल हैं। Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure includes non-fund based (NFB) limits;	3831.00	2312.28
(iii) बंधक द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों में निवेश - Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures - क. रिहायशी / a. Residential ख. वाणिज्यिक भू-संपदा / b. Commercial Real Estate.	4.84 3.60	6.36 4.49

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर / B) Indirect Exposure		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित एक्सपोजर Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).	1105.00	1130.67
भू संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Real Estate Sector	8620.44	6651.55

11.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / Sl.No.	मद / Item	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(I)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि अनन्यतः कारपोरेट ऋण में निवेशित नहीं की जाती। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	683.63	696.74
(II)	इक्विटी शेयरों (आईपीओ/ईएसओपीएस सहित), परिवर्तनीय बांडों एवं डिबेंचरों, इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों के बदले अग्रिम Advances against shares /bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in equity shares(including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual fund;	0.00	0.00
(III)	अन्य किसी प्रयोजन , जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में शेयर अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट ली जाती है, हेतु अग्रिम Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual fund are taken as primary security;	0.58	शून्य /Nil
(IV)	शेयरों की संपादक प्रतिभूति अथवा परिवर्तनीय बांड अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड द्वारा रक्षित सीमा तक के अन्य किसी प्रयोजन हेतु अर्थात् जहाँ प्राथमिक प्रतिभूति को छोड़कर शेयर/परिवर्तनीय बांड/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड अग्रिमों को पूर्णतः कवर नहीं करते हैं। Advances for any other purposes to the extent secured by collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity-oriented mutual fund does not fully cover the advances;	0.00	151.58
(V)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियाँ। Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	105.00	129.00
(VI)	संसाधन जुटाने की संभावना में नई कंपनियों की इक्विटी हेतु प्रवर्तक के अंशदान के लिए कारपोरेट को शेयर/बांड/डिबेंचर अथवा अन्य प्रतिभूतियों के सापेक्ष संस्वीकृत ऋण अथवा संस्वीकृत निर्बंध ऋण। Loans sanctioned to corporate against security of shares/ bonds/ debenture or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(VII)	प्रत्याशित इक्विटी फ्लो/इश्यू के विरुद्ध कंपनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	33.73	शून्य / NIL
(VIII)	शेयरों का प्राथमिक इश्यू अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी प्रतिबद्धता Underwriting commitments taken up by Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(IX)	मार्जिन ट्रेडिंग हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण / Financing to stock brokers for margin trading;	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(X)	उद्यम पूंजी निधि (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोजर All exposure to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	4.73	1.50
पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर / Total Exposure to Capital Market		827.67	978.82

11.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31.03.2011 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2011	31.03.2011 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2011	31.03.2010 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as on 31.03.2010	31.03.2010 को धारित प्रावधान Provision held as on 31.03.2010
नगण्य / Insignificant	1022.38	शून्य /NIL	1090.44	शून्य /NIL
कम / Low	664.26	शून्य /NIL	739.09	शून्य /NIL
मध्यम / Moderate	41.72	शून्य /NIL	195.89	शून्य /NIL
अधिक / High	43.81	शून्य /NIL	0.54	शून्य /NIL
बहुत अधिक / Very High	0.05	शून्य /NIL	25.28	शून्य /NIL
प्रतिबंधित / Restricted	0.00	शून्य /NIL	1.47	शून्य /NIL
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	8.92	शून्य /NIL	8.84	शून्य /NIL
कुल / Total	1781.14	शून्य /NIL	2061.55	शून्य /NIL

11.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण

Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

उधारकर्ता का नाम Name of Borrower	एकल एक्सपोजर Single Exposure limit	संस्वीकृत सीमा Sanctioned Limit	31.03.2011 को यथास्थिति बकाया शेष Outstanding Balance as on 31.03.2011
उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. U.P. Power Corporation Ltd.	2591.30	2530.96	1700.58

11.5 अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
a) कुल अप्रतिभूत अग्रिम / Total Unsecured Advances	12484.48	12300.32
b) इसमें से अमूर्त प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित अग्रिम जैसे अधिकारों पर प्रभार, अनुज्ञप्तियां, प्राधिकार आदि Of which advances backed by intangible securities such as charge over rights, licenses, authority etc.	589.62	691.68

11.6 विविध / Miscellaneous:

11.6.1 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किये गये प्रावधान की राशि / Amount of Provisions made for Income tax during the year:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
आयकर हेतु प्रावधान / Provision for Income Tax	455.66	554.24
आस्थगित ऋण हेतु प्रावधान / Provision for Deferred Tax	51.94	11.05

11.6.2 भारिबैंक द्वारा लगाए गए दंड : शून्य (गत वर्ष : शून्य) / Penalties imposed by RBI: NIL (Previous Year: Nil)

12.1 जमा राशियों का संकेन्द्रण / Concentration of Deposits:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि Total Deposit of twenty largest depositors	13155.00
बैंक की कुल जमा राशि में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशि का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	9.97%

12.2 अग्रिमों का संकेन्द्रण / Concentration of Advances:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	12521.82
बैंक के कुल अग्रिम में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	13.37%

12.3 एक्सपोजर का संकेन्द्रण / Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	14592.97
बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	13.58%

12.4 एनपीए का संकेन्द्रण / Concentration on NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर (सकल) / Total Exposure to top four NPA accounts (Gross)	296.55
--	--------

12.5 क्षेत्रवार एनपीए / Sector-wise NPAs

क्रम सं. / Sl. No.	क्षेत्र / Sector	इस क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत / Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां / Agriculture & Allied activities	4.06
2	उद्योग (माइक्रो, लघु, मध्यम और बृहद) / Industry (Micro, Small, Medium and Large)	0.77
3	सेवा / Services	4.29
4	वैयक्तिक ऋण / Personal Loans	1.29

12.6 एनपीए का संचलन / Movement of NPAs

विवरण/ Particulars	(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)
1 अप्रैल 2010 को सकल एनपीए (अथशेष) वर्ष के दौरान वृद्धि (नए एनपीए) Gross NPAs as on 1 st April 2010(Opening Balance)	1221.80
Additions (Fresh NPAs) during the year	1747.07
उप जोड़ (क) घटाएं / Sub- Total (A)	2968.87
घटाएं / Less:-	
(i) उन्नयन Upgradations	325.13
(ii) वसूली (अपग्रेड खातों में की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	275.92
(iii) राइट-ऑफ/ Write-offs	719.90
उप जोड़ (ख) / Sub- Total (B)	1320.95
31 मार्च 2011 को यथास्थिति सकल एनपीए (इतिशेष) (क-ख) Gross NPAs as on 31 st March 2011 (closing balance) (A-B)	1647.92

12.7 विदेशी आस्तियां एनपीए और राजस्व / Overseas Assets, NPAs and Revenue

विवरण/ Particulars	(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)
कुल आस्तियां / Total Assets	3629.79
कुल एनपीए / Total NPAs	0.94
कुल राजस्व / Total Revenue	72.44

12.8 तुलन पत्र बाह्य प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है): शून्य

Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms) : NIL

13. वर्ष के दौरान बैंकाश्योरेंस व्यवसाय से प्राप्त आय :

जीवन और गैर-जीवन बीमा व्यवसाय पर प्राप्त कमीशन: रु. 17.82 करोड़

Income from Bancassurance business during the year:

Commission received on life & non-life insurance business: Rs. 17.82 Crores

14. अतिरिक्त प्रकटीकरण / Additional Disclosures:

14.1 लाभ व हानि खाते में नामे लिखे गए प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

Provisions & Contingencies debited to Profit & Loss Account:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
(a) निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	130.84	(102.44)
(b) एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	800.00	830.21
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान/Provision towards Standard Assets	81.81	2.85
(d) आयकर हेतु प्रावधान/Provision towards Income Tax	455.66	554.24
(e) आस्थगित कर आस्तियां/देयताएं/Deferred Tax Assets / Liabilities	51.94	11.05
(f) आईआरएस हेतु प्रावधान/Provision for IRS	12.34	(44.35)
(g) अन्य (विवरण)/Others (details)	98.88	90.67
कुल/ Total	1631.47	1342.22

14.2 अस्थिर प्रावधान / Floating Provisions:

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

विवरण/ Particulars	2010-11	2009-10
(a) अस्थिर प्रावधान खाते में अथ शेष / Opening Balance in Floating Provision Account	48.00	48.00
(b) वर्ष के दौरान किये गये अस्थिर प्रावधान का परिमाण Quantum of Floating Provision made during the year	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(c) वर्ष के दौरान ड्रॉ डाउन की रकम एवं प्रयोजन Purpose and amount of draw down during the year	शून्य /NIL	शून्य /NIL
(d) अस्थिर प्रावधान खाते में इति शेष Closing Balance in Floating Provision Account	48.00	48.00

14.3 प्रारक्षितियों से आहरण : रु. 6.18 करोड़ (आईआरएस हेतु विशिष्ट प्रारक्षिति से)

Draw Down from Reserves: Rs. 6.18 Cr (from special Reserve for IRS)

15. लेखा मानकों के अनुरूप अनुपालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है और ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाते हैं।

Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards:

16.1 लेखा मानक 5 “अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व अवधि मर्दे और लेखा नीतियों में परिवर्तन”:

Accounting Standard 5- Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies:

पूर्व अवधि से संबंधित आय और व्यय निम्नानुसार हैं :

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण/Particulars	2010-11	2009-10
आय/Income	1.29	(9.34)
व्यय/Expenditure	4.01	3.03
निवल/Net	(2.72)	(12.37)

16.2 राजस्व अभिज्ञान के संबंध में एएस 9 के अंतर्गत नकदी आधार पर अभिज्ञात आय मर्दे या तो तात्त्विक नहीं थीं या प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

16.2 Income items recognised on cash basis were either not material or did not require disclosure under AS 9 on Revenue Recognition.

16.3.1 बैंक ने 1 अप्रैल 2007 से कर्मचारी लाभों यथा पेंशन (नई), पेंशन (पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एलएफसी और बीमारी छुट्टी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (एएस 15) (संशोधित) को अपनाया है।

16.3.1.The Bank adopted Accounting Standard 15(Revised)-Employee Benefits, issued by Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension (New), Pension (Old), Gratuity, Leave Encashment, LFC and Sick Leave w.e.f. 1st April 2007.

16.3.2 ग्रेच्युटी के स्थान पर इलाहाबाद बैंक कर्मचारी पेंशन योजना (पुरानी) नामक पेंशन (पुरानी) योजना के मामले में बैंक की एसएलपी के संबंध में अंतिम निर्णय देते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय और पारित किये गये आदेश के परिणामस्वरूप बैंक के पक्ष में यह अनिवार्य बनाते हुए, कि कि वह इन पेंशनरों को भी ग्रेच्युटी का भुगतान करे, यह योजना सरकार की पूर्व अनुमति और बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार इन पेंशनरों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने के साथ ही अक्तूबर 2010 से बंद कर दी गई है और इनके स्थान पर इन पेंशनरों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है। इसलिए 31.03.2011 को यथास्थिति और भविष्य में भी पेंशन (पुरानी) के संबंध में कोई प्रावधान न तो किया गया है और न ही अपेक्षित है।

16.3.2.Consequent upon judgement & order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in finally deciding on the Bank's SLP in the matter of its pension(old) scheme in lieu of gratuity styled 'Allahabad Bank Employees' Pension Scheme (Old)' making it obligatory on the part of the Bank to pay gratuity even to these pensioners, the said Scheme has been discontinued in terms of approval of the Bank's Board of Directors with prior permission from the Government, w.e.f. October 2010, simultaneously paying gratuity to these pensioner. Hence, further provisioning is neither made nor required in respect of Pension (Old) as on 31.03.2011 and in future.

16.3.3 योजना समाप्त किए जाने के समय पेंशन (पुरानी) के रूप में संचित रु.168.77 करोड़ के प्रावधान में से रु.150 करोड़ का प्रयोग कर्मचारियों के उस वर्ग के लिए, जो 20.09.1995 को बैंक की सेवा में तो थे परन्तु, जिन्होंने पेंशन विनियम 1995 हेतु पेंशन का विकल्प नहीं अपनाया, द्वितीय पेंशन विकल्प (एबीपीपीआर - 1995) लेने से पड़े अतिरिक्त भार के संबंध में बैंक की देयताओं के सापेक्ष प्रावधान करने के लिए किया गया। शेष रु.18.77 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2009-10 में किए गए रु.33 करोड़ के पिछले प्रावधान के साथ मिलाकर 'बकाया देयता खाता' में अंतरित की गई जो उपर पैरा 16.3.2 में यथाउल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्रेच्युटी के भुगतान के रूप में थी। इस प्रकार इस संबंध में कुल प्रावधान रु.51.77 करोड़ रहा। इसमें से रु.32.61 करोड़ का भुगतान उनको कर दिया गया है जिनके नाम अक्तूबर, 2010 योजना के अंतर्गत पेंशन स्कॉल में थे और कुछ भुगतान पात्र दिवंगत भूतपूर्व कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को दिया गया जिनसे दावे प्राप्त हुए थे। शेष रु. 19.16 करोड़ की रकम को निर्णय के बचे हुए लाभार्थियों की देयता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पाया गया।

16.3.3.Out of the accumulated provision for Pension (Old) amounting to ₹ 168.77 Crore as at the time of discontinuation of the Scheme, ₹ 150.00 Crore has been utilised towards provisioning against Bank's liabilities in respect of Additional Load on account of 2nd Option for Pension (ABEPR-1995) by a section of employees who were in the Roll of the Bank as on 29.09.1995 but did not exercise option for Pension Regulations-1995 earlier. The remaining ₹ 18.77 Crore has been transferred to 'Outstanding Liabilities A/C' to club with an earlier provision of ₹ 33.00 Crore made in F.Y. 2009-10, towards payment of gratuity in compliance of Hon'ble Supreme Court's Order, as mentioned in paragraph 17.3.2. above, making total provision on this score to the tune of ₹ 51.77 Crore. Out of this, payment to the tune of ₹ 32.61 Crore has already been made to those whose names appeared in the Pension Scroll under the Scheme in October 2010 and some of the legal heirs of eligible deceased ex-employees whose claims were received. The balance ₹ 19.16 Crore is considered to be sufficient to meet the payment liability to the remaining judgement beneficiaries.

16.3.4 शेष निधिक/गैर-निधिक कर्मचारी लाभों यथा, पेंशन (एबीपीआईआर) (अब से पेंशन (नई) के रूप में जाना जाता है), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एल.एफ.सी. और बीमारी अवकाश के संबंध में बैंक की देयता को

- (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) में निर्धारित सिद्धांतों और
- (ख) भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों जीएन 26 के अनुसार अनुमोदित बीमांकक द्वारा बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर अभिज्ञात किया जाता है।

16.3.4. Bank's liabilities in respect of the remaining funded/ non-funded employee benefits, viz., Pension (ABEPR) [hitherto known as Pension(New)], Gratuity, Leave Encashment, LFC and Sick Leave are recognised on the basis of actuarial valuation carried out by approved Actuary as per

- (a) Principles laid down in AS 15 (Revised) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, and
- (b) guidelines GN 26 issued by Institutes of actuaries of India.

बीमांकक अनुमान / Actuarial assumptions:

विवरण / Particulars	योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
	निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded		
	पेंशन (एबीपीआईआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
रियायती दर / Discount Rate	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%	8.5%
वेतन की बढ़ती दर Salary Escalation Rate	4%	4%	4%	0.00	4%
ह्रास दर / Attrition Rate(p.a)	1%	1%	1%	1%	1%
योजना आस्तियों पर आय की प्रत्याशित दर Expected Rate of Return on Plan Assets	8%	8%	0.00	0.00	0.00

क) बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन :

A) Change in the present value of Obligation:

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded		
		पेंशन (एबीपीआईआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
a) वर्ष के आरंभ में पीवीओ PVO at the beginning of the year	C.Y.	686.82	419.72	103.50	14.14	21.51
	P.Y.	614.69	390.75	97.68	11.47	19.81
b) ब्याज लागत Interest cost	C.Y.	52.38	32.83	7.25	0.44	1.83
	P.Y.	47.60	30.12	7.05	0.37	1.58
c) चालू सेवा लागत Current Service Cost	C.Y.	527.48	25.10	20.12	0.00	4.94
	P.Y.	66.30	15.51	3.70	0.00	1.80
d) प्रदत्त लाभ Benefits Paid	C.Y.	(141.27)	(67.00)	(36.30)	(17.98)	0.00
	P.Y.	(39.34)	(28.43)	(19.23)	(13.64)	0.00
e) बाध्यता पर बीमांकक हानि/ (अभिलाभ) Actuarial Loss/ (Gain) on Obligation	C.Y.	1453.37	188.55	34.67	24.01	3.71
	P.Y.	(2.43)	11.78	14.30	15.94	(1.69)
f) वर्ष के अंत में पीवीओ PVO at the close of the year	C.Y.	2578.77	599.20	129.24	20.61	31.99
	P.Y.	686.82	419.72	103.49	14.14	21.51

ख) योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन /B) Changes in the Fair Value of Plan Assets:

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
a) वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the beginning of year	C.Y. P.Y.	686.82 614.69	419.72 390.75	- -	- -	- -
b) योजना आस्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल Expected return of Plan Assets	C.Y. P.Y.	54.95 49.17	33.58 31.26	- -	- -	- -
c) कर्मचारी का अंशदान Employer's Contribution	C.Y. P.Y.	1131.51 50.78	52.51 21.58	- -	- -	- -
d) प्रदत्त लाभ Benefits Paid	C.Y. P.Y.	(141.27) (39.34)	(67.00) (28.43)	- -	- -	- -
e) बीमांकक (हानि)/अभिलाभ Actuarial (Loss)/Gain	C.Y. P.Y.	49.60 11.52	(0.33) 4.57	- -	- -	- -
f) आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan Assets at the close of year	C.Y. P.Y.	1781.59 686.82	438.48 419.72	- -	- -	- -
g) योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल Actual return on Plan Assets	C.Y. P.Y.	57.00 53.08	28.28 31.91	- -	- -	- -

ग) निवल बीमांकक हानि / (अभिलाभ) / C Net Actuarial Loss / (Gain)

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
a) बाध्यता पर बीमांकक हानि / (अभिलाभ) Actuarial loss / (gain) on obligation (B)	C.Y. P.Y.	1453.37 (2.43)	188.55 11.78	34.67 14.30	24.01 15.94	3.71 (1.69)
b) योजना आस्तियों पर बीमांकक हानि/(अभिलाभ) Actuarial loss / (gain) on Plan assets (C)	C.Y. P.Y.	(49.60) (11.52)	0.33 (4.57)	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
c) निवल बीमांकक (हानि)/अभिलाभ Net Actuarial loss / (gain)	C.Y. P.Y.	1403.77 (13.95)	188.88 7.21	34.67 14.30	24.01 15.94	3.71 (1.69)
d) अवधि में अभिज्ञात बीमांकक (हानि)/अभिलाभ Actuarial loss / (gain) recognized in the period	C.Y. P.Y.	1403.77 (13.95)	188.88 7.21	34.67 14.30	24.01 15.94	3.71 (1.69)
e) अनअभिज्ञात बीमांकक हानि Unrecognised actuarial loss	C.Y. P.Y.	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00

D) तुलनपत्र में मान्य राशि / Amount recognized in Balance Sheet:

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य a) Present value of defined benefit obligation at the end of the Year	C.Y. P.Y.	2578.77 686.82	599.20 419.72	129.24 103.49	20.61 14.14	31.99 21.51
घटाएं :/Less:						
ख) वर्ष की समाप्ति पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य b) Fair value of Plan Assets at close of the Year	C.Y. P.Y.	1781.59 686.82	438.48 419.72	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
तुलन पत्र में अभिज्ञात गैर-निधिबद्ध निवल देयता /(आस्ति) c) Unfunded Net Liability/ (Asset) recognized in Balance Sheet	C.Y. P.Y.	797.18 0.00	160.72 0.00	62.04 25.04	24.45 16.31	10.48 1.70

ड) लाभ एवं हानि खाते में अभिज्ञात व्यय :

E) Expenses recognized in Profit & Loss account

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) चालू सेवा लागत a) Current service cost	C.Y. P.Y.	527.48 66.30	25.10 15.51	20.12 3.70	0.00 0.00	4.94 1.80
ख) ब्याज लागत b) Interest Cost	C.Y. P.Y.	52.38 47.60	32.83 30.12	7.25 7.05	0.44 0.37	1.83 1.58
ग) योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय c) Expected return on Plan Assets	C.Y. P.Y.	54.95 49.17	33.58 31.26	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
घ) वर्ष में अभिज्ञात निवल बीमांकक हानि/ (अभिलाभ) d) Net actuarial loss / (gain) recognized in the year	C.Y. P.Y.	1403.77 13.95	188.88 (7.21)	34.67 (14.30)	24.01 (15.94)	3.71 1.69
ड) निवल लाभ व्यय e) Net Benefit Expense	C.Y. P.Y.	1928.69 50.78	213.23 21.58	62.04 25.04	24.45 16.31	10.48 1.70

च) तुलन पत्र में अभिज्ञात देयताओं का संचलन :

F) Movements in the Liability recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars		योजना का प्रकार / TYPE OF PLAN				
		निधिबद्ध / Funded		गैर-निधिबद्ध / Unfunded		
		पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)	ग्रेच्युटी Gratuity	अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी LFC	बीमारी अवकाश Sick Leave
क) अथ निवल देयता	C.Y.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Opening Net Liability	P.Y.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख) निवल लाभ व्यय	C.Y.	1928.69	213.23	62.04	24.45	10.48
b) Net Benefit Expense	P.Y.	50.78	21.58	25.05	16.31	1.70
घटाएं / Less:						
ग) अदा किया गया अंशदान	C.Y.	(1131.51)	(52.51)	0.00	0.00	0.00
c) Contribution paid	P.Y.	(50.78)	(21.58)	0.00	0.00	0.00
ग) इति निवल देयता	C.Y.	797.18	160.72	62.04	24.45	10.48
d) Closing Net Liability	P.Y.	0.00	0.00	25.05	16.31	1.70

छ) ट्रस्ट द्वारा बनाए रखे गए निवेश का प्रतिशत :

G) Investment percentage maintained by the Trust:

(%में)/(in %)

विवरण Particulars	पेंशन (एबीइपीआर) Pension (ABEPR)		ग्रेच्युटी Gratuity	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Govt. Securities	21.35	33.97	31.08
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Govt. Securities	37.37	23.37	30.20	20.89
उच्च स्तरीय कारपोरेट बांड (पीएसयू/पीएफसी) High Quality Corporate Bonds (PSU/PFC)	39.58	40.34	38.56	41.72
विशेष जमा योजनाएँ / Special Deposit Scheme	0.85	1.57	0.16	0.17
अन्य निवेश / Other Investment	0.85	0.75	0.0	0.64

16.3.5 वर्ष के दौरान बैंक ने अपने ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से खोल दिया जिन्होंने इलाहाबाद बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 के अंतर्गत पहले पेंशन का विकल्प नहीं दिया था। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 11557 कर्मचारियों ने विकल्प दिया और बैंक को ₹.708.07 करोड़ का दायित्व उठाना पड़ा। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान बैंक कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की रकम भी ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 में संशोधन कर बढ़ा दी गई। इसके परिणामस्वरूप बैंक की ग्रेच्युटी देयता ₹.39.63 करोड़ से बढ़ गई।

लेखा मानक (एएस) 15 के अनुसार कर्मचारी लाभ, ₹.747.70 करोड़ की संपूर्ण रकम (अर्थात् दूसरे पेंशन विकल्प हेतु ₹.708.07 करोड़ + ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि के फलस्वरूप ₹.39.63 करोड़) लाभ-हानि खाते में प्रभारित की जानी अपेक्षित है। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि-

16.3.5. During the year, the Bank reopened the pension for such of its employees who did not opt for the pension scheme under Allahabad Bank (Employees') Pension Regulations 1995 earlier. As a result of exercise of which by 11557 employees, the Bank has incurred a liability of ₹ 708.07 Crore. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the Bank was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the gratuity liability of the Bank has increased by ₹ 39.63 Crore.

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the entire amount of ₹ 747.70 Crore (i.e., ₹ 708.07 Cr for second option of pension + ₹ 39.63 Cr due to increase in ceiling of gratuity limit) is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the Reserve Bank of India has issued a circular DBOD No.BP.BC.80/21.04.018/

विवेकपूर्ण नियामक उपचार के संबंध में दिनांक 9 फरवरी 2011 को परिपत्र डीबीओडी सं बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया है। उपर्युक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक रु.747.70 करोड़ की रकम को पाँच वर्ष की अवधि में परिशोधित करेगा। तदनुसार रु.149.54 करोड़ (अर्थात् रु.141.61 करोड़ + रु. 7.93 करोड़, रु.747.70 करोड़ पाँचवा हिस्सा) को लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया गया है। भा.रि.बैं. के उपर्युक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार आगे ले जाई गई शेष राशि अर्थात् रु. 598.16 करोड़ (रु.747.70 करोड़ - रु. 149.54 करोड़) में बैंक से अलग हुए/सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी शामिल नहीं हैं।

यदि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह परिपत्र जारी नहीं किया होता तो लेखा मानक 15 की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक का लाभ रु.598.16 करोड़ से घट गया होता।

- 16.4** बैंक ने 9वें द्विपक्षीय समझौते/दिनांक 27.04.2010 के संयुक्त नोट के अनुसार वेतन संशोधन के कार्यान्वयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बकाया वेतन के संबंध में भनि में बैंक के अंशदान सहित यह प्रक्रिया 31.03.2010 को यथास्थिति बैंक द्वारा किए गए रु.275.00 करोड़ के प्रावधान (वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2010-11 के लिए क्रमशः रु.122 करोड़ और रु 153 करोड़ का प्रावधान) के साथ पूरी कर ली गई है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के रु.47.00 करोड़ के तदर्थ प्रावधान का प्रयोग द्वितीय पेंशन विकल्प के कारण पड़े अतिरिक्त भार के संबंध में बैंक की देयता हेतु कर लिया गया है।
- 16.5** 01.04.2010 अथवा उसके बाद बैंक सेवा में आने वाले कर्मचारियों हेतु परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना को अंतिम रूप दिए जाने तक बैंक अंशदान की अनुमानित राशि हेतु प्रावधान वर्ष के लाभ-हानि खाते में नामे लिखा गया है।
- 16.6** सेगमेंट रिपोर्टिंग - लेखा मानक (एएस) 17 "सेगमेंट रिपोर्टिंग"। सेगमेंट सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरण में मानक के पैरा 4 के अनुसार दी गई हैं।
- 16.7** संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन

2010-11 dated 9th February, 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank would amortise the amount of ₹ 747.70 Crore over a period of five years. Accordingly, ₹ 149.54 Crore (i.e., ₹ 141.61 Cr + ₹ 7.93 Cr, representing one-fifth of ₹ 747.70 Cr) has been charged to the Profit and Loss Account. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular, the balance amount carried forward, i.e., ₹ 598.16 Crore (₹ 747.70 Cr – ₹ 149.54 Cr) does not include any employees relating to separated/ retired employees.

Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the Bank would have been lower by ₹ 598.16 Crore pursuant to application of the requirements of AS 15.

- 16.4.** The Bank has since completed the process of implementing wage revision on account of 9th Bipartite Settlement/ Joint Note dated 27.04.2010. The exercise, including payment of Bank's contribution to PF on arrear salary, has been completed within the aggregate provision of ₹ 275.00 Crore held by the Bank as on 31.03.2010 (₹ 122 Crore and ₹ 153 Crore provided in F.Y. 2008-09 and 2009-10, respectively). The ad-hoc provision from earlier F.Y. amounting to 47.00 Crore has been applied towards Bank's liability in respect of Additional Load on account of 2nd Pension Option.
- 16.5.** Pending formulation of the Defined Contribution Retirement Benefit Scheme for the employees joining o the Bank on or after 01.04.2010, estimated amount of Bank's contribution has been provided to debit of profit and loss account for the year.
- 16.6.** Segment Reporting – Accounting Standard (AS) 17 "Segment Reporting"
Segment information is given in the Consolidated Financial Statements in terms of para 4 of the Standard.
- 16.7.** Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18 List of Related Parties and Transactions

क) संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन :

a) The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected: (₹ लाखों में) / (₹ In Lacs)

क्रम सं. No. Sl.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धिया Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
31.03.2011 को यथास्थिति मौजूदा निदेशक / Existing Directors as on 31.3.2011				
1	श्री जे.पी. दूआ Shri J. P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	20.37	21.70
2	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यपालक निदेशक Executive Director	13.57	2.48
3	श्री एम. आर. नायक Shri M. R. Nayak	कार्यपालक निदेशक Executive Director	12.72	1.92
पूर्व निदेशक / Ex Directors				
1	श्री के. आर. कामत Shri K. R. Kamath	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	4.60	17.69
2	श्री के. के. अग्रवाल Shri K K Agarwal	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Ex-Executive Director	2.17	14.31

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

ख) अनुषंगी कंपनी :

- i) ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व में)

ग) संयुक्त उद्यम :

- i) एएसआरईसी(इंडिया) लि.
ii) यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

घ) एसोसिएट्स :

- i) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।
ii) शारदा ग्रामीण बैंक

ऑल बैंक फाइनेन्स लि. में बैंक के 100% शेयर हैं, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी में 30% के शेयर हैं एवं उपर्युक्त दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक के 35% के शेयर हैं

अनुषंगियों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ लेनदेन का खुलासा (एएस) – 18 के संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उन अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित खुलासे करने से मुक्त करता है जो राज्य द्वारा भी नियंत्रित हैं।

(ङ) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सहायक कंपनियों के साथ के लेनदेन निम्नवत हैं :-

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall company basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

b) Subsidiary:

- i) All Bank Finance Limited (wholly owned)

c) Joint Venture:

- i) ASREC (India) Ltd.
ii) Universal Sompo General Insurance Company Limited.

d) Associates:

- i) Allahabad U.P. Gramin Bank
ii) Sharda Gramin Bank

The Bank is holding 100% shares in AllBank Finance Limited, 30% shares in Universal Sompo General Insurance Company Limited and 35% shares of the above mentioned two Regional Rural Banks.

The transactions with the subsidiaries and Regional Rural Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

e) Transactions with associated company namely Universal Sompo General Insurance Company Limited are as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
अर्जित आय /Income Earned	7.42	5.49
प्रदत्त बीमा प्रिमियम / Insurance Premium Paid	6.57	2.98

16.8 पट्टा प्रकटीकरण

क) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :-

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग :

31.03.2011 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया

16.8. Lease Disclosure:

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) Total of future minimum lease payments under non-cancellable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2011

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crores)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि /Amount Payable	
	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	32.96	36.11
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	110.25	94.66
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	29.99	37.13

- ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य
- iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टे भुगतान : रु. 66.20 करोड़
- iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त (अथवा प्राप्य) उप-पट्टे के भुगतान :शून्य
- ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancellable subleases at the balance sheet date: NIL.
- iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: Rs. 66.20 Crores.
- iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: Rs. NIL.

ख) वित्तीय पट्टा :

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है ।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

16.8 प्रति शेयर अर्जन : लेखा मानक (एएस) 20 : / Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20:

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
क. A	प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन (₹) Basic and Diluted Earning Per Share (₹)	31.85	27.01

प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन की गणना / Calculation of Basic and Diluted Earning Per Share

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
क. A	इक्विटी शेयरधारकों को वर्ष हेतु प्रदान किया जाने वाला निवल लाभ (₹ करोड़ में) Net Profit for the year attributable to Equity Share holders (₹ in Crores)	1423.11	1206.33 Cr.
ख. B	इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of Equity Shares	44,67,80,864	44,67,00,000
ग. C	प्रति शेयर मूल अर्जन (क/ख) (₹.) Basic Earning per Share (A/B) (Rs.)	31.85	27.01
घ. D	प्रति शेयर नोमिनल मूल्य Nominal Value per share (Rs.)	10/-	10/-

16.10 आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में रु. 51.94 करोड़(निवल) (पिछले वर्ष निवल नामे रु. 11.06 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में नामे लिखा गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है :

16.10.Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

During the year, an amount of Rs. 51.94 Crores (Net) (Previous year Rs.11.06 Crores) has been debited to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

विवरण Particulars of the Year	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning		समायोजन जोड़ें/(घटाएं) Adjustment Add / (Less)		वर्ष की समाप्ति पर At the close of the Year	
	चालू वर्ष Current Yr.	गत वर्ष Previous Yr.	चालू वर्ष Current Yr.	गत वर्ष Previous Yr.	चालू वर्ष Current Yr.	गत वर्ष Previous Yr.
आस्थगित कर आस्तियाँ						
Deferred Tax Assets						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान						
Provision for Leave Encashment	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL
बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान						
Provision for Sick Leave	1.23	0.65	3.45	0.58	4.69	1.23
पेंशन हेतु प्रावधान (पुरानी)						
Provision for Pension(old)	3.66	6.99	(3.65)	(3.33)	-	3.66
एलएफसी हेतु प्रावधान						
Provision for LFC	शून्य/NIL	2.12	-	(2.12)	-	शून्य/NIL
कुल / Total	4.89	9.76	(0.20)	(4.87)	4.69	4.89
आस्थगित कर देयताएँ						
Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यहास						
Depreciation of Fixed Assets	0.00	1.34	-	(1.34)	-	0.00
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर						
उपचित किंतु अदेय ब्याज						
Interest Accrued but not due on securities						
held as Investments	28.81	21.29	51.74	7.52	80.55	28.81
कुल / Total	28.81	22.63	51.74	6.18	80.55	28.81
Deferred Tax Liabilities (Net)	23.92	12.87	51.94	11.05	75.86	23.92

बैंक एचटीएम श्रेणी के निवेशों पर आस्थगित कर अभिज्ञात नहीं करता क्योंकि बैंक के विचार से इस संबंध में समय में कोई अंतर नहीं है। निवेशों पर आस्थगित कर के अभिज्ञात पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के विचार के अनुसार, बैंक ने इस मुद्दे को भारतीय बैंक संघ के पास मार्गदर्शन हेतु भेजा है क्योंकि उद्योग जगत में इस विषय पर कार्यवाही करने में काफी भिन्नताएं हैं।

16.11 वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2011 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

16.12 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ' के संबंध में लेखा मानक (एएस) 29 के अनुसार प्रकटीकरण

The Bank does not recognise deferred tax on HTM category of investments as in Bank's opinion; there is no timing difference in this regard. Pursuant to the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India on recognition of deferred tax on investments, the bank has referred the issue to the Indian Banks' Association for their guidance on the matter since there is a difference in treatment on this subject in the industry.

16.11 A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2011 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

16.12. Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष) : / Movement of Provision and Contingencies (Closing balance):

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
(क) एनपीए हेतु प्रावधान / (a) Provision toward NPA	863.55	751.65
(ख) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / (b) Provision for Depreciation on Investment	297.78	251.80
(ग) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / (c) Provision towards Standard Assets	362.57	280.98
(घ) आयकर हेतु प्रावधान / (d) Provision towards Income Tax	1747.08	1291.42
(च) अस्थागित कर (आस्तियां/देयताएं) लाभ कर / (e) Deferred Tax (Assets) / Liabilities	75.86	23.92
(च) अनुषंगी लाभ कर / (f) Fringe Benefit Tax	26.04	26.04
(छ) अन्य / (g) Others	1112.19	641.76
कुल / Total	4485.07	3267.57

17. Customer Complaints:

(a) वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of Complaints pending at the beginning of the year	85
(b) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या/No. of Complaints Received during the year	2025
(c) वर्ष के दौरान निवारित की गई शिकायतों की संख्या/No. of Complaints Redressed during the year	2032
(d) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या/No. of Complaints pending at the end of the year	78

18. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय / Awards passed by the Banking Ombudsman :

(a) वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/No. of unimplemented awards at the beginning of the year	2
(b) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या No. of awards passed by Banking Ombudsman during the year	16
(c) वर्ष के दौरान कार्यान्वित किये गये अधिनिर्णयों की संख्या / No. of awards implemented during the year	15
(d) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या/No. of unimplemented awards at the end of the year	3

19. चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी) / Letters of Comfort (LoC's):

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

विवरण / Particulars	चालू वर्ष / Current Year	गत वर्ष / Previous Year
(a) वित्तीय वर्ष के दौरान जारी / Issued during the Financial Year	1464.57	1294.90

20. आकस्मिक देयताएँ :
तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथा उल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं।
21. पूँजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल) रु. 41.84 करोड़ (पिछला वर्ष 38.67 करोड़)।
22. अनुप्रयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
23. बैंक ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अनुसार विशिष्ट प्रारिक्षिति में रु. 356.00 करोड़ की कुल राशि स्थानांतरित की है। इसमें से, रु. 239.00 करोड़ चालू वित्त वर्ष एवं रु 117.00 करोड़ पिछले वित्त वर्ष से संबंधित है।
24. बैंक ने रु. 285.73 करोड़ (रु. 6 प्रति शेयर) का लाभांश प्रस्तावित किया है, जो कि बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 53 के तहत इसके प्रभावी होने की तारीख को भारत सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना के अध्यक्षीन है।
25. जहाँ आवश्यक समझा गया है पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित अथवा पुनःवर्गीकृत किया गया है।
20. Contingent Liabilities:
Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively.
21. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of advance) Rs. 41.84 Crores (Previous Year Rs. 38.67 Crores).
22. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule-9 of the Balance Sheet.
23. The Bank has transferred a total sum of Rs. 356.00 Crore to Special Reserve in terms of section 36 (1) (viii) of the income Tax Act, 1961. Of this, Rs. 239.00 Crore pertains to the current financial year and Rs. 117.00 Crore to the previous financial year.
24. Bank has proposed dividend of Rs. 285.73 Crore (Rs. 6 per share), which is subject to notification to be issued to this effect by the Govt. Of India under section 53 Banking Regulation Act, 1949.
25. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT

सेवा में.

भारत के राष्ट्रपति

- हमने इलाहाबाद बैंक के 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, उस तारीख को संलग्न लाभ एवं हानि लेखा तथा नकद प्रवाह विवरणी की लेखापरीक्षा की है। उक्त वित्तीय विवरणियों में निम्नांकित खाते शामिल किए गए हैं :
 - हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाएं एवं 46 मंडलीय कार्यालय;
 - अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1970 शाखाएं;
 - स्थानीय लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित एक विदेशी शाखा
 - चीन में एक अलेखापरीक्षित प्रतिनिधि कार्यालय एवं 424 शाखाएं जिनकी विवरणियों को शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित किया जाना है। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं में 1.07% अग्रिम, 4.37% जमाराशि, 0.64% ब्याज आय और 3.80% ब्याज व्यय निहित है।
- हमारे द्वारा लेखापरीक्षित तथा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।
- इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
- हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्किक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि को प्रकट करने वाले साक्ष्यों की जाँच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण की जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों सहित समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है।
- हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
- हमारी राय में बदलाव किए बिना, हम अनुसूची 18 के नोट सं. 16.3.5 की ओर ध्यानआकर्षित करते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 09.02.2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी / 80/21.04.018/2010-11 के माध्यम से प्रदान की गई छूट के अनुसार एएस 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को सार्वजनिक बैंकों पर लागू करने संबंधी सीमा में रु. 598.16 करोड़ तक की वृद्धि के कारण पेंशन दायित्व एवं ग्रेच्युटि दायित्व आस्थगित किए जाने की बात है।
- हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा बैंक की बहियों में यथादर्शित :
 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित तुलनपत्र पूर्ण एवं उचित तुलनपत्र है जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप उचित ढंग से तैयार किया गया है ताकि यह बैंक के

To

The President of India

- We have audited the attached Balance Sheet of ALLAHABAD BANK as at 31st March 2011, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. Incorporated in the said financial statements are the accounts of :
 - 20 Branches and 46 Zonal offices audited by us ;
 - 1970 Branches audited by other auditors ;
 - One overseas branch audited by local auditor;
 - One unaudited representative office in China and 424 un-audited branches, the returns of which are certified by the Branch Managers. The unaudited branches account for 1.07% of advances, 4.37% of deposit, 0.64% of interest income and 3.80% of interest expenses.
- The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India.
- These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statement.
- We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- Without qualifying our opinion, we draw attention to note no. 16.3.5 of schedule 18 which describes deferment of pension liability and gratuity liability due to increase in ceiling to the extent of Rs598.16 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector Banks from application of the provisions of AS 15, Employees Benefits vide its circular No DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9th, 2011, on reopening of Pension option to employees of public sector Banks.
- In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank:
 - The Balance Sheet read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view

31 मार्च, 2011 के कामकाज की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत कर सके।

(ii) महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित लाभ एवं हानि लेखा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप संबंधित वर्ष हेतु लाभ का सही शेष दर्शाता है।

(iii) नकदी प्रवाह विवरण, विवरणी द्वारा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह की सही एवं उचित छवि प्रस्तुत करता है।

8. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि लेखा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः 'क' तथा 'ख' फॉर्म में तैयार किए गए हैं।

9. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के आधार पर एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा अपेक्षित तथा उसमें प्रकट सीमाओं के अधीन हम नोट संख्या 2(i), 2(ii) और 2(iii) (अनुसूची-18) के अनुसार अंतर शाखा खातों में बेमेल प्रविष्टियों के मिलान/समाधान और बैंकों तथा नोस्ट्रो खातों में अतिशेष के मिलान और समाधान के संबंध में;

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।

(ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं।

(ग) बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

10. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2011 in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(ii) The Profit and Loss Account read with Significant Accounting Policies and Notes thereon shows a true balance of Profit for the year ended on that date in conformity with accounting principles generally accepted in India.

(iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and also subject to the limitations of disclosure required therein and subject to Notes No.2 (i), 2(ii) & 2(iii) (Schedule 18) regarding balancing / reconciliation of unmatched entries in inter branch accounts and balancing/ reconciliation of Balances with Banks and NOSTRO accounts;

We report that:

(a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found the same to be satisfactory.

(b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

(c) The returns received from the Offices and Branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते मे. सुदित कुमार पारेख एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 110512W

For M/S SUDIT K PAREKH & CO.

Chartered Accountants

Firm ICAI Regn. No 110512W

(श्रीकान्त जिल्ला)

पार्टनर

सदस्यता सं. 39461

(Srikant Jilla)

Partner

Membership No. 39461

कृते मे. एस.घोष एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 302184 E

For M/S S. GHOSE & CO

Chartered Accountants

Firm ICAI Regn. No 302184 E

(चंदन चट्टोपाध्याय)

पार्टनर

सदस्यता सं. 51254

(Chandan Chattopodhay)

Partner

Membership No. 51254

कृते मे. पी.ए. एंड एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 313085E

For M/S P.A. & ASSOCIATES

Chartered Accountants

Firm ICAI Regn. No. 313085E

(दिलीप कुमार अग्रवाल)

पार्टनर

सदस्यता सं. 55420

(Dilip Kumar Agarwalla)

Partner

Membership No. 55420

कृते मे. के.एम. अग्रवाल एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 853 N

For M/S K. M. AGARWAL & Co

Chartered Accountants

Firm ICAI Regn. No 853 N

(सी. पी. मिश्र)

पार्टनर

सदस्यता सं. 073009

(C.P. Mishra)

Partner

Membership No.073009

कृते मे. एम.आर. नारायण एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 002330S

For M/S M.R. NARAIN & CO.

Chartered Accountants

Firm ICAI Regn. No. 002330S

(एम.एन. वेंकटेशन)

पार्टनर

सदस्यता सं. 22993

(M. N. Venkatesan)

Partner

Membership No 22993

कृते मे. एम.सी. जैन एंड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 304012E

For M/S M.C. Jain & Co

Chartered Accountants

Firm ICAI Regn. No 304012E

(मुकेश कु. पटवारी)

पार्टनर

सदस्यता सं. 056623

(Mukesh Kr. Patawari)

Partner

Membership No.056623

स्थान / Place : कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date : 2nd May, 2011

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK
31 मार्च, 2011 को यथास्थिति समेकित तुलन-पत्र
Consolidated Balance Sheet as on 31st March, 2011

(₹ करोड़ में) (₹ In Crores)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULE	यथास्थिति AS ON 31.03.2011	यथास्थिति AS ON 31.03.2010
पूंजी और देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी /Capital	1	476.22	446.70
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष /Reserves & Surplus	2	8,257.21	6,517.27
अल्पसंख्यक हित /Minorities Interest	2A	-	-
जमाराशियां/Deposits	3	1,31,882.16	1,06,050.74
उधार /Borrowings	4	6,918.18	5,435.48
अन्य देयताएं और प्रावधान /Other Liabilities and Provisions	5	4,074.15	3,503.92
कुल / TOTAL		151,607.92	121,954.11
आस्तियाँ /ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	7,901.34	7,183.85
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	3,139.89	1,999.00
विनिधान / Investments	8	43,500.45	38,637.57
ऋण एवं अग्रिम /Loans & Advances	9	93,625.85	71,608.15
स्थिर आस्तियाँ /Fixed Assets	10	1,160.17	1,131.35
अन्य आस्तियाँ / Other Assets	11	2,280.22	1,394.19
समेकन पर साख / Goodwill on Consolidation		NIL	NIL
लाभ एवं हानि खाते का नाम शेष Debit Balance of Profit and Loss A/C		NIL	NIL
कुल /TOTAL		151,607.92	121,954.11
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	56,394.48	49,080.79
संग्रहण के लिए बिल / Bills for Collection		3,984.60	2,944.37

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं/

The Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

निदेशक / Directors: श्री एस रामस्वामी / Sh. S Ramaswamy श्रीमती सुकृति लिखि / Smt Sukriti Likh श्री आर एम चतुर्वेदी /Sh. R M Chaturvedi डॉ. शकील उज़-जमान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari श्री गौर दास / Sh. Gour Das श्री देवेश्वर कुमार कपिला / Sh. Deveswar Kumar Kapila डॉ. वसंत बाबूराव कौजलगी / Dr. Vasant Baburao Kaujalgi श्री सुदीप चौधरी / Sh. Sudip Chaudhuri	जे. पी. दूआ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक J. P. DUA Chairman & Managing Director	डी. सरकार कार्यपालक निदेशक (D. SARKAR) Executive Director	एम. आर. नायक कार्यपालक निदेशक (M. R. NAYAK) Executive Director	ए. बी. भट्टाचार्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) A. B. Bhattacharjee General Manager (Finance & Accounts and CFO)	एस. एल. जैन सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (S. L. JAIN) Assistant General Manager (Finance & Accounts)
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date					
कृते सुदित कुमार पारेख एंड कं / For Sudit K Parekh & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 110512 W (श्रीकान्त जिल्ला) (Srikant Jilla) पार्टनर / Partner सदस्यता सं/ Membership No.-39461	कृते एम. आर. नारायण एंड कं. For M. R. Narain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 002330 S	कृते पी ए एंड एसोसिएट्स For P A & Associates सनदी लेखाकार / Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No:313085 E (दिलीप कुमार अग्रवाल) (Dillip Kumar Agarwalla) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-55420	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Ku Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Ku Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Ku Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623
कृते एस घोष एंड कं. For S. Ghose & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 302184 E (चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay) पार्टनर / Partner सदस्यता सं / Membership No.-51254	कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं. For K. M. Agarwal & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 0853 N (सी. पी. मिश्रा) (C. P. Mishra) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-073009	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Ku Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Ku Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Ku Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co. सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं/ICAI Regd No: 304012 E (मुकेश कुमार पटवारी) (Mukesh Ku Patawari) पार्टनर /Partner सदस्यता सं / Membership No.-056623

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 2nd May, 2011

इ ला हा बा द बैंक
ALLAHABAD BANK

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ व हानि लेखा
Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2011

(₹ करोड़ में) (₹ In Crores)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची SCHEDULES	वर्षान्त / Year ended 31.03.2011	वर्षान्त / Year ended 31.03.2010
I. आय /INCOME			
अर्जित ब्याज / Interest Earned	13	11,082.53	8,377.18
अन्य आय / Other Income	14	1,363.97	1,539.96
कुल / TOTAL		12,446.50	9,917.14
II. व्यय / EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज / Interest Expended	15	6,991.60	5,718.16
परिचालन व्यय / Operating Expenses	16	2,406.88	1,653.89
प्रावधान और आकस्मिक व्यय /Provisions & Contingencies		1,634.22	1,344.38
कुल / TOTAL		11,032.70	8,716.43
अनुषंगियों से आय/हानि का अंश Share of earnings/loss in Associates		25.73	27.75
अल्पसंख्यक ब्याज घटाने से पूर्व वर्ष का समेकित निवल लाभ/(हानि) Consolidated Net profit/(loss) for the year before deducting Minorities' Interest		1,439.53	1,228.46
घटाएं : अल्पसंख्यक ब्याज / Less: Minorities' Interest		-	-
समूह से संबद्ध वर्ष हेतु समेकित लाभ/(हानि) / Consolidated profit/(loss) for the year attributable to the group		1,439.53	1,228.46
जोड़ें: समूह से संबद्ध समेकित लाभ/(हानि) अग्रानीत Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		261.77	217.72
कुल / TOTAL		1,701.30	1,446.18
III. विनियोजन /APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Statutory Reserves		360.00	305.00
अन्य प्रारक्षितियों को अंतरण / Transfer to Other Reserves		746.59	591.97
अंतरिम / प्रस्तावित लाभांश (लाभांश पर कर सहित) Interim / Proposed Dividend (Including Tax on Dividend)		332.08	287.44
समेकित तुलन पत्र में अग्रणीत शेष Balance carried over to consolidated Balance Sheet		262.63	261.77
कुल /TOTAL		1,701.30	1,446.18
प्रति शेयर अर्जन /Earnings per Share		32.22	27.50

ऊपर संदर्भित अनुसूचियाँ लेखे का अभिन्न अंग हैं/
The Schedules referred to above form an integral part of the Accounts.

निदेशक / Directors:	जे. पी. द्वा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक J. P. DUA Chairman & Managing Director	डी. सरकार कार्यपालक निदेशक (D. SARKAR) Executive Director	एम. आर. नायक कार्यपालक निदेशक (M. R. NAYAK) Executive Director	ए. बी. भट्टाचार्य महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ) A. B. Bhattacharjee General Manager (Finance & Accounts and CFO)	एस. एल. जैन सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (S. L. JAIN) Assistant General Manager (Finance & Accounts)
श्री एस रामस्वामी / Sh. S Ramaswamy	श्री श्री सुकृति लिखि / Smt Sukriti Likhii	श्री आर एम चतुर्वेदी / Sh. R M Chaturvedi	डॉ. शकील उज़-ज़मान अंसारी Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari	श्री गौर दास / Sh. Gour Das	श्री देवेश्वर कुमार कपिला / Sh. Deveswar Kumar Kapila
श्री वसंत बाबुराव कौजलमी / Dr. Vasant Baburao Kauljalmi	श्री सुदीप चौधरी / Sh. Sudip Chaudhuri	श्री देवेश्वर कुमार कपिला / Sh. Deveswar Kumar Kapila	डॉ. वसंत बाबुराव कौजलमी / Dr. Vasant Baburao Kauljalmi	श्री सुदीप चौधरी / Sh. Sudip Chaudhuri	श्री देवेश्वर कुमार कपिला / Sh. Deveswar Kumar Kapila
कृते सुदित कुमार पारेख एंड कं / For Sudit K Parekh & Co.	सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 110512 W (श्रीकान्त जिल्ला) (Srikant Jilla) पार्टनर / Partner	कृते पी ए एंड एसोसिएट्स For P A & Associates	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No:313085 E (दिलीप कुमार अग्रवाल) (Dillip Kumar Agarwalla) पार्टनर /Partner	कृते एम. आर. नारायण एंड कं. For M. R. Narain & Co.	सनदी लेखाकार / Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 002330 S
सदस्यता सं / Membership No.-39461	कृते एस घोष एंड कं. For S. Ghose & Co.	कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं. For K. M. Agarwal & Co.	सनदी लेखाकार /Chartered Accountants आईसीएआई रजि. सं./ICAI Regd No: 0853 N (सी. पी. मिश्रा) (C. P. Mishra) पार्टनर /Partner	(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan) पार्टनर / Partner	सदस्यता सं / Membership No.-22993
सदस्यता सं / Membership No.-51254	(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay) पार्टनर / Partner	सदस्यता सं / Membership No.-073009	सदस्यता सं / Membership No.-056623	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co.	सदस्यता सं / Membership No.-056623
सदस्यता सं / Membership No.-51254	सदस्यता सं / Membership No.-51254	सदस्यता सं / Membership No.-073009	सदस्यता सं / Membership No.-056623	कृते एम. सी. जैन एंड कं. For M. C. Jain & Co.	सदस्यता सं / Membership No.-056623

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 2nd May,2011

इ ला हा बा द बैं क
ALLAHABAD BANK

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

Consolidated Cash Flow Statement for the year ending 31st March, 2011

(₹ करोड़ में)(₹ in Crore)

विवरण / Particulars	2010-11		2009-10	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
A. Cash Flow from Operating Activities				
वर्ष के दौरान अग्रिमों, विनिधानों आदि से प्राप्त ब्याज Interest received during the year from Advances, Investments etc.	11,082.53		8,371.95	
अन्य आय / Other Income	1,381.71	12,464.24	1,521.71	9,893.66
घटाएं: / Less:				
वर्ष के दौरान जमा राशियों पर प्रदत्त ब्याज / Interest paid during the year on Deposits	6,497.70		5,341.86	
प्रावधान एवं आकस्मिकताओं सहित परिचालन व्यय Operating Expenses including Provisions & Contingencies	4,041.10	10,538.80	2,966.04	8,307.90
जोड़ें: / Add:				
स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास / Depreciation on Fixed Assets		66.64		62.78
क. परिचालनों से सृजित नकद लाभ (परिचालनगत आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)		1,992.08		1,648.54
a. Cash Profit generated from operations (prior to changes in operating assets and liabilities)				
ख. देयताओं में वृद्धि (कमी)				
b. Increase /(Decrease) in Liabilities				
जमा राशियां / Deposits	25,831.42		21,084.21	
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	525.59	26,357.01	342.06	21,426.27
ग. आस्तियों में कमी (वृद्धि)				
c. Decrease /(Increase) in Assets				
अग्रिम / Advances	(22,017.70)		(12,805.95)	
निवेश / Investments	(4,862.88)		(8,802.31)	
अन्य आस्तियां / Other Assets	(886.05)	(27,766.63)	71.10	(21,537.16)
परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)				
Net Cash Flow from Operating Activities (a+b+c)		582.46		1537.65
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
Cash Flow from Investing Activities				
स्थिर आस्तियों का विक्रय/निपटान / Sale/disposal of fixed assets	2.65		0.94	
स्थिर आस्तियों का क्रय / Purchase of fixed assets	(98.10)		(72.08)	

विवरण / Particulars	2010-11	2009-10
ख निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		
B Net Cash Flow from Investing Activities	(95.45)	(71.14)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
Cash Flow from Financing Activities		
उधार / Borrowings	1,482.70	486.54
उधार पर ब्याज / Interest on Borrowings	(493.90)	(376.30)
सरकार को प्रीमियम पर जारी		
Share issued at premium to Government	670.00	
लाभांश (कर सहित) / Dividends (including tax)	(287.44)	(130.66)
टायर-ii बांड का निर्गम एवं बेमियादी बांड /		
Issue of Tier-ii Bonds & Perpetual Bonds	—	1100.00
ग वित्तपोषण गतिविधियों से सृजित निवल नकदी		
C Net Cash generated from Financing Activities	1,371.36	1,079.58
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		
Total Cash Flow during the year (A+B+C)	1,858.37	2,546.09
घ वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D Cash and Cash equivalent at the beginning of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी तथा शेष		
Cash and Balances with RBI	7,183.85	5,115.38
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	1,999.00	1,521.38
कुल / Total	9,182.85	6,636.76
ङ वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E Cash and Cash equivalent at the end of the year		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष		
Cash and Balances with RBI	7,901.33	7,183.85
बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	3,139.89	1,990.00
कुल / Total	11,041.22	9,182.85
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (ङ-घ)		
Total Cash Flow during the year (E-D)	1,858.37	2,546.09

निदेशक / Directors:

श्री एस रामस्वामी / Sh. S Ramaswamy
श्रीमती सुकृति लिखि / Smt Sukriti Likhi
श्री आर एम चतुर्वेदी / Sh. R M Chaturvedi
डॉ. शकील उज़-जमान अंसारी
Dr. Shakeel-Uz-Zaman Ansari
श्री गौर दास / Sh. Gour Das
श्री देवेश्वर कुमार कपिला / Sh. Deveswar Kumar Kapila
डॉ. वसंत बाबुराव कौजलगी / Dr. Vasant Baburao Kaulgi
श्री सुदीप चौधरी / Sh. Sudip Chaudhuri

जे. पी. दुआ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
J. P. DUA
Chairman & Managing
Director

डी. सरकार
कार्यपालक निदेशक
(D. SARKAR)
Executive Director

एम. आर. नायक
कार्यपालक निदेशक
(M. R. NAYAK)
Executive Director

ए. बी. भट्टाचार्य
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा एवं सीएफओ)
A. B. Bhattacharjee
General Manager
(Finance & Accounts
and CFO)

एस. एल. जैन
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(S. L. JAIN)
Assistant General Manager
(Finance & Accounts)

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार / As per our report of even date

कृते सुदित कुमार पारेख एंड कं /
For Sudit K Parekh & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 110512 W
(श्रीकान्त जिल्ला) (Srikant Jilla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-39461

कृते एस घोष एंड कं.
For S. Ghose & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 302184 E

(चन्दन चट्टोपाध्याय) (Chandan Chattopadhyay)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-51254

कृते पी ए एंड एसोसिएट्स
For P A & Associates
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 313085 E
(दिलीप कुमार अग्रवाल)
(Dillip Kumar Agarwalla)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-55420

कृते के. एम. अग्रवाल एंड कं.
For K. M. Agarwal & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 0853 N
(सी. पी. मिश्रा)
(C. P. Mishra)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-073009

कृते एम. आर. नारायण एंड कं.
For M. R. Narain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 002330 S
(एम. एन. वेंकटेशन) (M N Venkatesan)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-22993

कृते एम. सी. जैन एंड कं.
For M. C. Jain & Co.
सनदी लेखाकार / Chartered Accountants
आईसीएआई रजि. सं / ICAI Regd No: 304012 E
(मुकेश कुमार पटवारी)
(Mukesh Ku Patawari)
पार्टनर / Partner
सदस्यता सं / Membership No.-056623

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date: 2nd May, 2011

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 1 - पूँजी		
SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूँजी / Authorised Capital	3,000.00	3,000.00
निर्गमित पूँजी (47,62,15,418 शेयर प्रत्येक रु. 10) Issued Capital 47,62,15,418 Shares of Rs.10.each (पिछला वर्ष 44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10) (Previous Year 44,67,00,000 Shares of Rs.10.each)	476.22	446.70
अभिदत्त पूँजी (47,62,15,418 शेयर प्रत्येक रु. 10) Subscribed Capital 47,62,15,418 Shares of Rs.10.each (पिछला वर्ष 44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10) (Previous Year 44,67,00,000 Shares of Rs.10.each)	476.22	446.70
मांगी गई पूँजी (47,62,15,418 शेयर प्रत्येक रु. 10) Called-up Capital 47,62,15,418 Shares of Rs.10.each (पिछला वर्ष 44,67,00,000 शेयर प्रत्येक रु. 10) (Previous Year 44,67,00,000 Shares of Rs.10.each)	476.22	446.70
घटाएं: अदत्त मांगें / Less: Calls unpaid	-	-
जोड़ें: जब्त शेयर / Add: Forfeited shares	-	-
कुल / Total	476.22	446.70
अनुसूची 2 - प्रारक्षितियां और अधिशेष		
SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS		
सांविधिक प्रारक्षितियां / Statutory Reserves	1,987.39	1,627.39
पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves	1,214.93	1,219.96
समेकन पर पूँजी प्रारक्षितियां / Capital Reserves on Consolidation	70.31	70.31
शेयर प्रीमियम / Share Premium	1,360.48	720.00
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षितियां / Revenue and other Reserves	3,361.48	2,617.84
लाभ एवं हानि खाते में शेष / Balance in Profit and Loss Account	262.62	261.77
कुल / Total	8,257.21	6,517.27
अनुसूची 2ए - अल्पसंख्यक ब्याज		
SCHEDULE 2A - MINORITIES INTEREST		
मूल-अनुषंगी संबंध के अस्तित्व में आने की तिथि को अल्पसंख्यक ब्याज Minority interest at the date on which the parent - subsidiary relationship came into existence	NIL	NIL
परवर्ती वृद्धि / कमी / Subsequent increase / decrease	NIL	NIL
तुलन पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक ब्याज / Minority interest on the date of Balance Sheet	NIL	NIL

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 3 - निक्षेप		
SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
क/ A. I. मांग निक्षेप / Demand Deposits		
(I) बैंक से / From banks	47.90	57.14
(ii) अन्य से / From others	9,108.12	8,258.40
II. बचत बैंक निक्षेप / Savings Bank Deposits	35,000.43	28,271.18
III. मीयादी निक्षेप / Term Deposits	-	-
(I) बैंक से / From banks	812.85	912.93
(ii) अन्य से / From others	86,912.86	68,551.09
कुल / Total (I, II, III)	131,882.16	106,050.74
B. (i) भारत में स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches in India	131,500.99	105,768.64
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं के निक्षेप / Deposits of branches outside India	381.17	282.10
कुल / Total (I and II)	131,882.16	106,050.74
अनुसूची 4 - उधार		
SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार / Borrowings in India		
(I) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	250.00	-
(ii) अन्य बैंक / Other banks	312.17	-
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण / Other institutions and agencies	131.51	12.84
(iv) गौण नवोन्मेष बेमीयादी ऋण लिखत/ Subordinated Innovative Perpetual Debt Instrument.	300.00	300.00
(v) गौण ऋण- अपर टियर-II पूँजी //Subordinated Debt - Upper Tier II Capital	1,000.00	1,000.00
(vi) गौण ऋण- टियर-II पूँजी / Subordinated Debt - Tier II Capital	2,611.90	2,711.90
II. भारत के बाहर उधार / Borrowings outside India	2,312.60	1,410.74
कुल / Total (I and II)	6,918.18	5,435.48
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I and II above		
	-	-
अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान		
SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. संदेय बिल / Bills payable	387.12	394.28
II. अंतर-कार्यालयीन समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments (net)	242.69	185.39
III. उपचित ब्याज / Interest accrued	544.72	410.07
VI. आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liabilities	75.86	23.97
V. अन्य (प्रावधान सहित) / Others (including provisions)	2,823.76	2,490.21
कुल / Total	4,074.15	3,503.92
अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष		
SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. रोकड़ शेष (विदेशी करेंसी नोट सहित)/ Cash in hand (including foreign currency notes)		
	356.79	379.95
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष / Balances with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में / In Current Account	7,544.55	6,803.90
(ii) अन्य खातों में / In Other Accounts	-	-
कुल / Total (I & II)	7,901.34	7,183.85

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची - 7 बैंकों में अतिशेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन		
SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में / In India		
(i) बैंकों में अतिशेष / Balances with banks		
(a) चालू खातों में / In Current accounts	255.85	341.06
(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	191.72	303.96
(ii) मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at call and short notice	-	-
(a) बैंकों में / With banks	942.30	3.71
(b) अन्य संस्थाओं में / With other institutions	240.00	-
कुल / Total (i & ii)	1,629.87	648.73
II. भारत के बाहर / Outside India		
(a) चालू खातों में / In Current account	823.26	429.82
(b) अन्य जमा खातों में / In Other Deposit accounts	-	-
(c) मांग तथा अल्प सूचना पर देय धन / Money at call and short notice	686.76	920.45
कुल / Total	1,510.02	1,350.27
कुल योग / Grand Total (I & II)	3,139.89	1,999.00
अनुसूची 8 - विनिधान		
SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I. भारत में विनिधान / Investment in India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	35,139.73	31,023.12
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	120.04	138.27
(iii) शेयर / Shares	445.53	474.72
(iv) डिबेंचर और बंध पत्र / Debentures and Bonds	2,395.28	1,649.74
(v) अनुषंगियों में विनिधान / Investment in Associates	226.38	199.57
(vi) अन्य (म्युचुअल फंड्स यूटीआई आदि) / Others (Mutual Funds, UTI etc)	5,173.49	5,152.15
कुल / Total	43,500.45	38,637.57
II. भारत के बाहर विनिधान / Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government securities (including local authorities)	-	-
(ii) अनुषंगियों में विनिधान Investment in Associates	-	-
(iii) अन्य विनिधान / Other Investments	-	-
कुल / Total	-	-
कुल योग / Grand Total (I) & (II)	43,500.45	38,637.57
III. भारत में विनिधान / Investment in India		
(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments	43,802.01	38,893.50
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation	301.56	255.93
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	43,500.45	38,637.57
(iv) भारत के बाहर विनिधान / Investment outside India		
(i) विनिधान का सकल मूल्य / Gross value of Investments	-	-
(ii) अवक्षय हेतु सकल प्रावधान / Aggregate of Provisions for Depreciation	-	-
(iii) निवल विनिधान / Net Investment	-	-

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 9 - अग्रिम		
SCHEDULE 9 - ADVANCES		
क/A. (i) क्रय किये गए एवं भुनाए गए बिल / Bills purchased and discounted	4,054.35	2,184.15
(ii) नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	40,513.97	29,805.32
(iii) मीयादी ऋण / Term loans	49,057.53	39,618.68
कुल / Total	93,625.85	71,608.15
ख/B. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत / Secured by tangible assets		-
(बही ऋण पर अग्रिम सहित) / (includes advances against book debts)	77,689.18	57,599.15
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees	3,451.45	1,705.80
(iii) बेजमानती / Unsecured	12,485.22	12,303.20
कुल / Total	93,625.85	71,608.15
ग/C. I. भारत में अग्रिम / Advances in India	-	-
(I) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	30,763.73	24,279.35
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	14,786.64	9,147.86
(iii) बैंक / Banks	-	-
(iv) अन्य / Others	45,172.50	37,335.29
कुल / Total	90,722.87	70,762.50
घ/D. II. भारत के बाहर अग्रिम / Advances outside India		-
(I) बैंक से देय / Due from banks	1,979.10	373.62
(ii) अन्य से देय / Due from others	-	-
(अ/a) खरीदे और भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	69.98	68.04
(आ/b) सिंडिकेटेड ऋण / Syndicated Loans	749.87	334.21
(इ/c) अन्य / Others	104.03	69.78
कुल / Total	2,902.98	845.65
कुल योग / Grand Total	93,625.85	71,608.15
अनुसूची 10 - स्थिर आस्तियाँ		
SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I. परिसर / Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1,002.61	999.93
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0.81	1.45
वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकित / Revalued during the year	-	-
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	1.20	-
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	72.07	65.00
कुल / Total I	930.15	936.38
IA. निर्माणाधीन परिसर / Premises under construction	-	1.11
II. अन्य स्थिर आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित) / Other Fixed Assets (including Furniture and Fixtures)		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	658.74	586.87
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	99.40	72.19
वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	1.45	0.84
आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	529.69	467.90
कुल / Total II	227.00	190.32

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	यथास्थिति / As on 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	यथास्थिति / As on 31.03.2010 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
IIA. पट्टे पर दी गई आस्तियाँ / Leased Assets		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	7.30	3.23
समायोजन सहित वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year including adjustments प्रावधान सहित वर्ष के दौरान कटौती	0.75	0.86
वर्ष के दौरान प्रविष्टियाँ Deductions during the year including provisions आज की तारीख तक अवक्षय / Depreciation to date	-	0.11
	5.16	0.90
कुल / Total IIA	2.89	3.08
कुल / Total (I, IA, II & IIA)	1,160.04	1,130.89
III. पूंजी – प्रगतिशील कार्य (पट्टे पर दी गई आस्तियाँ) प्रावधान का निवल Capital- Work - in - progress (Leased Assets) net of Provisions	0.13	0.46
कुल / Total (I, IA, II, IIA & III)	1,160.17	1,131.35
अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ		
SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-Office Adjustments (net)	-	-
II. उपचित ब्याज / Interest accrued	710.42	495.04
III. अग्रिम रूप में संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	386.54	239.41
IV. लेखन सामग्री एवं स्टाम्प / Stationery and stamps	9.71	8.28
V. दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	-	0.03
VI. आस्थगित कर आस्तियाँ / Deferred Tax assets	0.26	0.77
VII. अन्य / Others	1,173.29	650.66
कुल / Total	2,280.22	1,394.19
अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं		
SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	2,655.05	937.27
II. अंशतः संदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0.16	0.16
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	39,908.56	37,065.89
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ / Guarantees given on behalf of constituents	-	-
(a) भारत में / In India	4,094.71	4,429.34
(b) भारत के बाहर / Outside India	420.54	446.63
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, endorsements and other obligations	9,273.62	6,162.82
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है Other items for which the Bank is contingently liable	41.84	38.68
कुल / Total	56,394.48	49,080.79
संग्रहण हेतु बिल / Bill for collection	3,984.60	2,944.37

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2010 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)
अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज एवं लाभांश		
SCHEDULE 13 - INTEREST AND DIVIDENDS EARNED		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/discount on advances/bills	8,274.18	6,398.47
II. निवेशों पर आय / Income on investments	2,679.45	1,951.22
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	54.74	25.17
IV. अन्य / Others	74.16	2.32
कुल /Total	11,082.53	8,377.18
अनुसूची 14 - अन्य आय		
SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission, exchange and brokerage	778.95	649.97
II. भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets	0.30	0.03
घटाएँ: भूमि, भवनों तथा अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	(0.04)	(0.59)
III. विनिमय लेनदेनों पर लाभ / Profit on exchange transactions	84.30	58.13
घटाएँ: विनिमय लेनदेनों पर हानि / Less: Loss on exchange transactions	(11.27)	(9.64)
IV. विनिधानों (निवल) के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments(net)	166.16	765.52
घटाएँ: विनिधानों के विक्रय से हानि / Less: Loss on sale of investments	(0.24)	(186.79)
V. विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर लाभ / Profit on revaluation of investments	-	-
घटाएँ : विनिधानों के पूनर्मूल्यांकन पर हानि/ Less: Loss on revaluation of investments	(1.44)	(0.01)
VI. a) पट्टा-वित्त से आय / Lease finance income	-	-
b) पट्टा प्रबंधन शुल्क / Lease management fee	-	-
c) अतिदेय प्रभार / Overdue charges	-	-
d) पट्टा किराया प्राप्य राशि पर ब्याज / Interest on lease rent receivables	-	-
VII. विविध आय / Miscellaneous income	347.25	263.34
कुल / Total	1,363.97	1,539.96
अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज		
SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I. जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	6,497.70	5,341.86
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/ inter-bank borrowings	48.21	39.73
III. अन्य /Others	445.69	336.57
कुल / Total	6,991.60	5,718.16

अनुसूची	SCHEDULE	
विवरण Particulars	समाप्त वर्ष/ Year Ended 31.03.2011 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	समाप्त वर्ष/Year Ended 31.03.2010 (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

I. कर्मचारियों को भुगतान तथा उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1,558.97	1,020.82
II. भाड़ा, कर एवं रोशनी / Rent, taxes and lighting	201.97	179.73
III. मुद्रण और लेखन सामग्री / Printing and stationery	22.02	21.47
IV. विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	35.85	24.65
V. (क) पट्टा आस्तियों से इतर बैंक की परिसंपत्तियों पर अवक्षय (a) Depreciation on Bank's property other than Leased Assets	66.64	65.14
V. (ख) पट्टा आस्तियों पर अवक्षय/ (b) Depreciation on Leased Assets	-	-
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Directors' fees, allowances and expenses	1.32	1.05
VII. लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय/ Auditors' fees and expenses (शाखा लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय सहित) (including branch auditors' fees and expenses)	17.94	16.16
VIII. विधि प्रभार / Law charges	13.70	11.77
IX. डाक, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones, etc.	24.52	23.70
X. मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs and maintenance	41.33	25.11
XI. बीमा / Insurance	93.34	75.93
XII. साख का परिशोधन, यदि कोई हो/ Amortisation of Goodwill, if any	-	-
XIII. अन्य व्यय / Other expenditure	329.28	188.36
कुल / Total	2,406.88	1,653.89

अनुसूची 17 - आय का अंश

SCHEDULE 17 - Share of Earnings

अनुषंगियों में हानि / Loss in Associates	-	-
अनुषंगियों का ब्योरा / Details of Associates	-	-
नाम / Name		
शारदा ग्रामीण बैंक / Sharda Gramin Bank	9.02	7.37
लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / Lucknow Kshetriya Gramin Bank	-	36.03
त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / Triveni Kshetriya Gramin Bank	-	20.69
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक / Allahabad UP Gramin Bank	70.20	13.82
कुल / TOTAL	79.22	77.91
इलाहाबाद बैंक का अंश / Allahabad Bank's share	27.72	27.27
पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन / Adjustment relating to earlier years	(1.99)	0.48
वर्ष के दौरान समायोजित / Considered during the year	25.73	27.75

**समेकित लेखाओं से संबंधित प्रासंगिक
मुख्य लेखा नीतियां**

**RELEVANT PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES
ON THE CONSOLIDATED ACCOUNTS**

1. सामान्य

- (क) वित्तीय विवरण, जहां अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखा की परंपरागत लागत परिपाटी एवं उपचित आधार पर तथा सांविधिक प्रावधानों एवं सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बनाया और प्रस्तुत किया गया है।
- (ख) वित्तीय विवरण आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामलों में समय-समय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा निर्देशों की भी पुष्टि करता है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एवं उद्घोषणा एवं भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा व्यवहार।

2. समेकन प्रक्रिया:

- (i) बैंक, इसकी अनुषंगी और एसोसिएट्स के समेकित वित्तीय विवरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों, संबंधित नियामक प्राधिकारियों द्वारा जारी निदेशानिर्देशों और सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों एवं भारत में प्रचलित नीतियों जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो अनुपालन करने के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के साथ तैयार किए गए हैं।
- (ii) निम्नलिखित अनुषंगी को लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार समेकित किया गया है:

1. Basis of Accounting:

- (i) The financial statements have been prepared under the historical cost convention and accrual basis of accounting, unless otherwise stated and are in conformity with the statutory provisions and generally accepted accounting principles.
- (ii) The financial statements also conform to the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time in respect of income recognition, asset classification, provisioning and other related matters. Accounting standard and pronouncement issued by the Institute of Chartered Accountants of India and accounting practices prevalent in the Banking Industry in India.

2. Consolidation procedure:

- (i) The Consolidated financial statements of the Bank, its subsidiary and its associates have been prepared to comply, in all material aspects, in accordance with the Accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, guidelines issued by the respective regulatory authorities and generally accepted accounting principles and policies prevailing in India except otherwise stated.
- (ii) The following subsidiary has been consolidated as per the Accounting Standard 21, "Consolidated Financial Statements"

कंपनी का नाम Name of the Company	देश /निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
आल बैंक फाइनेंस लिमिटेड AllBank Finance Limited	भारत India	अनुषंगी Subsidiary	100% 100%

- (iii) निम्नलिखित एसोसिएट और संयुक्त उद्यम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा" एवं लेखा मानक 27, "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार समेकित किए गए हैं।

- (iii) The following associates and Joint ventures have been consolidated as per the Accounting Standard 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 27, "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India respectively:

संस्था का नाम Name of the Entity	देश/निवास Country / Residence	संबंध Relationship	स्वामित्व हित Ownership Interest
शारदा ग्रामीण बैंक Sharda Gramin Bank	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35%
इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक Allahabad UP Gramin Bank.	भारत India	प्रायोजित बैंक Sponsor Bank	35%
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड Universal Sompo General Insurance Company Ltd.	भारत India	एसोसिएट Joint Venture	30%
एएसआरईसी (इंडिया) लि ASREC (India) Ltd.	भारत India	संयुक्त उद्यम Joint Venture	27.04 %

3. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का प्रकटीकरण

उल्लिखित बैंकिंग नीतियां मुख्यतः बैंक संस्था से संबंधित हैं। बैंक की एक अनुषंगी है जो जो क्लास I मर्चेन्ट बैंकर के रूप में सेबी में पंजीकृत है और एक एसोसिएट कंपनी है जो गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में लगी है। अनुषंगी और एसोसिएट कंपनी उनके शासी नियामकों द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों का पालन करती हैं। इन्हें अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है क्योंकि समग्रतः वित्तीय विवरणों के परिप्रेक्ष्य में ये निवेश महत्वपूर्ण नहीं हैं।

4. विदेशी मुद्रा से संबद्ध लेन-देन :

4.1 भारत से बाहर शाखाएं / कार्यालय

- (i) विदेशी शाखाओं को "नॉन-इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स" के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है।
 - मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ तथा आकिस्मक देयताएँ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फेडाई) द्वारा प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर दी जाने वाली अंतिम स्पॉट दरों पर।
 - राजस्व मदें फेडाई द्वारा संबंधित तिमाही की समाप्ति पर अधिसूचित तिमाही औसत अंतिम दर पर संपिपरवर्तित की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतर को एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन रिजर्व' में रखा जाता है।
- (ii) विदेश स्थित प्रतिनिधि कार्यालयों के परिचालनों को "इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन्स" के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनके वित्तीय विवरणों की गणना निम्नानुसार की जाती है :
 - सभी मौद्रिक आस्ति एवं देयताएँ, गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन तथा अन्य प्रतिबद्धताएँ फेडाई के दिशानिर्देशानुसार प्रत्येक तिमाही के अंत में प्रचलित स्पॉट विनिमय दरों पर भारतीय रुपये में आँकी जाती है।
 - गैर-मौद्रिक मदें लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर आँकी जाती है।
 - राजस्व मदों की गणना लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर की जाती है।
 - सभी परिणामी विनिमय अंतरों को लाभ-हानि लेखा में लिया गया है।
- (iii) अग्रिमों को भारतीय कार्यालयों में प्रचलित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। अग्रिमों के संबंध में प्रावधान स्थानीय विधि अपेक्षाओं अथवा भा.रि.बैक के मानकों, जो भी अधिक हो, के अनुसार किया जाएगा।

4.2 भारत में शाखाएं

- (i) विदेशी मुद्रा शेष चाहे आस्ति अथवा देयता (एफसीएनआर योजना, ईईएफसी योजना, आरएफसी योजना आदि के अन्तर्गत संग्रहित जमा राशियों सहित) हो तथा बकाया वायदा विनिमय संविदा को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा यथा सूचित तिमाही अंत की दरों पर परिवर्तित किया गया है।

3. Disclosure of significant accounting policies

The accounting policies mentioned primarily relate to the Bank entity. The Bank has a subsidiary which is registered with the SEBI as a Class I Merchant Banker and one Joint Venture Company is in the business of non-life insurance. The subsidiary and Joint Venture Companies follow accounting policies prescribed by their governing regulators. These have not been specified separately as these investments are not material in the context of the overall financial statements.

4. Transactions involving Foreign Exchange:

4.1 Branches / Offices outside India

- (i) Foreign Branches are classified as "Non-integral Foreign Operations" and their financial statements are translated as follows:
 - Both monetary and non-monetary Assets and Liabilities as well as Contingent Liabilities at the closing spot rates notified by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) at the end of each quarter.
 - Revenue items are translated at the quarterly average closing rate notified by FEDAI at the end of respective quarter.
 - All resulting exchange difference is accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve'.
- (ii) Operations of representative offices abroad are classified as "Integral Foreign Operations" and their financial statements are accounted for as follows:
 - All monetary Assets and Liabilities, Guarantees, Acceptances, Endorsements and other obligations are translated to Indian rupee equivalent at the spot exchange rates prevailing at the end of each quarter as per FEDAI guidelines.
 - Non-monetary items are translated at exchange rate prevailing on the date of transaction.
 - Revenue items are accounted for at the exchange rates prevailing on the date of transaction.
 - All resulting exchange differences are accounted for in Profit & Loss Account.
- (iii) Advances will be classified under categories in line with those of Indian Offices. Provisions in respect of advances will be made as per the local law requirements or as per the norms of RBI, whichever is higher.

4.2 Branches in India

- (i) Foreign currency balances whether of assets or liabilities [including deposits mobilized under FCNR Scheme, EEFC Scheme, RFC Scheme etc.] and outstanding forward exchange contracts are converted at quarter end rates as advised by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI).

वायदा विनिमय संविदा के पूनर्मूल्यांकन पर परिणामी लाभ /हानि तथा नोस्ट्रो खाते एफ ई डी ए आई के दिशानिर्देशों के अनुसार राजस्व में लिए गए हैं।

- (ii) विदेशी मुद्रा से संबंधित आय और व्यय की मदों को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर को प्रयोग कर संपरिवर्तित किया जाता है।
- (iii) स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और गारंटियों सहित अन्य दायित्वों का मूल्य प्रत्येक तिमाही के अंत में फेडआई द्वारा सूचित प्रचलित दर पर आंका जाता है।

5. निवेश

- (i) बैंक के निवेश को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तीन प्रवर्गों यथा 'परिपक्वता तक धारित', 'व्यापार हेतु धारित', 'विक्रय हेतु उपलब्ध' तथा में वर्गीकृत किया जाता है।
- (ii) उक्त तीन श्रेणियों के अन्तर्गत निवेशों के प्रकटीकरण को आगे निम्नलिखित छह समूहों में वर्गीकृत किया जाता है :
 - (1) सरकारी प्रतिभूतियाँ,
 - (2) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
 - (3) शेयर,
 - (4) डिबेंचर एवं बाँड,
 - (5) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यम तथा
 - (6) अन्य
- (iii) (क) निवेश जिसे बैंक परिपक्वता तक धारित करना चाहता है, को परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 (ख) निवेश जिसे क्रय की तिथि से 90 दिनों भीतर विशेष रूप से पुनर्विक्रय हेतु धारित किया जाता है, को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 (ग) निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं हैं, को विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
 (घ) निवेश के क्रय के समय उसे परिपक्वता तक धारित, व्यवसाय हेतु धारित अथवा विक्रय के लिए उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एवं श्रेणियों में तत्पश्चात की शिफ्टिंग नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप कि जाती है।
 (ङ) आनुषंगिकों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगियों में निवेश को परिपक्वता हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- (iv) 'परिपक्वता हेतु रखा गया' के अंतर्गत वर्गीकृत (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अलावा) निवेश अधिग्रहण लागत पर लाए गए हैं। अगर अधिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक होती है तो अतिरिक्त राशि को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है एवं निम्नोक्त के लिए प्रावधान किया जाता है।
 डिबेंचरों / बांडों के मूल्य के हास जो अग्रिमों के रूप में समझे जाते हैं आस्ति वर्गीकरण के भारिबैं के विवेकपूर्ण मानदंडों तथा अग्रिमों हेतु प्रयोज्य प्रावधानीकरण का प्रयोग करते हुए।
 अनुषंगी / संयुक्त उद्यमों में निवेश के मूल्य में अस्थायी को छोड़कर हास।
- (v) "व्यापार हेतु रखा गया" के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मासिक अंतराल पर स्क्रिपवार पूनर्मूल्यांकन किया जाता है तथा परिणामी

The resultant profit/loss on revaluation of forward exchange contracts and NOSTRO accounts is taken to revenue as per FEDAI guidelines.

- (ii) Income and Expenditure items relating to foreign currency are converted using the exchange rate prevailing as on the date of transaction.
- (iii) Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are stated at FEDAI advised rates prevailing at the end of each quarter.

5. Investments:

- (i) Investments are classified in accordance with RBI guidelines under three categories viz. "Held to Maturity", "Held for Trading" and "Available for Sale".
- (ii) Under the above three categories, Investments are further classified into the following six groups :
 1. Government Securities,
 2. Other Approved Securities,
 3. Shares,
 4. Debentures & Bonds,
 5. Subsidiaries/ Joint Ventures and
 6. Others
- (iii) a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
 b) Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
 c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for sale.
 d) An investment is classified as Held to Maturity, Held for Trading or Available for sale at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
 e) Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified as Held to Maturity.
- (iv) Investments classified as 'Held to Maturity' (other than in Regional Rural Banks) are carried at acquisition cost. In case the acquisition cost is higher than the face value, the excess is amortized over the period remaining to maturity and provision is made for:
 Depreciation in the value of debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advances by applying the RBI prudential norms of asset classification and provisioning applicable to advances.
 Diminution, other than temporary, in the value of investments in subsidiaries / joint ventures.
- (v) Investments classified as "Held for Trading" are revalued scrip-wise at monthly interval and resultant net

निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है एवं निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखा जाता। अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य ऊपर यथाउल्लिखित पुनर्मूल्यांकन के साथ नहीं बदलता है।

- (vi) "विक्रय हेतु उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को तिमाही अंतराल पर मार्केट स्क्रिपवार अंकित किया जाता है तथा परिणामी निवल मूल्यहास की पहचान की जाती है और निवल अधिमूल्यन, यदि कोई हो, को प्रत्येक वर्गीकरण के अंतर्गत ध्यान में नहीं रखा जाता। अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य ऊपर यथाउल्लिखित पुनर्मूल्यांकन के साथ नहीं बदलता है।
- (vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेशों का मूल्य निर्धारण धारित लागत के रूप में किया जाता है।
- (viii) अनुत्पादक प्रतिभूतियों (जहाँ ब्याज / मूल 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है) के संबंध में आय की पहचान नहीं की जाती तथा प्रतिभूतियों के मूल्य में हास हेतु आस्ति वर्गीकरण के विवेकपूर्ण मानदंडों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त प्रावधान किए जाते हैं तथा ऐसे मूल्यहास की अन्य उत्पादक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन से क्षतिपूर्ति नहीं की जाती।
- (ix) निवेशों के अधिग्रहण की लागत:
- अभिदत्त प्रतिभूतियों के मामले में प्राप्त प्रोत्साहन / कमीशन तथा प्रारंभिक शुल्क का निवल है।
 - कमीशन, दलाली, प्रतिभूति लेनदेन कर तथा स्टाम्प ड्यूटी को छोड़कर।
- (x) लाभ-हानि लेखा में निवेश की बिक्री पर लाभ-हानि की पहचान की जाती है। "परिपक्वता हेतु रखे हुए" वर्ग के तहत निवेशों की बिक्री पर लाभ के बराबर की राशि को पहले लाभ-हानि खाते में लिया जाता है तथा तत्पश्चात "पूँजी प्रारक्षित खाते" में विनियोग किया जाता है।
- (xi) निवेशों के बाजार मूल्य का पता लगाने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन अथवा एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. द्वारा दी गई दरों को अपनाया जाता है। इस प्रकार के कोटेशनों / दरों के अभाव में एफ.आई.एम.एम.डी.ए. / पी.डी.ए.आई. द्वारा यथानिर्धारित 'परिपक्वता पर प्रतिफल' का समुचित प्रयोग करते हुए बाजार दर का पता लगाया जाता है।
- (xii) भारिबैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणी के स्वैप का मूल्य निम्नानुसार किया जाता है:

➤ हेज स्वैप

ब्याज दर स्वैप, जो ब्याज वाली आस्तियों और देयताओं का बचाव करती है, को उस आस्ति अथवा देयता हेतु नामोद्दिष्ट स्वैप को छोड़कर जिसे वित्तीय विवरणियों में बाजार मूल्य पर अथवा लागत या बाजार मूल्य से कम मूल्य पर लिया जाता है, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

स्वैप के निरसन से होने वाले लाभ अथवा हानि को स्वैप की संविदागत अवधि अथवा आस्तियों / देयताओं की शेष अवधि से कम पर अभिज्ञात किया जाता है।

➤ ट्रेडिंग स्वैप

ट्रेडिंग स्वैप लेन-देनों को वित्तीय विवरणियों में दर्ज परिवर्तनों के साथ बाजार से चिह्नित किया जाता है।

depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.

- (vi) Investments classified as "Available for Sale" are marked to market scrip-wise at quarterly intervals and resultant net depreciation is recognized and net appreciation, if any, is ignored under each classification. The book value of the individual scrip is not changed with the revaluation as indicated above.
- (vii) Investments in Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
- (viii) In respect of non-performing securities (where interest/ principal is in arrears for more than 90 days) income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of the securities by applying prudential norms of asset classification and such depreciation is not set-off against the appreciation in respect of other performing securities.
- (ix) Cost of acquisition of investments:
- is net of incentives/commission and front-end fees received in case of securities subscribed, and
 - excludes commission, brokerage, securities transaction tax and stamp duty.
- (x) Profit/loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. An amount equivalent to the profit on sale of investments under "Held to Maturity" category is first taken to the Profit and Loss Account and thereafter, appropriated to the "Capital Reserve Account".
- (xi) For the purpose of determining market value of investments, Stock exchange quotations or rates put up by FIMMDA/PDAI are adopted. In absence of such quotations/rates, the market value is determined by applying appropriate Yield to Maturity rates as prescribed by FIMMDA / PDAI or as per norms laid down by the Reserve Bank of India.
- (xii) As per RBI guidelines, the different categories of Swaps are valued as under:

➤ Hedge Swaps

Interest rate swaps which hedges interest bearing assets or liabilities are accounted for on accrual basis except the Swaps designated with an assets or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements.

Gains or Losses on the termination of Swaps are recognized over the shorter of the remaining contractual life of the Swap or the remaining life of the assets / liabilities.

➤ Trading Swaps

Trading Swap transactions are marked to market with changes recorded in the financial statements.

6. अग्रिम :

- (i) भा.रि.बैंक द्वारा यथा-निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आस्तियों को अर्जक तथा अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उन्हें अनर्जक अग्रिमों हेतु प्रावधान के निवल रूप में दिखाया गया है।
- (ii) तथापि भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक अग्रिमों (उत्पादक) हेतु किए गए प्रावधान को "अन्य देयताएं एवं प्रावधान" में शामिल किया गया है।

7. स्थिर आस्तियाँ / मूल्यहास

- (i) पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे पर लिए गए परिसरों सहित अन्य अचल आस्तियों की परंपरागत लागत बताई गई है, कतिपय परिसरों को छोड़कर जिनकी पुनर्मूल्यांकन राशि बताई गई है। पुनर्मूल्यन हेतु आस्तियों का चयन प्रणालीबद्ध पद्धति के आधार पर किया जाता है। पुनर्मूल्यन पर्याप्त नियामन से किया जाता है ताकि इस प्रकार प्राप्त रकम और तुलन पत्र की तिथि पर बाजार मूल्य में ज्यादा अंतर न हो। बैंक के कुछ परिसरों के उचित मूल्य में सार्थक उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। अतएव, बार-बार मूल्यन की आवश्यकता महसूस की जाती है। तथापि, परिसरों की उन मदों हेतु पुनर्मूल्यन बार-बार नहीं किया जाता, जिनके उचित मूल्य में केवल अमहत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं।
- (ii) "अन्य आस्तियों" के अन्तर्गत निर्माण अवधि के दौरान लिए गए पूंजीगत व्यय को शामिल किया गया है।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर घटते शेष प्रणाली के अनुसार हास का प्रावधान किया गया है, सिवाय एएलपीएम एवं कम्प्यूटरों से संबंधित हासमान के, जहां भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार 33.33% की दर पर सीधी रेखा पद्धति में मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
- (iv) पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यहास की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से लाभ-हानि खाते में अन्तरित की गई है।
- (v) पट्टे वाली भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि तक किया गया है।
- (vi) विदेशी शाखा की स्थिर आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान उस देश में प्रचलित प्रयोज्य कानूनों के अनुसार किया गया है।

8. अगोचर आस्तियां (कम्प्यूटर साफ्टवेयर)

- (i) कम्प्यूटर हेतु साफ्टवेयर जो उस विशेष साफ्टवेयर के बिना नहीं चलाया जा सकता संबंधित हार्डवेयर का एक अगोचर अंश है तथा उसे अचल आस्ति समझा गया है। जहां साफ्टवेयर संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, कम्प्यूटर साफ्टवेयर को अगोचर आस्ति समझा गया है।
- (ii) विक्रेता से लिए गए कम्प्यूटर साफ्टवेयर को केवल तभी अगोचर आस्ति के रूप में समझा गया है, जब साफ्टवेयर का मूल्य / लागत रु. 10 लाख से अधिक है। ऐसी अगोचर आस्तियों का परिशोधन 10 वर्ष की अधिकतम अवधि के अध्यक्षीन, उसकी प्रभावी आयु तक किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ :

- (i) कर्मचारियों के लाभ के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15(संशोधित) कर्मचारी लाभ का प्रयोग किया है।

6. Advances:

- (i) Advances are classified as performing and non-performing as per guidelines prescribed by RBI and are shown net of provisions for non-performing advances.
- (ii) The provision made for standard advances (performing) in terms of RBI guidelines is however included in "Other Liabilities and Provisions".

7. Fixed Assets and Depreciation

- (i) Premises including Freehold and other Fixed Assets are stated at historical cost except certain Premises, which are stated at their revalued amount. Selection of assets for revaluation is based on a systematic basis. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the market value at the Balance Sheet date. Some of the premises of the Bank experience significant and volatile changes in fair value, thus necessitating frequent valuation. However, such frequent valuation is not done for items of premises with only insignificant changes in fair value.
- (ii) Capital expenditure incurred during construction period is included under 'Other Assets'.
- (iii) Depreciation is provided on diminishing balance method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956 except that in respect of ALPMs & Computers, where depreciation is provided on straight line method @ 33.33% as per RBI guidelines.
- (iv) In respect of revalued assets, the amount of additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to the Profit & Loss Account.
- (v) Premium on leasehold land is amortized over the period of the lease.
- (vi) Depreciation on Fixed Assets of foreign branches is provided as per the applicable laws prevalent in that country.

8. Intangible Assets (Computer Software)

- (i) Software for a computer that cannot operate without that specific software is an intangible part of related hardware and is treated as fixed assets. Where the software is not an integral part of the related hardware, Computer software is recognised as an Intangible Asset.
- (ii) Computer software acquired from vendors is recognised as Intangible Asset only if the value /cost of the software is more than Rs.10 Lakhs. Such intangible assets are amortised over its effective life subject to a maximum period of ten years.

9. Employee Benefits:

- (i) The Bank has applied Accounting Standard 15(Revised) - Employees Benefits, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits.

- | | |
|---|---|
| <p>(ii) दीर्घकालिक निर्धारित कर्मचारी लाभ की देयता - पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, अवकाश किराया रियायत, बीमारी छुट्टी का निर्धारण प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर वर्ष के अंत में स्वतंत्र बीमाकिकों द्वारा बीमाकिक मूल्यन पर निकाला जाता है। इस प्रकार निर्धारित देयता पेंशन और ग्रेच्युटी के मामले में निधिक है और अन्य मामलों में इसके लिए प्रावधान किया जाता है।</p> <p>(iii) भविष्य निधि के संबंध में अवधि हेतु किए गए अंशदान को व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है और लाभ-हानि खाते से प्रभारित किया जाता है।</p> <p>(iv) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ को, सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ हानि लेखा में, गैर-बट्टाकृत राशि पर व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।</p> <p>(v) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के तहत ग्रेच्युटी तथा पेंशन से संबंधित अनुग्रह राशि तथा अतिरिक्त अंशदान हेतु व्यय को भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पांच वर्ष की अवधि में परिशोधित आस्थगित राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।</p> | <p>(ii) Liability towards long term defined employee benefits – Pension, Gratuity, Leave Encashment, Leave Fare Concession and Sick Leave are determined based on actuarial valuation by independent actuaries at the year end by using Projected Unit Credit method. Liability so determined is funded in the case of Pension and Gratuity, and provided for in other cases.</p> <p>(iii) In respect of Provident Fund, the contribution for the period is recognized as expense and charged to Profit & Loss account.</p> <p>(iv) Short term employee benefits are recognized as an expense at an undiscounted amount in the Profit and Loss Account of the year in which the related services are rendered.</p> <p>(v) Expenditure towards ex-gratia and additional contribution in respect of gratuity and pension under Voluntary Retirement Scheme (VRS) is treated as Deferred Revenue Expenditure amortized over a period of five years in terms of RBI guidelines.</p> |
|---|---|

10. राजस्व अभिज्ञान :

निम्नलिखित को छोड़कर आय तथा व्यय का लेखा उपचित आधार पर किया गया है:

- (i) अनुपयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिमों पर ब्याज तथा अन्य आय को वसूली सीमा तक माना गया है।
- (ii) आय कर तथा ब्याज कर की वापसी राशि पर ब्याज से आय को, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के वर्ष हेतु लेखा में शामिल किया गया है।
- (iii) फोलोऑन सार्वजनिक निर्गम को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और इसे पांच वर्षों में परिशोधित किया जाता है।

11. पट्टा

बैंक द्वारा प्राप्त किराए को उपचित अधार पर लाभ-हानि लेखा में अभिज्ञात किया जाता है।

परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों हेतु पट्टे का भुगतान लाभ-हानि लेखा में व्यय के रूप में अभिज्ञात किया जाता है।

12. प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 “प्रति शेयर अर्जन” के अनुसार की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर बेसिक अर्जन की गणना अवधि हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निवल आय को भाग करके की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर डाइल्यूटेड अर्जन की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के दौरान बकाया डाइल्यूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों का प्रयोग कर की जाती है।

13. कराधान

- (i) कर हेतु प्रावधान चालू कर (न्यूनतम वैकल्पिक कर-मैट सहित) और

10. Revenue Recognition :-

Income and Expenditure are accounted for on accrual basis other than those stated below:

- (i) Interest and Other Income on advances classified as non-performing assets are recognized to the extent realized.
- (ii) Income from interest on refund of Income Tax and Interest Tax are accounted for in the year the order is passed by the concerned assessing officer.
- (iii) Expenditure on Follow on Public Offer is considered as Deferred Revenue Expenditure and is amortised over a period of five years.

11. Lease

Rentals received by the Bank are recognized in the profit and loss account on accrual basis.

Lease payments for assets taken on operating lease are recognized as an expense in the profit and loss account.

12. Earnings Per Share

Basic and Diluted Earnings per Equity Share are reported in accordance with the Accounting Standard 20 “Earnings per share” issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Basic earnings per equity share are computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

13. Taxation

- (i) Provision for tax is made both current Tax (including

आस्थगित कर, दोनों हेतु किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दर और कर कानूनों का प्रयोग करके किया जाता है। समय अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ, जो परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तन के योग्य हैं, तुलन पत्र की तिथि तक बनाए गए या बाद में बनाए जाने वाले कर कानूनों और कर दरों का प्रयोग करके अभिज्ञात की जाती हैं। आस्तियों का अभिज्ञान तब तक नहीं किया जाता जब तक कि “वास्तव में निश्चित” हो कि पर्याप्त भावी करयोग्य आय उपलब्ध होगी जिससे ऐसी आस्थगित कर आस्तियाँ वसूल की जाएंगी।

- (ii) न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) जमा को आस्तियों पर केवल तब ही एवं उस सीमा तक अभिज्ञात किया जाता है जब ऐसा ठोस प्रमाण हो कि कंपनी निर्धारित अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी।

14. नकदी एवं समतुल्य नकदी

नकदी एवं समतुल्य नकदी में हाथ में नकदी और एटीएम में नकदी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष शामिल है।

15. अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर ‘इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस’ को अभिज्ञात किया गया है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 ‘इम्पेयरमेंट ऑफ लॉसेस’ के अनुसार लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

16. आकस्मिक देयताएँ तथा प्रावधान और आकस्मिक आस्तियाँ

- (i) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 29 ‘प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ’ के अनुरूप बैंक प्रावधान तभी अभिज्ञात करता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व उत्पन्न होता है और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता हो।

- (ii) निम्नलिखित के लिए प्रावधान अभिज्ञात नहीं किया गया :

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई संभावित दायित्व और जिसका अस्तित्व उस घटना के होने अथवा न होने पर ही निर्भर करेगा अथवा भविष्य की ऐसी अनिश्चित घटनाएँ जो पूर्णतया बैंक के नियंत्रण में नहीं है।

ख) कोई वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हुआ है उसे अभिज्ञात नहीं किया गया क्योंकि :

- i) यह संभाव्य नहीं है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह दायित्व के समाधान हेतु अपेक्षित होगा

अथवा

- ii) दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो। ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। इनका नियमित अंतराल पर निर्धारण किया जाता है और दायित्व के केवल उसी भाग के लिए प्रावधान किया जाता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह संभव हो, उन अत्यंत असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जहां दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं किया जा सकता हो।

- iii) वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को अभिज्ञात नहीं किया गया है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिज्ञान हो सकता है जो कभी भी वसूली नहीं जा सकती।

Minimum Alternate Tax – MAT) and deferred taxes. Current tax is provided on the taxable income using applicable tax rate and tax laws. Deferred Tax Assets and Liabilities arising on account of timing differences and which are capable of reversal in subsequent periods are recognised using the tax rates and the tax laws that have been enacted or substantively enacted till the date of the Balance Sheet. Deferred Tax Assets are not recognised unless there is “virtual certainty” that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realised.

- (ii) Minimum Alternate Tax (MAT) credit is recognized as assets only when there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period.

14. Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalent include cash on hand and in ATM's and balances with RBI.

15. Impairment of Losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized and charged to Profit & Loss Account in accordance with the Accounting Standard 28 “Impaired of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.

16. Contingent Liabilities and Provisions & Contingent Assets

- (i) In conformity with AS 29. “Provisions, Contingent Liabilities and contingent Assets”. Issued by the Institute of Chartered Accounts of India, the Bank recognizes provisions only when It has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

- (ii) No provision is recognized for

a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or

b) Any present obligation that arises from past events but is not recognized because

- i) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation;

or

- ii) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. Such obligations are recorded as contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- iii) Contingent Assets are not recognized in the financial statements as this may result in the recognition of income that never be realized

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा टिप्पणियाँ

1. (i) भारतीय रिजर्व बैंक (भारि बैंक) के दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयोग्य तथा अनुपयोग्य अग्रिमों हेतु पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
- (ii) बैंक के वित्तीय स्थायित्व को मजबूत करने के उद्देश्य से 31.03.2011 को सकल अनुपयोग्य अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधान से अधिक रु. 48.00 करोड़ (पिछलेवर्ष रु. 48.00 करोड़) का अतिरिक्त विवेक सम्मत चल प्रावधान किया गया।
2. (i) अंतर शाखा समाधान के अंतर्गत प्रविष्टियों का आरंभिक मिलान 31.03.2011 तक किया गया है। शाखा समायोजन खाते में शेष के साथ तथा प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं सहित शाखाओं की आपस में बेमेल प्रविष्टियों का समाधान कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार 30.09.2010 तक की अवधि की अंतर शाखा लेखा की नामे तथा जमा प्रविष्टियों के पृथक्करण तथा 31.03.2011 तक के शेष बकाया का परिणाम निवल जमा के रूप में रहा, अतः कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है।
- (ii) कुछ शाखाओं में जमा, अग्रिम एवं **नोस्ट्रो** खाते के संबंध में विवरणों की तैयारी/खातों के मिलान/समाधान का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्रों में हुई पर्याप्त प्रगति के मद्देनजर प्रबंधन का अभिमत है कि बैंक के लेखे पर समाधान का प्रभाव, अगर हो तो, तात्त्विक नहीं होगा। उपर्युक्त क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति को देखते हुए प्रबंधन का मन है कि बैंक की खातों पर समाधान का प्रभाव, यदि हो, महत्वपूर्ण नहीं होगा।
- (iii) भा. रि. बैं. के निदेशों के अनुसार, जैसा कि दिनांक 17 मार्च, 1998 के उनके डीबीएस.सीओ.एसएमसी.423.22.04.001/97-98 में शामिल है, 330 शाखाओं के संबंध में विभिन्न व्यक्तिगत एवं अव्यक्तिगत लेखा शीर्षों में पुराना अंतर, जो कि रु.141.39 करोड़ निवल ऋण है, को वर्ष 2000 एवं 2004 के दौरान प्रधान कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया था एवं "आकस्मिक लेखा-सामान्य" में रखा गया था। भा.रि.बैं ने दिनांक 09 दिसंबर, 2010 के अपने डीबीएस.सीओ.एसएमसी. सं. 8002/22.04.001/2010-11 के अनुसार इन 330 शाखाओं को एरियर वाली शाखाओं के रूप में बही तुलन पर बैंक के तिमाही विवरण में रिपोर्ट नहीं करने की अनुमति दी है।
3. विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद आयकर हेतु बैंक द्वारा रु.1834.76 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1322.93 करोड़) (आस्थगित कर सहित) का प्रावधान पर्याप्त माना गया।
4. (i) 31.03.1997, 31.03.2005 तथा 31.03.2007 को समाप्त हुए वर्ष में कतिपय परिसरों का पुनर्मूल्यांकन अनुमोदित मूल्यांकनों की रिपोर्ट के आधार पर किया गया और क्रमशः रु. 125.99 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय), रु. 370.08 करोड़ (वाणिज्यिक एवं आवासीय) तथा रु. 298.32 करोड़ (वाणिज्यिक) के उर्ध्वगामी संशोधन को पुनर्मूल्यन आरक्षित कोष में जमा किया गया। प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित परिसर पर मूल्यहास का परिकलन अवलिखित

NOTES ON ACCOUNT TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. (i) Adequate provision has been made in respect of Performing and Non-performing Advances in terms of Reserve Bank of India (RBI) guidelines.
- (ii) Prudential Floating Provision of Rs.48.00 Crores (Previous Year Rs.48.00 Crores) is held as at 31.03.2011 in respect of gross Non-performing Advances over and above the minimum provision prescribed by RBI with a view to strengthen the financial stability of the Bank.
2. (i) Under Inter-Branch reconciliation, initial matching of entries has been done upto 31.03.2011. Reconciliation of unmatched entries with the balance in Branch Adjustment account and transactions between Head Office and branches including branches inter-se is in progress. Further, in terms of RBI's circular, segregation of debit and credit entries in Inter Branch Account pertaining to the period upto 30.09.2010 and remaining outstanding as on 31.03.2011 have resulted in net credit, hence no provision is required.
- (ii) At some branches, preparation of details / balancing / reconciliation of accounts relating to Balances with Banks and NOSTRO Accounts are in progress. Since substantial progress has made in the above areas, the management is of the view that the impact of reconciliation, if any, on the accounts of the Bank will not be material.
- (iii) In terms of RBI directives as contained in their DBS.CO.SMC.423.22.04.001/97-98 dated March 17, 1998, old difference in various Personal & Impersonal Account Heads in respect of 330 branches aggregating net credit of Rs. 141.39 crores was transferred to Head Office during the year 2000 and 2004 and kept in "Contingency Account- General". The RBI, in terms of their DBS.CO.SMC.No. 8002/22.04.001/2010-11 of December 09, 2010, have permitted not to report these 330 branches as arrear carrying branches to Reserve Bank of India in Bank's quarterly statement on Balancing of Books.
3. The provision for income tax (including deferred tax) aggregating to Rs.1834.76 Crores (previous year Rs. 1322.93 Crores) held is considered adequate after taking into consideration various judicial decisions on disputed issues.
4. (i) Certain premises were revalued on the basis of the reports of the approved valuers during the year ended on 31.03.1997, 31.03.2005 and 31.03.2007 and upward revision amounting to Rs. 125.99 Crores (commercial and residential), Rs.370.08 Crores (commercial and residential) and Rs. 298.32 Crores (commercial) respectively had been credited to Revaluation Reserve. Depreciation on Revalued

मूल्य पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण रु. 4.45 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 4.68 करोड़) के अतिरिक्त मूल्यहास को पूंजी आरक्षितियों से अंतरित कर अनुसूची सं.14 मद (vii) में “अन्य आय” शीर्ष के अंतर्गत विविध आय में दर्शाया गया है।

- (ii) जहाँ भूखंड की लागत उपलब्ध नहीं है, ऐसे मामलों में अवक्षय भूखंड तथा भवन की संमिश्र लागत पर निर्धारित किया गया है।
- (iii) जहाँ मूल लागत उपलब्ध नहीं है वहाँ पट्टा अवधि हेतु पट्टाधारित भूमि पर प्रीमियम का परिशोधन लागत आधार पर अथवा अवलिखित मूल्य पर किया गया है।
- (iv) निम्नलिखित संपत्तियों की पंजीकरण औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी हैं :
- क. 1990 और 1998 के दौरान कोलकाता एवं भुवनेश्वर में क्रमशः 29 और 10 फ्लैट वाली 2 आवासीय संपत्तियां जिनकी मूल लागत रु. 0.86 करोड़ (पिछला वर्ष रु.0.86 करोड़) है।
- ख. आनंद लोक, नईदिल्ली में एक पट्टाधारित संपत्ति जिसकी मूल लागत रु.0.09 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 0.23 करोड़)।
- ग. वित्त वर्ष के दौरान चेन्नई एवं हैदराबाद में दो भू-संपत्ति खरीदी गई।
- (v) अमूर्त आस्तियों सहित अन्य आस्तियों का विवरण निम्नवत है :

premises is worked out each year on its written down value. Additional depreciation of Rs.4.45 Crores (previous year Rs.4.68 Crores) due to revaluation has been transferred from Revaluation Reserve Account and shown in Miscellaneous Income under the head “Other Income” included in Schedule No. 14 item (vii).

- (ii) Depreciation has been charged on composite cost of Land and Building, where separate cost of land is not available.
- (iii) Premium on leasehold land has been amortized over the period of lease, based on cost or written down value, where original cost is not available.
- (iv) For the following properties registration formalities are yet to be completed:
- a. 2 residential properties purchased during the year 1990 & 1998 at Kolkata & Bhubaneswar consisting of 29 & 10 flats respectively with total original cost of Rs.0.86 Crores (Previous year Rs.0.86 Crores).
- b. 1 leasehold property at Anandlok, New Delhi with original cost amounting to Rs. 0.09 Crores (previous year Rs.0.23 Crores).
- c. 2 landed properties purchased during the the financial year at Chennai & Hyderabad.
- (v) Other Assets include intangible assets, details of which are as under.

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण / Particulars	2010-11	2009-10
अथ शेष \ Opening Balance	20.05	12.38
वर्ष के दौरान परिवर्धन \ Additions during the year	19.19	10.04
वर्ष के दौरान परिशोधित \ Amortized during the year	3.65	2.37
इति शेष \ Closing Balance	35.59	20.05

5. (i) रु.0.44 करोड़ (विगत वर्ष रु.0.44 करोड़) के अंकित मूल्य के निवेशों के संबंध में बैंक को अभी स्क्रिप्स/सर्टिफिकेट प्राप्त करने हैं।
- (ii) शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी से जुड़े म्युचुअल फंड/ वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों सहित शेयरों के सापेक्ष अग्रिम में कुल निवेश रु. 770.89 करोड़ (विगत वर्ष रु. 849.82 करोड़) रहा।
- (iii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार रु. 9.78 करोड़ (विगत वर्ष रु. 228.70 करोड़) की राशि, जो कि “हेल्ड टू मैच्यूरिटी” श्रेणी प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाले लाभ की समान राशि है, को पूंजी प्रारक्षित खाते में अंतरित किया गया है।

5. (i) In respect of Investments of face value of Rs.0.44 Crores (Previous year Rs.0.44 Crores) the Bank is yet to receive scrips / certificates.
- (ii) Total Investments made in shares, convertible debentures and units of equity linked mutual fund / venture capital funds and also advances against shares aggregate to Rs.770.89 Crores (Previous year Rs.849.82 Crores).
- (iii) As per RBI guidelines, an amount of Rs.NIL (Previous Year Rs.9.78 Crores) being an amount equivalent to post tax profit on sale of ‘Held to Maturity’ category securities is transferred to ‘Capital Reserve Account’.

(iv) जैसा कि महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 3(C)(i), में उल्लिखित है, "हेल्ड टू मैच्युरिटी" श्रेणी के मामले में वर्ष के दौरान परिशोधित प्रतिभूति के अंकित मूल्य के ऊपर रु. 83.33 करोड़ (विगत वर्ष रु. 112.32 करोड़) की अतिरिक्त अर्जन लागत है तथा जिसे निवेश पर आय से घटाकर भा.रि.बैंक के निर्देशानुसार लाभ-हानि खाते के "निवेश से आय" शीर्ष में विनिधान के पुनर्मूल्यन में हानि के रूप में दर्शाया गया है।

6. बैंक ने वर्ष के दौरान मार्जिन ट्रेडिंग के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया है और न ही किसी आस्ति का प्रतिभूतिकरण किया है।

7. वर्ष के दौरान बैंक ने कुल .670.00 करोड़ (लगभग) की राशि वाले रु.10/- प्रतिशेयर मूल्य के 29515418 इक्विटी शेयर रु.217/- के प्रीमियम पर अधिमानी आबंटन आधार पर भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को जारी किए। रु. 670. करोड़ में से रु.29.52 करोड़ (लगभग) को शेयर पूंजी खाते में तथा रु.640.48 करोड़ (लगभग) को शेयर प्रीमियम खाते में जमा लिखा गया।

8. लेखा मानकों के अनुरूप अनुपालन

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी निम्नोक्त लेखा मानकों (एएस) का अनुपालन किया है तथा ऐसे लेखा मानकों के प्रावधानों के अनुसार निम्नोक्त प्रकटीकरण किये जा रहे हैं।

8.1 लेखा मानक 5 : "अवधि हेतु निवल लाभ अथवा हानि, पूर्व वर्ष की मर्दे तथा लेखा नीतियां"

पूर्व वर्ष से संबंधित आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण / Particulars	2010-11	2009-10
आय \ Income	1.29	(9.34)
व्यय \ Expenditure	4.01	3.03
निवल / Net	(2.72)	(12.37)

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

8.2. बैंक ने कर्मचारी लाभों यथा पेंशन (नई), पेंशन (पुरानी), ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, एलएफसी और बीमारी छुट्टी के संबंध में अपनी देयताओं के अभिज्ञान हेतु भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 15 (एएस 15) (संशोधित) को 01 अप्रैल, 2007 से अपनाया है।

8.3. इलाहाबाद बैंक कर्मचारी पेंशन योजना (पुरानी) में ग्रेच्युटी के स्थान पर पेंशन (पुरानी) के मामले में बैंक की एसएलपी के संबंध में अंतिम निर्णय देते हुए भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये और पारित किये गये आदेश के परिणामस्वरूप बैंक के पक्ष में यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह इन पेंशनरों को भी ग्रेच्युटी का भुगतान करे। यह योजना सरकार की पूर्व अनुमति और बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार बंद कर दी

(iv) In respect of 'Held to Maturity' category as stated in significant Accounting Policy No. 3 (C)(i), the excess of acquisition cost over the face value of the security amortised during the year amounts to Rs.83.33 Crores (Previous year Rs.112.32 Crores) has been netted off from interest on investments and shown under "Income from Investments" in Profit and Loss Account in terms of RBI direction.

6. The Bank has not made any financing for margin trading during the year and also not securitised any assets.

7. During the year, Bank has issued 2,95,15,418 equity shares of Rs. 10/- each at a premium of Rs. 217/- per share amounting to Rs. 670.00 Crore (approx.) on preferential allotment basis to Govt. of India (President of India). Out of Rs. 670.00 Crore, Rs. 29.52 Crore (approx.) credited to Share Capital Account and Rs. 640.48 Crore (approx.) to Share Premium A/c.

8. Compliance with Accounting Standards

The Bank has complied with the following Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the following disclosures are made in accordance with the provisions of such Accounting Standards.

8.1. Accounting Standard 5 "Net Profit or Loss for the Period, Prior Period Items and Changes in Accounting Policies)

Income and Expenditure relating to prior period are as under:

8.2. The Bank adopted Accounting Standard 15(Revised)-Employee Benefits, issued by Institute of Chartered Accountants of India, for recognition of its liabilities in respect of employee benefits, viz, Pension (New), Pension (Old), Gratuity, Leave Encashment, LFC and Sick Leave w.e.f. 1st April 2007.

8.3. Consequent upon judgement & order passed by the Hon'ble Supreme Court of India in finally deciding on the Bank's SLP in the matter of its pension(old) scheme in lieu of gratuity styled 'Allahabad Bank Employees' Pension Scheme (Old)' making it obligatory on the part of the Bank to pay gratuity even to these pensioners, the said Scheme has been discontinued in terms of approval of the Bank's Board of Directors with prior

गई है और इनके स्थान पर इन पेंशनरों को ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है। इसलिए 31.03.2011 को यथास्थिति और भविष्य में भी पेंशन (पुरानी) के संबंध में कोई प्रावधान न तो किया गया है और न ही अपेक्षित है।

8.4. योजना समाप्त किए जाने के समय पेंशन (पुरानी) के रूप में संवित रु.168.77 करोड़ में से रु.150 करोड़ का प्रयोग द्वितीय पेंशन विकल्प (एबीपीपीआर - 1995) के कारण पड़े अतिरिक्त भार के संबंध में बैंक की देयताओं के सापेक्ष प्रावधान करने के लिए किया गया। यह कर्मचारियों के लिए उन वर्ग के लिए था जो 20.09.1995 को बैंक की सेवा में तो थे परन्तु, इन्होंने पेंशन विनियम 1995 हेतु पेंशन का विकल्प नहीं अपनाया था। बचे हुए रु.18.77 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2009-10 में किए गए रु.33 करोड़ के पिछले प्रावधान के साथ मिलाकर बकाया देयता खाता में अंतरित की गई जो उपर पैरा 16.3.2 में यथाउल्लिखित माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ग्रेच्युटी के भुगतान के रूप में थी। इस संबंध में कुल प्रावधान रु.51.77 करोड़ रहा। इसमें से रु.32.61 करोड़ का भुगतान उनको कर दिया गया है जिनके नाम अक्तूबर, 2010 योजना के अंतर्गत पेंशन स्क्रॉल में थे और कुछ पात्र मृत भूतपूर्व कर्मचारियों के कानूनी वारिसों को दिया गया जिनसे दावे प्राप्त हुए थे। शेष रु. 19.16 करोड़ की रकम निर्णय के बचे हुए लाभार्थियों की देयता का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पाया गया।

8.5. संबंधित पक्षकारों के प्रकटीकरण - लेखा मानक (एएस) 18 संबंधित पार्टियों की सूची एवं लेनदेन संबंधित पार्टियों के नाम, बैंक के साथ उनका संबंध तथा किए गए लेनदेन।

permission from the Government, w.e.f. October 2010, simultaneously paying gratuity to these pensioner. Hence, further provisioning is neither made nor required in respect of Pension (Old) as on 31.03.2011 and in future.

8.4. Out of the accumulated provision for Pension (Old) amounting to ₹ 168.77 Crore as at the time of discontinuation of the Scheme, ₹ 150.00 Crore has been utilised towards provisioning against Bank's liabilities in respect of Additional Load on account of 2nd Option for Pension (ABEPR-1995) by a section of employees who were in the Roll of the Bank as on 29.09.1995 but did not exercise option for Pension Regulations-1995 earlier. The remaining ₹ 18.77 Crore has been transferred to 'Outstanding Liabilities A/C' to club with an earlier provision of ₹ 33.00 Crore made in F.Y. 2009-10, towards payment of gratuity in compliance of Hon'ble Supreme Court's Order, as mentioned in paragraph 17.3.2. above, making total provision on this score to the tune of ₹ 51.77 Crore. Out of this, payment to the tune of ₹ 32.61 Crore has already been made to those whose names appeared in the Pension Scroll under the Scheme in October 2010 and some of the legal heirs of eligible deceased ex-employees whose claims were received. The balance ₹ 19.16 Crore is considered to be sufficient to meet the payment liability to the remaining judgement beneficiaries.

8.5. Related Party Disclosures – Accounting Standard (AS) 18: List of Related Parties and Transactions
The names of the related parties, their relationship with the bank and transaction effected.

(₹ लाख में) / (₹ in Lacs)

क्रमांक Sl. No.	नाम Name	पदनाम Designation	परिलब्धियाँ / Remuneration	
31.3.2011 को यथास्थिति वर्तमान निदेशक / Existing Directors as on 31.3.2011			2010-11	2009-10
1	श्री जे. पी. दूआ Shri J. P. Dua	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	20.37	21.70
2	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	कार्यालय निदेशक Executive Director	13.57	2.48
3	श्री एम. आर. नायक Shri M. R. Nayak	कार्यालय निदेशक Executive Director	12.72	1.92
4	श्री प्रसाद अकोलकर Shri Prasad Akolkar	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आल बैंक फाइनेंस लि. Managing Director and CEO of AllBank Finance Ltd.	13.03	11.62
भू. पू. निदेशक / Ex Directors				
1	के. आर. कामत Shri K. R. Kamath	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Chairman & Managing Director	4.60	17.69
2	श्री के. के. अग्रवाल Shri K K Agarwal	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Ex-Executive Director	2.17	14.31

ग्रेच्युटी तथा अवकाश नकदीकरण से संबंधित व्यय का निर्धारण समग्र कंपनी के आधार पर वार्षिक रूप से बीमांकक प्रणाली द्वारा किया जाता है तथा तदनुसार उसे उपर्युक्त सूचना में नहीं लिया गया है।

अनुषंगी कंपनी युनीवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कं. लि. के साथ किए गए लेनदेन का विवरण निम्नांकित है :

Expenses towards gratuity and leave encashment are determined actuarially on an overall company basis annually and accordingly have not been considered in the above information.

Transactions with associate company Universal Somp General Insurance Company Limited, are as follows:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण \ Particulars	2010-11	2009-10
अर्जित आय \ Income Earned	7.42	5.49
प्रदत्त बीमा प्रीमियम \ Insurance Premium Paid	6.57	2.98

अनुषंगी कंपनी :

- i) ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व में)

संयुक्त उद्यम :

- i) युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी लि.
ii) एएसआरईसी(इंडिया) लि.

एसोसिएट्स :

- i) इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक।
ii) शारदा ग्रामीण बैंक

बैंक के उक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बैंक के 35% के शेयर हैं, और युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्श्योरन्स कंपनी में 30% के शेयर हैं।

अनुषंगियों एवं एसोसिएट्स के साथ लेनदेन का खुलासा (एएस) – 18 के संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है जो राज्य द्वारा नियंत्रित उद्यमों को उन अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ उनके लेनदेन से संबंधित खुलासे करने से मुक्त करता है जो राज्य द्वारा भी नियंत्रित हैं।

पट्टा प्रकटीकरण :

क) बैंक के पास कार्यालयों / आवासीय सुविधाओं के लिए विभिन्न पट्टे हैं। इस संबंध में निम्नवत प्रकटीकरण किया जाता है :

- i) निम्नलिखित प्रत्येक अवधि हेतु निरस्त न कर सकने वाले परिचालनगत पट्टों के अंतर्गत भावी न्यूनतम पट्टे भुगतानों का योग :

31.03.2011 को यथास्थिति असमाप्त पट्टे अवधि हेतु देय किराया

Subsidiary:

- i) All Bank Finance Limited (wholly owned)

Joint Venture:

- i) Universal Somp General Insurance Company Limited
ii) ASREC (India) Ltd.

Associates:

- i) Allahabad U P Gramin Bank
ii) Sharda Gramin Bank

The Bank is holding 35% shares of the above Associated Regional Rural Banks and 30% shares of Universal Somp General Insurance Company limited.

The transactions with the subsidiaries and associates have not been disclosed in view of para 9 of the (AS)-18 Related Party Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

Lease Disclosure:

A) The Bank has various operating leases for office / residential facilities. Disclosures in this regard are as under:

- i) The total of future minimum lease payments under non-cancelable operating leases for each of the following periods:

Rent payable for unexpired lease period as on 31.03.2011

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

मौजूदा पट्टा अवधि / Existing Lease Period	देय राशि / Amount Payable	
	2010-11	2009-10
एक वर्ष से अनधिक / Not later than one year	32.96	36.11
एक वर्ष के बाद तथा पाँच वर्ष से अनधिक / Later than one year and not later than five years	110.25	94.66
पाँच वर्ष के बाद / Later than five years	29.99	37.13

इसकी अनुषंगी के संबंध में, पट्टा लेखा मानक प्रयोज्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने 01.04.2001 के बाद कोई पट्टा संस्वीकृत नहीं किया है।

In respect of its subsidiary, lease accounting standard is not applicable since the Company has not sanctioned any lease after 01.04.2001.

- ii) तुलन पत्र की तारीख को निरस्त न कर सकने वाले उप पट्टे के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले प्रत्याशित भावी निम्नतम उप पट्टे के भुगतानों का योग : शून्य (पिछले वर्ष: शून्य)

ii) The total of future minimum sublease payments expected to be received under non-cancelable subleases at the balance sheet date: Nil (Previous Year: Nil)

- iii) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात पट्टा भुगतान : रु. 60.75 करोड़ (पिछले वर्ष रु.48.58 करोड़)

iii) Lease payments recognised in the statement of profit and loss for the period: Rs.60.75 Crores (Previous Year: Rs.48.58 Crores)

iv) संबंधित अवधि हेतु लाभ एवं हानि की विवरणी में अभिज्ञात प्राप्त(अथवा प्राप्य) उप-पट्टे का भुगतान :शून्य (पिछले वर्ष : शून्य)

iv) Sub-lease payments received (or receivable) recognised in the statement of profit and loss for the period: Nil (Previous Year: Nil)

ख) वित्तीय पट्टा :

बैंक के पास वित्तीय पट्टे के अंतर्गत कोई सम्पत्ति नहीं है।

B) Financial Lease:

Bank is not having any assets under Financial Lease.

8.6. प्रति शेयर अर्जन : लेखा मानक (एएस) 20:

8.6. Earning Per Share – Accounting Standard (AS) 20:

क्रम सं. SI No.	विवरण Particulars	वर्ष 2009-10 हेतु For the year 2010-11	वर्ष 2008-09 हेतु For the year 2009-10
A	प्रति शेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन Basic and Diluted Earning Per Share (Rs.)	32.22	Rs. 27.50

8.7. आय पर कर हेतु लेखा - लेखा मानक (एएस) 22

वर्ष के दौरान आस्थगित कर स्तर के समायोजन के रूप में रु. 51.88 करोड़(निवल) (पिछले वर्ष निवल नामे रु. 11.10 करोड़) को लाभ एवं हानि खाते में जमा किया गया। तुलन पत्र की तारीख को यथास्थिति आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य घटक तुलनपत्र की तिथि के अनुसार निम्नवत है :

8.7. Accounting for Taxes on Income: Accounting Standard (AS) 22

During the year, an amount of Rs. 51.88 Crores (Net) (Previous year net debit Rs.11.10 Crores) has been credited to the Profit & Loss Account by way of adjustment of deferred tax. The major components of Deferred Tax Assets/ Liabilities as on Balance Sheet date are as under:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के प्रारम्भ मे At the beginning of the Year		समायोजन जोड़/(घटाव) Adjustment Add/(Less)		वर्ष के अंत में At the close of the Year	
	चालू वर्ष C. Yr.	गत वर्ष Pr. Yr.	चालू वर्ष C. Yr.	गत वर्ष Pr. Yr.	चालू वर्ष C. Yr.	गत वर्ष Pr. Yr.
आस्थगित कर आस्तियाँ / Deferred Tax Assets						
अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान / Provision for Leave Encashment	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
बीमारी छुट्टी हेतु प्रावधान / Provision for Sick Leave	1.23	0.65	3.46	0.58	4.69	1.23
पेंशन (पुरानी) हेतु प्रावधान / Provision for Pension(old)	3.66	6.99	(3.65)	(3.33)	0.00	3.66
एलएफसी हेतु प्रावधान / Provision for LFC	Nil	2.12	Nil	(2.12)	Nil	Nil
अन्य / Others	0.54	0.54	(0.54)	0.00	0.00	0.54
कुल / Total	5.43	10.30	(0.73)	(4.87)	4.69	5.43
आस्थगित कर देयताएँ / Deferred Tax Liabilities						
अचल आस्तियों का मूल्यहास / Depreciation of Fixed Assets	Nil	1.34	Nil	(1.34)	Nil	Nil
निवेश के रूप में धारित प्रतिभूतियों पर उपचित किंतु अदेय ब्याज Interest Accrued but not due on securities held as Investments	28.81	21.29	51.74	7.52	80.55	28.81
अन्य / Others	0.59	0.54	(0.59)	0.05	0.00	0.59
कुल / Total	29.40	23.17	51.15	6.23	80.55	29.40
आस्थगित कर देयताएँ (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	23.97	12.87	51.88	11.10	75.86	23.97

बैंक एचटीएम श्रेणी के निवेशों पर आस्थगित कर अभिज्ञात नहीं कर सकता क्योंकि बैंक के विचार से; इस संबंध में समय में कोई अंतर नहीं है। निवेशों पर आस्थगित कर के अभिज्ञान पर भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के विचार के अनुसार, बैंक ने इस मुद्दे को भारतीय बैंक संघ के पास मार्गदर्शन हेतु भेजा है क्योंकि उद्योग जगत में इस विषय पर कार्यवाही करने में काफी भिन्नताएं हैं।

8.8 'वित्तीय आस्तियों के रूप में बैंक की आस्तियों के पर्याप्त अंश पर लेखा मानक (एएस) 28 'इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स' प्रयोज्य नहीं है। प्रबंधन की राय में उक्त मानक के अनुसार 31.03.2011 को बैंक की अन्य आस्तियों में कोई इम्पेयरमेंट नहीं है और उक्त मानक के अनुसार अभिज्ञान हेतु कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं है

8.9 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के संबंध में लेखा मानक (एएस)29 के अनुसार प्रकटीकरण

देयताओं हेतु प्रावधान का संचलन (इति शेष) :

The Bank does not recognise deferred tax on HTM category of investments as in its opinion; there is no timing difference in this regard. Pursuant to the opinion of the Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India on recognition of deferred tax on investments, the bank has referred the issue to the Indian Banks' Association for their guidance on the matter since there is a difference in treatment on this subject in the industry.

8.8. A substantial portion of the bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard (AS) 28 'Impairment of Assets' is not applicable. In the opinion of the management, there is no impairment of other assets of the Bank as at 31.03.2011 to any material extent requiring recognition in terms of the said standard.

8.9. Disclosure in terms of Accounting Standard (AS) 29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets":

Movement of Provision for Liabilities (Closing Balance):

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

विवरण / Particulars	को यथास्थिति As on 31.03.2011	को यथास्थिति As on 31.03.2010
(a) एनपीए हेतु प्रावधान / Provision toward NPA	863.55	751.65
(b) निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान / Provision for Depreciation on Investment	297.78	251.80
(c) मानक आस्तियों हेतु प्रावधान / Provision towards Standard Assets	362.57	280.98
(d) आयकर हेतु प्रावधान / Provision towards Income Tax	1830.53	1294.24
(e) आस्थगित कर आस्ति / देयता / Deferred Tax (Assets) / Liabilities	75.86	23.22
(f) अनुषंगी लाभ कर / Fringe Benefit Tax	26.04	26.04
(g) अन्य / Others	1112.19	641.76
कुल / Total	4568.52	3269.69

8.10.खंडवार सूचना : लेखा मानक (एएस) 17 / Segment Information: Accounting Standard (AS) 17

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/थोक प्रतिभूतियां Corporate/ wholesale security		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग व्यवसाय Other Banking Operation		कुल Total	
	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.
विवरण/Particulars										
राजस्व/Revenue	2983.70	2608.47	5746.27	4276.43	3311.65	2766.23	430.61	293.76	12472.23	9944.89
परिणाम/Result	261.07	140.30	1164.49	1080.39	1320.78	1114.57	327.41	237.58	3073.75	2572.84
प्रावधान/Provisions									1123.84	776.61
परिचालन लाभ Operating Profit									1949.91	1796.23
आय कर/Income Taxes									510.38	567.77
असाधारण लाभ/हानि Extraordinary profit / loss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
निवल लाभ / Net Profit									1439.53	1228.46
अन्य सूचना: Other Information:										
खंडवार आस्तियां Segment Assets	43973.88	39911.79	77154.26	53803.56	29009.98	26865.95	321.57	254.90	150459.69	120774.20
गैर आबंटित आस्तियां Unallocated assets									1148.23	1117.91

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

व्यवसाय खंड Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/थोक प्रतिभूतियां Corporate/ wholesale security		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग व्यवसाय		कुल Total	
	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.
विवरण/Particulars										
कुल आस्तियां Total assets									151607.92	121954.11
खंडवार देयताएं Segment liabilities	41818.46	38046.62	73372.47	51289.19	27683.56	25654.33	0	0	142874.49	114990.14
गैर आबंटित देयताएं Unallocated liabilities									8733.43	6963.97
कुल देयताएं Total liabilities									151607.92	121954.11

भाग ख:भौगोलिक खंड / Part B: Geographic Segments:

(₹ करोड़ में)/(₹ In crore)

	घरेलू Domestic		अंतरराष्ट्रीय International		कुल Total	
	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.	चालू वर्ष Cr.Yr.	गत वर्ष Pr.Yr.
राजस्व/Revenue	12401.21	9895.83	71.02	49.06	12472.23	9944.89
आस्तियां/Assets	147978.13	120139.03	3629.79	1815.08	151607.92	121954.11

खंड सूचना पर टिप्पणी :

- समेकित खंड रिपोर्टिंग में अनुषंगी कंपनी, एक गैर-बैंकिंग संस्था के व्यवसाय को अवशेष व्यवसाय के रूप में माना गया है।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक एएस17 और उस पर भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुरूप सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन से बैंक के व्यवसाय को चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात्
 - ट्रेजरी परिचालन
 - कारपोरेट/थोक बैंकिंग
 - रिटेल बैंकिंग
 - अन्य बैंकिंग व्यवसाय
- भौगोलिक खंड को (क) घरेलू और (ख) अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकृत किया गया है।
- सांविधिक अपेक्षाओं से अधिक एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश को ट्रेजरी परिचालन में निवेश माना गया है।
- किसी खंड विशेष से सीधे जुड़े व्यय, आस्तियों और देयताओं को संबंधित खंड को आबंटित किया जाता है और जहां कोई मद सीधे खंड को प्रस्तावित नहीं करती हैं उन्हें प्रबंधित व्यवसाय के अनुपात में आबंटित किया गया है।

Notes to Segment Information:

- The business of the subsidiary company, a non-banking entity has been considered as residual business in consolidated segment reporting.
- For the purpose of segment reporting in terms of AS 17 issued by the Institute of Chartered Accountants of India and RBI guidelines thereon, the business of the bank has been classified into three segments, viz.
 - Treasury Operations,
 - Corporate / Wholesale Banking
 - Retail Banking
 - Other Banking business
- Geographical segment has been classified as (a) Domestic and (b) International.
- Investment in SLR securities in excess of statutory requirements and investment in non-SLR securities have been considered as investment for Treasury Operations.
- Expenses, assets and liabilities directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment and wherever the items are not directly attributable to specific segment the same has been allocated in proportion to business managed.

9. आकस्मिक देयताएँ:

तुलन पत्र की अनुसूची 12 के क्रम संख्या (I) से (VI) में यथाउल्लिखित ऐसी देयताएँ क्रमशः न्यायालय/आर्बिट्रेशन/न्यायालय के बाहर निपटान के परिणामों, अपीलों के निपटान, मांग की गई राशि, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, घटनाक्रमों और संबंधित पक्षकारों द्वारा की गई मांग पर निर्भर हैं। आलबैंक फाइनेंस लि. की आकस्मिक देयताओं से संबंधित अतिरिक्त टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:

- विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में विवादित आयकर जहां कंपनी को रु. 8.00 करोड़ (पिछले वर्ष 12.09 करोड़) की रकम प्राप्त होने की संभावना है। 31.03.2011 को यथास्थिति रु.8.89 करोड़ (पिछले वर्ष रु.7.80 करोड़) की राशि अग्रिम कर, स्रोत पर काटे गए कर और प्राप्य आयकर रिफंड के रूप में दर्शाई गई है। यह राशि करनिर्धारण और अपील के विभिन्न चरणों में समायोजन हेतु लंबित है।
- कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए दावे: रु.11.76 करोड़ (पिछले वर्ष रु.11.76 करोड़)
- 10. आल बैंक फाइनेंस लि. के संबंध में माननीय विशेष नयायालय के आदेशानुसार, मे. वी.बी. देसाई द्वारा 13.05.1992 को आल बैंक फाइनेंस लि. को सौंपे गए शेयरों को बैंक के पक्ष में शेयरों में संपत्ति का पूर्ण अंतरण माना गया। तदनुसार, शेयरों की सुपुर्दगी की तारीख से बैंक शेयरों का स्वामी बन गया है और उसके बाद उन शेयरों पर घोषित समस्त उपचय और अधिकारों पर इसका हक है। उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप शेयरों के अर्जन को दीर्घावधि निवेश माना गया।
- 11. पूंजीगत खाते पर निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) रु.41.84 करोड़ (विगत वर्ष रु.38.67 करोड़) है।
- 12. अनुपयोज्य आस्तियों के अंतर्गत धारित प्रावधान के क्षेत्रवार ब्रेकअप को सकल अग्रिम से अनुमानित आधार पर घटा दिया गया है ताकि तुलनपत्र की अनुसूची 9 में यथोक्त निवल अग्रिम का शेष निकल सके।
- 13. जहाँ आवश्यक समझा गया है विगत वर्ष के आँकड़ों को पुनःसमूहित या पुनःवर्गीकृत किया गया है।

9. Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Sl. No.(I) to (VI) in schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the outcome of court / arbitration / out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties respectively. Additional comments in respect of contingent liabilities of AllBank Finance Limited are as follows:

- Disputed Income Tax in respect of matters pending before various appellate authorities where the Company expects to succeed amounts to Rs.8.00 Crores (Previous Year Rs. 12.09 Crores). As on 31.03.2011, Rs. 8.89 Crores (Previous Year Rs. 7.80 Crores) have been shown as advance income tax, tax deducted at source, and income tax refund receivable. This amount is pending adjustment at various stages of assessment and appeal.
- Claims against the Company not acknowledged as Debts : Rs.11.76 Crores (Previous Year Rs. 11.76 Crores)
- 10. In respect of AllBank Finance Limited, as per the order of Hon'ble Special court, the delivery of shares on 13.05.1992 by M/s V. B Desai to AllBank Finance Ltd., constituted complete transfer of property in the shares in favour of the Bank. Accordingly, the Bank became the owner of the shares from the date of delivery of the shares and was entitled to all accretions and rights declared thereafter. Pursuant to the above-mentioned order, the acquisition of the shares has been considered as long term investment.
- 11. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (Net of Advance) Rs. 41.84 Crores (Previous Year Rs. 38.67 Crores).
- 12. Sector wise break up of provision held under non-performing advances is deducted on estimated basis from gross advances to arrive at the balance of net advances as stated in the Schedule 9 of the Balance Sheet.
- 13. Figures of previous year have been regrouped or reclassified wherever considered necessary.

इलाहाबाद बैंक, इसकी अनुषंगी तथा इसके हित वाले एसोसिएट्स की समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
निदेशक मंडल
इलाहाबाद बैंक

1. हमने यथास्थिति 31 मार्च, 2011 को इलाहाबाद बैंक (बैंक), इसकी अनुषंगी और एसोसिएट्स (समूह) के संलग्न तुलनपत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समेकित लाभ एवं हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की जांच की है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:
 - i) हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किए गए बैंक के लेखापरीक्षित लेखा।
 - ii) अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित एक अनुषंगी और दो एसोसिएट्स के लेखापरीक्षित लेखा और दो संयुक्त उद्यमों के अलेखापरीक्षित लेखा।
- इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है और इन्हें प्रबंधन द्वारा पृथक वित्तीय विवरणों तथा इसके संघटकों से संबंधित अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है।
2. हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखा परीक्षा करें कि क्या ये वित्तीय विवरण निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर राशि को समर्थित करने वाले साक्ष्यों की जांच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्राक्कलनों के साथ ही समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें यह विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
3. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:
 - i) एक अनुषंगी जिसके वित्तीय विवरणों में यथास्थिति 31 मार्च 2011 को रु. 54.09 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 5.80 करोड़ का कुल राजस्व दर्शित है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक अनुषंगी के संबंध में शामिल राशि का संबंध है, हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है।
 - ii) एसोसिएट्स में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरबीबी) शामिल हैं, जिसके वित्तीय विवरणों में यथास्थिति 31 मार्च 2011 को रु. 7364.16 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 482.69 करोड़ का कुल राजस्व दर्शित है। इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित किया गया है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहां तक अनुषंगी के संबंध में शामिल राशि का संबंध है, हमारा अभिमत उक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर पूरी तरह से आधारित है। एक संयुक्त उद्यम कंपनी, जो बीमा कंपनी है अलेखापरीक्षित है जिसकी कुल आस्तियां रु. 448.62 करोड़ और कुल राजस्व रु. 217.84 करोड़ है।
 - iii) एक संयुक्त उद्यम जो एक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जिसके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं और यथास्थिति 31 मार्च 2011 को रु. 126.39 करोड़ की कुल आस्तियां तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष में रु. 17.88 करोड़ का कुल राजस्व दर्शाते हैं।
4. हम यह रिपोर्ट करते हैं कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" और लेखा मानक 23 "समेकित वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स में निवेश का लेखा" तथा लेखा मानक 27 "संयुक्त उद्यम में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग" की अपेक्षाओं एवं भारतीय रिजर्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
5. हमारी राय में बदलाव किए बिना, हम अनुसूची 18 के नोट सं. 16.3.5 की ओर ध्यानआकर्षित करते हैं जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों हेतु पेंशन विकल्प पुनः खोलने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने दिनांक 09.02.2011 के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी / 80/21.04.018/2010-11 के माध्यम से प्रदान की गई छूट के अनुसार एएस 15 कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को सार्वजनिक बैंकों पर लागू करने संबंधी सीमा में रु. 598.16 करोड़ तक की वृद्धि के कारण पेंशन दायित्व एवं ग्रेज्युटि दायित्व स्थगित किए जाने की बात है।
6. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर तथा पृथक वित्तीय विवरणों के संबंध में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने तथा लेखा टिप्पणियों के अध्यक्षीन अर्थात् नोट सं. 2 (i), 2 (ii) और 2 (iii) अंतर शाखा खातों की बेमेल प्रविष्टियों के तुलन/समाकलन, उक्त नोट में यथावर्णित विभिन्न लेखाशीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के तुलन/समाकलन और समाशोधन के लेखा परीक्षा रिपोर्ट को ध्यान में रखकर हमारा अभिमत है कि:
 - (i) समेकित तुलनपत्र यथास्थिति 31 मार्च 2011 को समूह की समेकित स्थिति की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है; एवं
 - (ii) समेकित लाभ एवं हानि लेखा उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु समूह के प्रचालनों के समेकित परिणामों की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है।
 - (iii) समेकित नकदी प्रवाह विवरण-पत्र, विवरण-पत्र की अवधि हेतु समूह के नकदी प्रवाह की सही एवं निष्पक्ष छवि देता है।

कृते मे. सुदित कुमार पारेख एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 110512W
(श्रीकान्त जिल्ला)
पार्टनर
सदस्यता सं. 39461

कृते मे. पी.ए. एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 313085E
(दिलीप कुमार अग्रवाल)
पार्टनर
सदस्यता सं. 55420

कृते मे. एम.आर. नारायण एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 002330S
(एम.एन. वेंकटेशन)
पार्टनर
सदस्यता सं. 22993

कृते मे. एस.घोष एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 302184 E
(चंदन चट्टोपाध्याय)
पार्टनर
सदस्यता सं. 51254

कृते मे. के.एम. अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 853 N
(सी. पी. मिश्र)
पार्टनर
सदस्यता सं. 073009

कृते मे. एम.सी. जैन एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म आईसीएआई पंजीकरण संख्या 304012E
(मुकेश कु. पटवारी)
पार्टनर
सदस्यता सं. 056623

स्थान / Place : कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Date : 2nd May, 2011

Auditors' Report on the Consolidated Financial statements of Allahabad Bank, its subsidiary and its interests in Associates and Joint Ventures

To,
The Board of Directors
Allahabad Bank

1. We have examined the attached Consolidated Balance Sheet of Allahabad Bank (the Bank), its subsidiary, associates and joint venture (the Group) as at 31st March 2011 and the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date in which are incorporated:
 - i. Audited accounts of the Bank audited by us
 - ii. Audited accounts of one subsidiary, two associates audited by other auditors and unaudited accounts of two joint ventures.

These financial statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding components. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted our audit in accordance with generally accepted auditing standards in India. These Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. We did not audit the financial statements of:
 - i. One subsidiary, whose financial statements reflect total assets of Rs.54.09 Crore as at 31st March 2011 and total revenues of Rs. 5.80 Crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by another auditor whose report has been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of the subsidiary, is based solely on the report of the said auditor.
 - ii. Associates that included two Regional Rural Banks (RRBs) whose financial statements reflect total assets of Rs. 7364.16 crore as at 31st March 2011 and total revenues of Rs. 482.69 Crore for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion, insofar as it relates to the amounts included in respect of these associates, is based solely on the report of the said auditors. The financial statements of one Joint Venture Company, which is an insurance company is unaudited, whose total asset is Rs 448.62 Crore and revenue of Rs 217.84 crore.
 - iii. One joint venture which is an asset reconstruction company, whose financial statements are unaudited and reflect total assets of Rs. 126.39 Crore as at 31st March 2011 and total revenues of Rs. 17.88 Crore for the year ended on that date
4. We report that the consolidated financial statements have been prepared by the Bank's management in accordance with the requirements of Accounting Standard 21 "Consolidated Financial Statements" and Accounting Standard 23 "Accounting for investment in Associates in Consolidated Financial Statements", and Accounting Standard 27 "Financial Reporting of Interest in Joint Ventures" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the requirements of the Reserve Bank of India.
5. Without qualifying our opinion, we draw attention to note no. 16.3.5 of schedule 18 which describes deferment of pension liability and gratuity liability due to increase in ceiling to the extent of Rs598.16 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector Banks from application of the provisions of AS 15, Employees Benefits vide its circular No DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9th , 2011, on reopening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks.
6. Based on our audit and consideration of reports of other auditors on separate financial statements and also subject to Notes on Accounts i.e. Note No. 2(i),2(ii) & 2 (iii) regarding balancing / reconciliation of unmatched entries in Inter Branch Accounts, balancing / reconciliation and clearance of outstanding entries in various head of accounts as stated in the said notes, we are of the opinion that:
 - i. The Consolidated Balance Sheet gives a true and fair view of the consolidated state of affairs of the Group as at 31st March 2011;
 - ii. The Consolidated Profit and Loss Account gives a true and fair view of the consolidated results of operations of the Group for the year ended on that date; and
 - iii. The Consolidated Cash Flow Statement gives a true and fair view of cash flows of the Group for the period covered by the statement.

For **Sudit K. Parekh & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Reg.No: 110512W

(Srikant Jilla)
Partner
Membership No. 39461

For **S Ghose & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Reg.No: 302184E

(Chandan Chattopadhyay)
Partner
Membership No. - 51254

Place : Kolkata
Date : 2nd May, 2011

For **P.A. & Associates**
Chartered Accountants
ICAI Reg.No:313085E

(Dillip Kumar Agarwalla)
Partner
Membership No. - 55420

For **K.M. Agarwal & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Reg.No: 0853N

(C.P.Mishra)
Partner
Membership No. - 73009

For **M. R. Narain & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Reg.No:002330S

(M.N. Venkatesan)
Partner
Membership No. - 22993

For **M.C.Jain & Co.**
Chartered Accountants
ICAI Regn No.304012E

(Mukesh Kr Patawari)
Partner
Membership No.056623

ऑलबैंक फाइनेन्स लि. के निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकगण एतद्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष में अर्जित रु. 7,14,92,466/- के करपश्चात लाभ के सापेक्ष रु. 2,79,50,799/- का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है। वित्तीय परिणामों का सार निम्नानुसार हैं :

	31.03.2011	31.03.2010
सकल राजस्व \ Gross Revenue	5,79,91,192	10,69,33,627
कुल व्यय \ Total Expenses	1,44,39,506	1,06,25,793
कर पूर्व लाभ \ Profit Before tax (PBT)	4,35,51,686	9,63,07,834
कर हेतु प्रावधान \ Provision for tax	1,10,00,000	2,48,00,000
कर पश्चात लाभ \ Profit after tax	2,79,50,799	7,14,92,466

लाभांश

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु निदेशकों ने किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की।

परिचालन

वित्तीय वर्ष 2010-11 कठोर ब्याज दर, तरलता की कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि तथा कच्चे तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव से ग्रस्त रहा। इन व्यक्ति-आर्थिक कारकों के आलोक में, निधियों की लागत चिंता विषय बनी रही। चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सफल प्रस्तावों की अपेक्षा में इक्विटी का प्राथमिक बाजार मंदा रहा। समग्रतः ब्याज दरों में अस्थिरता बनी रही और इनमें वृद्धि जारी रही विशेषकर अल्पकालिक बाजार में। इस परिदृश्य ने कंपनियों को अल्पकालिक उधार, वाणिज्यिक पत्र के निर्गम के जरिये निधियां प्राप्त करने के लिए बाध्य कर दिया। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष में भी कुछ और समय के लिए ब्याज दरें ऊँची बनी रहेंगी।

इस परिदृश्य की पृष्ठभूमि में आपकी कंपनी ने ऋण समूहन पर ध्यान केंद्रित किया और पिछले वर्ष के रु.70,00,000/- के सापेक्ष रु.1,07,83,144 की शुल्क आधारित आय अर्जित की है।

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान रु.2,32,42,336/- की निवेश जनित आय प्राप्त की जिसका मुख्य श्रेय स्थिर आय प्रतिभूतियों पर ब्याज और म्यूचुअल फंड निवेश से प्राप्त लाभांश आय को जाता है। निवेश आय की तुलना पूरी तरह पिछले वर्ष की रु.3,42,16,288/- से नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें निवेश की बिक्री से प्राप्त रु.1,63,49,564/- का लाभ शामिल है जो एकबारगी है।

वर्ष के दौरान ब्रोकरेज आय(एमएफ यूनिट) रु.5,81,60,085/- के पर्याप्त रूप से घटकर रु. 1,56,43,869 रह गया। इसका मुख्य कारण है इलाहाबाद बैंक एवं अन्य द्वारा विभिन्न म्यूचुअल फंड में रखे तरल निवेश का उन्मोचन किया जाना।

DIRECTORS' REPORT

The Directors have pleasure in presenting the Annual Report together with audited financial statements of the Company for the year ended 31st March, 2011.

FINANCIAL RESULTS

During the year under review, your company earned profit after tax of Rs.2,79,50,799 as against Rs. 7,14,92,466 in the previous year. The summary of the financial results is as follows:

(₹ में)/(in ₹)

DIVIDEND

Directors do not recommend any dividend for the year ended 31st March, 2011.

OPERATIONS

The Financial Year 2010-11 was marked by hardening of the interest rates, tight liquidity conditions, rising inflation, and adverse impact of increase in crude oil prices. In the light of these micro-economic factors, cost of funds has remained a cause of concern. Primary market for equity remained subdued with the exception of successful offering by selective public sector undertakings. Interest rates on the whole remained volatile and continued its journey northwards particularly at the shorter end of the market. The scenario forced the companies rushing for fund particularly through short term borrowings, issuance of Commercial Papers (CPs) and so on. It is expected that the interest rates will remain high for some more time in the current financial year as well.

On the back drop of this scenario, your company focused on Debt syndication activities and earned fee based income of ₹ 1,07,83,144 during the year as against ₹ 70, 00,000 during the previous year.

Your company reported investment income of ₹ 2,32,42,336 during the year which is largely attributed to interest on fixed income securities and dividend income from Mutual Fund investments. The investment income is not strictly comparable with that of previous year figure of ₹ 3,42,16,288 since it includes profit on sale of investment of ₹ 1,63,23,204 which is one time.

Brokerage income (MF units) during the year reported significant drop to ₹ 1,56,43,869 as against ₹ 5,81,60,085. This is mainly attributed to large scale redemption of liquid investments parked in various Mutual fund schemes by Allahabad Bank and others.

आपकी कंपनी द्वारा आरंभ की गई न्यासी सेवा एक मामूली शुरुआत है और यह आशा की जाती है कि अपने ग्राहक आधार का विस्तार कर यह उच्च राजस्व उत्पन्न करेगी।

आपकी कंपनी ने लम्बा समय लेने वाली कानूनी प्रक्रिया का सहारा न लेकर एकमुश्त समाधान के माध्यम से पूर्ववर्ती एनबीएफसी के एक एनपीए खाते में वर्ष के दौरान रु.20,00,000 की वसूली की है। आपकी कंपनी ने पूरी बकाया राशि वसूल की है।

चालू वर्ष के लिए दृष्टिकोण

कंपनी का दृष्टिकोण चालू वित्त वर्ष में अपने विशिष्ट प्रयासों से अपनी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि करने की है जो कि ऋण सिडिकेशन निर्गम प्रबंधन, न्यासी गतिविधियां एवं अन्य शुल्क आधारित सेवाएं यथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन प्रोजेक्ट मूल्यांकन एवं अन्य हैं।

सेबी दिशानिर्देशों का अनुपालन

आपकी कंपनी मर्चेन्ट बैंकिंग और अन्य प्रयोज्य पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों के संबंध में सेबी द्वारा जारी विभिन्न निदेशों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों का अनुपालन कर रही है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (कर्मचारी विवरण), नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की द्वाारा 217 (2ए) के तहत नहीं आता है।

कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकीय अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं बहिर्गमन

इस शीर्ष के अंतर्गत कंपनी को कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

निदेशकगण

श्री एस के चक्रवर्ती जो कंपनी के बोर्ड में ये के इलाहाबाद बैंक की सेवा से, सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप, श्री डी नारंग महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक को 24 आगस्त 2010 (प्रभावी) से शामिल किया गया।

कम्पनी के निदेशक के रूप में श्री एस. के. चक्रवर्ती को उनके कार्यकाल दौरान इलाहाबाद बैंक को प्रदत्त सेवाओं को बोर्ड के अभिलेखों में दर्ज किया तथा इसकी सराहना की गयी।

कम्पनी अधिनियम 1956, के अनु. 274(i) (g) के अंतर्गत कोई भी निदेशक निरहित नहीं हुआ।

कारपोरेट गवर्नेन्स

(क) बोर्ड बैठकें

वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें हुईं और जिनमें बोर्ड के सदस्यों ने भाग लिया

In regard to newly started 'Trusteeship' services your company has a modest beginning and is expected to generate higher revenue by expanding its client base.

Your company has made recovery amounting to ₹ 20, 00,000 during the year from one of the NPAs of erstwhile NBFC activity through One Time Settlement (OTS) rather than pursuing time consuming legal recourse. Your company recovered the outstanding amount in full.

OUTLOOK FOR THE CURRENT YEAR

Your company would endeavor to achieve significant growth in terms of its activities viz, Debt Syndication, Issue Management, Trusteeship activity and other fee based services such as Techno Economic Viability studies, project appraisal and so on.

COMPLIANCE OF SEBI GUIDELINES

Your company has complied with various guidelines, directives, circulars issued by SEBI pertaining to Merchant Banking and other applicable Capital Market related activities.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

None of the employees are covered under section 217 (2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (particulars of Employees) Rules 1975.

COMPANIES (DISCLOSURE OF PARTICULARS IN THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS RULES 1988 CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY, ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGOINGS

The company has nothing to report under this head.

BOARD OF DIRECTORS

Consequent upon retirement of Shri S K Chakraborty, who was on the Board of the company, from the services of Allahabad Bank, Shri D Narang, General Manager Allahabad Bank was inducted on the Board w.e.f. 24th August, 2010.

The Board placed on record its appreciation for the services rendered by Shri S K Chakraborty during his tenure as Director of the Company.

No Director of the Company has been disqualified under section 274(i) (g) of the Companies Act, 1956.

CORPORATE GOVERNANCE

(a) Board Meetings:

During the year 2010-11 five Board meetings were held and attended by Board members:

निदेशक / Director	बैठकों की संख्या No. of meetings	बैठकों में उपस्थिति Meetings attended
श्री जे.पी. दूआ Shri J. P. Dua	5	5
श्री डी. सरकार Shri D Sarkar	5	4
श्री पी. के. गुप्ता Shri P. K. Gupta	5	3
श्री डी. सेनगुप्ता Shri D. Sengupta	5	1
श्री आर. जी. शर्मा Shri R. G. Sharma	5	4
श्री एस. के. चक्रवर्ती (24.08.2010 को सेवानिवृत्त) Shri S. K. Chakraborty (retired on 24.08.2010)	1	1
श्री ए. बी. भट्टाचार्य Shri A. B. Bhattacharjee	5	4
श्री डी. नारंग (24.08.2010 से नियुक्त) Shri D Narang (appointed on 24.08.2010)	3	3
श्री प्रसाद अकोलकर Shri Prasad Akolkar	5	5

(ख) लेखा समिति

लेखा समिति के बोर्ड के सदस्य श्री पी. के. गुप्ता, श्री आर. जी शर्मा, श्री ए. बी. भट्टाचार्या ने वर्ष के दौरान 4 बैठकें कीं। लेखा समिति का कार्यक्षेत्र कम्पनी अधिनियम 1956 के अनु. 292-ए के अंतर्गत है।

निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) की अपेक्षानुसार निदेशक दायित्व विवरण के संबंध में एतद्वारा यह पुष्टि की जाती है कि:

- क) 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में विचलन संबंधी समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है
- ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं इन्हें सुसंगत रूप में लागू किया है एवं निर्णय व प्राक्कलन किए हैं जो युक्तिसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं समीक्षाधीन वर्ष हेतु कंपनी की सही एवं निष्पक्ष झलक एवं इस अवधि के दौरान आपकी कंपनी के लाभ अथवा हानि की स्थिति प्रस्तुत की जा सके।
- ग) निदेशकों ने धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए तथा कंपनी की आस्तियों को सुरक्षित करने हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रखरखाव हेतु समुचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा है।
- घ) निदेशकों ने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु और सतत प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए हैं।

लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के उपबंध कंपनी पर लागू होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने वर्ष 2010-11 हेतु मैसर्स डे. एंड बोस, सनदी लेखाकार कोलकाता को लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर प्रबंधन का उत्तर

अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा कोई विनिर्दिष्ट टिप्पणी नहीं की गई।

सामान्य

आपके निदेशक वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सेबी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन हेतु उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के बैंकरों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और इलाहाबाद बैंक एवं इसके कर्मचारियों से प्राप्त समर्थन और मार्गदर्शन हेतु उनकी सराहना करते हैं।

आपके निदेशक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से।

(प्रसाद अकोलकर)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(जे.पी. दूआ)
अध्यक्ष

(Prasad Akolkar)
MD & CEO

(J. P. Dua)
Chairman

(b) Audit Committee:

The Audit Committee of the members of the Board comprising Shri P. K. Gupta, Shri R. G. Sharma and Shri A. B. Bhattacharjee held four meetings during the year. The scope of Audit Committee is as per Section 292A of the Companies Act, 1956.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to the requirement under Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956 with respect to Directors Responsibility Statement, it is hereby confirmed that:

- a) In the preparation of the annual accounts for the financial year ended 31st March, 2011, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to departures.
- b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for the year under review.
- c) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.
- d) The Directors had prepared the accounts for the financial year ended 31st March 2011 on a going concern basis.

AUDITORS

The provisions of Section 619(2) of the Companies Act, 1956 being applicable to the Company, the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi has appointed M/s. De & Bose, Chartered Accountants, Kolkata as Statutory Auditors of the Company for the year 2010-11.

MANAGEMENT'S REPLY TO THE AUDITORS REPORT

The Auditors made no specific qualification during the course of their audit.

GENERAL

Your Directors wish to place on record their gratitude to the SEBI, Comptroller and Auditor General of India for their valuable guidance.

Your Directors also wish to place on record their thanks to the Bankers viz: Allahabad Bank for their assistance, support and guidance from time to time and also thankfully acknowledge contributions made and efforts put in by company's employees.

Your Directors express their appreciation for the contribution made by the Company's Employees.

For on and behalf of the Board of Directors

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2011 को तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS AT 31st March, 2011

अनुसूची / Schedule	31.03.2011 (₹)	31.03.2010 (₹)
I. निधियों का स्रोत / SOURCES OF FUNDS		
I. शेयरधारकों की निधियां / Shareholders' Funds		
पूंजी / Capital	A 150,000,000	150,000,000
प्रारक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves and Surplus	B 323,634,572	295,890,615
कुल / Total	<u>473,634,572</u>	<u>445,890,615</u>
II. निधियों का निवेश / APPLICATION OF FUNDS		
1 स्थिर आस्तियां / Fixed Assets		
सकल ब्लॉक / Gross Block	50,909,927	51,176,500
घटाएं : मूल्यहास / Less : Depreciation	<u>33,312,130</u>	<u>33,451,355</u>
निवल ब्लॉक / Net Block	17,597,797	17,725,145
2 निवेश / Investments		
D	348,786,706	334,240,825
3 चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
Current Assets, Loans & Advances		
विविध देनदार / Sundry Debtors	E 57,632	-
नकद एवं बैंक शेष/ Cash and Bank Balances	F 53,322,369	56,164,475
अन्य चालू आस्तियां / Other Current Assets	G 17,593,334	17,043,656
ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	H <u>103,626,149</u>	<u>100,864,115</u>
	<u>174,599,484</u>	<u>174,072,246</u>
घटाएं : चालू देयताएं एवं प्रावधान		
Less : Current Liabilities & Provisions		
चालू देयताएं / Current Liabilities	I 7,699,009	6,534,534
प्रावधान / Provisions	J <u>59,650,406</u>	<u>73,613,067</u>
	<u>67,349,415</u>	<u>80,147,601</u>
निवल चालू आस्तियां / Net Current Assets	<u>107,250,069</u>	<u>93,924,645</u>
कुल / Total	<u>473,634,572</u>	<u>445,890,615</u>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां		
Significant Accounting Policies	P	
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts	Q	

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलनपत्र का अभिन्न अंग हैं
The Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet.
यह तुलन-पत्र सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है
This is the Balance Sheet referred to in our report of even date.

कृते डे एंड बोस
For De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner
सदस्यता संख्या/ Membership No.54962
फर्म पंजीकरण संख्या / Firm Registration No. 302175E

स्थान : कोलकाता / Place: Kolkata
दिनांक / Date: 23rd April, 2011

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

जे.पी. दूआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / MD & CEO

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

डी. सरकार / D. Sarkar
निदेशक / Director

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड
AllBank Finance Limited

31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2011

अनुसूची Schedule	31.03.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011 (₹)	31.03.2010 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2010 (₹)
आय / INCOME		
मर्चेन्ट बैंकिंग आय / Merchant Banking Income	10,783,144	7,000,000
स्युचुअल फंड वितरण ब्रोकरेज / MF Distribution Brokerage	15,643,869	58,160,085
निवेश आय / Investment Income K	23,242,336	34,216,288
प्राप्त ब्याज / Interest Received L	6,259,849	5,696,482
अन्य आय / Other Income M	2,061,994	1,860,772
	57,991,192	106,933,627
व्यय / EXPENDITURE		
कार्मिकों पर व्यय / Personnel Expenses N	4,917,491	3,403,627
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय / Administration & Other Expenses O	9,326,189	7,058,497
अवक्षय / Depreciation C	195,826	163,669
	14,439,506	10,625,793
कर पूर्व लाभ / Profit Before Tax	43,551,686	96,307,834
कराधान हेतु प्रावधान / Provision for Taxation		
- चालू कर / - Current Tax	11,000,000	24,800,000
आय कर समायोजन / Income Tax Adjustment	(4,600,887)	(15,368)
कर पश्चात लाभ / Profit After Tax	27,950,799	71,492,466
अग्रानीत शेष / Balance Brought Forward	294,830,362	223,337,896
अग्रानीत शेष / Balance Carried Forward	322,781,161	294,830,362
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies P		
लेखा टिप्पणियां / Notes on Accounts Q		

आय प्रति शेयर (अंकित मूल्य प्रति रु. 100)

Earnings per Share [Face value ₹ 100 each]

मूल एवं डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर (अनुसूची क्यू के नोट 5 का संदर्भ लें)

Basic and Diluted Earnings per Share [Refer to Note 5 on Schedule Q]

18.63

47.66

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ-हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

The Schedules referred to above form an integral part of Profit and Loss Account.

यह लाभ-हानि लेखा सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित है।

This is the Profit and Loss Account referred to in our report of even date

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

कृते डे एंड बोस
For De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

जे.पी. दूआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / M D & CEO

सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

डी. सरकार / D. Sarkar
निदेशक / Director

स्थान : कोलकाता / Place: Kolkata
दिनांक / Date: 23rd April, 2011

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

ऑलबैंक फाइनेंस लिमिटेड
AllBank Finance Limited
31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31 st March, 2011

	2010-11 (₹)	2009-10 (₹)
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
A CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ Net Profit before Tax	43,551,686	96,307,834
समायोजन / Adjusted for :		
मूल्यहास / Depreciation	195,826	163,669
ब्याज आय / Interest Income	(23,872,813)	(16,673,832)
लाभांश आय-म्युचुअल फंड / Dividend Income - Mutual Fund	(5,364,971)	(6,558,693)
लाभांश आय-शेयर / Dividend Income - Shares	(28,650)	(278,500)
एनपीए हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं / Provision for NPA no longer required	(1,681,929)	(1,278,142)
व्यय हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं / Provision for Expenses no longer required	(76,988)	(6,750)
निवेश में अल्पहास हेतु प्रावधान अब अपेक्षित नहीं / Provision for Diminution in Investment no longer required	-	(26,809)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad Debt written off	8,654	428,842
निवेश में अल्पहास हेतु प्रावधान / Provision for diminution in Investment	-	165,075
निवेश के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of Investments	(153,863)	16,349,564
स्थिर आस्तियों के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of Fixed Assets	(2,880)	-
निवेश की बिक्री पर हानि / Loss on sale of Investments	-	26,360
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर हानि/बट्टे खाते डाली गई आस्तियां Loss on sale of Fixed Assets/Assets written off	-	(30,977,614)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ Operating Profit before Working Capital Changes	<u>12,574,072</u>	<u>56,024,797</u>
समायोजन / Adjusted for :		
ट्रेड और अन्य प्राप्त राशियाँ / Trade and Other Receivables	8,580,137	(2,440,410)
ऋण एवं अग्रिम / Loans and Advances	1,799,241	(1,891,634)
ट्रेड एवं अन्य देय राशियाँ / Trade and Other Payables	<u>1,069,250</u>	<u>11,448,628</u>
परिचालन से अर्जित नकदी / Cash generated from Operations	24,022,700	56,422,16
भुगतान किया गया कर / Tax paid	33,970,816	19,063,762
संचालन की गतिविधियों से (प्रयुक्त) निवल नकदी Net Cash (used in) from Operating Activities	<u>(9,948,116)</u>	<u>37,358,399</u>

	2010-11 (₹)	2009-10 (₹)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
B CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर आस्तियों की खरीद / Purchase of Fixed Assets	(71,098)	(843,034)
स्थिर आस्तियों की बिक्री से प्राप्त आगम		
Proceeds from Sale of Fixed Assets	5,500	-
म्यूचुअल फंड में निवेश से प्राप्त आगम (निवल)		
Proceeds from Investments of Mutual Fund (Net)	5,607,983	42,295,925
शेयरों में निवेश / Investment in Shares	-	(1,687,575)
अपरिवर्तनीय डिबेन्चरों में निवेश		
Investment in Non-Convertible Debentures	(20,000,000)	(40,000,000)
कर मुक्त बांड में निवेश / Investment in Tax Free Bond	-	(50,000,000)
ब्याज आय / Interest Income	16,170,004	9,644,153
लाभांश आय- शेयर / Dividend Income - Shares	28,650	278,500
लाभांश आय- म्यूचुअल फंड /		
Dividend Income - Mutual Funds	5,364,971	6,471,533
निवेश गतिविधियों (प्रयुक्त) से निवल नकदी		
Net Cash from / (used in) Investing Activities	7,106,010	(33,840,498)
ग वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
C CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी		
Net Cash from Financing Activities	-	-
नकदी व नकदी समतुल्य में निवल (कमी)/ वृद्धि		
Net (Decrease) / Increase in Cash and Cash Equivalents	(2,842,106)	3,517,901
नकदी और नकदी समतुल्य (अथ शेष)		
Cash and Cash Equivalents (Opening Balance)	6,164,475	2,646,574
नकदी और नकदी समतुल्य (इति शेष) (नोट-1)		
Cash and Cash Equivalents (Closing Balance) (Note - 1)	3,322,369	6,164,475
नोट: / Note :		
1. नकदी और नकदी समतुल्य में निम्न शामिल हैं		
Cash and Cash Equivalents comprise :		
रोकड़ शेष / Cash in hand	5,349	5,675
अनुसूचित बैंकों में बैंक शेष / Bank Balance with Schedule Banks :		
चालू खाते में / in Current Account	3,317,020	6,158,800
	3,322,369	6,164,475

कृते डे एंड बोस
For De & Bose
सनदी लेखाकार
Chartered Accountants

सुब्रत डे / Subrata De
पार्टनर / Partner

सदस्यता सं. / Membership No.54962
फर्म पंजीकरण संख्या / Firm Registration No. 302175E

स्थान : कोलकाता / Place: Kolkata
दिनांक / Date: 23rd April,2011

जे.पी. दूआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / MD & CEO

डी. सरकार / D. Sarkar
निदेशक / Director

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ए' - पूँजी SCHEDULE "A" - CAPITAL	31.03.2011 (₹)	31.03.2010 (₹)
---	-------------------	-------------------

शेयर पूँजी /
SHARE CAPITAL

प्राधिकृत /

Authorised

100/- रु. प्रत्येक के 15,00,000 साधारण शेयर

15,00,000 Ordinary Shares of ₹ 100/- each

150,000,000

150,000,000

निर्गमित, अभिदत्त एवं संदत्त

Issued, Subscribed and Paid Up

100/- रु. प्रत्येक के 15,00,000 साधारण शेयर

15,00,000 Ordinary Shares of ₹ 100/- each

150,000,000

150,000,000

(समस्त शेयर इलाहाबाद बैंक एवं इसके नामितियों के पास हैं)

(All the Shares are held by Allahabad Bank and its nominees)

150,000,000

150,000,000

अनुसूची 'बी' - प्रारक्षितियां एवं अधिशेष
SCHEDULE "B" - RESERVES AND SURPLUS

31.03.2011

31.03.2010

(₹)

(₹)

प्रारक्षितियां एवं अधिशेष /

RESERVES AND SURPLUS

सामान्य प्रारक्षितियां /

General Reserve

अंतिम लेखा के अनुसार / As per last account

1,060,253

1,060,253

घटाये: परिवर्तनीय प्रावधानों के कारण प्रभार /

Less: Charge on account of transitional provisions

लेखा मानक - 15 के अन्तर्गत / under Accounting Standard -15

206,842

853,411

लाभ एवं हानि लेखा /

Profit and Loss Account

322,781,161

294,830,362

323,634,572

295,890,615

अनुसूची 'सी' - स्थिर आस्तियां
Schedule - 'C' FIXED ASSETS

(₹. में) / (In ₹)

विवरण Particulars	सकल ब्लॉक / GROSS BLOCK				मूल्यहास / DEPRECIATION				निवल ब्लॉक / NET BLOCK	
	01.04.2010 को As at 01.04.2010	परिष्करण Additions	समायोजन Adjustments	31 मार्च 2011 को As at 31.03.2011	31.03.2010 को As at 31.03.2010	अवधि For the Period	समायोजन Adjustments	31.03.2011 को As at 31.03.2011	31.03.2011 को As at 31.03.2011	31.03.2010 को As at 31.03.2010
मूर्त आस्तियां TANGIBLE ASSETS										
लीज के अतिरिक्त अन्य आस्तियां ASSETS OTHER THAN ON LEASE										
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture and Fixtures	480,785	4,455		485,240	262,412	24,314		286,726	198,514	218,373
कार्यालय उपकरण Office Equipments	1,593,556	66,643	337,671	1,322,528	1,225,142	106,183	335,051	996,274	326,254	368,414
मोटर वाहन Motor Vehicles	595,043			595,043	29,581	56,529		86,110	508,933	565,462
	2,669,384	71,098	337,671	2,402,811	1,517,135	187,026	335,051	1,369,110	1,033,701	1,152,249
लीज पर प्रदत्त आस्तियां ASSETS GIVEN ON LEASE										
प्लांट एवं मशीनरी Plant and Machinery	30,346,679			30,346,679	28,103,899			28,103,899	2,242,780	2,242,780
फर्नीचर एवं फिक्स्चर Furniture and Fixtures	609,308			609,308	574,310			574,310	34,998	34,998
कार्यालय उपकरण Office Equipments	17,295,894			17,295,894	3,033,976			3,033,976	14,261,918	14,261,918
मोटर वाहन Motor Vehicles	213,235			213,235	213,235			213,235	-	-
	48,465,116	-		48,465,116	31,925,420			31,925,420	16,539,696	16,539,696
(A +B)	51,134,500	71,098	337,671	50,867,927	33,442,555	187,026	335,051	33,294,530	17,573,397	17,691,945
अमूर्त आस्तियां INTANGIBLE ASSETS										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर Computer Software	42,000			42,000	8,800	8,800		17,600	24,400	33,200
	42,000	-		42,000	8,800	8,800		17,600	24,400	33,200
	51,176,500	71,098	337,671	50,909,927	33,451,355	195,826	335,051	33,312,130	17,597,797	17,725,145
पूर्व वर्ष / Previous Year	51,714,268	843,034	1,380,802	51,176,500	34,563,181	163,669	1,275,495	33,451,355	17,725,145	

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाजार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	
	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010	As at 31.03.2011 दर / Rate	मूल्य / Value
				₹	₹	₹

वर्तमान निवेश अनकोटेड / CURRENT INVESTMENT - Unquoted

म्युचुअल फंड यूनिट /

MUTUAL FUNDS UNITS

आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल एम एफ

ICICI Prudential MF

999,880.011

10,000,000

10.0153

10,014,098

अर्धवार्षिक अन्तराल योजना - 1

संस्थागत लाभांश

Half Yearly Interval Plan -I,

Institutional Dividend

एचडीएफसी इंकम फंड

IDFC Income Fund

मनी मैनेजर फंड- /

Money Manager Fund-

मासिक लाभांश / Monthly Dividend

1,443.872 1,000,000.000

14,439

10,012,300

10.0654

14,533

अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड /

Ultra Short Term Fund -

मासिक लाभांश / Monthly Dividend

2,027,879.540

20,431,233

10.1052

20,492,128

एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट-एसटी प्लान

HDFC Floating Rate-ST Plan

496,349.963

5,003,654

दैनिक लाभांश / Daily Dividend

आईसीआईसीआई प्रुडेंसियल -

फ्लेक्सिबल इंकम प्लान

ICICI Prudential -

Flexible Income plan

189,274.698

20,012,961

दैनिक लाभांश / Daily Dividend

बिरला सनलाइफ तिमाही अंतराल-

डिविडेंड पेआउट

Birla Sunlife Qtly Interval-

Dividend Payout

2,000,000.000

20,000,000

सीरीज़-4 / Series 4

टेम्पलेटन इंडिया अल्ट्रा

शार्ट बांड फंड

Templeton India Ultra

Short Bond Fund

999,751.871

10,008,616

दैनिक लाभांश / Daily Dividend

कोटक फ्लोटर लांग टर्म

Kotak Floater Long Term

744420.041

7,503,605

दैनिक लाभांश / Daily Dividend

रिलायंस मनी मैनेजर फंड

Reliance Money Manager Fund

19,986.861

20,013,621

दैनिक लाभांश / Daily Dividend

यूटीआई ट्रेजरी एडवांटेज फंड

UTI Treasury Advantage Fund

15.018

19,074

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाजार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	
	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010	As at 31.03.2011 ₹	As at 31.03.2010 ₹	As at 31.03.2011 दर / Rate ₹	मूल्य / Value ₹
तिमाही लाभांश / Quarterly Dividend						
यूटीआई ट्रेजरी एडवांटेज फंड UTI Treasury Advantage Fund	5,186.259	30,006.905	5,187,369	30,013,330	1,000.2141	5,187,369
दैनिक लाभांश / Daily Dividend						
कुल चालू निवेश / Total Current Investment			35,633,041	122,587,161		

दीर्घावधि निवेश-अनकोटेड शेयर / LONG TERM INVESTMENT - Unquoted SHARES

विक्रम प्रोजेक्ट लिमि. /

Vikram Projects Ltd. 85,500 85,500 2,992,500 2,992,500 - 1

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
(प्रत्येक का प्रीमियम ₹. 25/-)

Equity Shares of ₹ 10/- each, fully paid
(Premium of ₹ 25/- each)

हरप्रताप स्टील लिमि. /

Harpatap Steel Ltd. 380,923 380,923 3,809,230 3,809,230 - 1

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
Equity Shares of ₹ 10/- each, fully paid

मौलिक फाइनेंस एंड रिसोर्ट लिमि.

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त

Moulik Finance & Resorts Ltd. 119,700 119,700 1,197,000 1,197,000 - 1

Equity Shares of ₹ 10/- each, fully paid

रितेश पालीमर्स लिमि. /

Ritesh Polymers Ltd. 58,300 58,300 874,500 874,500 - 1

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
(प्रत्येक का प्रीमियम ₹. 5/-)

Equity Shares of ₹10/- each, fully paid
(Premium of ₹ 5/- each)

कलिंग सीमेंट लिमि. /

Kalinga Cements Ltd. 150,000 150,000 1,500,000 1,500,000 - 1

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
Equity Shares of ₹ 10/- each, fully paid

जुआरी एग्रो कैमिकल लिमि.

Zuari Agro Chemicals Limited 25 25 250 250 - 1

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
Equity Shares of ₹ 10/- each, fully paid

दीवान सुगर्स लिमि. /

Dewan Sugars Limited 650,000 650,000 6,500,000 6,500,000 - 1

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
Equity Shares of ₹ 10/- each, fully paid

दिव्या कैम / Divya Chem

50 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य ₹ 30.76)

50 Equity Shares (Cost - ₹ 30.76 each)

निर्मल मेटल / Nirmal Metal

10,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य ₹ 85.19)

10,000 Equity Shares (Cost - ₹ 85.19 each)

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाजार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	
	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010	As at 31.03.2011 ₹	As at 31.03.2010 ₹	As at 31.03.2011 दर / Rate ₹	मूल्य / Value ₹
न्यू सेंचुरी लीजिंग / New Century Leasing	106,000	106,000	2,507,960	2,507,960	-	1
106,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 23.66) 106,000 Equity Shares (Cost - ₹ 23.66 each)						
न्यू इरा अर्बन / New Era Urban	40,000	40,000	757,200	757,200	-	1
40,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 18.93) 40,000 Equity Shares (Cost - ₹ 18.93 each)						
रीजेंट कैमिकल्स / Regent Chemicals	28,000	28,000	795,200	795,200	-	-
28,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 28.40) 28,000 EquityShares (Cost - ₹ 28.40 each)						
गुजरात फिलामेंट / Gujrat Filaments	25,000	25,000	1,017,500	1,017,500	-	1
25,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 40.76) 25,000 EquityShares(Cost - ₹ 40.70 each)						
सोलर बिसीफार्म्स / Solar Busiforms	126,200	126,200	4,181,006	4,181,006	-	1
126,200 इक्विटी शेयर (प्रत्येक का मूल्य रु 33.13) 126,200 Equity Shares(Cost - ₹ 33.13 each)						
निवास स्पिनिंग्स लिमि. Niwas Spinnings Ltd.	1,400	1,400	-	-	-	1
1,400 इक्विटी शेयर (बोनस) 1,400 Equity Shares (Bonus)						
म्युचुअल फंड यूनिट MUTUAL FUND UNITS						
बिरला सनलाइफ एम एफ एफटीपी आईएनएसटी सीरीज़ सी -ग्रोथ					10.0294	20,058,800
Birla Sunlife MF FTP Inst Series CX - Growth	2,000,000.000	20,000,000				
डीएसपी ब्लैकरॉक एम एफ फोकस - 25 फंड-ग्रोथ					10.5110	2,627,750
DSP Blackrock MF Focus 25 Fund - Growth	250,000.000		2,500,000			
एचडीएफसी एम एफ फिक्सड मेच्योरिटी प्लान 13एम मार्च 10 - ग्रोथ फिक्सड मेच्योरिटी प्लान 370 दिन मार्च 11(4) - ग्रोथ						
HDFC MF Fixed Maturity Plan 13M Mar 10 - Growth	2,000,000.000	2,000,000.000	20,000,000	20,000,000	10.7462	21,492,400
Fixed Maturity Plan 370D Mar 11(4) - Growth	1,900,000.000		19,000,000		10.0437	19,083,030

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाजार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	
	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010	As at 31.03.2011 ₹	As at 31.03.2010 ₹	As at 31.03.2011 दर / Rate ₹	मूल्य / Value ₹
रिलायंस एम एफ फिक्सड हॉरिजन फंड XIX - सीरीज 11- ग्रोथ Reliance MF	2,000,000.000	20,000,000			10.0508	20,101,600
Fixed Horizon Fund - XIX - Series 11 - Growth						
एसबीआई एमएफ डेब्ट फंड सीरीज 370 दिन - 9 - ग्रोथ SBI MF	2,000,000.000		20,000,000		10.1704	20,340,800
Debt Fund Series - 370 Days - 9 - Growth						
उप-योग / SUB-TOTAL			128,485,784	46,985,784		

दीर्घावधि निवेश-अनकोटेड शेयर

LONG TERM INVESTMENT - Quoted SHARES

बीसीएल फाइनेंसियल सर्विसेस लिमि.

BCL Financial Services Ltd. 6,400 6,400 64,000 64,000 - 1

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
Equity Shares of ₹ 10/- each, fully paid

मालविका स्टील लिमि.

Malvika Steels Ltd. 48,600 48,600 1,944,000 1,944,000 - 1

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
Equity Shares of ₹ 10/- each, partly paid
(प्रत्येक का प्रीमियम ₹. 30/-) / (Premium of ₹ 30/- each)

एसीसी लिमि. / ACC Ltd. 20 20 1,100 1,100 1,075.00 21,500

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
Equity Shares of ₹ 10/- each

टाटा टी लिमि. / Tata Tea Ltd. 2,290 2,290 130,049 130,049 97.75 223,848

₹. 56.79 प्रत्येक के 2290 इक्विटी शेयर
2290 Equity Shares at cost of ₹ 56.79 each

एनएचपीसी लिमि. / NHPC Ltd. 50,000 50,000 1,687,575 1,687,575 25.35 1,267,500

₹. 10/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर, पूर्ण संदत्त
Equity Shares of ₹ 10/- each

डिबेंचर / DEBENTURES

टाटा कैपिटल लि. / **Tata Capital Ltd.** 500 500 50,000,000 50,000,000 - Not Quoted

₹. 1,00,000/- प्रत्येक के एन सी डी
NCDs of ₹ 1,00,000/-each

रिलायंस कैपिटल लिमि

Reliance Capital Ltd. 30 30 30,000,000 30,000,000 - Not Quoted

₹. 1,00,000/- प्रत्येक के एन सी डी
NCDs of ₹ 1,00,000/-each

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	मात्रा Q U A N T I T Y		बही मूल्य B O O K V A L U E		बाजार मूल्य M A R K E T V A L U E	
	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	को यथास्थिति 31.03.2010	को यथास्थिति 31.03.2011	
	As at 31.03.2011	As at 31.03.2010	As at 31.03.2011 ₹	As at 31.03.2010 ₹	As at 31.03.2011 दर / Rate ₹	मूल्य / Value ₹
श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कं. लिमि Sriram Transport Finance Co. Ltd.	100	100	10,000,000	10,000,000	-	Not Quoted
रु. 1,00,000/- प्रत्येक के एन सी डी NCDs of ₹ 1,00,000/-each पटेल इंजीनियरिंग लिमि. Patel Engineering Ltd.	200		20,000,000			Not Quoted
रु. 1,00,000/- प्रत्येक के एन सी डी NCDs of ₹ 1,00,000/-each बॉन्ड / BONDS इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लिमि. रु 1,00,000/- प्रत्येक के करमुक्त बॉन्ड India Infrastructure Finance Co.Ltd.	500	500	50,000,000	50,000,000	-	Not Quoted
Tax Free Bonds of ₹ 1,00,000/-each इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन रु 1,00,000/- प्रत्येक के करमुक्त बॉन्ड Indian Railway Finance Corporation	500	500	50,000,000	50,000,000	-	Not Quoted
Tax Free Bonds of ₹ 1,00,000/-each						
उप-योग / SUB TOTAL			213,826,724	193,826,724		
कुल लम्बी अवधि का निवेश / Total Long Term Investment			342,312,508	240,812,508		

अनुसूची "डी" निवेश SCHEDULE "D" INVESTMENT	बही मूल्य / B O O K V A L U E	
	को यथास्थिति / As at 31.03.2011 ₹	को यथास्थिति / As at 31.03.2010 ₹
चालू निवेश अनुद्धरित / Current Investment Un-Quoted	35,633,041	122,587,161
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान / Less Provision for Diminution in Investment	-	-
उप योग / Sub Total	35,633,041	122,587,161
दीर्घावधि निवेश अनुद्धरित / Long Term Investment Un-Quoted	128,485,784	46,985,784
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान / Less Provision for Diminution in Investment	26,985,770	26,985,771
उप योग / Sub Total	101,500,014	20,000,013
दीर्घावधि निवेश उद्धरित / Long Term Investment Quoted	213,826,724	193,826,724
घटाएं निवेश में ह्रास हेतु प्रावधान Less Provision for Diminution in Investment	2,173,073	2,173,073
उप योग / Sub Total	211,653,651	191,653,651
पूर्ण योग / Grand Total	348,786,706	334,240,825

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ई' - विविध देनदार SCHEDULE "E" - SUNDRY DEBTORS	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
विविध देनदार / SUNDRY DEBTORS		
a) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण Debts outstanding for a period exceeding six months अप्रतिभूत एवं अच्छे माने गए Unsecured and considered good संदिग्ध माने गए Considered doubtful	- 6,005,077	- 6,162,896
b) अन्य ऋण / Other Debts	57,632	-
	6,062,709	6,162,896
घटाएं : संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान Less : Provision for doubtful debts	6,005,077	6,162,896
	57,632	-

अनुसूची 'एफ' - नकदी एवं बैंक शेष SCHEDULE 'F' - CASH AND BANK BALANCES	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
नकदी एवं बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES		
रोकड़ शेष / Cash In Hand	5,349	5,675
अनुसूचित बैंको के पास शेष / Balances with Scheduled banks		
चालू खाते में / In Current Accounts	3,317,020	6,158,800
मीयादी जमा खाते में / In Fixed Deposits Accounts	50,000,000	50,000,000
	53,322,369	56,164,475

अनुसूची 'जी' - अन्य चालू आस्तियां SCHEDULE 'G' - OTHER CURRENT ASSETS	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
किराए पर स्टाक / Stock-On-Hire	11,911,409	13,435,519
घटाएं : अतिदेय वित्तीय प्रभार Less : Overdue Finance charges	2,523,617	2,720,908
	9,387,792	10,714,611
घटाएं : किराए पर संदिग्ध स्टॉक हेतु प्रावधान/ Less : Provision on doubtful stock -on-hire	9,387,792	10,714,611
निवेश पर उपचित ब्याज / Interest accrued on Investment	4,795,876	2,655,822
मीयादी जमा पर उपचित ब्याज / Interest accrued on Fixed Deposit	12,430,689	6,867,934
प्राप्य ब्रोकरेज/Brokerage Receivable	315,769	7,468,900
अन्य/Others	51,000	51,000
	17,593,334	17,043,656

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'एच' - ऋण एवं अग्रिम SCHEDULE 'H' - LOANS AND ADVANCES	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
ऋण एवं अग्रिम/LOANS AND ADVANCES		
नकद अथवा पण्य में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूले जाने वाले अग्रिम Advance recoverable in cash or in kind or for value to be received	1,272,386	1,467,370
अंतर-कारपोरेट जमा/ Inter-corporate Deposit घटाएं : संदिग्ध जमा हेतु प्रावधान Less : Provision on doubtful deposit	200,000 200,000	200,000 -
अग्रिम आयकर, स्रोत पर काटा गया कर Advance Income Tax , Tax Deducted at Source	101,404,013	96,836,338
अग्रिम अनुषंगी लाभ कर / Advance Fringe Benefit Tax	90,633	97,033
अग्रिम सेवा कर / Advance Service Tax	10,635	1,671,500
प्राप्य ब्याज कर रिफंड / Interest Tax Refund Receivable	101,372	101,372
पूंजीगत माल हेतु प्रदत्त अग्रिम Advance Paid for Capital Goods घटाएं : संदिग्ध अग्रिम हेतु प्रावधान Less : Provision on doubtful advance	1,464,000 1,464,000	1,464,000 -
अधिकारियों को ऋण एवं ऋणों का उपचित ब्याज Loan to Officers and Interest Accrued on Loans	747,110	690,502
	103,626,149	100,864,115
अनुसूची 'आई' - चालू देयताएं SCHEDULE "I" - CURRENT LIABILITIES	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
चालू देयताएं / CURRENT LIABILITIES		
विविध लेनदार (व्यय एवं अन्य) Sundry Creditors (Expenses and Others)	7,638,178	6,473,703
प्रतिभूति जमा / Security Deposit	60,831	60,831
	7,699,009	6,534,534
अनुसूची 'जे' - प्रावधान SCHEDULE "J" - PROVISIONS	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
प्रावधान / PROVISIONS		
सेवानिवृत्ति लाभ / Retirement Benefits -		
छुट्टी नकदीकरण / Leave Encashment	338,127	220,882
ग्रेच्युटी / Gratuity	528,552	808,459
अनुषंगी लाभ कर/Fringe Benefit Tax	51,000	51,000
आय कर / Income Tax	42,253,862	56,053,862
अनर्जक आस्ति / Non Performing Assets	16,478,865	16,478,864
	59,650,406	73,613,067

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'के' - निवेश आय SCHEDULE 'K' - INVESTMENT INCOME	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
निवेश आय / INVESTMENT INCOME		
बांड एवं डिबेंचर पर ब्याज Interest on Bonds and Debentures	17,691,972	11,055,891
लाभांश आय-शेयर / Dividend Income - Shares	28,650	278,500
लाभांश आय - / Dividend Income - म्यूचुअल फंड यूनिट (व्यापार निवेश) / Mutual Fund Units (Trade Investments)	5,364,971	6,558,693
निवेशों की बिक्री पर लाभ / Profit on sale of Investments	153,863	16,349,564
निवेश की बिक्री पर हानि / Loss on sale of Investment	153,863	(26,360)
स्थिर आस्तियों के निपटान पर लाभ Profit on disposal of Fixed Assets	2,880	-
	<u>23,242,336</u>	<u>34,216,288</u>

अनुसूची 'एल' - प्राप्त ब्याज SCHEDULE 'L' - INTEREST RECEIVED	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
ब्याज आय / INTEREST INCOME		
मीयादी जमा पर ब्याज (सकल) Interest on Fixed Deposit(Gross)	6,180,841	5,617,941
[टीडीएस-618,086 (गत वर्ष- 557,989/-)] [TDS - 618,086/- (Pre. Yr. - 557,989/-)]		
स्टाफ ऋण पर ब्याज / Interest on Staff Loan	79,008	78,541
	<u>6,259,849</u>	<u>5,696,482</u>

अनुसूची 'एम' - अन्य आय SCHEDULE 'M' : OTHER INCOME	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
अन्य आय / OTHER INCOME		
रिटन बैंक किया गया प्रावधान : / Provision written back for : अनुपयोज्य आस्तियों हेतु / Non Performing Assets	1,681,929	1,278,142
व्यय / Expenses	76,988	6,750
निवेश में अल्पहास / Diminution in Investment	-	26,809
	-	(165,075)
विविध आय / Miscellaneous Income	303,077	103,804
पूर्ववर्ती अवधि की मद / Prior Period Item	-	610,342
	<u>2,061,994</u>	<u>1,860,772</u>

अनुसूची 'एन' - कार्मिकों पर व्यय SCHEDULE 'N' : PERSONNEL EXPENSES	यथास्थिति / As on 31.03.2011 ₹	यथास्थिति / As on 31.03.2010 ₹
कार्मिक लागत / PERSONNEL COST		
वेतन / Salaries	3,572,635	2,552,094
भविष्य निधि अंशदान एवं प्रशासनिक प्रभार Provident Fund Contribution and Admn. Charges	328,562	236,091
चिकित्सा व्यय / Medical Expenses	247,143	321,771
अन्य /Others	769,151	293,671
	<u>4,917,491</u>	<u>3,403,627</u>

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

अनुसूची 'ओ' - प्रशासनिक एवं अन्य व्यय SCHEDULE 'O' : ADMINISTRATION AND OTHER EXPENSES	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2011 ₹	समाप्त वर्ष / Year ended 31.03.2010 ₹
यात्रा एवं वाहन / Travelling and Conveyance	533,557	470,794
प्रकाश एवं विद्युत / Light and Electricity	252,643	273,515
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं / Books and Periodicals	48,254	50,671
मुद्रण एवं लेखन सामग्री / Printing and Stationery	159,353	110,552
व्यवसाय संवर्धन व्यय / Business Promotion Expenses	2,208	9,573
डाक खर्च एवं टेलीफोन / Postage and Telephone	301,484	237,950
कर्मचारी प्रशिक्षण / Staff Training	13,324	66,202
मरम्मत एवं अनुरक्षण / Repair and Maintenance		
- संयंत्र एवं मशीनरी / - Plant and Machinery	79,126	40,035
- अन्य / - Others	<u>404,134</u>	<u>383,684</u>
बीमा प्रभार / Insurance Charges	13,128	12,440
विज्ञापन एवं प्रचार / Advertisement and Publicity	314,168	92,459
अभिदान एवं सदस्यता शुल्क / Subscription and Membership Fee	1,096,035	1,112,029
निदेशकों की बैठक का शुल्क / Directors Sitting Fees	55,000	62,500
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / Auditors Remuneration		
- लेखापरीक्षा शुल्क / - Audit Fee	25,000	27,575
- कर लेखापरीक्षा शुल्क / - Tax Audit Fee	7,000	7,721
- लेखापरीक्षकों की यात्रा एवं अन्य आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क - Auditors Travelling and Others	<u>102,342</u>	<u>100,209</u>
व्यवसाय एवं परामर्श शुल्क / Internal Audit Fees	80,000	22,151
व्यवसाय एवं परामर्श शुल्क / Profession & Consultancy Fee	115,166	342,968
विधिक व्यय / Legal Expenses	330,246	273,694
निदेशकों की यात्रा एवं बोर्ड बैठक पर व्यय / Directors Travelling and Board Meeting Expenses	805,751	787,702
बैंक प्रभार / Bank Charges	3,928	2,736
विविध व्यय / Miscellaneous Expenses	55,840	17,957
कार्यालय खर्च / Office Expenses	168,236	273,038
अपलेखित लीज्ड आस्ति / Leased Assets Written Off	-	67,405
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर हानि Loss on disposal of Fixed Assets	-	37,902
पूर्व अवधि व्यय / Prior Period Expenses	3,086,370	-
दर एवं कर / Rates and Taxes	1,265,242	1,746,193
अशोध्य ऋण अपलेखित / Bad Debts written off	8,654	428,842
	<u>9,326,189</u>	<u>7,058,497</u>

अनुसूची 'पी' : महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(क) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण स्वीकार्य लेखा मानकों और कम्पनी अधिनियम, 1956 के संगत प्रावधानों के अनुसार तैयार किए जाते हैं और परंपरागत लागत परिपाटियों पर आधारित हैं। लेखा नीतियां, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुकूल हैं और समान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप हैं। देय और प्राप्य सीमा तक माने गए सभी व्यय और आय का लेखा, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, उपचित आधार पर किया गया है।

(ख) प्राक्कलन का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु ऐसे प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो ऐसे अनुमान और प्राक्कलन करते हैं जो रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम को प्रभावित करते हैं और तुलन पत्र की तारीख को आकस्मिक देयताओं तथा आस्तियों और वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय की राशि से संबंधित प्रकटीकरण हैं।

आकस्मिकताओं को तब दर्ज किया जाता है जब इस बात की संभावना हो कि देयता उपगत होगी और उस राशि का समुचित प्राक्कलन किया जा सकता है। जिस वर्ष परिणाम ज्ञात/मूर्त होते हैं उस वर्ष वास्तविक परिणामों और प्राक्कलनों के अंतर को अभिज्ञात किया जाता है।

(ग) राजस्व अभिज्ञान

(i) पट्टा वित्तपोषण:

1.4.2001 को या इसके पश्चात प्रारंभ लेखा अवधि के दौरान समस्त पट्टे की अस्तियों के संबंध में प्रभाव में आई लीज पर लेखा मानक 19 (एएस-19) लागू है। चूंकि कंपनी ने 1.4.2001 को अथवा इसके पश्चात कोई लीज संस्वीकृत नहीं की अतः एएस-19 कंपनी पर प्रयोज्य नहीं है।

लीज करार के अनुसार देय तिथि को लीज किराए पर विचार किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विवेकसम्मत मानदंडों के अंतर्गत जहाँ हाँ लीज आस्तियां अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में वर्गीकृत हों वहाँ लीज किराए पर विचार नहीं किया गया।

तथापि कंपनी ने स्वयं को वर्ष 2005 में श्रेणी-1 मर्चेन्ट बैंकर के रूप में पंजीकृत किया है तथा चूंकि कंपनी अब कोई एचपी एवं लीजिंग कारोबार नहीं कर रही है, अतएव उसने गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के रूप में अपना लाइसेंस वापस कर दिया है।

(ii) ब्याज आय का अभिज्ञान बकाया राशि तथा प्रयोज्य दर के आधार पर वसूली योग्य मानी जाने वाली रकम की सीमा तक समय अनुपात आधार पर किया जाता है।

(iii) लाभांश आय को तब अभिज्ञात किया जाता है जब इसकी प्राप्ति का अधिकार स्थापित हो जाता है।

(घ) अचल आस्तियां

कंपनी द्वारा स्थापना पर किए गए व्यय सहित अचल आस्तियों का पूंजीकरण लागत पर होता है।

Schedule 'P' : Significant Accounting Policies:

(a) Basis of preparation of Financial Statements

The financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and relevant provisions of the Companies act, 1956 and are based on the historical cost conventions. Accounting policies unless specifically stated to be otherwise, are consistent and are in consonance with generally accepted accounting principles. All expenses and income to the extent considered payable and receivable, unless stated otherwise, have been accounted for on accrual basis.

(b) Use of Estimates

The preparation of financial statements require management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities and assets as at the Balance Sheet date and the reported amounts of income and expenses during the year.

Contingencies are recorded when it is probable that a liability will be incurred and the amounts can reasonably be estimated. Differences between the actual results and estimates are recognized in the year in which the results are known / materialized.

(c) Revenue Recognition

(i) Lease Finance

The Accounting Standard 19 (AS-19) on Leases came into effect in respect of all assets leased during accounting periods commencing on or after 1.4.2001. Since the Company has not sanctioned any lease on or after 1.4.2001, the AS-19 is not applicable to the Company.

Lease Rentals are considered on the due dates in terms of lease agreements.

Lease Rentals are not considered where Leased Assets have been classified as Non- Performing Assets (NPA) under the Prudential Norms announced by Reserve Bank of India.

However, the Company had registered itself as a Category I Merchant Banker in the year 2005 and had surrendered NBFC license since it discontinued HP and Leasing business.

(ii) Interest income is recognized on a time proportion basis depending upon the amount outstanding and the rate applicable and to the extent considered realizable.

(iii) Income on account of dividend is recognized when the right to receive is established.

(d) Fixed Assets

Fixed Assets are capitalized at cost inclusive of installation expenses as incurred by the Company.

(इ) पट्टे पर ली गई आस्तियां

क्रय की गई एवं पट्टे पर दी गई आस्तियों का पूंजीकरण स्थापना लागत एवं स्थापना व्यय पर किया गया है।

(च) मूल्यहास

(i) लीज पर दी गई आस्तियों के अलावा अन्य आस्तियां :

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों को पांच वर्षों की अवधि में अथवा यदि उपयोगी अवधि पांच वर्ष से कम हो तो अपेक्षाकृत कम अवधि में सीधी रेखा प्रणाली से परिशोधित किया जाता है।

(ii) पट्टे पर दी गई आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'एकाउण्टिंग फॉर लीजिंग' पर गाइडेन्स नोट के अनुसार लीज पर दी गई आस्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा प्रणाली पर समस्त आस्तियों (पट्टे पर दी गई उन आस्तियों को मिलाकर जिन्हें अनुपयोज्य राशि के रूप में वर्गीकृत किया गया है) पर सीधी रेखा प्रणाली पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

(छ) निवेश

दीर्घ अवधि के निवेश का लागत पर मूल्य निर्धारण किया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर निवेश के मूल्य में हास हेतु प्रावधान ऐसे निवेश के मूल्य में कमी होने पर किया जाता है।

वर्तमान निवेश का मूल्यांकन न्यूनतर लागत एवं बाजार मूल्य पर किया जाता है।

जहां निवेश सूचीबद्ध कर लिया हो परंतु बाजार कोटेशन उपलब्ध न हो ऐसे मामले में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी लिया जाएगा।

विशेष न्यायालय (प्रतिभूति लेन-देन संबंधी अपराधों का विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत गठित विशेष न्यायालय, मुम्बई के आदेश के अनुसरण में मे० वी.बी. देसाई खाता के निपटान से अर्जित शेयरों के मामले में इस प्रकार अर्जित शेयरों की लागत को ऐसे निर्णय से पूर्व मे० वी.बी. देसाई से बकाया निवल राशि पर लिया गया है। इस निवेश को दीर्घकालिक निवेश माना गया है।

विभिन्न म्युचुअल उत्पादों जिनमें योजनावधि एक वर्ष से अधिक है, में निवेश को दीर्घकालीन निवेश माना गया है।

(ज) विवेकपूर्ण मानदंड

यद्यपि कंपनी किराया-खरीद एवं लीजिंग व्यवसाय नहीं करती, फिर भी जहां-कहीं प्रयोज्य हो आय अभिज्ञान, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान हेतु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों हेतु विवेकपूर्ण मानदंड के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(e) Leased Assets

Assets purchased and given on lease are capitalized on installation at cost and installation expenses.

(f) Depreciation

(i) Assets other than given on Lease:

Depreciation is provided under Straight Line Method at the rates and in the manner as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

Intangible Assets are amortised over a period of five years or in lesser period if useful life is lower than five years on straight line basis.

(ii) Assets given on Lease:

Depreciation on Leased Assets is provided as per the Guidance Note on 'Accounting for Leases' issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Depreciation on all the fixed assets (including Leased Assets classified as Non Performing Assets) has been provided on straight line method at the rates prescribed in Schedule XIV of the Companies Act, 1956.

(g) Investment

Long Term Investments are valued at cost. Provision for diminution in value of investment is made for decrease in value of such investments if permanent in nature as at the end of the year.

Current Investments are valued at the lower of cost and market value.

In cases where Investments are listed but market quotations are not available, the value of the investment has been taken at Re. 1/- per Company.

In the case of shares acquired in settlement of M/s V B Desai A/c pursuant to the Order of The Special Court, Mumbai, constituted under The Special Courts (Trial of Offences relating to Transactions in Securities) Act, 1992, the cost of acquisition of the Shares so acquired have been taken at the net amount due from M/s V B Desai, prior to such ruling. This investment has been considered as Long Term Investment.

Investments made in various Mutual Funds where duration of scheme exceeds one year have been considered as Long Term Investment.

(h) Prudential Norms

Although the Company is not doing Hire Purchase and Leasing business yet the Directions issued by the Reserve Bank of India regarding prudential norms for Non-Banking Financial Companies for income recognition, asset classification and provisions have been followed, wherever found applicable.

(झ) विविध देनदार :

देय/प्राप्य राशि लेकिन जिसे लीज, किराया खरीद, तृतीय पक्ष आदि के कारण वर्ष की समाप्ति पर अभी प्राप्त होना है, को विविध देनदार खाते में नामे डालते हुए संबधित आय/आस्ति खातों में जमा करना है।

(ञ) अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान :

किराया खरीद, लीज आदि से 12 माह से अधिक किरस्तें देय होने के मामले में और अंतर कारपोरेट जमा से 6 माहों से अधिक अवधि हेतु ब्याज देय रहता है तो आस्ति अनुपयोज्य मानी जाएगी और खातों में कोई आय नहीं मानी जाएगी।

लाभ एवं हानि खाते के नामे डालकर अनुपयोज्य आस्तियों हेतु प्रावधान किया जाता है।

(ट) आस्तियों का अनर्जक होना

किसी आस्ति को तब अनर्जक माना जाता है जब उस आस्ति को रखने की लागत वसूली योग्य मूल से अधिक हो जाती है। जिस वर्ष आस्ति को अनर्जक के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है उस वर्ष अनर्जक हानि को लाभ एवं हानि लेखा से प्रभारित किया जाता है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि में परिवर्तन हो गया हो तो पूर्व लेखा वर्ष अवधि में अभिज्ञात अनर्जक हानि को प्रत्यावर्तित किया जाता है

(ठ) कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्ष में उपचित होते हैं। निर्धारित अंशदान योजनाओं यथा भविष्य निधि में अंशदान का अभिज्ञान अंशदान देने पर किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजना जैसे ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के अंतर्गत दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ बीमाकिक तकनीक का प्रयोग करके देय राशि के वर्तमान मूल्य पर वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित किया जाता है।

(ड) आय पर कर

वर्तमान और आस्थगित कर दोनों हेतु कर का प्रावधान किया जाता है। चालू कर का प्रावधान प्रयोज्य कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए कर योग्य आय पर किया जाता है। समय में अंतर के कारण उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां और देयताएं, जिन्हें परवर्ती अवधि में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, का अभिज्ञान अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का प्रयोग करते हुए किया जाता है। आस्थगित कर को तब तक अभिज्ञात नहीं किया जाता जब तक भावी वर्षों में इसके प्रत्यावर्तन के संबंध में पर्याप्त आश्वासन न हो।

(ढ) प्रावधान, आकस्मिकताएं और आकस्मिक आस्तियां

मापन में पर्याप्त रूप से किए गए प्राक्कलन वाले प्रावधानों को तब अभिज्ञात किया जाता है जब पिछली किसी घटना के लिए वर्तमान में देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्गमन होगा तथा देयता की राशि के संबंध में एक विश्वस्नीय अनुमान लगाया जा सकता है। आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो अभिज्ञात किया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधान नहीं किया जाता और उन्हें टिप्पणियों के रूप में प्रकट किया जाता है।

(i) Sundry Debtors

Amount due/ receivable but yet to be received at the end of the year on account of Lease, Hire Purchase, third parties etc. are debited to Sundry Debtors Account and credited to respective income/ assets account.

(j) Provision for Non Performing Assets

In case of Installments due for more than 12 months from Hire Purchase, Lease, etc and in case of interest remained due for more than 6 months from Inter Corporate Deposit, the asset is treated as Non Performing Assets and no income is considered in the accounts.

Provision for a Non-Performing Asset is made by debiting Profit & Loss Account.

(k) Impairment of Assets

An asset is treated as impaired when the carrying cost of assets exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to profit and loss account in the year in which an asset is identified as impaired. The impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

(l) Employee Benefits

Employee benefits accrued in the year are for services rendered by the employees. Contribution to defined contribution schemes such as Provident fund is recognized as and when incurred.

Long term employee benefits under defined benefits scheme such as gratuity and leave encashment are determined at close of the year at present value of the amount payable using actuarial techniques.

(m) Taxes on Income

Provision for tax is made for both current and deferred tax. Current Tax is provided on the taxable income using the applicable tax rates and tax laws. Deferred tax assets and liabilities arising on account of timing difference which are capable of reversal in subsequent periods are recognized using tax rates and tax laws which have been enacted or substantively enacted. Deferred tax are not recognized unless there is sufficient assurance with respect to the reversal of the same in the future years.

(n) Provisions , Contingencies and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that there will be an outflow of resources and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. Contingent Assets are neither recognized nor disclosed in the financial statement . Contingent Liabilities are not provided for and are disclosed by way of notes.

अनुसूची क्यू : लेखों पर टिप्पणियां

Schedule 'Q' — Notes on Accounts :

1. आकस्मिक देयताएं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है : Contingent liabilities not provided for :
- (क) विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों, जहां कंपनी सफलता की अपेक्षा करती है, के संबंध में विवादित आयकर एवं ब्याज कर देयताएं।
- (a) Disputed Income Tax liability in respect of matters pending before various Appellate authorities where the Company expects to succeed. (₹ लाख में) / (₹ In Lakh)

मूल्यांकन वर्ष Assessment Year	31.03.2011 आयकर / Income-Tax	31.03.2010 आयकर / Income-Tax
2002-03	-	344.18
2003-04	627.62	620.55
2004-05	70.52	109.79
2005-06	23.44	38.06
2006-07	15.32	29.99
2007-08	55.18	66.47
2008-09	8.07	-
कुल / Total	800.15	1,209.04

कर देयता के आंकड़ों में परिवर्तन अधिमान्य अपील पर एबीएफएल और असंतुष्ट अंशतः जमा पक्षकार के पक्ष में अथवा विरुद्ध पारित आदेश के कारण हुआ है।

The change in the figure of the tax liability is due to order passed against or in favour of ABFL , partly deposited and aggrieved, preferred appeal.

- (ख) कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे: ₹.1175.76 लाख (पूर्व वर्ष रु. 1175.76 लाख)
- (ग) कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा वेतन संशोधन हेतु दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। तथापि उसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंधन का मत है कि उसका पक्ष मजबूत है। इसके अतिरिक्त रकम भी नगण्य है।

- (b) Claims against the Company not acknowledged as Debts : ₹ 1,175.76 lakh. (Previous Year ₹1,175.76 lakh)
- (c) A writ Petition has been filed by some employees of the Company in Delhi High Court for Salary revision. However, the same has not been provided for as the management feels that it has a good case. Moreover, the amount remains un-quantified.

- (घ) कंपनी ने अगस्त 2008 में आस्ट्रल कोक एंड प्रोजेक्ट्स लि. के आईपीओ इश्यू हेतु लीड मैनेजर का कार्य किया। उक्त कंपनी के एक निकट प्रतिस्पर्धी ने कंपनी और इसके प्रमोटर्स के विरुद्ध सिविल न्यायालय में एक वाद दाखिल कर दिया तथा मर्चेंट बैंकर, स्वतंत्र निदेशक और लेखापरीक्षकों तथा सालिसिटर्स को पार्टी बना दिया। इस संबंध में आल बैंक फाइनेंस के विरुद्ध कोई विशेष क्षतिपूर्ति अथवा रकम नहीं बनती है।

- (d) The Company had acted as lead manager of Austral Coke & Projects Limited IPO issue in August,2008. A close competitor of the said company filed civil suits against the company and its promoters and also made Merchant Bankers , Independent directors, Auditors and Solicitors as party to the suit. There is no quantification of any compensation or amount against ALLBank Finance Ltd.

- (ङ) एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा उन्हें उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कं. लि. के शेयरों की बिक्री किए जाने हेतु एक मामला दाखिल किया गया है। कानूनी राय के अनुसार कंपनी का विश्वास है कि मामला अनुसंधानीय नहीं है।

- (e) A case has been filed by a private limited company for effecting sale of The Orrisa Minerals Development Company Ltd. 's share to them. According to legal opinion, the Company believes that the case is not maintainable.

2. माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार मे.वी.बी. देसाई द्वारा 13.05.1992 को ऑल बैंक फाइनेंस लि. को सौंपे गए शेयरों को कंपनी के पक्ष में शेयरों में संपत्ति का पूर्ण अंतरण माना गया। तदनुसार, शेयरों की सुपुर्दगी की तारीख से कंपनी शेयरों की स्वामी बन गई है और उसके बाद उन शेयरों पर घोषित समस्त उपचय और अधिकारों पर इसका हक है। उपर्युक्त आदेश के परिणामस्वरूप शेयरों के अर्जन को दीर्घावधि निवेश माना गया।

2. As per the order of the Hon'ble Special Court, the delivery of shares on 13.05.1992, by M/s V B Desai to AllBank Finance Ltd., constituted complete transfer of property in the shares in favour of the Company. Accordingly, the Company became the owner of the shares from the date of delivery of the shares and was entitled to all accretions and rights declared thereafter. Pursuant to the abovementioned order, the acquisition of the shares has been considered as Long Term Investment.

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

3. अग्रिम आयकर, स्रोत पर कर कटौती तथा प्राप्त आयकर वापसी यथास्थिति 31.03.2011 को ₹ 888.96 लाख (31.03.2010 को रु. ₹ 779.86 लाख) रही। यह राशि मूल्यांकन एवं अपीलों के विभिन्न स्तरों पर समायोजन हेतु लंबित है।
3. Advance income tax, tax deducted at source ,income tax refund receivable, interest tax refund receivable and advance fringe benefit tax amounted to ₹ 888.96 lakhs as on 31.03.2011(₹ 779.86 lakhs as on 31.03.2010) are pending adjustment at various stages of assessments and appeals.
4. “अन्य आय” के अंतर्गत पिछली अवधि की मदों का विवरण
4. Details of Prior Period Items under “Other Income”

	(₹ में/In ₹)	
	2010-11	2009-10
ब्रोकरेज आय / Brokerage Income		610,342
कुल / Total		610,342

	(₹ में/In ₹)	
	2010-11	2009-10
कर पश्चात लाभ (न्यूमेरेटर के रूप में प्रयुक्त) / Profit after Tax (used as Numerator)	27,950,799	71,492,466
वर्ष के आरंभ में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the beginning of the year	1,500,000	1,500,000
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या / Number of Equity Share at the end of the year	1,500,000	1,500,000
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (डिनामिनेटर के रूप में प्रयुक्त) Weighted average number of Equity Shares outstanding during the year (used as denominator)	1,500,000	1,500,000
इक्विटी शेयरों का सामान्य मूल्य / Nomi Nominal value of Equity Share – ₹	100	100
प्रतिशेयर मूल और डाइल्यूटेड अर्जन / Basic and diluted earnings per Share – ₹	18.63	47.66

6. चूंकि कंपनी की व्यवसाय गतिविधि एक प्रमुख व्यवसाय खंड अर्थात पूंजी बाजार और संबद्ध गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं और ये भौगोलिक खंड के अंतर्गत हैं अतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस -17) “खंड रिपोर्टिंग” में अपेक्षित खंड रिपोर्ट का प्रकटीकरण प्रयोज्य नहीं है।
6. As the company's business activity falls within a single primary business segment viz. dealing in Capital Markets and allied activities and in a single geographical segment, the disclosure requirements of Accounting Standard (AS – 17) “ Segment Reporting “ issued by The Institute of Chartered Accountants of India are not applicable.

7. क. प्रबंध निदेशक की परिलब्धियां / 7.a) Managing Director's Remuneration (₹ में/In ₹)

	2010-11	2009-10
वेतन / Salary	600,000	600,000
मकान किराया / House Rent	240,000	240,000
भविष्य निधि में अंशदान / Contribution to Provident Fund	72,000	72,000
अन्य लाभ / Other Benefits	321,592	221,592
ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान / Provision for Gratuity	40,820	28,846
छुट्टी प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान / Provision for Leave Encashment	28,241	
कुल / Total	1,302,653	1,162,438

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 22 “आय पर कर हेतु लेखा” के अनुसार कंपनी ने आस्थगित कर का हिसाब रखा है। कंपनी की एनपीए और संदिग्ध आस्तियों पर प्रावधान से उत्पन्न बड़ी मात्रा में आस्थगित कर आस्तियां हैं। तथापि विवेकपूर्ण ढंग से आस्थगित कर देयताओं की सीमा तक ही आस्थगित कर आस्तियों को अभिज्ञात किया गया है और इस प्रकार इसका खातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का विवरण इस प्रकार है:
8. In accordance with Accounting Standard 22 - “Accounting for Taxes on Income” issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the Company has accounted for deferred tax. The Company has significant amount of deferred tax assets arising out of provisions made on NPA and doubtful debts. However as a matter of prudence, deferred tax assets have been recognized to the extent of deferred tax liability and as such there is no impact of the same in these accounts. The component of deferred tax assets and liabilities are as follows :

(In ₹)

विवरण Particulars	31.03.2010 को यथास्थिति / As on 31.03.2010	वर्ष हेतु ऋण (प्रभार) / (Charge) / Credit for the year	31.03.2011 को यथास्थिति As on 31.03.2011
मूल्यहास के कारण आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability on account of depreciation	5,402,630	27,580	5,430,210
एनपीए और अशोध्य ऋणों पर प्रावधान के कारण आस्थगित कर आस्तियां Deferred Tax Assets on account of provision on NPA and doubtful debts	5,402,630	27,580	5,430,210
आस्थगित कर आस्ति/देयताएँ (निवल) Deferred Tax Assets / Liabilities (Net)	-	-	-

9. माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध सूचना के अनुसार किए गए अभिनिर्धारण में माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत परिभाषित कोई मेक्रो और लघु उद्यम नहीं हैं।
9. To the extent identified from the information available from suppliers of goods and services, there are no macro and small enterprises being a supplier as defined under Micro, Small and Medium enterprises Development Act, 2006.
10. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-28) “इम्पैयरमेंट ऑफ एसेट्स” के अनुसार कोई अनर्जक हानि नहीं है।
10. There is no impairment loss in terms of the Accounting Standard (AS 28) – “ Impairment of Assets” issued by The Institute of Chartered Accountants of India.
11. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक (एएस-18) “संबंधित पार्टी प्रकटीकरण” के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण निम्नानुसार है।
11. Related Party disclosures as required in terms of Accounting standard (AS 18) – “ Related Party Disclosures” issued by the Institute of Chartered Accountants of India are as under :

होल्डिंग कंपनी- इलाहाबाद बैंक / Holding Company – Allahabad Bank

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक- श्री प्रसाद अकोलकर, प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ
Key Management Personnels - Mr. Prasad Akolkar, Managing Director & CEO

	होल्डिंग कंपनी Holding Company		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
स्थिर जमा पर ब्याज / Interest on Fixed Deposit	6,180,841	5,617,941		
प्रबंधन संविदाएं / Management Contracts	314,791	235,546		
सेवा प्राप्ति / Receiving of Services	256,571	262,111		
परिलब्धियां / Remuneration			1,302,653	1,162,438
मियादी जमा / Term Deposit	50,000,000	50,000,000		
चालू जमा / Current Deposit	3,317,020	6,158,800		
लेनदार / Creditors		12,495	59,511	

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

उपर्युक्त संबंधित पार्टी की सूचना उस सीमा तक ही प्रकट की गई है जितना उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

The above related party information is disclosed to the extent such parties have been identified by the management on the basis of information available. This is relied upon by the auditors.

12. प्रबंधन की राय में, कंपनी के सामान्य व्यवसाय में चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम का वसूलीगत मूल्य है जो कम से कम तुलन पत्र में दर्शाई गई राशि के बराबर है।
13. वर्ष 2007-08 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में किए गए लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुसार निवेशों की होल्डिंग जैसे टाटा मोटर्स-3,408 इक्विटी शेयर, ओएमडीसी लि.-6,600 इक्विटी शेयर और विनसम यार्न -78,000 इक्विटी शेयर, के संबंध में इलाहाबाद बैंक फोर्ट शाखा डिपॉजिटरी में विधिवत एक पृथक डिपॉजिटरी खाता क्लाइंट आईडी-10123882 के साथ खोला गया।
14. इलाहाबाद बैंक नॉमिनी लि. (ऑलबैंक फाइनेन्स लिमि.) अभिरक्षक सेवाओं में संलिप्त थी। कंपनी अपने नियमित व्यवसाय के दौरान इलाहाबाद बैंक और इसके क्लाइंटों की ओर से प्रतिभूतियाँ धारण करती हैं। इस प्रकार इलाहाबाद बैंक नॉमिनी लि. इन प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य कर रही थी। प्रथम दृष्टया ऑलबैंक फाइनेन्स लिमि. द्वारा धारित ये प्रतिभूतियाँ अर्थात् ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, विन्सम यार्न्स आदि इलाहाबाद बैंक द्वारा दिये गये ऋणों के सापेक्ष संपार्श्विक स्वरूप की प्रतीत होती हैं।
15. स्रोत पर की गई कर कटौती की राशि के संबंध में रु. 21194220 की रकम को संबंधित कर निर्धारण वर्षों में दाखिल/लम्बित/अंतिम रूप दिए गए आयकर विवरणियों के संदर्भ में समाधान किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही समाधान कार्य पूर्ण हो जाएगा कंपनी इसके लिए आवश्यक प्रावधान करेगी।
16. कर निर्धारण वर्ष 1992-93 के रु. 5127354 की राशि, जिसे कर प्राधिकरण द्वारा निर्धारण वर्ष 1993-94 के रिफंड में समायोजित किया गया था, की मांग के संबंध में कंपनी की अपील खारिज हो जाने के कारण इस मांग का हिसाब वर्तमान वर्ष में रखा गया है।
17. कंपनी (लेखा मानक) नियम 2006 में अधिसूचित लेखा मानक 15 "कर्मचारी लाभ" के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटन नीचे दिए गए हैं
12. In the opinion of the Management , current assets, loans & advances have a value on realization in the ordinary course of the Company's business which is at least equal to the amount at which they are stated in the Balance Sheet.
13. As per the audit observation made in audit report of the year 2007-08, separate depository account vide client ID - 10123882 with Allahabad Bank, Fort Branch Depository, had been duly opened in regard to the holding of investments, such as Tata Motors – 3,408 equity shares, OMDC Ltd. – 6,600 equity shares and Winsome Yarns – 78,000 equity shares.
14. Allahabad Bank Nominees Ltd. (presently called AllBank Finance Ltd.) was engaged in custodial services. The Company, in regular course of business, used to hold securities on behalf of Allahabad Bank and its clients. Allahabad Bank Nominees Ltd., as such, was acting as Custodian of these securities. Prima-facie, such securities viz. OMDC, Tata Motors, Winsome Yarns etc. held by AllBank Finance Ltd. appears to be in the nature of collaterals against loans granted by Allahabad Bank. Keeping in view this perspective, it is not considered prudent that AllBank Finance Ltd is treated as the absolute owner of these securities. The Company has sought for legal opinion including tax aspect, in this regard and shall act on that basis.
15. With regard to amount of Tax deducted at source (TDS), amounting to Rs. 2,11,94,220, efforts are being made to reconcile the entries with reference to income tax returns filed / finalized/ pending for the relevant assessment years. As soon as the reconciliation is completed, the company shall make appropriate provision as may be called for.
16. Owing to dismissal of Company's appeal regarding demand to the tune of ₹ 5,127,354/- of A.Y. 1992 – 93 which was adjusted by Tax Authority from refund of A.Y. 1993 – 94, the demand is accounted for during the year .
- 17 . The disclosures required under Accounting Standard 15 "Employee Benefits" notified in the Companies (Accounting Standards) Rules 2006 , are given below :

परिभाषित अंशदान योजना

भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान रु. 289692 (पिछला वर्ष - रु. 206225)

परिभाषित लाभ योजना

ग्रेच्युटि और अवकाश से संबंधित दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए बीमाकिक मूल्यन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

क. परिभाषित लाभ दायित्व के अथ और इति शेष का समाधान

Defined Contribution Plan

Employer's Contribution to Provident Fund : ₹ 289,692 (Previous Year - ₹ 206,225)

Defined Benefit Plan

The present value of obligation relating to gratuity and leave is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method.

- a. Reconciliation of opening and closing balances of Defined Benefit Obligation Gratuity

लेखा के भाग के रूप में अनुसूची
Schedules Forming Part of the Accounts

ऑलबैंक फाइनेन्स लि.
AllBank Finance Ltd.

		(₹ में/In ₹)
		2010-11
वर्ष के प्रारंभ में परिभाषित लाभ दायित्व/Defined Benefit obligation at beginning of the year		738,259
चालू सेवा लागत /Current Service Cost		118,061
ब्याज लागत /Interest Cost		62,843
बीमांकिक हानि/(लाभ) /Actuarial Losses / (Gain)		(19,246)
अदा किए गए लाभ /Benefits Paid		(371,365)
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व / Defined Benefit obligation at year end		528,552
ख. नियोजित आस्तियों के उचित मूल्य के अथ और इति शेष का समाधान	b. Reconciliation of Opening and closing balances of fair value of plan assets	(₹ में/In ₹)
		2010-11
वर्ष के प्रारंभ में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य / Fair value of Plan Assets at the beginning of the year		
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ / Expected return on plan Assets		
बीमांकिक लाभ/(हानि)/Actuarial Gain / (Losses)		
कर्मचारी का अंशदान / Contributions by Employer		371,365
अदा किए गए लाभ / Benefits Paid		(371,365)
वर्ष के अंत में नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य / Fair value of Plan Assets at year end		
ग. आस्तियों और दायित्व के उचित मूल्य का समाधान	c. Reconciliation of fair value of assets and obligations	(₹ में/In ₹)
		31st March,2011
नियोजित आस्तियों का उचित मूल्य/Fair value of Plan Assets		528,552
दायित्व का वर्तमान मूल्य /Present value of obligation		528,552
तुलन पत्र में अभिज्ञात राशि /Amount recognized in Balance Sheet		
घ. वर्ष के दौरान अभिज्ञात व्यय	d. Expenses recognised during the year	(₹ में/In ₹)
		2010-11
चालू सेवा लागत / Current Service Cost		118,061
ब्याज लागत /Interest Cost		62,843
नियोजित आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिलाभ /Expected return on Plan Assets		
बीमांकिक (लाभ)/हानि /Actuarial (gain) / loss		(19,246)
लाभ-हानि खाते में अभिज्ञात व्यय /Expenses Recognized in Profit and Loss Account		
ङ बीमांकिक पूर्वानुमान	e. Actuarial assumptions	
मोर्टलिटी टेबल : एलआईसी (1994-1996) अंतिम	Mortality Table : LIC (1994 – 1996) Ultimate	(₹ में/In ₹)
समाप्त वर्ष/Year ended		31st March,2011
भुनाई दर (प्रति वर्ष)/Discount rate (per annum)		8.25%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)/ Salary Escalation (per annum)		7.00%
14. जहाँ कहीं आवश्यक है वहाँ पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है जिससे इन्हें चालू वर्ष के सदृश्य आंकड़ों के साथ तुलनीय बनाया जा सके।	18. Previous year's figures have been rearranged/ regrouped wherever necessary, to make those comparable with the corresponding figures for the current year.	

अनुसूची “ए” से “क्यू” के हस्ताक्षरकर्ता

Signatories to the Schedules A to Q

सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के द्वारा
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार
Vide our Report of even date
For De & Bose
Chartered Accountants

सुब्रत दे
Subrata De
पार्टनर
Partner

जे.पी. दूआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / MD & CEO

डी. सरकार / D. Sarkar
निदेशक / Director

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसार सूचना
Information Pursuant to Part IV of Schedule VI of Companies Act, 1956.

तुलनपत्र सार एवं कंपनी की सामान्य व्यवसाय रूपरेखा
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL BUSINESS PROFILE

कंपनी का नाम / Name of the Company : ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड / ALLBANK FINANCE LTD

I. पंजीकरण ब्योरा / Registration Details

पंजीकरण सं. / Registration No. : U67120WB1951GOI020023 राज्यकूट / State Code : 21

तुलनपत्रतिथि / Balance Sheet Date : 31.03.2011

II. वर्ष के दौरान अभिवृद्ध पूंजी (रु. हजार में) / Capital Raised during the year (Amount ₹ in Thousand)

पब्लिक इश्यू / Public Issue	:	शून्य / Nil	राइट इश्यू / Right Issue	:	शून्य / Nil
बोनस शेयर / Bonus Share	:	शून्य / Nil	प्राइवेट आबंटन / Private Placement	:	शून्य / Nil

III. निधियों के संग्रहण एवं विनियोजन की स्थिति (रु. हजार में)

Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount ₹ in Thousand)

कुल देयताएं / Total Liabilities	:	540,984	कुल आस्तियां / Total Assets	:	540,984
---------------------------------	---	---------	-----------------------------	---	---------

निधियों का स्रोत / Sources of Funds

प्रदत्त पूंजी / Paid –Up Capital	:	150,000	आरक्षितियां एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	:	323,635
----------------------------------	---	---------	---	---	---------

प्रतिभूत ऋण / Secured Loans	:	शून्य / NIL	अप्रतिभूत ऋण / Unsecured Loans	:	शून्य / Nil
-----------------------------	---	-------------	--------------------------------	---	-------------

निधियों का प्रयोग / Application of Funds :

निवल अचल आस्तियां / Net Fixed Assets	:	17,598	निवेश / Investments	:	348,787
--------------------------------------	---	--------	---------------------	---	---------

निवल चालू आस्तियां / Net Current Assets	:	107,250	विविध व्यय / Misc. Expenditure	:	शून्य / Nil
---	---	---------	--------------------------------	---	-------------

संचयी हानियां / Accumulated Losses	:	शून्य / Nil
------------------------------------	---	-------------

IV. कंपनी का कार्य निष्पादन (रु. हजार में) / Performance of the Company (Amount ₹ in Thousand)

टर्न ओवर / Turn Over	:	57,991	कुल व्यय / Total Expenditure	:	14,440
----------------------	---	--------	------------------------------	---	--------

कर से पूर्व लाभ/(हानि) Profit/(Loss) Before Tax	:	(+) 43,551
--	---	------------

कर के बाद लाभ/(हानि) Profit/(Loss) After Tax	:	(+) 27,951	लाभांश / Dividend Rate %	:	शून्य / Nil
---	---	------------	--------------------------	---	-------------

प्रति शेयर आय (रु. में) Earning Per Share (in Rs)	:	18.63
--	---	-------

V. कंपनी के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक शब्द के अनुसार)

Generic Name of Three Principal Products/Services of Company (as per monetary terms).

कंपनी सेबी में श्रेणी-I मर्चेंट बैंकर के रूप में पंजीकृत है /

The Company is registered with the SEBI as a Category I Merchant Banker.

बोर्ड के लिए एवं की ओर से
For and on behalf of the Board

जे.पी. दुआ / J. P. Dua
अध्यक्ष / Chairman

प्रसाद अकोलकर / Prasad Akolkar
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ / M D & CEO

पी. के. गुप्ता / P. K. Gupta
निदेशक / Director

डी. सरकार / D. Sarkar
निदेशक / Director

स्थान / Place : कोलकाता / Kolkata
दिनांक / Dated : 23.04.2011

अभिजीत पाशिने / Abhijit Pashine
कंपनी सचिव / Company Secretary

सेवा में सदस्यगण,
आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड,

TO THE MEMBERS

AllBank Finance Limited.

- हमने 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति ऑलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड के तुलन पत्र, और उसके साथ संलग्न उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण की भी लेखापरीक्षा की है। जिन पर हमने रिपोर्ट के संदर्भ में हस्ताक्षर किए हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की है। हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।
 - हमने अपनी लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षा मानदंडों के अनुसार की है। उन मानकों की अपेक्षा है कि हम इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय विवरण तात्त्विक अशुद्ध विवरण से मुक्त है। लेखापरीक्षा में परीक्षण आधार पर, राशि को प्रकट करने वाले साक्ष्यों की जाँच तथा वित्तीय विवरण में प्रकटीकरण की जाँच करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों सहित समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत का ठोस आधार है।
 - कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4क) के अनुसार, भारत के केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधन) आदेश, 2004 के द्वारा यथासंशोधित, में यथापेक्षित तथा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जाँच, जिसे हमने उपयुक्त समझा है, के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हम उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 एवं 5 में उल्लिखित विषयों पर एक विवरण अनुबंध के रूप में इसके साथ संलग्न करते हैं।
 - कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड से मार्च 2008 हेतु 25.07.2008 से तीन वर्षों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र को नवीकृत किया है जिसे अपेक्षित शुल्क देकर पुनः नवीकृत कराया जा सकता है। इससे पूर्व कंपनी 11.05.2005 तक भारतीय रिजर्व बैंक में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत थी। हालांकि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के अंतर्गत गतिविधियां बंद कर दी गई थीं किंतु पिछली गतिविधियों से संबंधित कुछ खाते अभी भी चल रहे हैं।
 - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2000" द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई क्योंकि कंपनी 25.07.2005 से मार्च 2008 बैंकिंग कंपनी बन गई है।
 - उपर्युक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 3 से 5 में हमारी टिप्पणी के अलावा, एवं पैरा 14 एवं 15 के माध्यम से लेखा पर टिप्पणी की अनुसूची 'Q' का संदर्भ लें, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - हमने वे सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।
- We have audited the attached Balance Sheet of **AllBank Finance Limited** as at 31st March , 2011 , the related Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto, which we have signed under reference to this report. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
 - We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
 - As required by the Companies (Auditors' Report) Order, 2003, as amended by the Companies (Auditor's Report) Order,2004 , issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of Section 227 of the Companies Act, 1956 and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.
 - The Company has got renewed certificate of registration as a Merchant Banker from Securities and Exchange Board of India effective from 25.07.2008 for three years subject to renewal against payment of required fees. Earlier to this, the Company was registered with Reserve Bank of India as Non Banking Finance Company upto 11.05.2005. Though the activities under Non Banking Finance Companies had been discontinued, but some accounts of past activities are still continuing.
 - As required by " Non Banking Financial Companies Auditors Report (Reserve Bank) Directions, 2000", issued by the Reserve Bank of India , no report is made as the Company became Merchant Banking Company with effect from 25.07.2005.
 - Further to our comments in paragraphs 3 to 5 above and refer to Schedule 'Q' of Notes on Accounts vide para 14 and 15 , we report that :
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

- ख) हमारी राय में, जहाँ तक बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है, कंपनी द्वारा विधि की अपेक्षा के अनुरूप समुचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं।
- ग) इस रिपोर्ट में समाहित तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखे एवं नकदी प्रवाह विवरण कंपनी की लेखा बहियों से मेल खाते हैं।
- घ) हमारी राय में इस रिपोर्ट के संबंध में तुलन पत्र, लाभहानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार हैं ;
- ङ) निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा बोर्ड के रिकार्ड के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि 31 मार्च, 2011 को यथास्थिति कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं है।
- च) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कथित वित्तीय लेखे एवं जो कि लेखा नीतियों के साथ पठित है तथा उनकी टिप्पणियाँ जो संलग्न हैं, कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा निर्धारित रूप में जानकारी प्रदान करती हैं एवं सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करती हैं:
- i) तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च 2011 को कंपनी की स्थिति;
- ii) लाभ-हानि लेखा के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी का लाभ; तथा
- iii) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु नकदी प्रवाह।
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books;
- c) The Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- d) In our opinion, the Balance Sheet , the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement dealt with by these report comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 ;
- e) On the basis of written representations received from the Directors and taken on record by the Board of Directors, we report that none of the directors is disqualified as on March 31, 2011 from being appointed as a director in terms of clause (g) of sub-section (1) of section 274 of the Companies Act, 1956;
- f) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements and read together with the accounting policies and other notes thereon give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India :
- i) in the case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2011;
- ii) in the case of Profit and Loss Account, of the profit for the year ended on that date ; and ,
- iii) in the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

दिनांक : 23 अप्रैल, 2011
स्थान: कोलकाता

सुब्रत डे
पार्टनर
सदस्यता सं. 54962
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 302175E

Date: 23rdApril,2011
Place : Kolkata

Subrata De
Partner.
Membership No. 54962
For & on behalf of
DE & BOSE
Chartered Accountants
Firm Registration No. 302175E

**समतिथि की हमारी रिपोर्ट के पैरा 3 में
संदर्भित अनुबंध**

सं. आलबैंक फाइनेन्स लिमिटेड

1. (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं अचल आस्तियों की स्थिति सहित पूरा ब्यौरा दिखाने के लिए समुचित रिकार्ड का रखरखाव किया है।
(ख) यह स्पष्ट किया गया है कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा समस्त आस्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है, परन्तु सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम प्रचलित है जो हमारे विचार में कंपनी के आकार एवं इसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए तर्कसंगत है। बहियों के अभिलेख और भौतिक इन्वेंटरी के बीच कोई विसंगति नहीं पाई गई।
(ग) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी अचल सम्पत्ति के बड़े भाग का निपटान नहीं किया है।
2. कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार सामानों की सूची की आवश्यकता नहीं है।
3. (क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी प्रतिष्ठान या पार्टी को/से न कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण दिया है न ही उनसे लिया है।
(ख) ऐसे मामलों में जहाँ कंपनी ने किराया खरीद अथवा पट्टा करार या अन्तर कार्पोरेट जमाएं के अंतर्गत अग्रिम दिया है, ब्याज दर एवं अन्य शर्तें एवं अनुबंध, प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।
(ग) मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान की वसूली कंपनी द्वारा की जाती है। चूक के मामलों में अनुपयोज्य आस्तियों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कंपनी द्वारा पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
(घ) ऐसे मामलों में जहाँ अतिदेय राशि रुपया एक लाख से अधिक है, कंपनी द्वारा मूल एवं ब्याज की वसूली हेतु उचित कदम उठाए गए हैं।
4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार तथा इसके व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, बहियों और कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हमने न तो आंतरिक नियंत्रण में बड़ी खामियों को सुधारने में लगातार विफल रहने का कोई मामला पाया है और न ही हमें इसकी सूचना दी गई है।
5. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर में अभिलिखित करने की आवश्यकता हो।
6. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58ए, 58एए अथवा अन्य संगत उपबंध और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

**Annexure referred to in paragraph 3 of
our report of even date**

Re: ALLBank Finance Limited

1. a. The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situations of its fixed assets.
b. It has been explained that all the assets have not been physically verified by the management during the year, but there is a regular program of verification which, in our opinion, is reasonable having regard to the size of the Company and nature of its assets. No material discrepancies between the book records and the physical inventory have been noticed.
c. In our opinion and according to the information and explanations given to us, any substantial part of the fixed assets has not been disposed of by the Company during the year.
2. The nature of business of the Company does not warrant holding of inventory.
3. a. The Company has not granted or taken any loans, secured or unsecured, to / from companies, firms or other parties covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956.
b. In cases where the Company has made advances under Hire Purchase, Leases Agreements or Inter Corporate Deposit, the rate of interest and other terms and conditions are, prima facie, not prejudicial to the interests of the Company.
c. Payments of the principal amount and interest are being recovered by the Company. In cases of default, adequate provisions have been made by the Company, in accordance with norms laid down by the Reserve Bank of India, in the matter of Non Performing Assets.
d. In cases where the overdue amount is more than Rupees one lakh, reasonable steps have been taken by the Company for the recovery of the principal and interest.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there is an adequate internal control system commensurate with the size of the Company and the nature of its business. Further, on the basis of our examination of the books and the records of the Company and according to the information and explanations given to us, we have neither come across nor have been informed of any continuing failure to correct major weaknesses in the aforesaid internal control system.
5. According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into transactions which require to be recorded in a register in pursuance of Section 301 of the Companies Act.
6. The Company has not accepted any deposit from the public under Sections 58A, 58AA or any other relevant provision of the Companies Act, 1956 and the rules framed thereunder.

7. हमारी राय में कंपनी के आकार तथा व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार कंपनी के पास सनदी लेखाकारों की बाहरी फर्म से लेखा परीक्षा कराने की एक आंतरिक प्रणाली है।
8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत कंपनी को लागत रिकार्ड एवं लेखा रखने हेतु निर्धारित नहीं किया है।
9. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार कंपनी भविष्य निधि, आय कर, सेवा कर, उप कर तथा अन्य तात्त्विक सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय को समुचित प्राधिकारियों को जमा करने के मामले में नियमित है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2010 को यथास्थिति देय सांविधिक बकाया का विवरण निम्नानुसार है जो विवाद के कारण जमा नहीं किए गए।
7. The Company has an internal audit system by an outside firm of Chartered Accountants which is in our opinion commensurate with its size and nature of business.
8. The Central Government has not prescribed maintenance of cost records and accounts under Section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956, to the Company.
9. a. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, in our opinion, the Company is regular in depositing the undisputed statutory dues including provident fund, income tax, service tax, cess and other material statutory dues as applicable with the appropriate authorities.
- b. According to the information and explanations given to us and the records of the Company examined by us, the details of statutory dues as on 31st March, 2011, not deposited on account of dispute, are as under :

संविधि का नाम Name of the Statute	देय राशि का स्वरूप Nature of the Dues	किस मंच पर विवाद लंबित है Forum where the dispute is pending	राशि (₹ लाख में) Amount (₹ in lacs)
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2003-04 Income Tax A.Y. 2003-04	आई.टी.ए.टी. कोलकाता बेंच I.T.A.T. Kolkata Bench	627.62
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2004-05 Income Tax A.Y. 2004-05	आई.टी.ए.टी. कोलकाता बेंच I.T.A.T. Kolkata Bench	70.52
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आय कर निर्धारण वर्ष 2005-06 Income Tax A.Y. 2005-06	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	23.44
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2006-07 Income Tax A.Y. 2006-07	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	15.32
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2007-08 Income Tax A.Y. 2007-08	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	55.18
आयकर अधिनियम, 1961 Income Tax Act, 1961	आयकर निर्धारण वर्ष 2008-09 Income Tax A.Y. 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील) Commissioner of Income Tax (Appeals)	8.07

10. कंपनी का 31 मार्च 2010 को कोई संचयी घाटा नहीं है और उस तिथि को समाप्त वित्त वर्ष में उससे तत्काल पूर्व के वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं उठाया है।
11. हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों की जांच तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों या डिबेंचर धारकों के पास कंपनी का कोई बकाया नहीं है।
- 10 The Company has no accumulated losses as at 31st March, 2011 and it has not incurred any cash losses in the financial year ended on that date and in the immediately preceding financial year.
- 11 According to the records of the Company examined by us and the information and explanation given to us, the Company has no dues towards financial institutions, banks and debenture holders.

12. ऐसे मामलों में जहाँ किराया खरीद एवं पट्टा करार के अंतर्गत अग्रिम दिए गए हैं, कंपनी ने पर्याप्त अभिलेख एवं दस्तावेज का रखरखाव किया है।
13. कंपनी पर चिटफंड या निधि/म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसाइटी पर प्रयोज्य विशेष संविधि के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
14. कंपनी शेयर, प्रतिभूति, डिबेंचर एवं अन्य निवेशों की डीलिंग अथवा ट्रेडिंग नहीं करती है। कंपनी ने शेयर निर्गम की अंडरराइटिंग तथा विगत वर्षों में विशेष अदालत मुम्बई के निर्देशों के अंतर्गत एक दावे का निपटारा करने पर शेयर अधिगृहीत किए हैं और दीर्घावधि निवेश के रूप में भी बांड और डिबेंचर अर्जित किए हैं। कंपनी ने ऐसे लेनदेनों का समुचित रिकार्ड रखा है तथा कंपनी अपने नाम से शेयर, बांड और डिबेंचर रखती है।
15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी अन्य के द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। अतएव, आदेश 2003 के खंड-4 (xv) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।
16. अभिलेखों के अनुसार, कंपनी ने लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल वर्ष में कोई मीयादी ऋण नहीं किया है। अतएव, आदेश 2003 के खंड-4 (xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
17. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर और कंपनी के तुलन पत्र की समग्र जांच करने पर हमारी राय है कि अल्पकालिक आधार पर ऐसी कोई निधि नहीं उगाही गई है जिसका प्रयोग दीर्घकालिक निवेश हेतु किया गया हो।
18. कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956, की धारा 301 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल पार्टियों और कंपनियों को वर्ष के दौरान अधिमानी शेयरों का आबंटन नहीं किया है।
19. कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 4(xix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।
20. कंपनी ने वर्ष के दौरान पब्लिक इश्यू के जरिए धन की उगाही नहीं की है।
21. भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा परिपाटियों के अनुसार हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों और बहियों की जांच के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान न तो कंपनी में या कंपनी द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी किए जाने की घटना हमारे सामने आई, न इसकी जानकारी मिली, न ऐसी कोई रिपोर्ट की गई है और न ही प्रबंधन द्वारा हमें ऐसी किसी घटना की सूचना दी गई है।
12. The Company has maintained adequate records and documents where advances have been made under hire purchase and leases agreements.
13. The provisions of any special statute applicable to chit fund or a nidhi / mutual benefit fund / societies are not applicable to the Company.
14. The Company is not dealing or trading in shares, securities, debentures and other investments. The Company has acquired shares on account of underwriting share issue and also in settlement of a claim under directions of The Special Court, Mumbai in the previous years and has also acquired debentures and bonds as long term investments. The Company has maintained proper records of such transactions and the shares, debentures and bonds are held by the Company in its own name.
15. According to the information and explanations given to us, the Company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions and therefore the provisions of Clause 4 (xv) of the Order are not applicable to the Company.
16. As per records, the Company has not taken any term loan during the year covered under audit and therefore the provisions of Clause 4 (xvi) of the Order are not applicable to the Company.
17. Based on the information and explanations given to us and on an overall examination of the balance sheet of the company, in our opinion, there are no funds raised on a short term basis which have been used for long term investment.
18. The Company has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under Section 301 of the Companies Act, 1956 during the year.
19. The Company has not issued any debentures. Accordingly, the provisions of Clause 4 (xix) of the Order are not applicable to the Company.
20. The company has not raised any money by public issue during the year.
21. During the course of our examination of books and records of the Company, carried out in accordance with generally accepted auditing practices in India and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any incidence of fraud on or by the Company, noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the management.

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 23.04.2011

सुब्रत डे
पार्टनर
सदस्यता सं. 54962
कृते डे एंड बोस
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 302175E

Place : Kolkata
Date: 23.04.2011

Subrata De
Partner.
Membership No. 54962
For & on behalf of
DE & BOSE
Chartered Accountants
Firm Registration No. 302175E

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता-700 001

Allahabad Bank

Head Office: 2, N. S. Road
Kolkata 700 001

नवम् वार्षिक सामान्य बैठक हेतु उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र
दिनांक : 10 जून 2011
स्थान : ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेन्टर
भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स
आईबी-201, सेक्टर III, सॉल्ट लेक सिटी
कोलकाता 700 106

**ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS FOR
NINETH ANNUAL GENERAL MEETING**
Date : 10th June, 2011
Place : Eastern Zonal Cultural Centre
Bharatiyam Cultural Multiplex
IB-201, Sector III, Salt Lake City
Kolkata 700 106

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(To be surrendered at the time of entry)

नाम स्पष्ट अक्षरों में /NAME IN BLOCK LETTERS सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्राधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative	फोलियो/क्लाइंट आईडी सं. FOLIO/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

शेयरधारक / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
Signature of Shareholders/Proxy/Representative present

✂ ----- ✂

प्रवेश पत्र ENTRY PASS

नाम स्पष्ट अक्षरों में /NAME IN BLOCK LETTERS सदस्य Member / प्रॉक्सी Proxy / प्राधिकृत प्रतिनिधि Authorised Representative	फोलियो/क्लाइंट आईडी सं. FOLIO/CLIENT ID NO.	शेयरों की संख्या No. of Shares

बैठक हाल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पत्रक - सह - प्रवेश पत्र को विधिवत हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सियों/प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। फिर भी प्रवेश, यदि आवश्यक समझा गया तो आगे सत्यापन/जांच के अधीन होगा। किसी भी हालत में, बैठक हाल में प्रवेश के लिए उपस्थिति पत्रक की कोई दूसरी प्रति जारी नहीं की जाएगी।

टिप्पणी : बैठक के दौरान उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएंगे।

कृपया संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ ले कर आएं।

Shareholders/Proxy/Representatives are requested to produce this Attendance-slip-cum Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy/Representative, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verifications/ checks as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance –Slip-cum Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

Note : No gifts/gift coupons will be distributed at the meeting .
Please bring your copy of the enclosed Annual Report.

**सूचीबद्धता करार के खंड 49V के
अनुसरण में प्रमाणपत्र**

सेवा में,
निदेशक मंडल,
इलाहाबाद बैंक

यह प्रमाणित किया जाता है कि-

- (क) हमने वर्ष 2010-2011 हेतु वित्तीय विवरणों और नकदी विवरणों की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :
- i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है अथवा कोई महत्वपूर्ण तथ्य छूटा नहीं है अथवा कोई भ्रामक कथन समाविष्ट नहीं है।
 - ii) ये विवरण बैंक के मामलों की सत्य और उचित छवि प्रस्तुत करते हैं तथा मौजूदा लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमनों के अनुसार हैं।
- (ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया है जो कपटपूर्ण, अवैध अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।
- (ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं और यह कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन किया है और ऐसे आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और परिचालन की उन विसंगतियों को, जो हमारी जानकारी में हैं और इन विसंगतियों के परिशोधन हेतु हमने जो कदम उठाए हैं, उसे लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रकट किया है।
- (घ) हमने लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षा समिति को यह दर्शाया है कि-
- (i) वर्ष 2010-11 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है।
 - (ii) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - (iii) धोखाधड़ी की विशेष घटनाएं जिनकी हमें जानकारी हुई और जिसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

(ए. बी. भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) एवं सीएफओ

(जे. पी. दूआ)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 02.05.2011

CERTIFICATE PURSUANT TO CLAUSE 49V
OF THE LISTING AGREEMENT

To
The Board of Directors
Allahabad Bank

This is to certify that

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2010-2011 and that to the best of our knowledge and belief:
 - (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading.
 - (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of the internal control systems of the Bank pertaining to the financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls of which we are aware and the steps we have taken to rectify the deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit Committee
 - (i) that no significant changes in internal control over financial reporting has been made during the year 2010-11,
 - (ii) that no significant changes in accounting policies has taken place during the year,
 - (iii) the instances of significant fraud of which we become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

(A. B. Bhattacharjee)
General Manager (F & A) & CFO

(J. P. Dua)
Chairman & Managing Director

Place: Kolkata
Date: 02.05.2011

इलाहाबाद बैंक

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड

कोलकाता : 700 001

फार्म 'बी'

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक सदस्य द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं एएलबी
(यदि डिमैटीरियलाइज नहीं है)
डी.पी.आई.डी सं.
क्लाइंट आई.डी सं.
(यदि डिमैटीरियलाइज है)

मैं/हम राज्य के जिले में स्थित
..... का/के निवासी इलाहाबाद बैंक का/के शेयर/शेयरों के धारक होने के नाते एतद्वारा राज्य के
जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती को अथवा उसकी अनुपस्थिति में
..... राज्य के जिले में स्थित का/के निवासी श्री/श्रीमती
का शुक्रवार 10 जून 2011 को 10.30 बजे पूर्वश्री ऑडिटरियम, ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेन्टर, भारतीयम कल्चरल मल्टीप्लेक्स, आईबी-201,
सेक्टर III सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 106 में सम्पन्न होने वाली इलाहाबाद बैंक के शेयरधारकों की नवम् वार्षिक सामान्य बैठक में और
उसके किसी स्थगन के उपरान्त आयोजित बैठक में मेरे/हमारी ओर से मतदान करने के लिये अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

इस पर 2011 के दिन हस्ताक्षर किये।

कृपया 1 रुपए
का रसीदी
टिकट चिपकाएं

.....
मुख्तारी (प्रॉक्सी) के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी (प्रॉक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- मुख्तारी लिखत तभी वैध होगा जब
क) व्यक्तिगत शेयरधारक सदस्य के मामले में वह लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
ख) संयुक्त धारकों के मामले में प्रथम नामित शेयरधारक सदस्य द्वारा या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके/उसकी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
ग) किसी कंपनी निकाय के मामले में वह उसके अधिकारी द्वारा अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- जिस मुख्तारी लिखत पर शेयरधारक अंगूठा निशान, अंकित करता है तो वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इलाहाबाद बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- मुख्तारी के साथ
क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
ख) नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार की प्रति नवम् वार्षिक आम बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् सोमवार 6 जून, 2011 को कार्य समय के दौरान या उससे पहले इलाहाबाद बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय में जमा की जानी चाहिए।
- यदि संबद्ध मुख्तारनामा इलाहाबाद बैंक अथवा शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है तो मुख्तारनामा की पंजीकरण संख्या और ऐसे पंजीकरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।
- कोई भी मुख्तारी तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह विधिवत स्टाम्पित न हो।
- बैंक में जमा की गई मुख्तारी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- यदि मुख्तारी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किए जाएं।
- जिस शेयरधारक ने मुख्तारी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- इलाहाबाद बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या मुख्तारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
- कोई भी मुख्तारी (प्रॉक्सी) तब तक वैध नहीं होगी जब तक फार्म - 'बी' पर न हो।

ALLAHABAD BANK
H.O: 2, Netaji Subhas Road, Kolkata-700 001

Form "B"
Form of Proxy
(To be filled in and signed by the shareholder member)

Regd. Folio No.. ALB _____ (If not dematerialised)
DPID No. _____ Client ID No. _____ (If dematerialized)

I/We _____ resident of _____ in
the district of _____ in the state of _____
_____ being a share holder(s) of Allahabad Bank,, hereby appoint Shri/Smt. _____
_____ resident of _____ in the district of _____
_____ or failing him/her. Shri/Smt _____
_____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____
_____ as my /our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Nineth Annual General
Meeting of the Shareholders of the Allahabad Bank to be held on Friday, the 10th June 2011 at 10.30 a.m. Purbashree
Auditorium at Eastern Zonal Cultural Center, Bharatiyam Cultural Multiplex, IB-201, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106,
and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2011

Please affix
One Rupee
Revenue
Stamp

.....
Signature of the Proxy

Signature of the First/Sole Holder

Name
Address

Instructions for signing and lodging the Proxy form

1. The instrument of proxy to be valid
 - (a) in case of an individual shareholder, shall be signed by him/her attorney duly authorized in writing.
 - (b) In case a joint holder, shall be signed by the shareholder whose names appeared first in the Register of Members or by his/her attorney duly authorized in writing.
 - (c) In case of body corporate, shall be signed by its officer duly authorised in this behalf and executed under its common seal, if any or otherwise signed by its attorney duly authorized in writing.
2. An instrument of proxy in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of assurance or any other Government Gazetted Officer or an Officer of Allahabad Bank.
3. The Proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - (b) a copy of that power of Attorney or Authority , certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office, Allahabad Bank, not later than **FOUR** days before the date of Nineth Annual General Meeting, i.e. on or before the close of business hours on Monday, 6th June, 2011.
4. In case of relevant power of attorney is already registered with Allahabad Bank or its Share Transfer Agent , the registration number of power of attorney and date of such registration may be mentioned.
5. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and signed.
6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
7. In case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
9. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Allahabad Bank.
10. No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form "B".

ईसीएस मैडेड हेतु फार्म/बैंक खाता विवरण (भौतिक शेयरधारको हेतु)

मैं/हमएतद्द्वारा मेरा लाभांश ईसीएस द्वारा सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करने हेतु इलाहाबाद बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/हैं:

मेरा/हमारा फालियो सं. एएलबी :
शेयरों की संख्या :
बैंक खाते का विवरण
क. बैंक का नाम : _____
ख. शाखा का नाम (केवल सीबीएस शाखा)
पता(केवल अधिदेश हेतु) : _____
ग. एमआईसीआर चेक पर उल्लिखित
बैंक और शाखा की 9 अंकों की कूट सं : _____
घ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) : _____
ड. चेकबुक में उल्लिखित खाता संख्या : _____
च. शेयरधारक का एसटीडी कोड और टेलीफोन संख्या : _____

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सही और पूर्ण हैं। यदि गलत और अधूरी सूचना देने के कारण लेनदेन में विलम्ब होता है अथवा लेनदेन नहीं हो पाता है तो मैं इलाहाबाद बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा।

सेवा में

मे. एमसीएस लिमिटेड
यूनिट: इलाहाबाद बैंक
77/2ए, हाजरा रोड
कोलकाता-700 029

शेयरधारक के हस्ताक्षर

कोड संख्या की सटीकता के सत्यापन हेतु कृपया अपने उक्त खाते से संबंधित चेक पत्रों की फोटोप्रति अथवा निरस्त किया गया कोरा चेक संलग्न करें।

यदि आप डिमेट फार्म में शेयर धारण कर रहे हैं तो कृपया अपना ईसीएस मैडेड संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को उसके द्वारा निर्धारित फार्म में भेजें।

*ईसीएस के माध्यम से लाभांश जमा करने हेतु बैंक शाखा सीबीएस के तहत होनी चाहिए।

FORM FOR ECS MANDATE/BANK ACCOUNT PARTICULARS (FOR PHYSICAL HOLDERS)

I / We do hereby authorize Allahabad Bank to credit my dividend amount directly to my bank account by ECS.

My/Our Folio No. ALB :

No. of Shares :

Particulars of Bank Account

A Bank Name : _____
B. Branch Name (only CBS Branch) : _____
Address (for mandate only) : _____
C 9 Digit Code No. of the Bank & Branch
Appearing on the MICR Cheque : _____
D. Account Type (Saving/Current) : _____
E. Account No. as appearing in the Cheque Book : _____
F. STD Code & Telephone No. of shareholder : _____

I hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold Allahabad Bank responsible.

Mail to

M/S MCS Limited Unit: Allahabad Bank 77/2A, Hazra Road Kolkata-700 029

Signature of the shareholder

Please attach a photocopy of a ' Cheque Leaf' or a blank cancelled cheque issued by your bank relating to your above account for verifying the accuracy of the code numbers.

In case you are holding shares in demat form, kindly send the ECS Mandate to the concerned Depository Participant directly, in the format prescribed by the DP.

*** The Bank Branch should be under CBS for credit of Dividend through ECS**